14 जून 1994

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दसवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

14 जून, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (i)	7	लिए	दिए
		पक	तक
2	1	उपलभ्यता	उपलब्धता
5	8	जामन्त	जयन्त
14	नीचे से 9	रेइडम्या	रेड्डयूया
78	नीचे से 10	वालो	वाले
172	नीचे से 4	अडवाणी	आडवाणी
204	नीचे से 4	प्रतिबंध	प्रतिषेध

विषय-सूची

दशम माला, खंड 32, दसवां सत्र, 1994/1916 (शक)

अंक 2, मंगलवार, 14 जून, 1994/24 ज्येष्ठ, 1916 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**1 – 22**
*तारांकित प्रश्न संख्या : 21, 23 और 24	1 – 18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**23 – 158**
तारांकित प्रश्न संख्या : 22 और 25-40	23 – 41
अतारांकित प्रश्न संख्या : 139 – 265 और 265 (क)	42 – 141
सभा पटल पर रखे गए पत्र	**158 – 169**
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	**169**
संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक	**169 – 172**
राज्य सभा द्वारा यथापारित और प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित विधेयक वापिस लेने के लिए प्रस्ताव	
श्री एच० आर० भारद्वाज	169
श्री गुमान मल लोढा	170
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	171
संविधान (तिरासीवां संशोधन) विधेयक	**172 – 201**
(अनुच्छेद 81, 82, 170 और 324 में संशोधन तथा नए अनुच्छेद 324 (क) का अंतःस्थापन)	172 – 198

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	**202—205**
(एक) तमिलनाडु के पूर्वी समुद्रतटीय क्षेत्र में बड़े पैमाने परझींगा मछली पालन के कारण मानवोत्तपति-पर्यावरण में होने वाले विक्षोभ को रोकने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री वी० पी० कालिया पेरुमल	202
(दो) पंजाब के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को लिए गए 5000 रुपये पक के ऋण को माफ किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती संतोष चौधरी	202
(तीन) मध्य प्रदेश के जबलपुर मंडल में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
श्री श्रवण कुमार पटेल	203
(चार) उड़ीसा के गंजम जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए प्रमुख पुलों के शीघ्र पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
श्री गोपीनाथ गजपति	203
(पांच) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को बेहतर शिक्षा प्रदान कराने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक	204
(छह) उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मुरादनगर कस्बे में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता	
डा० रमेश चन्द तोमर	204
(सात) बालक श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता	
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	204
(आठ) फरक्का बांध में पानी के बहाव को बढ़ाने के लिए एक नहर के माध्यम से फरक्का पर ब्रहमपुत्र नदी को गंगा से जोड़ने की आवश्यकता	
श्री सनत कुमार मंडल	205

विषय	पृष्ठ
मणिपुर नगरपालिका अध्यादेश, 1994 का निरनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प तथा मणिपुर नगरपालिका विधेयक	**205**
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती शीला कौल	205
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	208
प्रो० एम० कामसन	210
श्री जार्ज फर्नान्डीज	215
श्री उद्धव बर्मन	218
श्री याइमा सिंह युमनाम	220
श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	223
डा० जयंत रंगपी	225
श्री हरि किशोर सिंह	228
मणिपुर नगरपालिका अध्यादेश निरनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प—वापिस लिया गया मणिपुर नगरपालिका का विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
खंड 2 से 231 और	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती शीला कौल	231 – 32
पंजाब नगर निगम (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अध्यादेश का निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प और पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ और विस्तारण) विधेयक	**232 – 60**
विचार करने के प्रस्ताव	
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	232
श्री एस० बी० चव्हाण	233
प्रो. प्रेम धूमल	236
श्री पवन कुमार बंसल	240
डा. मुमताज अंसारी	243
प्रो. रासा सिंह रावत	246

श्री जगमीत सिंह बरार 248

श्री उमराव सिंह 250

पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अध्यादेश का निरनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प–वापस लिया गया पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ का विस्तारण) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

खंड 2 से 5 और

यथासंशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री एस० बी० चव्हाण 255 – 60

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अध्यादेश का निरनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प तथा नई दिल्ली नगरपालिका तथा परिषद विधेयक 260 – 79

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री संतोष कुमार गंगवार 260

श्री एस० बी० चव्हाण 261

श्री कालका दास 265

श्री राम कृपाल यादव 267

श्री हन्नान मोल्लाह 269

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम 271

श्री तेज नारायण सिंह 272

श्री पवन कुमार बंसल 273

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अध्यादेश का निरनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प–वापस लिया गया नई दिल्ली नगरपालिका परिषद विधेयक

विचार करने के प्रस्ताव

खंड 2 से 419 और।

यथापारित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री एस० बी० चव्हाण 278 – 79

मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक 279 – 79

राज्य सभा द्वारा यथापारित और प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित 279

विचार करने के लिए प्रस्ताव

विषय	पृष्ठ
श्री गोपीनाथ गजपति	280
डा. अमृतलाल कालिदास पटेल	281
श्री राजेश कुमार	283
डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी	283
डा. मुमताज अंसारी	285
श्री तेजं नारायण सिंह	288
कुमारी ममता बनर्जी	289
डा. कृपासिंधु भोई	291
श्री पवन सिंह घाटोबार	293
खंड 2 से 25 और	
यथासंशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री पवन सिंह घाटोबार	293–97
यान हरण निवारण (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित तथा सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन (संशोधन) विधेयक	**297–300**
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री गुलाम नबी आजाद	297
यान हरण निवारण (संशोधन) विधेयक	**299**
विचार करने के प्रस्ताव	
खंड 2 से 5 और।	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री गुलाम नबी आजाद	299–300
सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन (संशोधन) विधेयक	**300**
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
खंड 2 से 6 और	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री गुलाम नबी आजाद	300
विदाई उल्लेख	**300–301**
राष्ट्रगान की धुन बजाई गई	**301**

लोक सभा

मंगलवार, 14 जून 1994/ 24 ज्येष्ठ 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

21. **श्री पी०सी०थामस :**

श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि तथा उतार-चढ़ाव के कारण सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल, चीनी खाद्य तेल तथा मिट्टी के तेल के वितरण में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या इन वस्तुओं का आयात अभी भी किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जनता को ये वस्तुएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कमरुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) सार्वजनिक वितण प्रणाली के तहत चावल, गेहूं, खाद्य तेलों और मिट्टी के तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को स्थिति संतोषजनक है और सरकार को इस संबंध में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। चीनी के संबंध में वर्ष 1991 में की गई 5% की तदर्थ वृद्धि को आपूर्ति में कमी के कारण वापस ले लिया गया है।

(ख) और (ग) इन वस्तुओं की उपलभ्यता बढ़ाने की दृष्टि से केवल अत्यधिक आवश्यक मात्रा का ही आयात किया जाता है। वर्ष 1993-94 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण के लिए 42,000 मी० टन पामोलीन का आयात किया गया था। 1993-94 के दौरान लगभग 39.5 लाख मी० टन मिट्टी के तेल का आयात किया गया था। अप्रैल, 1993 से फरवरी, 1994 के दौरान 75,524 मी० टन चावल का आयात किया गया। चीनी का आयात अभी हाल में खुले आम लाइसेंस के तहत शुरू हुआ है।

(घ) सरकार दैनिक आधार पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, मांग और मूल्यों पर बारीकी से नजर रख रही है। देश में इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने और साथ ही आयात के माध्यम से उन वस्तुओं की समग्र उपलब्धता की अनुपूर्ति करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन वस्तुओं की शीघ्रता से ढुलाई में आने वाली परिवहन संबंधी बाधाओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाही की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और सुप्रवाही बनाया जा रहा है ताकि इसके लाभ दूरस्थ, दूर-दूर फैले पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में भी पहुंच सकें। आम उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुपर बाजार और केंद्रीय भंडार के सहकारी बिक्री केंदों, राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों के खुदरा/मोबाइल बिक्री केंद्रों के माध्यम से की जा रही है। राज्य सरकारों को जमाखोरों, कालाबाजारियों और अनुचित व्यापारिक व्यवहारों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाही करने के लिए सचेत किया गया है।

श्री पी०सी० थामस : महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उत्तर में यह बताया गया है कि वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल, गेहूं, खाद्य तेलों और मिट्टी के तेल जैसे आवश्यक वस्तुओं के आपूर्ति की स्थिति सन्तोषजनक है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं और मेरे विचार से सरकार को इस मामले में और सफलता मिलेगी।

परन्तु, चीनी के मामले में, जिस पर हमने कल लंबी चर्चा की थी। मैंने यह देखा कि लोगों के लिए स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं है जैसा कि उत्तर में बताया गया है। जैसा कि उत्तर में बताया गया है कि विशेषतः कुछ क्षेत्रों में आमतौर पर सभी राज्यों के लिए चीनी के मामले में **अस्थायी रूप** से पांच प्रतिशत की कटौती की गई है। माननीय मंत्री महोदय ने यही उत्तर दिया है। परन्तु, जहां तक मुझे जानकारी है केरल में यह कटौती पांच प्रतिशत की नहीं है बल्कि पांच प्रतिशत से अधिक है–मुझे यह नहीं पता कि क्या किसी अन्य राज्य को भी इस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इसमें सच्चाई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; यदि ये कारण उचित हैं तो क्या इन कारणों में संशोधन करके केरल को भारी मात्रा में चीनी प्रदान की जा सकती हैं ताकि केरल वासियों को चीनी के बारे में कोई असुविधा न हो।

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (ए०के० एन्टनी) : जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी-अभी बताया है कि कल चीनी के बारे में विस्तृत चर्चा हुई थी। चीनी के उत्पादन में वास्तविक रूप से कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी० डी० एस०) के माध्यम से चीनी के वितरण में पांच प्रतिशत कटौती लागू करने का निर्णय

लिया। सरकार ने इस संबंध में 1991 से तदर्थ रूप से वृद्धि लागू की थी। उस पांच प्रतिशत को कम कर दिया गया है।

इस मामले में केरल की स्थिति विचित्र-सी है। भारत सरकार सभी राज्य सरकारों को सामान्य आवंटन के अलावा त्यौहार के अवसर पर निश्चित मात्रा में विशेष आवंटन करती है। त्यौहार के अवसर पर केरल को विशेष आवंटन के रूप में 3,600 मीट्रिक टन चीनी प्राप्त हुई। इसके अलावा गत दिसम्बर के त्यौहार के लिए केरल ने अग्रिम रूप से 5000 मीट्रिक टन चीनी ली, भारत सरकार ने इस 5000 टन चीनी को इस वर्ष मार्च से 1,250 मीट्रिक टन की चार किस्तों में समायोजित किया है। अब जुलाई से केरल को 11,953 टन चीनी का सामान्य कोटा पुनः मिलेगा। इस तरह से केरल को जुलाई से चीनी का सामान्य कोटा मिलेगा।

श्री पी०सी० थामस : खाद्य तेल के बारे में उत्तर में यह बताया गया कि गत वर्ष लगभग 42,000 मीट्रिक टन पामोलीन का आयात किया गया और मुझे आंकड़ों और अन्य अभिलेखों से यह पता चला है कि आगामी वर्ष में लगभग 1.5 लाख टन पामोलीन का आयात किया जायेगा। मुझे इस बात की भी थोड़ी जानकारी है कि एस० टी० सी० को 1. 5 लाख टन पामोलीन का आयात करने को कहा गया है। इस समय खाद्य तेल के बारे में स्थिति बिल्कुल अलग है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नारियल एक ऐसा उत्पाद है जिससे हमें बहुत अच्छा तेल प्राप्त होता है और नारियल के तेल का पूरे देश में प्रयोग किया जा रहा है। नारियल की कीमतों में गिरावट आने के कारण नारियल के तेल की कीमतों में भी भारी गिरावट आई है और इससे नारियल का उत्पादन होने वाले परम्परागत क्षेत्रों में ही नहीं अपितु भारी मात्रा में नारियल का उत्पादन करने वाले कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे नए क्षेत्रों में भी किसानों को इस समय गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं यह सुझाव देने की कोशिश कर रहा था और सरकार से यह अनुरोध भी करता हूं कि खाद्य तेलों का आयात कम करके नारियल के तेल जो इस समय देश में अधिक मात्रा में उपलब्ध है, कि घरेलू खपत बढ़ायी जाए। नारियल और नारियल के तेल की कीमतों में भारी गिरावट के कारण किसानों को गम्भीर कठिनाइयों कों सामना करना पड़ रहा है।

क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अधिक मात्रा में नारियल का तेल उनलब्ध कराने और इसके घरेलू प्रयोग को बढ़ाने को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठायेगी? मैं सरकार से यह भी पूछना चाहूंगा कि पामोलीन के आयात में 1.5 लाख टन की वृद्धि क्यों की गई है जबकि देश में नारियल के तेल जैसा खाद्य तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है?

श्री ए०के० एन्टनी : मैं, नारियल के तेल की कीमतों के बारे में माननीय सदस्य की उत्सुकता समझ सकता हूं। परन्तु, मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगा। सरकार ने नारियल के तेल का आयात. करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार ने पामोलीन का आयात करने का निर्णय लिया है, जो कि नई बात नहीं है। एक समय था जब हम 1987-88 में 18 लाख टन पामोलीन का आयात किया करते थे। गत वर्ष हमने केवल 42,000 टन का आयात किया है। इसका यह आशय है कि सरकार पामोलीन का केवल न्यूनतम अपेक्षित मात्रा में आयात कर रही है क्योंकि हमें उपभोक्ताओं के

हितों को भी ध्यान रखना है। भारत में, हमेशा ही, जून से तेल की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। अतः, केवल इस अवधि के दौरान उपभोक्ताओं की मांग पूरा करने के लिए सरकार के पास पामोलीन का पर्याप्त स्टाक होना चाहिए। अन्यथा, उपभोक्ताओं को पूरी तरह निजी व्यापारियों पर आश्रित रहना पड़ेगा। निजी व्यापारियों ने इस स्थिति का सदा ही लाभ उठाते रहे हैं। इसीलिए, सरकार पामोलीन का आयात करने का प्रयास कर रही है। हमने एस० टी० सी० के माध्यम से 1.58 लाख टन तक का आयात करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 1.58 लाख टन तेल का ही आयात करने का है। एस० टी० सी० के माध्यम से अब तक 24,000 टन का वास्तविक आयात हुआ है। वे और अधिक आयात करेंगे। यह घरेलू स्थिति पर निर्भर करेगा। अतः, चाहे जो भी हो, सरकार खाद्य तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि को रोकने के लिए हर तरह के प्रयास करेगी।

श्री अर्जुन चरण सेठी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि इन आवश्यक पदार्थों का आवंटन 1981 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है। राज्य सरकारों ने बार-बार यह मांग की है कि यह आवंटन 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन आवश्यक वस्तुओं का 1991 की जनगणना के आधार पर आवंटन करने के बारे में निर्णय करेगी।

इसके अलावा, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह पांच प्रतिशत की कटौती, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, की जा रही है। इस कटौती का सभी राज्यों के साथ-साथ उपभोक्ताओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। यदि हां, तो सरकार इस कटौती को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठा रही है ताकि दूरदूराज के क्षेत्रों में स्थित लोगों को चीनी के साथ-ही-साथ अन्य आवश्यक वस्तुएं भी प्राप्त हो सकें?

श्री ए०के० एन्टनी : जहां तक गेहूं और चावल के आवंटन का संबंध है हमने उदारता का दृष्टिकोण अपनाया है। जब कभी भी हमें राज्य सरकारों से गेहूं और चावल का आवंटन बढ़ाने का अनुरोध मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में हम राज्य सरकारों के अनुरोध को अधिकतम सीमा तक पूरा करने की कोशिश करते हैं। सितम्बर, 1993 में मिट्टी के तेल के बारे में भी तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने जून, 1994 से मिट्टी के तेल के आवंटन में और तीन प्रतिशत की वृद्धि की है।

जहां तक चीनी के आवंटन का संबंध है हमने 1986 की जनगणना को आधार माना है न कि 1981 की जनगणना को। यह सभी लोग जानते है कि चीनी की कमी है। इसीलिए सरकार चीनी के आवंटन को कम करने के लिए बाध्य थी। हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी० डी० एस०) को चीनी के नियमित आवंटन के अलावा 1991 से राज्य सरकारों को चीनी के आवंटन में तदर्थ रूप से वृद्धि की है। सरकार ने सर्वोच्च स्तर, प्रधान मंत्री के स्तर, पर यह फैसला लिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी० डी० एस०) के अंतर्गत चीनी के आवंटन में की कोई कटौती नहीं की जायेगी।

श्री ज्ञस्ट दिघे : माननीय अध्यक्ष महोदय, भाग (ख) और भाग (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह बताया है कि इन वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ाने की दृष्टि से इनका केवल अपेक्षित मात्रा में ही आयात किया जाता है। जहां तक आयात का संबंध है असमें हमेशा दो-तीन मंत्रालयों–वित्त

मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय–को शामिल किया जाता है। अतः, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी कोई मंत्रिमंडल समिति है अथवा नहीं, जो आयात की वांछनीयता और आयात करने के तरीके पर अंततः निगरानी करती हो। यदि ऐसी कोई समिति नहीं है तो क्या सरकार ऐसा तंत्र, जो इन सभी का समन्वयन करता हो, स्थापित करने के बारे में विचार करेगी?

श्री ए०के० एन्टनी : वित्त मंत्री के नेतृत्व में मूल्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति पहले से ही है जिसमें कृषि, वाणिज्य, खाद्य, नागरिक पूर्ति मंत्री और अन्य संबंधित मंत्रालय भी शामिल है। अतः इसकी निगरानी करने के लिए तंत्र पहले से ही है।

डा० जयन्त रंगपी : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा अपने उत्तर के भाग (ग) में किए गए दावे को देखते हुए यह स्पष्ट है कि दूरदराज के क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्र विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र अभी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी० डी० सी०) से सेवाओं से वंचित है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में चलती-फिरती दुकानें, जिनके बारे में माननीय मंत्री ने कहा, न के बराबर हैं। अधिकारियों से संपर्क करने पर वे कहते है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटित गाड़ियां अथवा ट्रक कानून एवं व्यवस्था अधिकारियों द्वारा मांग लिए गए हैं। गोदाम या तो नहीं और यदि हैं तो ये प्रयोग में नहीं लाए जा रहे हैं। असम के दो पर्वतीय जिलों के बारे मैं मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में एक भी गोदाम काम नहीं कर रहा है। अतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं नहीं पहुंच पातीं। कुछ और भी बाधाएं हैं। चूंकि ऐसी समस्याएं हैं तो क्या मंत्रालय पर्वतीय क्षेत्रों तथा दुर्गम कटाई क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति को जानने और जनजातीय लोगों और दूरदराज के इलाकों में रह रहे लोगों को आवश्यक साथ वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रकोष्ठ का गठन करेगी?

श्री ए०के० एन्टनी : महोदय, सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। मैं माननीय सदस्य को भावना का कद्र करता हूं। पूर्वोत्तर राज्यों की संमारिक स्थिति के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हमेशा अनेक समस्याएं रही हैं। इस वर्ष पहली बार वर्षा ऋतु के पहले ये सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए खाद मालों की रेकार्ड मात्रा का भंडारण कर लिया है। अब समस्या यह है कि रेकार्ड मात्रा में खाद्यानों की खरीद और भंडारण के बावजूद भी संमारीक कारणों से पूर्वोत्तर राज्यों के दूरदराज क्षेत्रों में भंडारण हेतु पर्याप्त संस्था में गोदाम नहीं हैं।

डा० जयन्त रंगपी : क्या लोगों को आवश्यक खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु विशेष कक्ष का गठन किया जाएगा?

श्री ए०के० एन्टनी : महोदय, पूर्वोत्तर राज्यों के हित को देखने के लिए भारत सरकार के अन्तर्गत सम्बद्ध में जालयों में विशेष समन्वय तंत्र पहले से ही कार्यरत हैं। प्रायः वर्षा ऋतु के पहले पूर्वोत्तर द्वारा खाद्यान्न के पर्याप्त भंडार न होने की शिकायत की जाती थी। इस वर्ष पहली बार पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए खाद्यान्नों का रिकार्ड भंडारण किया गया है और सभी पूर्वोत्तर राज्य इस बात से सहमत हैं कि समस्या खाद्यान्नों के वितरण का है। इसके लिए और गादामें की आवश्यकता है तथा सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में और गोदाम बनाने का निर्णय लिया है। सरकार इस समस्या पर विशेष ध्यान देगी।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी अपने उत्तर में कहा, इस पर मुझे खुशी है कि खाद्यान्नों के कोटे में तीन प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : अनेक सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप सीधे प्रश्न पूछें।

प्रो उम्मरेड्डि वेंकटेश्वरलु : महोदय, मिट्टी के तेल के कोटे की आपूर्ति में वर्ष 1993 में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई थी और 1994 में भी तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। आन्ध्र प्रदेश में मिट्टी के तेल की आपूर्ति में अत्यधिक कटौती की घोषणा की गई है और इसे रसोई गैस उपभोक्ताओं से जोड़ दिया गया है। ऐसा लगता है कि–व्यवस्था में यह परिवर्तन कर दिया गया है कि रसोई गैस उपभोक्ता को मिट्टी के तेल की आपूर्ति नहीं की जाएगी और इसमें कटौती कर दी जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिट्टी के तेल उपभोक्ताओं के लिए व्यवस्था में क्या कोई परिवर्तन कर दिया गया है। यदि हां, तो मिट्टी के तेल उपभोक्ताओं का पता लगाने के लिए संबंध में नियमों में क्या-क्या परिवर्तन किए गए हैं।

श्री ए०के० एन्टनी : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न पेट्रोलियम मंत्रालय से सम्बन्धित है। वे रसोई गैस उपभोक्ताओं को अलग करने पर विचार कर रहे हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि क्या उन्होंने इस बारे में अंतिम निर्णय ले लिया है। लेकिन यदि रसोई गैस के दो सिलैन्डर हटाने वाले लोगों को अलग भी कर दिया जाए तब भी राज्यों के कोटे में कटौती करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जहां तक किसी राज्य विशेष के लिए आवंटन का प्रश्न है, उसके कोटे में कमी नहीं की जाती। इसमें वृद्धि की जाती है।

प्रो० उमारेड्डि वेंकटेश्वरलु : महोदय, उपभोक्ताओं की मिट्टी का तेल सिर्फ इस आधार पर नहीं दिया जाता, क्योंकि उनके पास रसोई गैस कनेक्शन हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बी और सी के उत्तर में यह कहा है–

[अनुवाद]

"इन वस्तुओं को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, केवल इसकी आवश्यक मात्रा का ही आयात किया जाता है।"

उन्होंने आगे कहा :

"4 अप्रैल, 1993 से फरवरी, 1994 की अवधि के दौरान 75,524 टन चावल का आयात हुआ।"

[हिन्दी]

यह सरकार ने जवाब दिया है और एक दूसरे प्रश्न के जवाब में खाद्य मंत्री जी ने यह जानकारी दी है–

[अनुवाद]

"खाद्यान्नों गेहूं और चावल का न्यूनतम भंडार, बफ़र एवं चालू भंडार सहित उपलब्ध है।"

उन्होंने भंडार की स्थिति के बारे में निम्नलिखित बात कही :

"केन्द्रीय पूल में–1 जुलाई, 1993, 1 अक्तूबर 1993, 1 जनवरी 1994 और 1 अप्रैल 1994 को खाद्यान्नों के भंडार की स्थिति बफर भंडारण मानदंडों में निर्धारित भंडार की न्यूनतम मात्रा से अधिक थी। यह बफ़र भंडारण नियम द्वारा निर्धारित मात्रा से क्रमशः 8.34 प्रतिशत, 25.84 प्रतिशत, 42.79 प्रतिशत तथा 41.75 प्रतिशत अधिक थी।"

[हिन्दी]

इस परिपेक्ष्य में, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं–कि जब बफर स्टाक की पोजीशन बेहतर है, जरूरत से ज्यादा हमारे पास अनाज उपलब्ध है, ऐसी हालत में 75524 टन चावल आयात करने का क्या औचित्य है, इसका क्या कारण है। क्या सरकार गैट करार के अंतर्गत मार्केट एक्सेस का जो प्रावधान है, उसका पूर्वाभ्यास कर रही है? इस आयात के औचित्य पर मंत्री महोदय प्रकाश डालें।

[अनुवाद]

श्री ए०के० एन्टनी : महोदय, मैं सभा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जहां तक चावल के आयात का प्रश्न है, इसे पूर्ण रूप से रोक दिया गया है और अब चावल का आयात करने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि इसका प्रर्याप्त भंडार उपलब्ध है। जहां तक वियतनाम के चावल का प्रश्न है, सरकार ने 1992 में वियतनाम से 2,15,000 टन चावल आयात करने के लिए एक समझौता किया था। उसमें से 1,42,000 टन चावल भारत में पहुंच चुका है। उसमें से 70,000 टन चावल ऋण के रूप में वियतनाम को निर्यात की गई वस्तुओं के ब्याज की पुनः अदायगी के रूप में है और केवल 70,000 टन चावल का सीधा आयात किया गया है। यह आयात 1992 में किया गया और उक्त चावल गत वर्ष यहां पहुंच सका। गतवर्ष किसी भी नई वस्तु का आयात नहीं किया गया और इस वर्ष भी किसी नई वस्तु का आयात नहीं हुआ है। अब किसी भी वस्तु का आयात नहीं होगा, क्योंकि हमारे सभी गोदाम भरे हुए हैं। इस समय हमारे गोदामों में 245 लाख टन खाद्यान्न उपलब्ध हैं। अतः चावल अथवा गेहूं के आयात का प्रश्न ही नहीं है।

श्री इन्द्रजीत : अध्यक्ष महोदय, श्री शरद दिघे के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने अभी बताया कि आवश्यक वस्तुओं आदि के आयात पर विचार करने हेतु एक मंत्रिमंडलीय समिति है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समिति ने चीनी की और अधिक मात्रा आयात करने के प्रश्न पर विचार किया था और यदि हां तो मंत्री महोदय को उनके परोक्ष में नौकरशाहों द्वारा लिए गए निर्णय की कोई जानकारी क्यों नहीं हुई।

इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समिति का कार्य-कलाप क्या है और चीनी की आयात भारतीय खाद्य निगम अथवा, एस० टी० सी० अथवा एम० एम० टी० सी० द्वारा किया जाएगा, इस दुविधा के संबंध में मंत्री महोदय का क्या स्पष्टीकरण है।

श्री ए०के० एन्टनी : इस पहलू पर पहले ही विस्तार से विचार-विमर्श हो चुका है। कीमतों

से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति चीनी सहित अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं के आयात से संबंधित सामान्य शर्तों पर विचार करती है। अन्य ब्यौरों पर मंत्रिमंडल से संबंधित अनेक प्रशासनिक विभागों द्वारा विचार किया जाता है। इस संबंध में कल विस्तार से बहस हो चुकी है।

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न के 'ख' उत्तर में बताया है कि खाने के तेल के लिए 52 हजार मीट्रिक टन 1993-94 के अंदर पाम आयल आयात किया गया है। मैं, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें जानकारी है कि जो खाने का तेल 20-22 रुपए प्रति किलो बाजार से मिलता था, उसकी कीमत आज 40-45 रुपए प्रति किलो आयात करने के बाद भी डबल हुई है। इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है और जो कीमत बढ़ी है इसको रोकने के लिए क्या उपाय करने जा रही है?

[अनुवाद]

श्री ए०के० एन्टनी : सरकार मूल्य वृद्धि पर काबू पाने एवं खाद्य तेल के मूल्य में वृद्धि किए जाने हेतु हर संभव प्रयास करेगी। आवश्यकता पड़ने पर सरकार आयात में वृद्धि करेगी। यह वस्तुओं की आवश्यकता पर निर्भर करता है। यदि सरकार यह जानती है कि आयात के बावजूद वस्तुओं के मूल्य अधिक हैं, तो आयात को और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा तथा मूल्यों को कम करने का प्रयास किया जाएगा। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाएं। इसका जवाब नहीं दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि दैनिक आधार पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और मांग आदि के बारे में मानिटरिंग की जाती है और व्यवहार में हम लोग देख रहे हैं कि इस मानिटरिंग के बाद भी आपूर्ति में कई मामलों में कमी और दाम में बढ़ोत्तरी हो रही है। अभी जो मौजूदा सिस्टम मानिटरिंग का है वह फेल हो रहा है। जब वह फेल हो रहा है तो क्या सरकार दूसरी व्यवस्था सक्षम तरीके से करेगी जिसमें ठीक ढंग से मानिटरिंग हो सके और सप्लाई और दाम पर ठीक ढंग से कंट्रोल करके जनता की पहुंच के अन्दर रखा जा सके।

[अनुवाद]

श्री ए०के० एन्टनी : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की मदद से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर निगरानी रख रही है। जब भी हमें कमी की आशंका होती है, सबसे पहले हम आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता आयात से बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन केवल आयात ही इसका हल नहीं है। फिर, जमाखोरी हो सकती है। जमाखोरी को रोकने के लिए राज्य सरकारों को ढंगत्मक कार्यवाही करनी चाहिए। आप यह नहीं कह सकते कि पूरा-पूरा दायित्व केवल केन्द्रीय सरकार का है। यह एक

संयुक्त कार्यवाही है। जब तक कि राज्य सरकार भी अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन न करे, हम किसी निश्चित स्थान की बजाय दूसरे स्थानों पर माल भेज देने, जमाखोरी करने आदि बुराइयों को नहीं रोक सकते।

मेरे विचार में, केन्द्रीय सरकार सभी उपलब्ध विकल्पों पर आवश्यक वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता बढ़ाते समय अवश्य ही विचार करेगी। कार्यवाही के दूसरे भाग के संबंध में, राज्य सरकारों को भी आगे आना चाहिए। हमने राज्य के मुख्यमंत्रियों से भी आग्रह किया है कि वे भी, आवश्यक वस्तुओं की कमी के इस माहौल में, तत्परता से कार्य करें। जब भी वे पाएं कि जमाखोरी, काला बाजारी हो रही है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यक वस्तुओं का दूसरे माध्यम मे वितरण हो रहा है, उन्हें इन कदाचार में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ़ कड़ी-से-कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष जी, यह एक बुनियादी प्रश्न है, इसमें लिखा है :

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं यथा चावल, गेहूं, खाद्य तेल, मक्का इत्यादि का आपूर्ति स्तर संतोषजनक है।

[हिन्दी]

सप्लाई पोजीशन के बारे में जिक्र किया है कि कम्फरटेबल है। क्या मंत्री महोदय को पता है कि उड़ीसा राज्य, जिसकी गरीबी का कलासिकल इम्जाम्पिल कहते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि 1990 में दो रुपये प्रतिकिलो चावल मिलता था वह 1992-93 में चार रुपए बाइस पैसे हो गया और फिलहाल पांच रुपए बाईस पैसे है। उड़ीसा में लाखों की तादाद में लोग चावल नहीं खरीद पाते, क्योंकि उनकी क्रय शक्ति नहीं है। बावजूद इसके कि सरकार बयान देती है कि सप्लाई सिस्टम ठीक है, लाखों आदिवासियों और फिजीकली हैंडीकैप लोगों को जिनको कम मूल्य पर चावल उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है, उनको नहीं मिल पाता। उनको कम मूल्य पर चावल मिल सके, इसके बारे में सरकार का क्या कहना है?

[अनुवाद]

श्री ए०के० एन्टनी : हमने इस वर्ष उड़ीसा को चावल की अतिरिक्त मात्रा दी है तथा हमने उड़ीसा को मिट्टी के तेल की भी अतिरिक्त आपूर्ति की है।

श्री रवि राय : मैं मूल्य का उल्लेख कर रहा हूं?

श्री ए०के० एन्टनी : समूचे देश में मूल्य एक जैसे हैं। लेकिन विशेष मामले के तहत, हमने उड़ीसा को दो बार अतिरिक्त आवंटन किया है। यदि आप और चाहते हैं, तो हम उड़ीसा को और चावल दे सकते हैं।

श्री रवि राय : मैं मूल्य का उल्लेख कर रहा हूं।

श्री अंकुश राव टोपे : वर्तमान समय में, चीनी के उत्पादन में कमी होने के कारण इसकी मांग बढ़ गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अमीरों तथा गरीबों दोनों के लिए लागू है। इसके कारण, लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल गरीबों के लिए सुरक्षित रहे जो अमीर लोग खुले बाजार से इन वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल न किया जाए।

श्री ए०के० एन्टनी : यह एक बुनियादी प्रश्न है। इसका मैं तत्काल जवाब नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा : सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गुजरात के गांवों में चीनी, खाद्य तेल - मिट्टी का तेल लोगों को नहीं मिल पाता है। परिणामस्वरूप गुजरात सरकार ने कोटा बढ़ाने की मांग की है, क्या आप कोटा बढ़ाएंगे ?

[अनुवाद]

श्री ए०के० एन्टनी : चीनी के बारे में, इस समय हम इस स्थिति में नहीं हैं कि किसी स्तर पर चीनी के कोटे में वृद्धि कर पायें। इस वर्ष भी, हमने प्रत्येक राज्य के लिए एक नियमित मात्रा में ही मिट्टी के तेल की आपूर्ति में वृद्धि की है। यही बात गुजरात के लिए भी लागू होती है।

[हिन्दी]

"औद्योगिक प्रदूषण"

23. **श्री लाल बाबू राय** :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 दिसम्बर, 1993 तक प्रदूषण संबंधी मानदण्डों को पूरा न कर पाने के कारण 17 श्रेणी के उद्योगों के अन्तर्गत आने वाले कुछ बड़े और मध्यम दर्जे के कुछ एकक बन्द कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार और राज्यवार ऐसे कितने उद्योगों को बन्द करना होगा;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को रोकने के लिए कोई निर्णय दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार निर्धारित तिथि के भीतर इन मानदण्डों को पूरा न कर पाने वाले उद्योगों के लिए निश्चित तिथि बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। 31

दिसम्बर, 1993 तक 48 इकाइयों ने अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे। उनमें से कुछ इकाइयों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा बन्द किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भिन्न-भिन्न तारीखों में ताल समलम्ब क्षेत्र और गंगा नदी घाटी में 500 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने के आदेश दिए थे।

उपर्युक्त (क) एवं (ख) तथा (ग) एवं (घ) के संबंध में दो विवरण सदन के पटल पर रख दिए गए हैं।

(ङ) मानकों के अनुपालन के लिए पहले से दी गई समय-सीमा को और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

(क) और (ख) 31 दिसम्बर, 1993 तक 48 इकाइयों ने अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे। इस प्रकार की इकाइयों की राज्यवार और श्रेणीवार संख्या नीचे दी गई है :

राज्य	इकाइयों की संख्या	श्रेणी	इकाइयों की संख्या
आंध्र प्रदेश	24	ताप विद्युत	06
जम्मू और कश्मीर	01	डिस्टीलरी	11
मध्य प्रदेश	03	चमड़ा	05
महाराष्ट्र	06	रंग	01
उड़ीसा	07	औषधि निर्माण	03
राजस्थान	01	चीनी	14
उत्तर प्रदेश	06	सीमेंट	04
		उर्वरक	01
		लुगदी और कागज	02
		लोहा और इस्पात	01

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 27-1-1994 को सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों को निदेश जारी किए हैं कि वे इन इकाइयों की सदाशयता की जांच करें और उन्हें मामला दर मामला आधार पर प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित करने के लिए अधिकतम छः मास तक का अपेक्षित न्यूनतम समय दें। उन्हें ऐसी अभिनिर्धारित जानबूझकर चूक करने वाली इकाइयों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निदेश भी दिए गए थे जिन्होंने अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। कानूनी कार्रवाई

में इकाई को बंद करना, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत मुकदमा चलाना; वायु अधिनियम और जल अधिनियम आदि के अंतर्गत प्रदत्त मंजूरी का निरस्तीकरण शामिल हो सकते हैं तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को यह विकल्प दिया गया था कि वे प्रत्येक इकाई के लिए इन कानूनी विकल्पों में से जिस किसी भी विकल्प को उचित समझें, अपना लें।

विवरण-II

(ग) और (घ) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय में श्री एम० सी० मेहता द्वारा दायर की गई लोकहित की दो याचिकाएं लंबित हैं। ये हैं–ताज सम्लम्ब क्षेत्र में प्रदूषण से संबंधित डब्ल्यू० पी० सं० 1338/84 और गंगा नदी की घाटी में उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से संबंधित डब्ल्यू० पी० सं० 3727/85, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का प्रदूषण नियंत्रण उपकरण न लगाने वाले उद्योगों की स्थिति को दर्शाते हुए शपथ पत्र दायर करने के निदेश दिए गए हैं। तब उच्चतम न्यायालय द्वारा उन इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए गए जिन्होंने बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित नहीं किए थे। एक बार इन उद्योगों द्वारा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित कर लेने के बाद न्यायालय द्वारा इन्हें बंद करने संबंधी आदेशों को अस्थायी तौर पर स्थगित रखा गया था ताकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन बहिस्राव शोधन संयंत्रों की प्रभावकारिता की जांच कर सकें। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की रिपोर्टों से संतुष्ट होने पर न्यायालय ने इस प्रकार की इकाइयों को बन्द करने के आदेश निरस्त कर दिए थे परन्तु लगातार चूक करने वाली इकाइयों के बारे में बंद करने के आदेशों को निरस्त नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री लाल बाबू राय : केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण प्रदूषण को रोकने की जो योजनायें तैयार की गई थीं वे पूरी तरह से असफल रही हैं। उच्चतम न्यायालय को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है। मेरे लिखित प्रश्न के भाग क और ख के सम्बन्ध में सरकार बताये की अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त न करने पर कितनी इकाइयों को बंद किया और कितनी इकाइयां चालू हैं? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि निर्धारित मानदंडों को पूरा न करने वाले उद्योगों के लिए निश्चित तिथि बढ़ाने पर सरकार क्या सोच रही है?

श्री कमल नाथ : माननीय सदस्य का कहना सही है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कुछ कमियां हैं यही कारण है कि कोर्ट में लोगों को जाना पड़ा। माननीय सदस्य ने पूछा कि कितने ऐसे यूनिट्स हैं जो बंद हैं तो 10-5-94 तक ऐसे यूनिटों की संख्या 78 है और जो कम्पलाई कर रहे हैं वे हैं 1150.

श्री लाल बाबू राय : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने बताया है और अपने उत्तर में दिये हैं कि 31 दिसम्बर, 1993 तक 48 इकाईयों ने प्रदूषण नियंत्रण सुविधा स्थापित करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 500 से अधिक ऐसी इकाईयों को बंद करने का आदेश दिया है लेकिन उस आदेश का पालन नहीं किया गया है मैं माननीय मंत्री जी से जानना

चाहता हूं कि क्या सरकार ने राज्यों के प्रदूषण बोर्ड के कार्यों की समीक्षा की है और उसमें कितने दोषी पाये गये हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई जांच राज्य प्रदूषण बोर्ड की नहीं होती है परन्तु समय-समय पर राज्य प्रदूषण बोर्डों की एक मीटिंग दिल्ली में हुआ करती है जिसमें उनकी कमियों की तरफ उनका ध्यान दिलाया जाता है और साथ-साथ जो मदद की आवश्यकता होती हो तो उस पर भी विचार किया जाता है।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, आज देश में सभी लोगों को मालूम है कि 70% नदियों में प्रदूषित जल चल रहा है और जैसा मंत्री जी ने स्वंय स्वीकार किया है कि प्रदूषण नियंत्रण का कार्य सही तरीके से नहीं चल रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिये हैं। मैं मंत्री जी की जानकारी के हैं। यह स्थिति न केवल रामपुर में बल्कि नैनीताल जिले की नहरों और नदियों की आ रही है कि आदमी तो क्या जानवरों के पीने के लिये पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुये जो इन्होंने अभी कहा कि इसके लिये कोई समुचित कार्यवाही करने की व्यवस्था नहीं है तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राज्य प्रदूषण बोर्ड और केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड इन सब चीजों पर कैसे कंट्रोल करेंगे और इस सब की कार्य प्रणाली क्या है और आने वाले समय में इस पर कैसे कंट्रोल कर पायेंगे?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, एअर एंड वाटर एक्ट के अंतर्गत राज्य प्रदूषण बोर्ड के डेलिगेट्स का जो दायित्व है, उन्होंने किया है। माननीय सदस्य ने इन सब बातों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया था और इस पर जांच भी हुई थी। यह बात सच है कि कई नदियों में बहुत ज्यादा प्रदूषण है और इसके लिये हमने 5 दिसम्बर को घोषणा की है और उसके आधार पर सारे देश में नेशनल एक्शन प्लान लागू हो रहा है। मुझे विश्वास है कि जो ऐसी नदियां हैं और जिनका सबसे ज्यादा प्रदूषित स्ट्रेच है, उनकी सफाई होगी और इस समस्या का स्वयं, ही हल निकल सकेगा।

[अनुवाद]

श्री एम०आर० काटम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको इस बात की जानकारी है कि कुछ रासायनिक उर्वरक कारखाने निस्सारी शोधन संयंत्र के नाम पर अपने दूषित पानी को कारखाने के आसपास की खाली जमीन में छोड़ देते हैं और इसे पक्षी अभयारण्य कहते हैं। दूषित पानी सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रदूषित करता है और दुर्गन्ध फैलता है। इससे घोंघिल इत्यादि जैसे पक्षी आकर्षित होते हैं और वे इस पानी में खड़े रहते हैं। इस दूषित पानी से सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रदूषण की एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। क्या सरकार प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाईयों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी? वे प्रदूषित-जल क्षेत्र को मिथ्या ही पक्षी अभयारण्य कहते हैं।

श्री कमल नाथ : जैसा कि मैंने कहा कि ये शक्तियां राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को दे दी गयी हैं। यदि माननीय सदस्य हमारी जानकारी में कोई विशेष मामला लेते हैं तो हम मामले की जांच करेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे।

[हिन्दी]

श्री वृषिण पटेल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने राज्य प्रदूषण बोर्ड के निकम्मेपन को स्वीकारा है जिसकी वजह से उच्चतम न्यायालय को इसमें दखलंदाज़ी करनी पड़ी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नाक के नीचे दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण नियंत्रण कानून का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करते हुए सैकड़ों वाहन सड़कों पर चलाए जाते हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या यह आपकी अकर्मण्यता का घोतक नहीं है?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि दिल्ली का प्रदूषण करीब 60-65 प्रतिशत वाहनों के कारण है पर प्रदूषण को समाप्त करने का उपाय यह नहीं है कि वाहनों को बंद कर दिया जाए पर जो उनमें टैक्निकली कमी है उसको पूरा किया जाए। इसको पूरा करने के लिए अनलैडेड पैट्रोल की ज़रूरत है। पैट्रोलियम मिनिस्ट्री से इसमें चर्चा हो रही है और जब भी अनलेडेड पैट्रोल मिलेगा, तब यह वाहनों के ऐमिशन स्टेण्डर्ड जो 1986 में तय किये गए हैं वह उसकी पूर्ति करेंगे।

श्री मोहन एस० डेलकर : अध्यक्ष महोदय, राज्य पोल्यूशन नियंत्रण बोर्ड जो बनते हैं उनमें जो चेयरमैन और मैम्बर्स होते हैं वह लोक प्रतिनिधि होते हैं लेकिन केन्द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन दीव में जितने भी बोर्ड के चेयरमैन हैं वह सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और लोक प्रतिनिधियों में से कोई उसका मैम्बर नहीं है जिसकी वजह से जो देखभाल और सुविधा होनी चाहिए वह नहीं हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे आदेश वहां दिये जाएंगे ताकि उनके मेम्बर और चेयरमैन लोक प्रतिनिधि हो सकें?

श्री कमल नाथ : ऐयर ऐक्ट के अंतर्गत जन प्रतिनिधि की केटागरी है पर केवल दो या तीन की है। पर जहां तक दूसरे सदस्य हैं और चेयरमैन का प्रश्न है ये टैक्निकल क्वालिफिकेशन्स पर आधारित है। साथ-साथ जहां केन्द्र शासित का प्रश्न है, इस कानून के अनुसार वहां कोई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री के०पी० रेड्डम्मा यादव : क्या यह सच है कि माननीय मंत्री महोदय को 2.2 लाख एकड़ में फैली विश्व प्रसिद्ध कुल्लेरु झील, जो कृष्णा जिले में वुयुर्रु में के० सी० पी० लिमिटेड से निकले अपशिष्ट पदार्थों शीरे और डिस्टीलरी के पानी से प्रदूषित हो रही है, के बारे में आन्ध्र प्रदेश के लगभग आधा दर्जन सांसदों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने दिसम्बर, 1993 तक प्रदूषण को रोकने और कार्यवाही करने के बारे में कोई लिखित आश्वासन दिया है। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यदि ऐसा आश्वासन दिया जाता है और इसका कार्यान्वयन नहीं होता तो सरकार की क्या विश्वसनीयता है और इस क्षेत्र में मछली पालन में लगे किसानों का क्या होगा? क्या मंत्री महोदय इस मामले पर ध्यान देंगे और कारखाने के प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री कमल नाथ : जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार तभी हस्तक्षेप करती है जब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यवाही नहीं करते हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का यह दायित्व है और केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप करना कभी-कभी उचित नहीं होता। माननीय सदस्य ने 31 दिसम्बर, 1993 तिथि का उल्लेख किया है, यह सच है कि उद्योगों को 31 दिसम्बर, 1993 की तिथि तक मानदण्डों को अपनाया था। यदि इस इकाई ने इन मानदण्डों को नहीं माना है तो हमने इस इकाई को कोई विशेष निर्देश नहीं दिया है। परन्तु सामान्य रूप से हमने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को ऐसी इकाईयों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए हैं कार्यवाही का अर्थ है–मुकदमा चलाना या इकाई को बन्द कर देना। लेकिन यदि माननीय सदस्य मेरी जानकारी में कोई मामला लाते हैं जैसा कि इस इकाई द्वारा मानदण्डों को नहीं मानने का मामला है, तो मुझे मामले की जांच करने की खुशी होगी।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि दिल्ली में करीब 60-65 प्रतिशत प्रदूषण गाड़ियों या वाहनों की वजह से बढ़ रहा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वाहनों को चलने से बंद कर दिया जाये। वैसे ही आगरा में जहां 300-400 उद्योगों और फैक्टरियों को, जो वहां पहले चल रही थीं, यह कहकर बंद कर दिया गया कि उनके कारण ताजमहल के प्रदूषित होने का खतरा है, प्रदूषण बहुत फैल रहा है और उन फैक्टरियों और उद्योगों को तथा उनमें काम करने वाले कामगारों को दूसरी जगह विस्थापित कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आगरा में फैक्टरियों और उद्योगों तथा उनमें काम करने वाले कामगारों को विस्थापित न करके, वहां प्रदूषण से मुक्ति दिलाई जा सके, इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है।

श्री फूल चन्द वर्मा : और दिल्ली में जो राजनैतिक प्रदूषण है, उसके लिये आप क्या कर रहे हैं?

श्री कमल नाथ : उसके लिये तो आप ही इलाज कर सकते हों। जहां तक पासवान जी ने दिल्ली और आगरा के प्रदूषण की तुलना की है, उसके बारे में जैसा मैंने पहले कहा कि दिल्ली में अनलैडिड पैट्रोल की आवश्यकता है ताकि वाहनों में कैटेलेटिक कन्वर्टर लग सकें परन्तु जहां तक आगरा का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट ने वहां के लगभग 300 उद्योगों को जो कि ताज के ट्रीपीजियम में हैं, एक आदेश देकर बंद कराया था क्योंकि वे इसके लिये निर्धारित स्टैन्डर्ड को मीट नहीं कर रहे थे। उसके बाद उन 300 में से अधिकतर लगभग 250 यूनिट्स ने जो आवश्यक इक्विपमेंट्स थे, उनको लगा लिया और सुप्रीम कोर्ट को उसका प्रूफ दे दिया और वे यूनिट्स फिर से चल पड़े हैं। परन्तु इसका जो लौंग-टर्म उपाय है, उस पर हमारी चर्चा हुई है। उन यूनिट्स को सही टैक्नोलौजी मिले, इसके लिये हमने पैट्रोलियम मिनिस्ट्री से भी बात की ताकि वे अपने फरनेस में गैस का उपयोग कर सकें या बिजली से अपनी फरनेस चला सकें। उत्तर प्रदेश सरकार से भी हमारी इस बारे में बात हुई

ताकि उनकी फरनेस को बिजली से कन्वट करके चलाया जा सके जिससे प्रदूषण का लोड कम हो सके और ताज के आसपास के क्षेत्र में जो पौल्यूटिड लोड है, वह भी घट सके।

श्रीमती भावना चिखलिया : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि वैसे तो मैं एन्वायरनमेंट एण्ड फौरैस्ट से संबंधित कंसल्टेटिव कमेटी की मैम्बर हूं और हम इस विषय पर चर्चा भी करते हैं, बहुत बार हमने कहा है कि कुछ कैमिकल्स और रसायन ऐसे हैं जिनके प्रोडक्शन पर दुनिया के अनेक देशों में प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि उनकी वजह से काफी प्रदूषण फैल रहा था परन्तु उन कैमिकल्स और रसायनों को प्रोडक्शन हमारे देश में हो रहा है। अनेक ऐसी फैक्टरियां हैं, हमारे जूनागढ़ में एक ऐसी ही फैक्टरी है, जिसके विषय में मैंने कई बार कहा लेकिन हमारा राज्य प्रदूषण बोर्ड, केन्दीय प्रदूषण बोर्ड के कहने पर नहीं चलता है, यह हकीकत है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि उस फैक्टरी को बंद करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है क्योंकि वह ऐसे कैमिकल बना रही है जो दूसरे देशों में बैन कर दिये गये हैं, उनका उत्पादन वहां होता है जिसकी वजह से उस क्षेत्र में काफी प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण के कारण आज पूरी दुनिया चिन्तित है।

श्री कमल नाथ : माननीय सदस्या की यह बात सच है कि ऐसे कुछ कैमिकल्स हैं जिनके प्रोडक्शन पर विदेशों में बैन है, उपयोग पर तो बैन नहीं है, लेकिन उन कैमिकल्स का हमारे यहां उत्पादन होता है। इस संबंध में नियम बनाये जा रहे हैं ताकि ऐसे कैमिकल्स जिनका विदेशों में उपयोग हो रहा है परन्तु उनके प्रोडक्शन पर वहां बैन है, उनकी मैन्यूफैक्चरिंग फैसिलिटीज अपने देश में शिफ्ट की जा रही हैं। हम कोशिश में हैं कि ऐसे नियम बनाये जायें ताकि उन पर कुछ कंट्रोल किया जा सके।

श्रीमती भावना चिखलिया : नहीं, उनका प्रोडक्शन यहां भी बंद होना चाहिये।

श्री कमल नाथ : एक विचार तो यह है कि उन्हें बंद होना चाहिये मगर दूसरा विचार यह भी है कि चूंकि उनके जरिये काफी लोगों को रोजगार मिलता है फिर भी यदि कुछ कैमिकल्स ऐसे हुये जिनसे खतरा है, हैजार्डस या टौक्सिक हैं, उन्हें स्वीकृति नहीं दी जायेगी परन्तु साथ-साथ, माननीय सदस्या ने जिस उद्योग का जिक्र किया, मैं बताना चाहता हूं कि उसकी जांच हुई थी, यह बात सही है। हम फिर से इसमें जांच करेंगे और यदि आवश्यकता हुई ···

श्रीमती भावना चिखलिया : तीन साल से वह फैक्टरी ऐसे ही चल रही है, अभी भी चल रही है। उसके आसपास के 15 गांव ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और वहां के लोग प्रदूषण के कारण बेहद परेशान हैं। लाल पानी की समस्या वहां सबसे ज्यादा है। क्या मंत्री जी उसे बंद करेंगे, मैं यही जानना चाहती हूं। **(व्यवधान)**

श्रीमती भावना चिखलिया : वहां पर लाल पानी की समस्या सबसे बड़ी है?

श्री कमल नाथ : इस मसले को फिर से देखा जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी, तो ···

श्रीमती भावना चिखलिया : सर, आवश्यकता किस को कहते हैं, यह वहां बहुत साल से चल रहा है?

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह नहीं। एक सदस्य एक ही सवाल को लगातार नहीं पूछ सकता है। अच्छी बात का भी समायन होना चाहिए।

श्री कमल नाथ : यदि आवश्यकता पड़ी, तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।

श्री राम प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चहूंगा कि पाल्यूशन के चलते आप बहुत से उद्योग बन्द कर रहे हैं और आगरा के लोगों को विस्थापित कर रहे हैं, लेकिन इन उद्योगों को बन्द हो जाने से जो लोग विस्थापित होंगे, जो बेरोजगार होंगे, उनको बसाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए सरकार के पास क्या योजना है और मेरा दूसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, यह है कि पाल्यूशन को खत्म करने के लिए कोई नयी तकनीक और कोई नयी रिसर्च सरकार करवा रही है?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, जी उद्योग बन्द हो रहे हैं उनके लिए ऐसी कोई नीति हमारे मंत्रालय में नहीं है कि उनको बसाया जाए या उनको रोजगार दिया जाए, परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और मुझे विश्वास है कि वह अपनी इस जिम्मेदारी को निभाहेगी।

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ मंत्री जी प्रदूषण के कारण उद्योगों को बन्द करवाते हैं जिससे लोग बेकार होते हैं दूसरी तरफ बिहार में मेरे क्षेत्र में एक शराब की फैक्ट्री है जिसको उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से बन्द करने का आदेश दिया गया था वह इसलिए कि उसकी गंध से बीमारी फैल गई थी और उस बीमारी में जो गर्भवती महिलाएं होती थीं उनके पेट में जो बच्चा होता था वह नष्ट हो जाता था, इसलिए उसे बन्द किया गया था, परन्तु फिर पता नहीं किस कारण से उसको चालू करवा दिया गया है? मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि इसको चूंकि उस क्षेत्र के लोग बन्द करवाने की मांग कर रहे हैं इसलिए बन्द करवाया जाए और ···

अध्यक्ष महोदय : देखिए आपको प्रश्न पूछना है?

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं कि कोल क्षेत्र में वाशरी चलने के कारण भी प्रदूषण फैलता है। जहां वाशरी और कोल लोडिंग प्लांट बनता है, मैंने मंत्री महोदय को भी पिपरवार परियोजना के बारे में लिखा था यह परियोजना जो आस्ट्रेलिया के सहयोग से चल रही है, इससे बहुत प्रदूषण फैलता है और बीमारी होती है और जो सेंट्रल कोल वाशरी है, उसमें प्रदूषण रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, जहां तक डिस्टीलरी का प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वह बन्द हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक वह पाल्यूशन कंट्रोल के इक्विपमेंट नहीं लगाती है, तब तक वह फैक्ट्री बन्द रहेगी। इसलिए मुझे ऐसा विश्वास है कि उसी आदेश के अनुसार उद्योग फिर खुला होगा। मुझे इसकी स्पेसीफिक जानकारी नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन्द होने के बाद फिर मे खुलना, यह तभी संभव हो सकता है जब उस उद्योग ने पाल्यूशन कंट्रोल का इक्विपमेंट लगा लिया हो। मैं इस पर दिखवाऊंगा कि क्या हो सकता है?

जहां तक कोल वाशरी का प्रश्न है, माननीय सदस्य ने जो मसला मेरे ध्यान में लाया है, उसके सम्बन्ध में जो कंसर्न्ड कोल कम्पनी है, उससे विचार करूंगा।

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष महोदय, पाल्यूशन के कारण महाराष्ट्र की 6 यूनिटें बन्द कर दी गई हैं, लेकिन महाराष्ट्र में स्पेश्यली शुगर इंडस्ट्रीज के बैल्ट में नदियों के पानी का इतना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है जिसके कारण वहां की जनता की डिमांड को देखते हुए, आपने वहां की जो 6 यूनिटों को बन्द करने का प्रावधान किया है, वह कम है, ऐसा मेरा मत है। वहां कोल्हापुर के बाजू इचलकरणी नाम का शहर है जिसको महाराष्ट्र का मानचेस्टर कहते हैं, उसका पानी शुगर इंडस्ट्रीज की वजह से इतना विषैला हो गया है कि उसके पानी को पीने वाले एक लड़के को एक दिन एक सांप ने डस लिया, तो उस दंस के कारण सांप मर गया और लड़के को कुछ नहीं हुआ। यह जोक नहीं है, मैं असली बात बोल रहा हूं। वहां के लोगों ने यह बताया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की नदियों के पौलूशन के बारे में, जोकि ज्यादातर शुगर इंडस्ट्रीज की वजह से हो रहा है, क्या आप स्टेट पौलूशन बोर्ड से कोई उपाय करने को कहेंगे ?

श्री कमल नाथ : माननीय सदस्य इस बारे में मुझे और जानकारी दें तो मैं प्रदूषण बोर्ड से बात करूंगा।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति

*24. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** :

श्री गुरुदास कामत :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए स्थान, आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता और कार्य संचालन की रूपरेखा जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना व कार्यकरण की योजना की जांच के लिए आयोग ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की थी। समिति ने फरवरी, 1994 में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 4 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं तथा राज्यों द्वारा दी गई अच्छी बुनियादी सुविधाओं को देखते हुए ये राज्य मुख्यालयों में स्थापित किए जाने चाहिएं।

2. निम्नलिखित योजनाओं, संस्वीकृति व तत्सम्बन्धी निधियां प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्तावों पर कार्रवाई करने सम्बन्धी कार्य क्षेत्रीय कार्यालयों को हस्तांतरित किया जा सकता है :

   (क) कालेजों का विकास (अवर स्नातक/स्नातकोत्तर)

   (ख) कालेज विकास परिषद

   (ग) सी० ओ० एस० आई० पी० व सी० ओ० एच० एस० एस० आई० पी०

   (घ) लघु अनुसंधान परियोजनायें (कालेज)

   (ङ) स्वायत्त कालेज (कालेज को स्वायतत्ता प्रदान करने का निर्णय मुख्य कार्यालय में लिया जा सकता है)।

   (च) कालेजों के लिए सेमिनार, संगोष्ठी

   (छ) क्षेत्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण व मूल्यांकन।

3. संगणकीकृत कार्यकरण व अधिकारी प्रबोधक दृष्टिकोण के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश प्रदान किए जाने चाहिएं।

4. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में संयुक्त सचिव, शिक्षा अधिकारी, लेखा अधिकारी, कार्यालय सहायक, अपर श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक तथा संयुक्त सचिव के निजी सचिव, चपरासी का एक-एक पद तथा संगणक संचालकों के दो पद होने चाहिएं।

5. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को प्रिंटर पी० सी०/एक्स० टी के साथ दो संगणक, दो वातानुकूलन, एक फेरोक्स मशीन, एक फेक्स मशीन, दो टाईपराईटर, तीन टेलीफोन लाईन प्रदान की जानी चाहिए।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के स्थान निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि आयोग के 5 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सम्बन्धित राज्य सरकारों से अपने-अपने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए भूमि/भवन की मांग की है।

डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : अध्यक्ष महोदय, विभिन्न राज्यों और विश्वविद्यालयों की राज्यों के (मुख्यालयों में अपने-अपने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की यह एक पुरानी मांग थी। उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने ऐसे चार क्षेत्रीय कार्यालयों के बारे में सुझाव दिया था। मुझे प्रसन्नता है

कि उसने अन्ततोगत्वा पांच क्षेत्रीय कार्यालयों के बारे में निर्णय किया है। जब से अब चार माह का समय बीत गया है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या गुजरात राज्य में ऐसे एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना करने के लिए गुजरात राज्य से कोई मांग की गई है। अन्य राज्यों में खोले जाने वाले शेष क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी बताया है उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने चार क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है। पूरे मामले की प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद द्वारा जांच की गई थी। उसने बताया कि कम-से-कम चार ऐसे कार्यालय खोले जाने चाहिए। आवश्यकता को देखते हुए देश के सभी अंचलों-पूर्व, मध्य, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी अंचल में पांच क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय किया गया है। अतः इस समय तो मेरे विचार से गुजरात में कोई अलग क्षेत्रीय कार्यालय नहीं स्थापित किया जा सकता। महाराष्ट्र के पूणे स्थित कार्यालय से जहां यह स्थापित किया जा रहा है, गुजरात और गोवा लाभान्वित हो सकेंगे।

डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : महोदय, गैर-योजना सहायता का निर्धारण करने के लिए घाटे को पूरा करने की पद्धति राज्य विश्वविद्यालयों की संस्थाओं द्वारा आन्तरिक संसाधनों को जुटाने संबंधी इसकी जटिलताओं के कारण कठिन सिद्ध हो रही है। क्या सरकार की उच्च शिक्षा के लिए संस्थाओं को विकास और रखरखाव अनुदान देने की कोई योजना है?

इन संस्थाओं द्वारा इस तरह से आंतरिक संसाधन जुटाने के लिए क्या योजनाएं सुझाई गई हैं?

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, इस वर्ष के बजट में इस मामले पर विचार किया गया है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य उस समय उपस्थित थे जब सभा में इस पर विचार से चर्चा की गई थी। संस्थाओं द्वारा संसाधन जुटाने संबंधी योजना की मुख्य बातें ये हैं कि उन्हें परामर्श और अन्य तरीकों जैसे विदेशी विद्यार्थियों से श्रेणीकृत शुल्क लेने जैसे तरीकों से अपनी आय बढ़ानी चाहिए।

जहां तक विभाग अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध संसाधनों का संबंध है, मेरे विचार से इस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के धनराशि प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम में धनराशि बढ़ाई गई है। लेकिन आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इसमें अधिक वृद्धि नहीं होगी। मुझे भरोसा है कि नौवीं योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दी जाने वाली धनराशि में काफी वृद्धि होगी। तब इन आवश्यकताओं को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : सभी प्रोफेसर महोदय प्रश्न पूछें। प्रो० अंसारी।

डा० मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि काफी समय पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यह नीति बनाई गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने यह नीति बनाई थी अथवा इस बारे में सुझाव दिए थे अथवा सिफारिशें की थीं कि स्वायत्तशासी कालेज स्थापित किए

जायेंगे। अभी तक तो देश के किसी भी हिस्से में कोई भी स्वायत्तशासी कालेज नहीं खोला गया है। पुनः, यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से ऐसे स्वायत्तशासी कालेज खोले जाने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड़ों के बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह प्रश्न नहीं है। यह प्रासंगिक प्रश्न नहीं है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में है।

डा० मुमताज अंसारी : यह किसी बारे में हो, यह उनकी सिफारिश है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया मूल प्रश्न से सम्बन्ध बात करें।

डा० मुमताज अंसारी : दूसरी बात यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पांच क्षेत्रीय कार्यालय खोले जायेंगे। इन क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के लिए क्या मानदंड़ होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या साक्षरता के संबंध में पिछड़ेपन को ध्यान में रखा जायेगा और क्या उड़ीसा और बिहार जैसे अधिकतर पिछड़े राज्यों को ऐसे क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के संबंध में वरीयता दी जायेगी अथवा नहीं।

श्री अर्जुन सिंह : इन क्षेत्रीय कार्यालयों को कई बातों के आधार पर स्थापित किया जायेगा क्योंकि यह न्यूनाधिक रूप से कृत्यात्मक स्वरूप के हैं, क्योंकि दिल्ली स्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन किया जाता है। अब इन को इन कार्यालयों के जिम्मे कर दिया जायेगा। ऐसी बात नहीं है कि जिन राज्यों में ये कार्यालय स्थापित किए जायेंगे, उन्हें कोई विशेष फायदे होंगे। इन्हें तो राज्य में उपलब्ध सुविधाओं की दृष्टि से स्थापित किया जा रहा है। यही मानदंड होंगे जिसके आधार पर इन पांच क्षेत्रीय कार्यालयों की अवस्थिति के बारे में निर्णय किया जायेगा।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या उच्चाधिकार प्राप्त समिति को फरवरी, 1994 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में चुने गये/जांचे गये उन स्थानों के बारे में जिनके संबंध में सम्बन्धित राज्य सरकार अथवा जन प्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, कोई सिफारिश की गई है। मैंने एक पत्र लिखा है ···

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न 45 मिनट तक चर्चा किए जाने वाला प्रश्न नहीं होना चाहिए।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : मैंने मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सीमा पर एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के संबंध में एक समझौते के बारे में पहले एक पत्र लिखा है। मैंने उन स्थानों का उल्लेख किया था कि जहां पर इनकी स्थापना के लिए स्थान उपलब्ध है। इस मांग पर विचार करने के लिए सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, माननीय सदस्य जिस बात को उचित समझते हैं, उसका सुझाव देना उनके अधिकार-क्षेत्र में आता है। लेकिन आप भी इस बात से सहमत होंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इन मामलों पर निर्णय करते समय बहुत-सी बातों को ध्यान में रखना पड़ाता है।

मेरे विचार से हमें यह बात विश्वविद्यालय अनुदान अयोग के चेयरमैन के विवेक पर छोड़ देनी चाहिए। यही सुझाव उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने दिया है। किसी स्थान का सुझाव नहीं दिया है। उसने यही कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निर्णय करना चाहिए और स्वाभाविक रूप से शीघ्र ही एक निर्णय लिया जायेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा की दुह-स्थिति को देखते हुए और दिल्ली की दूरी सारे प्रान्तों से देखते हुए यू०जी०सी० के रीजनल आफिसिज अधिक मात्रा में खोलने की आपसे गुजारिश की गई थी। आपने चार की बजाय पांच जगहों पर उन्हें खोलने का काम किया। इसके लिये धन्यवाद, लेकिन उस धरती की उपेक्षा हमेशा की जाती है, जहां से बाणभट्ट, न्यायविशेषज्ञ पाणिनी जैसे लोग निकले हैं। आज वह क्षेत्र शिक्षा के निचले पादान पर चला गया है। उन कारणों की वजह से जैसा कि एक महोदय ने कहा कि उड़ीसा, बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर रीजनल आफिस बनें। आप इनकी स्वीकृति न देकर, उपेक्षा का रवैया अपना रहे हैं। इसका मैं उत्तर जानना चाहती हूं।

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो हमारा गौरव है कि भारत का कोई भी ऐसा भाग नहीं है, केवल वहां नहीं जिस का जिक्र आप कर रही हैं, इस देश का प्रत्येक भाग ऐसा है जहां कहीं-न-कहीं महान साहित्यकार, कलाकार हैं और जो हमारे लिये एक गरिमा और आदर्श के पात्र हैं। इसलिये उस आधार पर यू०जी०सी० का लोकेशन करना सम्भव नहीं होता है। जहां तक सवाल उस क्षेत्र में शिक्षा के बारे में है, मैं आदरणीया सदस्या से पूरी तरह से सहमत हूं कि विशेष प्रयास वहां करने चाहिये। उसमें जो मदद लेना चाहें, उसको अगर आप और आपकी सरकार कहे तो हम उसे जरूर देने को तैयार हैं।

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा पांच क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करने का निर्णय यू०जी०सी० के कार्य विस्तार और विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिक सक्षम और प्रभावी बनाने के लिये और उसे आर्थिक या वित्तीय दृष्टि से सफलता प्रदान करनें के लिये कोई उपाय कर रही है? इनके द्वारा लिये गये जो भी निर्णय हैं, पाठयक्रम हैं, उनकी अनिवार्यता क्रियान्वयन राज्यों के संबंधित महाविद्यालयों में किया जाये, इसके लिये सरकार क्या उपायकर रही है?

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, यू०जी०सी० ने विगत कुछ दो तीन वर्ष में कई ऐसे मौलिक निर्णय लिये हैं, जिनसे शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूं कि इस दिशा में जो कुछ भी ऐसे सुझाव आयेंगे, जिनसे यू०जी०सी० के कार्यक्षेत्र में, उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके, वह किसी भी यूनिवर्सिटी से आयेंगे तो निश्चित रूप से उन पर विचार जरूर किया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

साधारण बीमा निगम संबंधी व्यावसायिक पाठ्यक्रम

*22. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10+2 के छात्रों के लिए साधारण बीमा निगम संबंधी कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंम्भ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या इस पाठ्यक्रम में पश्चिुता के पश्चात् उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के लिए नौकरी की कोई गारंटी दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त पाठ्यक्रम आरंभ करने के पश्चात् साधारण बीमा निगम में अब तक हुई कुल रिक्तियों के लिए परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे, कितने उत्तीर्ण हुए और कितनों को साधारण बीमा निगम में नौकरियां दी गईं।

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त पाठ्यक्रम को नौकरी की गारंटी से अलग करने का है;

(च) यदि हां, तो उसका क्या उद्देश्य है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) साधारण बीमा निगम संबंधी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी हां, महोदय, शिक्षा के संबंध में तैयार की गई राष्ट्रीय नीति के अनुपालन में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सामान्य बीमा निगम (जो आई सी) के सहयोग से व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए शैक्षणिक वर्ष 1988-89 में सामान्य निगम के संबंध में एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया था।

(ग) और (घ) प्रारम्भिक चरण में ऐसे विद्यार्थी जो काफी ऊंचे प्रतिशत अंक प्राप्त कर पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हुए थे, प्रशिक्षु के लिए पात्र पाए गए थे और बाद में उन्होंने सहायक के रूप में निगम में नियुक्त कर दिया गया।

पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले, उत्तीर्ण होने वाले तथा ऐसे विद्यार्थी जिन्हें कुछ रिक्तियों की सापेक्षता में सामान्य बीमा निगम में नौकरियां दी गई, के बारे में ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या	ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने अपेक्षित प्रतिशत अंक प्राप्त किए और जिन्हें नौकरियां दी गईं	लिपिकीय वर्ग में रिक्तियों पर कुल भर्ती
1	2	3	4
1990	480	416	3053

1	2	3	4
1991	485	440	1790
1992	630	634	1336

(ङ) से (छ) सामान्य बीमा निगम के समझाने वाली समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए सामान्य बीमा निगम और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 1993-94 में इस योजना की समीक्षा की गई। संशोधित योजना के अंतर्गत जी० आई० सी० द्वारा घोषित कुल रिक्तियों में से 25 प्रतिशत रिक्तियां जी० आई० सी० पाठ्यक्रम को पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की जाएगी। बशर्ते वे जी० आई० सी० द्वारा आयोजित भर्ती पूर्व परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और अन्य पूर्व आपेक्षाओं यानि साक्षात्कार और चिकित्सा परीक्षा की शर्तों को पूरा करेंगे।

संशोधित योजना शैक्षणिक सत्र 1993-94 से लागू हो चुकी है और इसके अंतर्गत ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा ग्यारहवीं में प्रवेश पाएंगे, मार्च, 1995 में उत्तीर्ण होंगे। मार्च, 1994 तक जी० आई० सी० पाठ्यक्रम को पास करने वाले उम्मीदवार पुरानी योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र स्थाई विकास आयोग

*25. **श्री बोत्सा बुत्सी रामय्या :**

श्री सुधीर गिरि :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1994 में न्यूयार्क में आयोजित दस दिवसीय संयुक्त राष्ट्र स्थाई विकास आयोग की बैठक में भारत ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई थी तथा उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इसमें कितने देशों ने भाग लिया; और

(घ) भारत ने किन-किन बातों पर जोर दिया तथा उत्तरी देशों से भारत का किन-किन मुद्दों पर मतभेद था ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। पर्यावरण और वन राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने 16 से 27 मई, 1994 के दौरान न्यूयार्क में हुई संयुक्त राष्ट्र के स्थाई विकास आयोग के दूसरे पूल सत्र की बैठक में भाग लिया था।

(ख) इस सत्र के दौरान, आयोग ने एजेण्डा 21 और जून, 1992 के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में किए गए अन्य वायदों के कार्यान्वयन के लिए जरूरी समझे जाने वाले वित्तीय साधनों के हस्तातंरण और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के संबंध में हासिल की गई प्रगति की समीक्षा

की। आयोग ने स्वास्थ्य, मानव आबादियों, स्वच्छ जल, विषाक्त रसायनों एवं परिसंकटमय अपशिष्टों से संबंधित एजेण्डा 21 के अध्यायों में निर्धारित कार्यक्रमों की प्रगति की भी समीक्षा की।

(ग) पर्यावेक्षक के तौर पर नामित देशों, संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों आदि के अतिरिक्त 53 देशों, जो फिलहाल आयोग के सदस्य हैं, के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। सदस्य देशों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) अन्य विकासशील देशों के साथ-साथ भारत ने इस तथ्य पर बल दिया कि नई, पर्याप्त और अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों के अभाव में अस्थाई विकास संभव नहीं होगा तथा एजेण्डा 21 कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विकासशील देशों को सक्षम नहीं बनाया जा सकेगा। सामूहिक परन्तु भिन्न-भिन्न जिम्मेदारियों की अवधारणा, जिसकी रूपरेखा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में तैयार की गई थी, पर भी बदल दिया गया।

विवरण

स्थाई विकास आयोग

(53 सदस्य, तीन वर्ष की अवधि)

1994 में सदस्यता	31 दिसम्बर को अवधि समाप्त हो जाती है।
1	2
अल्जिरिया	1994
एन्टीगुआ और बारबुडा	1995
आस्ट्रेलिया	1994
आस्ट्रिया	1994
बारबाडोस	1995
बेलारूस	1996
बेल्जियम	1995
बेनिन	1994
बोलिविया	1995
ब्राजील	1994
बुलगारिया	1996
बुरकीनाफासो	1995
कनाडा	1996
चिली	1995
चाइना	1995

1	2
कोलम्बिया	1994
क्यूबा	1994
चेकगणराज्य	1994
मिश्र	1994
फ्रांस	1994
गैबोन	1995
जर्मनी	1995
गिन्नी	1996
हंगरी	1994
आइसलैंड	1995
इंडिया	1996
इंडोनेशिया	1995
इटली	1996
जापान	1996
मालवी	1995
मलेशिया	1996
मैक्सिको	1996
मोरक्को	1996
नामीबिया	1995
नीदरलैंड	1995
नाइजीरिया	1994
नार्वे	1994
पाकिस्तान	1995
फिलिपाइन्स	1994
पोलैंड	1995
कोरिया गणराज्य	1995
रूसी संघ	1995
सिंगापुर	1994
श्रीलंका	1994
ट्यूनिसिया	1995
तुर्की	1995

1	2
उगांडा	1996
ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड यूनाइटिड किंगडम	1996
तंजानिया संयुक्त गणराज्य	1996
अमेरिका	1996
रूग्वे	1995
वानुआतु	1994
वेनेजुएला	1996

रेल दुर्घटनाएं

*26. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे जोन में 1994 के दौरान अब तक कितनी-कितनी रेल दुर्घटनाएं और रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाएं हुई हैं;

(ख) इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण हैं;

(ग) हताहत व्यक्तियों की जोनवार संख्या कितनी है और रेलवे को कुल कितना घाटा हुआ;

(घ) पीड़ित व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(ङ) दुर्घटनाओं तथा रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं की संख्या में हो रही वृद्धि को रोकने के लिये क्या ठोस कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ङ) जनवरी से मई, 1994 तक परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं, पटरी से उतरने की घटनाओं को जोनवार संख्या और इनमें मारे गए तथा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या तथा रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति का ब्यौरा इस प्रकार है :

रेलवे	गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं सहित दुर्घटनाओं की कुल संख्या	गाड़ी के पटरी से उतरने की दुर्घटनाओं की संख्या	हताहतों की संख्या		रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति की लागत
			मारे गए	घायल हुए	
					(लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5	6
मध्य	16	12	18	54	82.93

1	2	3	4	5	6
पूर्व	19	14	6	10	61.00
उत्तर	27	13	23	17	234.77
पूर्वोत्तर	13	6	29	18	6.90
पूर्वोत्तर सीमा	23	22	3	56	2.21
दक्षिण	18	13	4	5	47.53
दक्षिण मध्य	22	16	49	27	41.37
दक्षिण पूर्व	45	41	1	18	1735.40
पश्चिम	26	21	18	64	134.56
	209	158	151	269	2346.37

मोटे तौर पर इन दुघटनाओं के प्रमुख कारणों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है :

(1)	रेल कर्मचारियों की गलती	116
(2)	रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती	25
(3)	उपस्कर की खराबी (यांत्रिक, रेलपथ तथा बिजली)	32
(4)	मिले जुले कारण	4
(5)	आकस्मिक	3
(6)	कारण जो अंततः सिद्ध नहीं हो सका	4
(7)	जांच के अधीन	25
	जोड़ :	209

इन दुर्घटनाओं के शिकर व्यक्तियों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। तथापि, मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों और घायल व्यक्तियों को अनुग्रह राशि के रूप में 3,51,000 रु० की राशि का भुगतान किया गया है।

यद्यपि पिछले 9 वर्षों के दौरान दुर्घटनाओं में निरंतर कमी का रुख रहा है, फिर भी गाड़ियों के पटरी से उतरने की दुर्घटनाओं सहित सभी किस्म की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निरन्तर गहन संरक्षा उपाय किये जाते हैं। चूंकि बिना चौकीदार वाले तथा चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिनमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं और इन दुर्घटनाओं का कारण सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही रही है, इसलिए यात्रियों और सड़क उपयोगकर्त्ताओं को बिना चौकीदार वाले तथा चौकीदार वाले समपारों को अपेक्षित सावधानी से पार करने के लिए शिक्षित करने हेतु श्रव्य-दृश्य साधनों के माध्यम से व्यापक प्रचार अभियान चलाए गए हैं।

इस क्षेत्र में ग्राम पंचायतों की भूमिका को भी शामिल किया जा रहा है। बिना चौकीदार वाले समपारों के पहुंच मार्गों पर सीटी बोर्डों, गति अवरोधकों तथा सड़क चिह्नों का प्रावधान करने और सड़क उपयोगकर्त्ताओं तथा गाड़ी ड्राइवरों की दृश्यता में सुधार करने के लिए रेलों द्वारा निरंतर ध्यान दिया जा रहा है।

चूंकि रेल कर्मचारियों की गलती दुर्घटनाओं का अकेला सबसे बड़ा कारक है, इसलिए रनिंग और परिचालनिक कोटियों के कर्मचारियों को सतत् आधार पर गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हाल ही में ड्राइवरों तथा स्टेशन कर्मचारियों की समय से पूर्व अनिर्धारित स्क्रीनिंग की गई है। प्रारंभिक स्तर पर संरक्षा संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए क्षेत्र संस्थापनाओं तथा परिचालन कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण करने के लिए रेलवे बोर्ड में उच्च स्तरीय दो संरक्षा दल गठित किये गए हैं।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक तकनीकी सहायता प्रदान करने की दृष्टि से सहायक चेतावनी प्रणाली, धुरा काउंटरों, रूट रिले अन्तर्पाशन तथा रेलपथ परिपथन का विस्तार किया जा रहा है। टूट-फूट का पता लगाने के लिए पटरियों और धुरों का अल्ट्रासानिक परीक्षण किया जाता है। योजनाबद्ध तथा सतत् आधार पर रेलपथ, पुलों और चल स्टाक जैसी गतायु परिसम्पत्तियों का नवीकरण और पुनर्स्थापन किया जाता है। रेलों द्वारा कड़ी निगरानी रखने के साथ-साथ रेलपथ के दिन-प्रतिदिन के निरीक्षण और सवारी डिब्बों, मालडिब्बों तथा रेल इंजनों की जांच गहन कर दी गई है।

खजुराहो मन्दिर

*27. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के विमान चालकों द्वारा मध्य प्रदेश स्थित विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मन्दिर के ऊपर से विमान उड़ाये जाने के कारण मन्दिर को भारी क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागर विमानन प्राधिकारियों द्वारा भोपाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों को दिए गए आश्वासनों के बावजूद इस मन्दिर के ऊपर से विमान अब भी उड़ाये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मन्दिर को और क्षति न पहुंचने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) इंडियन एयरलाइन्स के विमान चालकों द्वारा खजुराहो के मन्दिरों के ऊपर से विमान उड़ाए जाने के कारण उन्हें अभी तक कोई क्षति नहीं पहुंची है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। यह मामला सम्बन्धित प्राधिकारियों के ध्यान में पुनः यह सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है कि इंडियन एयरलाइन्स के विमान चालकों को जो हिदायतें पहले ही जारी की चुकी हैं; उनका सख्ती से पालन हो।

(ङ) यह प्रस्ताव रखा गया है कि कम्पनों की तीव्रता, मन्दिरों पर उनके प्रभाव और सुरक्षात्मक उपायों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए।

व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश

*28. **श्री सी०पी० मुदाल्ल गिरियप्पा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश संबंधी दिशा-निर्देशों के मसौदे को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में विनियम जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उच्च और तकनीकी शिक्षा में प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर ही हो, यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा कया कदम उठाये जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) तकनीकी शिक्षा कि लिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम के अधीन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम 20 मई, 1994 को जारी किए गए हैं। राज्य सरकारों को निदेश दिया गया है कि वे शैक्षिक वर्ष 1994-95 से इन विनियमों का कार्यान्वयन करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम शीघ्र जारी किए जाने की आशा है।

इन विनियमों के अधीन दाखिला प्रणाली केवल योग्यता पर आधारित होगी।

चीनी का आयात

*29. **डा० मुमताज अंसारी** :

श्री राम विलास पासवान :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मई, 1994 के "इंडियन एक्सप्रेस" में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चीनी के आयात की निविदा को रद्द किए जाने के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम ने चीनी के आयात के लिए कोई निविदा जारी की थी;

(ग) यदि हां, तो इस निविदा को रद्द करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम निकट भविष्य में चीनी का आयात करेगा; और

(ङ) किन-किन अन्य एजेन्सियों/निगमों के माध्यम से इस सम्बन्ध में नया सौदा किया गया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इस मामले पर बाद में पुनर्विचार किया गया था। वह नोट किया गया था कि राज्य व्यापार निगम ठेका करेगा और राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने पर्याप्त मात्रा में चीनी की शीघ्र खरीदारी करने की योजना बनाई है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बोली लगाने वाली सरकारी एजेन्सियों की बहुलता से बचने के लिए भारतीय खाद्य निगम के टेंडर को रद्द कर दिया गया था।

(घ) इस समय खुले सामान्य लाइसेन्स के अधीन चीनी आयात करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को अनुमति प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) भारतीय राज्य व्यापार निगम और भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड खुले सामान्य लाइसेन्स के अधीन चीनी का आयात करने के व्यापार में लगी हुई हैं।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

*30. **श्री महेश कनोडिया** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत उन्हें शक्तियों प्रत्यायोजित करने के लिए अनुरोध कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अनुरोधों और इस संबंध में सरकारिया आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इन सिफारिशों पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा; और

(घ) उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रक्रिया संबंधी विलम्ब के कारण विकास परियोजनाओं में अनावश्यक विलम्ब न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) व (ग) विभिन्न मंचों पर इस मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद वन (संरक्षण) नियमावली, 1981 में 21-5-1992 को समुचित संशोधन किया गया है तथा वन (संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्तावों की जांच के कार्य को विकेन्द्रीकृत करने तथा उसमें तेजी लाने के उद्देश्य से 25-10-1992 को समेकित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है क्योंकि अंतर-राज्य परिषद द्वारा इनकी जांच-परख की जा रही है।

(घ) प्रस्तावों की जांच के कार्य में तेजी लाने के लिए संशोधित समेकित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों को अवैध कब्जों को नियमित

करने तथा खनन के मामलों को छोड़कर 5 है० वन भूमि के अंतरण के संबंध में अंतिम निर्णय लेने तथा 20 है० तक वन भूमि के अंतरण में संबंधित सभी प्रस्तावों की प्रारंभिक जांच-परख करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

ताजमहल

*31. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में ताज महल पर पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रभाव के वास्तविक कारणों की जांच करने और इसे नियंत्रित करने हेतु उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का आदेश दिया है;

(ख) क्या विशेषज्ञ समिति का गठन कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(घ) क्या समिति ने इस संबंध में अब तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ङ) यदि हां, तो इनके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के रिट याचिका सं० 13381/84-एम० सी० मेहता बनाम भारत सरकार और अन्यों के मामले में दिनांक 29-4-1994 के अपने आदेश में पर्यावरण और वन मंत्रालय को निदेश दिया है कि वह ताज समलम्ब पर्यावरणीय क्षेत्र में सर्वेक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ प्राधिकरण गठित करे तथा समलम्ब के प्रदूषण के स्रोत के बारे में तथा प्रदूषण के नियंत्रण के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के भूतपूर्व महानिदेशक, डा० एस० वर्दाराजन की अध्यक्षता में दिनांक 18-5-1994 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है समिति के अन्य सदस्य ये हैं :

1. महानिदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, मौसम भवन, नई दिल्ली।
2. डा० जगतपति जोशी, सेवानिवृत्त महानिदेशक, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, नई दिल्ली।
3. डा० बी० बी० सुन्दरेशन, भूतपूर्व निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, और भूतपूर्व कुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास।
4. श्री कल्याण कुमार बक्शी, अमर सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. श्री आर० आनन्दकुमार, अपर निदेशक, पर्यावरण और वन मंत्रालय सदस्य सचिव।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

मालडिब्बों के लिए क्रयादेश

*32. **प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती :**

श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष के अप्रैल माह से माल-डिब्बा निर्माण एककों को मालडिब्बों के लिए क्रयादेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो एककवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो माल डिब्बों के क्रयादेश जारी न किए जाने का सरकारी क्षेत्र में उत्पादन, रोज़गार, कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :

विवरण

	यूनिट	दिये गये आर्डरों की संख्या (चौपहियों में)
सार्वजनिक क्षेत्र		
1	2	3
1.	भारत वैगन इंजीनियरिंग लि०/मुजफ्फरपुर	462.5
2.	भारत वैगन इंजीनियरिंग लि०/मोकामा	575
3.	बेथवेट/कलकत्ता	1220
4.	बर्न/बर्नपुर	1155
5.	बर्न/हावड़ा	937.5
6.	जेस्सप/कलकत्ता	210
	उप जोड़	4560
निजी क्षेत्र		
7.	सिम्मको/भरतपुर	676.5

1	2	3
8.	हिन्दुस्तान जनरल इन्डस्ट्रीज/नांगलोई	317.5
9.	माडर्न इन्डस्ट्रीज/साहिबाबाद	340
10.	हिन्दुस्तान डिवेलपमेंट कारपोरेशन/कलकत्ता	650
11.	टेक्समेको/कलकत्ता	1045
	उप-जोड़	3040
	कुछ जोड़	7600

खाद्यान्न भण्डार

*33. **श्री नीतीश कुमार** :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 और 1994 में अब तक खाद्यान्नों के बफर और चालू भंडारों की स्थिति क्या रही है;

(ख) क्या खाद्यान्नों के भंडार की प्रतिशतता न्यूनतम बफर और चालू भंडार की मांग से अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इसके परिणामस्वरूप चावल और गेहूं के निर्यात नियंत्रण में ढील देने का है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) सरकारी एजेन्सियों द्वारा रखे जाने वाले बफर और परिचालन स्टॉक सहित खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का न्यूनतम स्टॉक और 1993 तथा 1994 के दौरान केन्द्रीय पूल में वास्तविक स्टॉक निम्नानुसार है :

(मिलियन मीटरी टन में)

निम्न तारीख को	बफर स्टॉक का मानदण्ड			केन्द्रीय पूल में वास्तविक स्टॉक					
				1993			1994		
	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8
पहली जनवरी	7.70	7.70	15.40	8.46	3.29	11.75	11.17	10.82	21.99

1	2	3	4	5	6	7	6	7	8
पहली अप्रैल	10.80	3.70	14.50	9.93	2.74	12.67	13.55	6.99	20.54
पहली जुलाई	9.20	13.10	22.30	0.27	14.89	24.16	–	–	–
पहली अक्तूबर	6.00	10.60	16.60	7.22	13.67	20.89	–	–	–

(ख) जी, हां। केन्द्रीय पूल में 1-7-1993, 1-10-1993, 1-1-1994 और 1-4-1994 को स्थिति के अनुसार खाद्यान्नों की स्टॉक स्थिथि ऊपर उल्लिखित बफर स्टॉक रखने के मानदण्डों के अनुसार रखे जाने वाले न्यूनतम स्टॉक से बेहतर रही है। यह इन तारीखों के लिए बफर स्टॉक रखने के मानदण्डों से क्रमशः 8.34, 25.84, 42.79 और 41.65 प्रतिशत अधिक था।

(ग) इस समय बासमती चावल का निर्यात मुक्त रूप से करने की अनुमति है जबकि उत्तम गैर-बासमती चावल का निर्यात 200 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य पर करने की अनुमति है। यद्यपि गेहूं के उत्पादों का निर्यात मुक्त रूप से करने की अनुमति है लेकिन 160 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य पर डुरूम गेहूं की तीन लाख मीटरी टन तक की निर्धारित मात्रा निर्यात करने के लिए रिलीज़ की गई है।

[हिन्दी]

कृषि भूमि

*34. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** :

श्री गुमान मल लोढा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि भूमि 17.30 करोड़ हेक्टेयर है जबकि इस समय केवल 14.20 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ही खेती की जाती है;

(ख) क्या सरकार ने कुल कृषि भूमि और कृषि के उपयोग में लाई जा रही वास्तविक भूमि के बीच अन्तर समाप्त करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कृषि के उपयोग में लाई जा रही वास्तविक भूमि के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में प्रति वर्ष कितना व्यय किया जायेगा?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) 1990-91 (नवीनतम) में भू-उपयोग के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल कृषि योग्य भूमि 184.35 मिलियन हेक्टेयर आंकी गयी थी जबकि देश में कुल कृष्य भूमि (निवल बुवाई क्षेत्र–ऊसर) 156.04 मिलियन हेक्टेयर आंकी गयी थी।

(ख) सरकार खेती के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र को लाने के लिए भूमि सुधार तथा परती भूमि के विकास के कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है।

(ग) एवं (घ) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित स्कीम, नामतः क्षारीय मृदा का सुधार, के अन्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 883 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 8.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का सुधार करने का प्रस्ताव है जिसमें केन्द्र सरकार का अंश 150 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, परती भूमि विकास विभाग भी परती भूमि का सुधार कर रहा होगा ताकि बायोमास उत्पादन, विशेषकर ईंधन, चारा उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से उसका सतत् उपयोग किया जा सकता। आठवीं पंचवर्षीय योजना में अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

यात्री-सुविधाएं

*35. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना में यात्री-सुविधाओं में वृद्धि करके रेल प्रयोक्ताओं की संतुष्टि पर विशेष बल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यात्री -सुविधाओं में वृद्धि करने की दिशा में कोई प्रगति हई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) वर्ष 1993-94 के दौरान यात्री-सुविधाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई तथा 1994-1995 के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(च) वर्ष 1994-95 के दौरान यात्री-सुविधाओं के लिये कम धनराशि व्यय करने का प्रावधान किये जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) विभिन्न स्टेशनों पर मूलभूत यात्री सुविधाओं के संबंध में 1-4-1991 को मौजूद सभी कमियों को दूर करने के लिए एक कार्य योजना शुरू की गई है और इस संबंध में काम पूरा कर लिये जाने का लक्ष्य 31-3-1995 रखा गया है।

प्रत्येक स्टेशन पर मुहैया करायी गयी मूलभूत सुविधाओं के अलावा, यातायात की आवश्यकता के अनुसार जहां-कहीं जरूरी होता है अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं/कराई जा रही हैं। रेलों को अब अनुदेश भी दिए गए हैं कि वे अधिक ध्यान देने के लिए स्टेशनों का चयन करें ताकि उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में स्पष्ट सुधार लाया जा सके।

अधिक आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए गाड़ियों में उपलब्ध सुविधाओं में भी उत्तरोत्तर सुधार किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) 1994-95 के लिए योजना शीर्ष "यात्री और अन्य रेल उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाएं" के अन्तर्गत 60 करोड़ रु० का आबंटन किया गया है। यह राशि वर्ष 1993-94 के मूल बजट आबंटन पर बराबर ही है। तथापि, 1993-94 के दौरान कार्य की मात्रा बढ़ जाने के कारण 1993-94 के लिए संशोधित अनुमानों में कुल 63.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। खर्च के अन्तिम अनुमानों से पता चलता है कि पूरी राशि खर्च कर दी गई है।

रेलवे-निर्यात

*36. **डा० के०वी०आर० चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात में विशेष रूप से मीटर गेज संबंधी निर्यात में तेजी लाने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बंगलादेश को रेल के इंजन लीज पर देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) क्या रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज (राइट्स) ने वातानुकूलित और साधारण शयनयानों के निर्यात हेतु वियतनाम रेलवे के साथ कोई समझौता किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) नये और इस्तेमाल किये हुए दोनों किस्म के चल स्टाक के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

(ग) जी हां, बांग्लादेश की 5 डीजल रेल इंजनों को पट्टे पर देने का प्रस्ताव है। इस मामले में बांग्लादेश रेलवे के साथ बातचीत करने के लिए मैसर्स रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेज लिमिटेड को नामित किया गया है।

(घ) और (ङ) मैसर्स रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकॉनामिक सर्विसेज लिमिटेड ने वियतनाम रेलवेज के साथ 15 सवारी डिब्बों (मी० ला० के 10 वातानुकूल शयनयान और 5 साधारण शयनयान), जिन्हें सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास द्वारा तैयार किया जाना है, की सप्लाई के लिए एक ठेके पर हस्ताक्षर किये हैं।

पामोलीन तेल

*37. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति** :

श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने 20 प्रतिशत रियायती शुल्क पर 1.5 लाख टन पामोलीन तेल का और आयात करने के लिए राज्य व्यापार निगम को निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह मात्रा 1993-94 के दौरान अप्रयुक्त रह गई मात्रा के अतिरिक्त है;

(ग) क्या सरकार ने इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने का निर्णय किया है;

(घ) क्या एन० डी० डी० बी० को भी इसी तरह के आयात की अनुमति दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो पामोलीन के आयात से देश में उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने में किस हद तक सहायता मिली है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री एक०के० एंटनी) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम से चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सप्लाई करने के लिए 20 प्रतिशत के रियायती आयात शुल्क पर 1.58 लाख मी० टन पामोलीन का आयात करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस स्टॉक में पामोलीन की वह शेष मात्रा भी शामिल है जिसका वर्ष 1993-94 के दौरान आयात नहीं किया गया था।

(घ) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को 20 प्रतिशत आयात शुल्क पर अपने खाते में 50,000 मी० टन पामोलीन के आयात की अनुमति दी गई है।

(ङ) पामोलीन के आयात का सहारा, देश में खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर के कारण हुई कमी को पूरा करने और उपभोक्तओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्यों पर खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लिया जाता है।

वन क्षेत्र

*38. **श्री फूल चन्द वर्मा** :

श्री तेज नारायण सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वन सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में वन क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में वन क्षेत्र अपेक्षित मानदण्डों के अनुरूप हैं;

(ग) वन क्षेत्र के संबंध में भारतीय वन सर्वेक्षण की गत तीन रिपोर्टों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(घ) वन क्षेत्र में हुई कमी के कारण हैं; और

(ङ) वन क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) 1993 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन क्षेत्र के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में कहा गया है कि भारत में कम-से-कम एक तिहाई क्षेत्र में वन होने चाहिए। इस समय देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 19.5 क्षेत्र में वन हैं।

(ग) 1989, 1991 तथा 1993 की वन स्थिति रिपोर्टों के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र क्रमशः 6,40,134 वर्ग किलोमीटर, 6,39,182 वर्ग किलोमीटर तथा 6,40,107 वर्ग किलोमीटर है।

(घ) भारतीय वन सर्वेक्षण की 1993 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार पिछले मूल्यांकन की तुलना में देश के वन क्षेत्र 925 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

(ङ) वन क्षेत्र में वृद्धि के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-II

वन स्थिति रिपोर्ट, 1993

(वर्ग किलोमीटर में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सघन वन (40% से अधिक शीर्ष सघनता)	खुले वन (10% से 40% तक की शीर्ष सघनता)	कच्छ वनस्पति	कुल वन आवरण
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	25,008	21,870	378	47,256
2.	अरुणाचल प्रदेश	54,510	14,151	–	68,661
3.	असम	15,998	8,510	–	24,508
4.	बिहार	13,172	13,415	–	26,587
5.	गोवा	995	249	3	1,247
6.	गुजरात	6,301	5,324	419	12,044
7.	हरियाणा	329	184	–	513
8.	हिमाचल प्रदेश	9,565	2.937	–	12,502
9.	जम्मू व कश्मीर	10.953	9,490	–	20,443
10.	कर्नाटक	24,852	7,491	–	32,343
11.	केरल	8,421	1,915	–	10,336
12.	मध्य प्रदेश	95,537	39,859	–	135,396
13.	महाराष्ट्र	25,680	18,024	155	43,859
14.	मणिपुर	5,307	12,314	–	17,621
15.	मेघालय	3,305	12,464	–	15,769
16.	मिजोरम	4,238	14,459	–	18,697

1	2	3	4	5	6
17.	नागालैंड	3,487	10.861	–	14,348
18.	उड़ीसा	27,151	19,799	195	47,145
19.	पंजाब	481	862	–	1,343
20.	राजस्थान	3,581	9,518	–	13,099
21.	सिक्किम	2,395	724	–	3,119
22.	तमिलनाडु	9,422	8,283	21	17,726
23.	त्रिपुरा	1,819	3,719	–	5,538
24.	उत्तर प्रदेश	22,965	10.996	–	33,961
25.	पश्चिम बंगाल	3,362	2,705	2,119	8,186
26.	अंडमान व निकोबार	6,567	91	966	7,624
27.	चंडीगढ़	4	1	–	5
28.	दादर व नगर हवेली	159	47	–	3
29.	दमन व दीप	—	3	—	3
30.	दिल्ली	12	10	–	22
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	–	–	–	–
	कुल :	3,85,576	2,50,275	4,256	640,107

विवरण-II

वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड तथा राष्ट्रीय पद्धति भूमि विकास बोर्ड वनीकरण के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता देते हैं।

(2) "भोगाधिकार में हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों में पुनः वनस्पति उगाने के लिए अनुसूचित जनजातियों और निर्धन ग्रामीणों को शामिल करना" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता दी जाती है।

(3) वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत सख्ती से विनियमित किया जाता है।

(4) वन उगाने और उनकी सुरक्षा के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(5) राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें भी वनीकरण और वनों की सुरक्षा के लिए निधियां प्रदान करती हैं।

(6) पिछले तीन वर्षों के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपित क्षेत्र तथा बांटे गए पौधों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	पौध वितरण	वृक्षारोपित क्षेत्र (वन भूमियों सहित सरकारी भूमियों पर) (हेक्टेयर में)
1991-92	14194.81	1015714.10
1992-93	12450.87	1062225.52
1993-94	10976.67*	971944.24*

*अनन्तिम

कपास के मूल्य

*39. **श्री एम०आर० कादम्बूर जनार्दनन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छह महीनों से कपास के मूल्यों में भारी वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कपास के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) गत छह महीनों के दौरान कच्चे कपास के थोक मूल्यों (1981-82 =100) के सूचकांक नवम्बर, 1993 में 222.0 से लगभग 71 प्रतिशत बढ़कर मई, 1994 के तीसरे सप्ताह में 380.2 हो गए। मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण जिन्स की मांग और सप्लाई के बीच असंतुलन होना है जो देश में कपास की समग्र उपलब्धता में आशंकित गिरावट के कारण हुआ।

(ग) सरकार ने कपास के मूल्यों को नियंत्रित करने की दृष्टि से कई कदम उठाए। इनमें इसने खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत कपास के निःशुल्क आयात की अनुमति दी; कपास पर चयनित ऋण नियंत्रण पुनः आरम्भ किया कपास के निर्यात को विनियमित किया और कपड़ा मिलों, कपास ओटाई मिलों, कपास को प्रेस करने वाली मिलों और कपास संबंधी अन्य कार्यों में संलग्न मिलों के लिए कपास के भण्डार सीमा पर प्रतिबंध लगाया।

चीनी उद्योग

*40. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चीनी उद्योग को लाइसेंस-मुक्त करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में चीनी मिलों की स्थापना के लिए अप्रैल, 1994 के अंत तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) लाइसेंस जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) व (ख) चीनी उद्योग को लाइसेंस-मुक्त करने के विकल्प सहित लाइसेंस नीति से संबंधित मामला सरकार के विचारधीन है।

(ग) से (ङ) विभिन्न राज्यों में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से 30-4-1994 तक 882 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अक्तूबर 1992 में कृषि भवन में विध्वंसक आग लग जाने के कारण पूरा रिकार्ड जल गया था और इसलिए इसे दोबारा बनाना पड़ा था। इसके बाद 813 आवेदनों पर विचार किया गया है तथा उद्योग मंत्रालय को उपयुक्त सिफ़ारिशें भेज दी गई हैं। खाद्य मंत्रालय में अभी 69 आवेदन विचारार्थ लंबित हैं। जांच समिति द्वारा आवेदनों की जांच करने के बाद उचित सिफारिशें आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए उद्योग मंत्रालय को भेज दी जाएंगी।

[हिन्दी]

नव-शिक्षितों के लिए शिक्षा

139. **श्री एन०जे० राठवा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार से राज्य में नव-शिक्षितों के लिए शिक्षा जारी रखने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) जी, हां। सरकार को भावनगर, खेड़ा, अहमदाबाद (ग्रामीण), तथा गांधी नगर जिलों में नव-साक्षरों के लिए उत्तर-साक्षरता अभियानों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस अभियान का लक्ष्य भावनगर में 2.68 लाख, खेड़ा में 1.60 लाख, अहमदाबाद में 2.71 लाख तथा गांधीनगर में 52,300 नव साक्षरों को शामिल करना है तथा इनमें व्यय क्रमशः 108 लाख रु०, 64 लाख रु०, 108.49 लाख रु० तथा 14.16 लाख रु० होगा। इन प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

खाद्यान्न और बागान फसलों के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र

140. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्यान्नों की खेती तथा बागवानी अलग-अलग, कुल कितने क्षेत्र में होती है;

(ख) खाद्यान्नों तथा बागवानी फसलों के उत्पादन में लगे किसानों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) 1994-95 के बजट प्रावधानों में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है; और

(घ) सरकार का छोटे और सीमान्त किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) भूमि उपयोग सांख्यिकी 1990-91 (नवीनतम आंकड़ों) के अनुसार अनाज और बागवानी फसलों (जिनमें फल, सब्जियां, भोजन को स्वादिष्ट बनाने वाले पदार्थ तथा मसाले, नारियल, औषधियां, मादक द्रव्य एवं अन्य रोपण फसलें आती हैं) की खेती का कुल रकबा क्रमशः 128.03 और 12.17 मिलियन हेक्टेयर था।

(ख) अनाज और बागवानी फसलों की खेती में लगे किसानों की संख्या उपलब्ध नहीं हैं। बहरहाल, कृषि संगणना 1985-86 के अनुसार, सभी प्रकार की फसलों की खेती करने वाले किसानों की संख्या 110.6 मिलियन है।

(ग) कृषि के लिए 1994-95 के योजना आवंटन में वर्ष 1993-94 के मुकाबले 90 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

(घ) फसल उत्पादन उन्मुखी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में यह शर्त रखी गई है कि जहां तक संभव हो, इनके लाभ छोटे और सीमान्त किसानों को मिलें और लाभ का 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों तक पहुंचे। छोटे किसानों के कृषि व्यापार संघ की स्थापना से भी छोटे और सीमान्त किसानों के कल्याण को बढ़ावा दिए जाने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

141. **श्री एन०जे० राठवा** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पुर्नगठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में राज्य सरकारों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं

142. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के रतलाम डिजीवन के अंतर्गत खाचरोद, नागदा, उनहांल, तराना बेखानपा, शुजालपुर रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयुक्त रूप से उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त स्टेशनों पर प्लेटफार्मों को समतल बनाने के कार्य की क्या स्थिति है और समतल बनाने तथा मरम्मत का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :

स्टेशन	सीटों की संख्या	पीनी का पानी		शौचालय/ मूत्रालय	प्लेटफार्म सायबान
		नल/हैंड पंप	जल-शीतल		
खाचरोद	23	9	1	5	135 वर्ग मी०
नागदा	52	44	4	12	4396 वर्ग मी०
उनहाल	9	5	–	6	389 वर्ग मी०
तराना रोड	18	2	–	8	100 वर्ग मी०
बेरवनया	6	5	–	5	486 वर्ग मी०
शुजालपुर	22	9	1	12	3 वर्ग मी०

उपर्युक्त सभी स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था है और वहां उपयुक्त प्रतीक्षालयों और प्रतीक्षा-गृहों की व्यवस्था की गई है। उपयुक्त प्याऊओं और पानी की ट्रालियों की व्यवस्था करके पानी की सप्लाई में वृद्धि की गई है। जहां तक प्लेटफार्मों की सतह का संबंध है, इन सभी स्टेशनों पर प्लेटफार्म समतल कर दिए गए हैं और उन पर सम्हाले जा रहे यातायात के लिए उपयुक्त फर्श की व्यवस्था की गयी है। प्लेटफार्म की सतह में और सुधार करने के लिए नागदा में मस्तगी फर्श बिछाने का कार्य चल रहा है।

[अनुवाद]

सिन्थैटिक ट्रैक

143. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने "सिन्थैटिक एथलेटिक ट्रैक" और "सिन्थैटिक हॉकी सरफेसेज" बिछाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये किन-किन स्थानों पर बिछाये जायेंगे; और

(ग) इस समय यह प्रस्ताव किस चरण में है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और रेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार से खेल परिसर, टी०टी० नगर, भोपाल में 8 लेन 400 मीटर सिंथैटिक ट्रैक बिछाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव में कमियां पाई गई हैं और राज्य सरकार को इन कमियों को दूर करने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त होने पर इस पर विचार किया जायेगा।

[हिन्दी]

अजमेर रेलवे स्टेशन को अन्यत्र ले जाना

144. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विभिन्न रेलवे स्टेशनों को सुन्दर बनाने और इन्हें आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या सरकार ने पहले रेल लाइन को बड़ी लाईन में बदलने के उपलक्ष्य में अजमेर रेवले स्टेशन को बदल कर मादर रेलवे स्टेशन के आस-पास लाने का निर्णय लिया था;

(ग) क्या इस संबंध में नये स्थलों का कोई सर्वेक्षण भी कराया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना का परित्याग करने के क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार को अजमेर रेलवे स्टेशन को अन्यत्र ले जाने के लिए विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़) : (क) 1986 में राजस्थान राज्य में पांच स्टेशनों अर्थात् बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर स्टेशनों का "आदर्श स्टेशन" के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था। और इस संबंध में 336.12 लाख रु० की लागत पर कार्य पूरा किया गया था।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ठाणे रेलवे-स्टेशन

145. **श्री राम कापसे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठाणे रेलवे स्टेशन की बेहतर सफाई और रख-रखाव के लिए इसका दर्जा बढ़ाने के संबंध में सरकार को विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) इस स्टेशन पर पहले ही पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है। इन्हें यातायात तथा इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर सशक्त बनाया जा रहा है। स्टेशन परिसर पर सफ़ाई रखने और नियमित रख-रखाव के लिए 21 सफाई वाले मौजूद हैं। इसके अलावा, विज्ञापन एवं सौंदर्यीकरण के एकाधिकार के लिए स्टेशन को पट्टे पर देने हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी किन्तु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य तेल का वितरण

146. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को खाद्य तेल और कपड़े उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों को धारा ब्रांड खाद्य तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) फिलहाल, खुले बाज़ार में देशीय तेलों की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कम कीमतों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु आयातित पामोलीन का आवंटन किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को कपड़ों का वितरण नहीं किया जा रहा है। तथापि, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं में आप उपभोग की अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विभिन्न राज्यों में 57,239 मी० टन धारा ब्रांड खाद्य तेल की खुले बाजार में बिक्री की गई थी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय चीनी संस्थान

147. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर को 1992-93 के लिए आवंटित धनराशि का संस्थान द्वारा उपयोग कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कार्य को समय पर पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर द्वारा 1992-93 के दौरान गैर-योजना बजट के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का पूर्णतया इस्तेमाल कर लिया गया था। तथापि, संस्था द्वारा 1992-93 के दौरान योजना आवंटन का लगभग 35% इस्तेमाल किया गया था।

(ख) मुख्यतया केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब करने के कारण आवंटित धनराशि का पूर्णतया इस्तेमाल नहीं किया जा सका था।

(ग) समय-समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करने और इसे शीघ्र पूरा करने के उपाय करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी जिनमें खाद्य मंत्रालय के अधिकारी, निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। आवधिक रिपोर्टों के जरिये भी प्रगति पर निगरानी रखी जाती रहेगी।

नई रेलगाड़ियां

148. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीना, मंडी बामोरा, कुरवाई गुलाबगंज, गंज बासोदा, विदिशा और सांची के दैनिक यात्री भीड़-भाड़ वाले घंटों के दौरान बीना और भोपाल के बीच कुछ और नई रेलगाड़ियां चलाने की निरंतर मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ये रेलगाड़ियां कब तक चलाई जाएंगी ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़) : (क) इस बारे में कुछ अभ्यावेदन हुए हैं।

(ख) और (ग) जांच की गयी है लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

सुपर बाजार की शाखाएं

149. **श्री अमर राय्प्रधान** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मई, 1994 तक नोएडा, उत्तर प्रदेश में सुपर बाजार की कितनी शाखाएं खोली गईं; और

(ख) कर्मचारियों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उन्होंने एक औषध बिक्री केंद्र सहित पांच शाखाएं खोली हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	बिक्री केंद्रों की अवस्थिति	कर्मचारी वर्ग का ब्यौरा	
1.	सेक्टर 15-ए, औषध बिक्री केंद्र	भेषजविज्ञ (फार्मासिस्ट) प्रभारी	
2.	सेक्टर-17	शाखा प्रभारी —	1
		बिक्री सहायक —	1
		हैल्पर —	1
		चौकीदार —	1
3.	सेक्टर 20	शाखा प्रभारी —	1
		हैल्पर —	1
		बिक्री सहायक —	2
4.	सेक्टर 22	शाखा प्रभारी —	1
		बिक्री सहायक —	1
		हैल्पर —	1
5.	सेक्टर 15-ए	शाखा प्रभारी —	1
		कनिष्ठ बिक्री सहायक —	2
		हैल्पर —	1

[हिन्दी]

हिन्दलको तथा अन्पारा ताप विद्युत घरों द्वारा प्रदूषण

150. **श्री रामनिहोर राय** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में हिन्दलको तथा अन्पारा तापविद्युत घर तथा अन्य कारखाने वहां के

जलाश्यों तथा नदियों में राख तथा अन्य कूड़ा-कचरा बहा रहे हैं जिसके कारण जीव, मछलियां तथा आदिवासी रोगग्रस्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या प्रयास कर रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, हिन्दलको रिहन्द नदी में, जोकि संयंत्र से 13 किलोमीटर दूर है, कोई ठोस अपशिष्ट नहीं डालता है। परन्तु बरसात के मौसम में रेड मड और स्पेन्ट पॉट लाइनिंग एरिया के सतही अपवाह नदी में बह जाते हैं।

जहां तक अन्पारा ताप विद्युत स्टेशन का संबंध है, इसकी प्रत्येक 210. मे० वा० की तीन इकाइयां हैं। सभी तीनों इकाइयों में ई० एस० पी० लगाए गए हैं। उत्सर्जन में धूलकणों की मात्रा 150 मिलिग्राम/एन एस^3 के मानक की तुलना में 140 से 160 मिलिग्राम/एन एस^3 के बीच है।

बिजली पैदा करने के लिए लगभग 10,000 टन कोयले का उपयोग किया जाता है जिसके फलस्वरूप प्रतिदिन लगभग 3000 टन राख (फ्लाई ऐश) पैदा होती है। अत्पन्न राख को अस्थायी तालाबों में घोल के रूप में डाला जाता है। राख तालाबों में परिवाह को रिहन्द जलाशय में बहा दिया जाता है।

नदी/जलाशय में राख के तालाब के परिवाह अथवा रेड मड एवं स्पेंट पॉट लाइनिंग एरिया के सतही अपवाह के विसर्जन के कारण जीवों, मछलियों तथा आदिवासियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

[अनुवाद]

वोरली-बान्द्रा को जोड़ना

151. **श्री राम नाईक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई की वोरली-बांद्रा सम्पर्क सड़क संबंधी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट को अनापत्ति प्रमाण हेतु केन्द्र सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या हैं और वह कब से सरकार के पास विचाराधीन हैं; और

(ग) रिपोर्ट का अध्ययन करने तथा राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के लिए क्या समय-बद्ध कार्यक्रम है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कमल नाथ) : (क) जी , हां।

(ख) परियोजना पर्यावरणीय प्रभाव विवरण संलग्न है।

सरकार द्वारा इस पर विचार किए जाने के लिए इस रिपोर्ट को 26 जुलाई, 1993 को सरकार के पास भेज दिया गया है।

(ग) प्रस्ताव को मूल्यांकन के लिए एक समिति के समक्ष रखा गया था जिस पर उक्त

समिति ने अगस्त और नवम्बर, 1993 में दो बार विचार किया गया तथा अतिरिक्त सूचना मांगी गयी। यह अतिरिक्त सूचना परियोजना प्राधिकारियों से अब तक प्राप्त हो गई है। इस मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए जिसे हाल ही में गठित विशेषज्ञ समिति की शीघ्र होने जा रही है अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

विवरण

वर्ली-बान्द्रा लिंक परियोजना का पर्यावरणीय प्रभाव विवरण

क्रियाकलाप/हस्तक्षेप वाला क्षेत्र	प्रभाव का स्वरूप			
		नकारात्मक		
	सकारात्मक	प्रतिकूल	हल्का प्रभाव	कोई प्रभाव नहीं
1	2	3	4	5
लोगों का विस्थापन/पुनर्वास		X		
वनस्पति				X
पुरातात्विक स्मारक				X
मत्स्यपालन				
— गहरा सागर				X
— खाड़ी में			X	
खम्भों/पहुंच पुश्तों का निर्णय				
— मत्स्यपालन पर				X
— गाद जमाव पर		X		
क्षेत्र के वर्षा के पानी की निकासी				
— माहिम क्रीम का चैनलीकरण		X		
सामाजिक सांस्कृतिक पहलू				
— यातायात सुविधाएं		X		
— दुर्घटनाओं के न्यूनतम की संभावना				
— दुर्गन्ध समस्या का न्यूनीकरण		X		
वायु प्रदूषण				
— माहिम सेतुक पर		X	X	
— नए पुल पर				

1	2	3	4	5
ध्वनी प्रदूषण				
— माहिम सेतुकपर	X	X		
— नए पुल पर				
सौंदर्यपरक	X			

मुम्बई में आरक्षण केन्द्र

152. **श्री वी०एस० विजयराघवन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मुम्बई के कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र के रेलवे आरक्षण कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन आरोपों की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़) : (क) जी, हां। 27-5-1994 को जनसत्ता के दिल्ली संस्करण में समाचार प्रकाशित हुआ था।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) और (ग) समाचार रिपोर्ट में उल्लिखित विभिन्न मामलों के संबंध में स्थिति नीचे दी गई है :

(i) आरक्षण पर्चियां उपलब्ध कराने के लिए लाइनों की व्यवस्था कराते समय रा०रे०पु० कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत रूप से पैसे ऐंठना

बुकिंग खिड़कियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जांच करने पर आरोप प्रमाणित नहीं हो पाये।

(ii) मध्य और पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधकों के साथ बैठक

18-4-1994 को उत्तर भारत युवक समिति के प्रतिनिधियों के साथ केवल महाप्रबंधक, मध्य रेलवे के साथ बैठक हुई थी और महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे के साथ नहीं। इस बैठक में समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया था तथा यात्री जनता को असुविधा से बचाने के लिए गर्मी के मौसम के दौरान की गई व्यापक व्यवस्थाओं के संबंध में स्पष्ट कर दिया गया।

(iii) बम्बई वी०टी० आरक्षण कार्यालय की खिड़की नं० 38 का मामला

सतर्कता निरीक्षक ने शिकायतकर्ता को बुलाया और स्थिति स्पष्ट कर दी जिससे वह संतुष्ट था।

(iv) 19-4-1994 को बंबई वी०टी० से छूटने वाली महानगरी एक्सप्रेस द्वारा निकट नं० 37773316 पर पुष्टिशुदा आरक्षण।

रिपोर्ट में उल्लिखित दो शायिकाएं विदेशी पर्यटक कोटे से 18-4-1994 को दी गई थीं जिसके लिए 6 शायिकाओं की व्यवस्था है। रिकार्ड के अनुसार यह दो यात्री अप्रवासी भारतीय थे।

शिक्षा संस्थानों के आरक्षण

153. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिक्षा संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) की रिपोर्ट में शैक्षिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% स्थान आरक्षित करने की सिफारिश की है। सरकार ने इस सिफारिश पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

रेल आरक्षण

154. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** :
डा० मुमताज अंसारी :
डा० नारायण सिंह चौधरी :
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 मई, 1994 के "जनसत्ता" में" रेलवे आरक्षण में धांधली से करोड़ों का वारा न्यारा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य कया है; और

(ग) रेलवे आरक्षण में ऐसी कुप्रथा को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) हाल ही के महिनों में मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे द्वारा आरक्षण कार्यालयों में 627 निवारक जांच की गई है, पाई गई अनियमितताओं के कारण 363 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, 492 दलिलों पर मुकदमें चलाये गये, हस्तांतरित किए गए 462 टिकट पकड़े गये और अनधिकृत रूप से यात्रा करते हुए पकड़े गऐ ऐसे यात्रियों से 2,09,585 रुपये वसूल किये गये।

(क) समाचार रिपोर्ट में उल्लिखित विभिन्न मामलों के संबंध में स्थिति नीचे दी गई है:

(i) आरक्षण पर्चियां उपलब्ध कराने के लिए लाइनों की व्यवस्था कराते समय रा०रे०पु० कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत रूप से पैसे ऐंठना।

बुकिंग खिड़कियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जांच करने पर आरोप प्रमाणित नहीं हो पाये।

(ii) मध्य और पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधकों के साथ बैठक

18-4-1994 को उत्तर भारत युवक समिति के प्रतिनिधियों के साथ केवल महाप्रबंधक, मध्य रेलवे के साथ बैठक हुई थी और महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे के साथ नहीं। इस बैठक में समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया था तथा यात्री जनता को असुविधा से बचाने के लिए गर्मी के मौसम के दौरान की गई व्यापक व्यवस्थाओं के संबंध में स्पष्ट कर दिया गया।

(iii) बम्बई वी०टी० आरक्षण कार्यालय की खिड़की नं० 38 का मामला

सतर्कता निरीक्षक ने शिकायतकर्त्ता को बुलाया और स्थिति स्पष्ट कर दी जिससे वह संतुष्ट था।

(iv) 19-4-1994 को बंबई वी०टी० से छूटने वाली महानगरी एक्सप्रेस द्वारा टिकट नं० 37773316 पर पुष्टिशुदा आरक्षण

रिपोर्ट में उल्लिखित दो शायिकाएं विदेशी पर्यटक कोटे से 18-4-1994 को दी गई थीं जिसके लिए 6 शायिकाओं की व्यवस्था है। रिकार्ड के अनुसार यह दो यात्री अप्रवासी भारतीय थे।

टर्बो चार्जर

155. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (दीपा) :

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अभियान के अन्तर्गत डीजल इन्जनों में टर्बो चार्जर लगाने की कोई योजना बनाई है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1994-95 के कितने ईंधन की बचत की जायेगी; और

(ग) 1994-95 के दौरान कितने इंजनों में टर्बो चार्जर लगाये जायेंगे और इस पर कितनी लागत आयेगी ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़) : (क) भारतीय रेलों पर अधिकांश मौजूदा डीजल रेल इंजनों में पहले ही टर्बो चार्जर लगाए गए हैं। बहरहाल, डीजल रेल इंजनों की ईंधन कुशलता में सुधार लाने की दृष्टि से "ईंधन कुशल किट" विकसित किये गए हैं जिसमें सुधरेकिस्म के टर्बो चार्जर लगे हैं।

(ख) ऐसे किट लगे रेल इंजनों पर ईंधन की खपत में लगभग 6% का सुधार होने की आशा है।

(ग) 1994-95 के दौरान डीजल रेल इंजन कारखना, वाराणसी में विनिर्मित किए जाने वाले लगभग 100 नए ब०ला० डीजल रेल इंजनों और डीजल पुर्जा कारखाना, पटियाला में पुनः निर्मित किये जाने वाले ब०ला० के 60 डीजल रेल इंजनों में ईंधन कुशल किट लगाने की योजना है। टर्बो चार्जर की वर्द्धमान लगात लगभग 8 लाख रुपए प्रति रेल इंजन है।

शैक्षिक सहयोग

156. **श्री बृज भूषण शरण सिंह :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु बैंकाक विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह समझौता किस तिथि से प्रभावी होगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति और थाम्मासत विश्वविद्यालय, बैंकाक के रैक्टर के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(i) संकाय और शोध स्टाफ के आदान-प्रदान संबंधी अवसरों का पता लगाना;

(ii) ऐसे कार्यक्रम स्थापित करना, जिसमें इच्छुक और योग्य छात्र तथा विश्वविद्यालय के कार्मिक एक दूसरे के संस्थानों में अध्ययन के अल्पकालिक अथवा विस्तृत कार्यक्रमों में भाग ले सकें और दूसरे यह की शैक्षिक प्रणाली का अध्ययन करने के प्रयोजन से प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्राधिकृत कर्मचारियों के दौरे सुकर हो जाएं ताकि सहयोगी प्रक्रियाओं को विकसित किया जा सके और सहयोग के क्षेत्रों को बढ़ाया जा सके।

(iii) संभावित रुचि और सहयोग के अन्य क्षेत्रों का पता लगाना; और

(iv) संकाय और छात्रों को एक दूसरे के संस्थानों के शैक्षिक कार्यक्रमों, संसाधन संस्थाओं और शैक्षिक संसाधनों की जानकारी देना।

करार के अंतर्गत प्रत्येक संस्थान आदान-प्रदान किए गए संकाय, स्टाफ और छात्रों को दूसरे संस्थान के शिक्षा शुल्क और अन्य शिक्षा संबंधी शुल्क माफ कर देगा।

[अनुवाद]

उपभोक्ता वस्तुओं के विज्ञापन

157. **श्री जी० देवराय नायक** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों के दौरान टी० वी० तथा रेडियो पर उपभोक्ता वस्तुओं के भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जांच और सत्यापन के बाद शिकायतों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेज दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) भ्रामक विज्ञापनों के बारे में सामान्य शिकायतें मिलने के बाद सूचना व प्रसारण मंत्रालय के साथ 4-5-1994 को एक बैठक की गई थी। यह निर्णय किया गया कि ऐसी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एक केन्द्रक मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा। 4-5-1994 के बाद एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसे उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए दूरदर्शन को भेज दिया गया है।

भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय

158. **श्रीपती सूर्यकान्ता पाटील** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली स्थित मुख्यालय भवन पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या व्यय की गई धनराशि भारतीय खाद्य निगम के स्थापना निदेशक की वित्तीय शक्तियों की सीमा के अन्दर ही थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) बाराखम्बा लेन में स्थित भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय के 14 मंजिल वाले भवन का रख-रखाव करने पर पिछले तीन वर्षों में हुए वर्षवार व्यय का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

	(लाख रुपये में)
1991-92	13.11
1992-93	18.58
1993-94	34.87 (अनन्तिम)

सक्षम प्राधिकारियों की प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही उपर्युक्त व्यय किया गया था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नारियल की खेती

159. **श्री थाईल जॉन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान नारियल की खेती के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) 1994-95 में इसके लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) नारियल विकास के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए नये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1994-95 के दौरान नारियल की खेती के लिए 20.32 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

(ग) नारियल विकास बोर्ड ने नारियल के विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम बनाए हैं :

1. अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण।
2. नारियल के अन्तर्गत आने वाले रकबे में बढ़ौतरी करना।
3. उत्पादकता में सुधार लाने के लिए नारियल की जोतों में एकीकृत खेती।
4. पत्तियां खाले वाली सूंडी का एकीकृत नियंत्रण।
5. नारियल प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र की स्थापना।
6. विस्तार तथा प्रकाशन गतिविधियां।
7. नारियल के लिए राष्ट्रीय सूचना एवं प्रलेखन केन्द्र की स्थापना।

उपर्युक्त में से प्रत्येक कार्यक्रम के लिए चुनिन्दा आदान पर विनिर्दिष्ट सहायता का प्रावधान है जो उसमें सब्सीडी के रूप में दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग की योजना के अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए सहायता भी दी जा रही है।

विवरण-I

क्र० सं०	राज्य	आबंटन (लाख रुपये)	
		1992-93	1993-94
1	2	3	4
1.	केरल	170.950	597.870
2.	तमिलनाडु	97.809	152.100
3.	कर्नाटक	159.400	178.621
4.	आन्ध्र प्रदेश	85.777	98.800

1	2	3	4
5.	महाराष्ट्र	16.465	5.362
6.	गोवा	11.650	3.035
7.	उड़ीसा	9.887	17.337
8.	बिहार	24.780	21.800
9.	लक्ष्यद्वीप	8.062	7.313
10.	असम	31.110	30.000
11.	त्रिपुरा	16.220	18.600
12.	पांडिचेरी	6.230	3.035
13.	पश्चिम बंगाल	3.910	8.000
14.	मणिपुर	0.920	0.800
15.	गुजरात	0.460	1.200
16.	नागालैंड	0.230	3.750
17.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.070	8.185
18.	मध्य प्रदेश	19.070	22.200
19.	अरुणाचल प्रदेश	—	2.000
20.	अन्य राज्य	—	0.750
	कुल	673.000	1180.758

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत यात्री डिब्बे

160. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित यात्री डिब्बों की संख्या कितनी है और इनमें से कितने यात्री डिब्बों को अन्य जोनों से किराए पर लिया गया है;

(ख) क्या कुछ यात्री डिब्बों का उपयोग उनकी उपयोग अवधि समाप्त हो जाने बाद भी किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन यात्री डिब्बों को कार्य में लाए जाने से यात्रियों के लिए कोई असुरक्षा और असुविधा महसूस की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़) : (क) 31-3-1993 को पूर्वोत्तर रेलवे पर बड़ी और मीटर लाइन के पहले दर्जे और दूसरा दर्जा वातानुकूलित 2-टिअर सवारी डिब्बों की संख्या इस प्रकार है :

सवारी डिब्बों की किस्म	ब० ला०	मी० ला०	जोड़
पहला	40	59	99
वातानुकूल 2-टिअर	20	9	29
	60	68	128

इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर रेलवे पर अन्य रेलों की सवारी डिब्बे तथा पूर्वोत्तर रेलवे के सवारी डिब्बे अन्य रेलों पर चल रहे हैं।

(ख) कुछ सवारी डिब्बों का उनकी जीवन आयु पूरी हो जाने के बाद भी उपयोग किया जा रहा है।

(ग) और (घ) केवल उन्हीं सवारी डिब्बों को चलाने की अनुमति दी जाती है जो कि चलाने के लिए सुरक्षित हैं और उनमें निर्धारित सुविधाएं मौजूद हैं। जब कभी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो खराबियों को ठीक करने के लिए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

दूध के मूल्य

161. **डा० रमेश चन्द तोमर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेरी के दूध के मूल्यों में हाल ही में वृद्धि की गई है ? और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने के अनेकों आश्वासन देने के बावजूद भी इस वृद्धि का क्या औचित्य है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) मदर डेरी 8-11-1993 तक टोण्ड दूध 8 रु० प्रतिलिटर और सम्पूर्ण मलाई युक्त दूध 10.50 रुपये प्रति लिटर की दर पर बेच रही थी। चूंकि दूध की उपलब्धता आसान हो जाने के कारण राज्य सहकारी डेयरी परिसंघ को प्रदत्त दूध का अधिप्राप्ति मूल्य कम हो गया था। अतः दिनांक 9-11-1993 से दूध की कीमतों को घटाकर क्रमशः 7 रुपये प्रति लिटर और 9.50 रुपये प्रति लिटर कर दिया गया। तथापि ग्रीष्म मौसम के आते ही मदर डेयरी की दुग्ध अधिप्राप्ति में 30 प्रतिशत (लगभग) की कमी हो गई और उन्हें परिसंघों को ऊंची कीमतें अदा करनी पड़ी। इस प्रकार मदर डेयरी के लिए दूध के विक्रय मूल्य को ऐसे स्तर पर फिर से बहाल करना अनिवार्य हो गया जो मूल्य उनके द्वारा दिनांक 8-11-1993 से पहले प्रमाणित किया जा रहा था।

[अनुवाद]

दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा

162. **श्री विजय कुमार यादव** :

श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के वर्तमान कानून के अन्तर्गत बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों पर होने वाली दुर्घटनाओं से पीड़ितों को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए किस कानून में संशोधन करने हेतु कोई योजना बनायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़) : (क) बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को मौजूदा कानून के अंतर्गत मुआवजे के भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 131 और रेल अधिनियम 1989 की धारा 161 के अंतर्गत सड़क उपयोगकर्त्ता की यह जिम्मेवारी है कि वह बिना चौकीदार वाले समपार को पार करते समय सावधानियां बरते। अतः, इस संबंध में मुआवजे के भुगतान के लिए रेलों की कोई देयता नहीं है।

कम्प्यूटर नेटवर्क

163. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विश्वविद्यालयों को शोध संस्थानों से जोड़ने के लिए कम्प्यूटर नेटवर्क विकसित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रणाली से प्राप्त होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सेवा (आई० एस० एन० ए० आर०) के साथ समझौता किया है यह हेग (निदरलैंड) में स्थित एक अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र है। इस समझौते के अंतर्गत राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सभी क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों का विश्वविद्यालय के मुख्यालय के साथ और विश्वविद्यालयों के भा० कृ० अनु० परिषद मुख्यालय के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए एक विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने का प्रावधान है। भा० कृ० अनु० परिषद के कुछ संस्थान तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के नेटवर्क के माध्यम से भा० कृ० अनु० परिषद मुख्यालय से पहले ही जुड़े हुए हैं। कम्प्यूटर नेटवर्क द्वारा क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भा० कृ० अनु० परिषद के संस्थानों को परिषद के मुख्यालय से जोड़ने से कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के बारे में एक लाइन पर ही सूचना का

आदान-प्रदान हो सकेगा और अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों को आवश्यक सूचना जल्दी से जल्दी मिल सकेगी।

शयनयान डिब्बों में अनधिकृत यात्री

164. **डा० लाल बहादुर रावत** :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री अन्ना जोशी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि द्वितीय वर्ग शयनयान डिब्बों में वैध निकटधारी व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को अनधिकृत प्रवेश करने की अनुमति न दी जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई हैं?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग) 1993 की याचिका सं० 212 पर निर्णय देते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली ने निदेश दिया है कि 1-6-1994 से रेलों के शयनयानों में मानदण्डों के अनुसार चल टिकट परीक्षकों/कन्डक्टरों की व्यवस्था की जाए। इन डिब्बों में फेरीवालों या भिखारियों को प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए और सवारी डिब्बों/शौचालयों में पानी/सफाई की व्यवस्था बनाए रखी जाए। क्षेत्रीय रेलों का आयोग के आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

काठगोदाम-बरेली रेल लाइन का आमान परिवर्तन

165. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काठगोदाम-बरेली रेल लाइन के आमान परिवर्तन संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त रेल लाइन का आमान परिवर्तन संबंधी कार्य 1994-95 में आरंभ हो जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़) : (क) लालकुआं और काठगोदाम के बीच बड़ी लाइन है। बरेली-लालकुआं मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) संसाधनों की तंगी।

[अनुवाद]

मूल्यों में वृद्धि

166. **श्रीमती सरोज दुबे :**
श्री एम०वी०एस० मूर्ति :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री रमेश चेन्नितला :
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री अन्ना जोशी :
श्री विजय नवल पाटील :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों, चीनी और रुई के मूल्यों में हाल में सप्ताहों के दौरान असाधारण वृद्धि हुई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्रमशः 30 नवम्बर 1993, 31 दिसम्बर 1993, 28 फरवरी 1994, 31 मार्च 1994, 30 अप्रैल 1994 और 31 मई 1994 को इन वस्तुओं के तुलनात्मक मूल्य क्या थे;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में उपरोक्त तीनों वस्तुओं को शून्य/कम शुल्क पर आयात के लिए खुला सामान्य लाइसेंस सूची के अंतर्गत शामिल किया है ताकि इनके घरेलू मूल्यों को नियंत्रित किया जा सके।

(च) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप इन तीनों वस्तुओं के थोक एवं खुदरा मूल्य कम हुए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्य भारत में इनके मूल्यों की तुलना में बहुत कम हैं; और

(झ) इन वस्तुओं को विशेषकर चीनी और खाद्य तेलों के मूल्यों पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) व (ख) हाल में चीनी तथा कुछ खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि का रुख दिखाई दिया है। मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण उत्पादन में कमी होना, मांग तथा आपूर्ति के अन्तर में वृद्धि होना तथा कुछ मौसमजन्य बातें हैं।

(ग) नवम्बर, 1993 से मई, 1994 तक खाद्य तेलों, चीनी तथा सूती कपड़े (मिल का) के मास अन्त के थोक मूल्य सूचकांक एक संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) सरकार ने खाद्य वनस्पति तेल (पामोलीन) अपरिष्कृत चीनी तथा अपरिष्कृत कपास के आयात को खुलेआम लाइसेंस के तहत रखा है।

(ङ) व (च) इन वस्तुओं के आयात का उनके बाजार मूल्यों पड़ने वाले प्रभाव का पता अगले कुछ महीनों में चलने की आशा है।

(छ) मई, 1994 के दौरान लंदन तथा दिल्ली में चीनी के तुलनात्मक मूल्य संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ज) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित सीमाओं तक नियंत्रित रखने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। चीनी के आयात को खुलेआम लाइसेंस के तहत ड्यूटी मुक्त रखने के अलावा, इसे स्टाक रखने की सीमाओं के नियामक उपायों तथा पण्यावर्त अवधि से छूट दी गई है। कारखानों के लिए निर्मुक्त की जाने वाली खुली बिक्री की चीनी के विक्रय तथा प्रेषण पर रोक को पाक्षिक आधार से घटाकर साप्ताहिक आधार पर कर दिया गया है। जून, 1994 के लिए चीनी की खुली बिक्री के कोटे को गत महीने में 4.90 लाख मी० टन के आवंटन से बढ़ाकर 5.60 लाख मी० टन कर दिया गया है खाद्य मंत्रालय में खुलेआम लाइसेंस के तहत चीनी के आयात की मॉनीटरिंग करने के लिए एक मॉनीटरिंग समिति गठित की गई है। आयातित चीनी की उपभोक्ता केंद्रों तक तेजी से ढुलाई करने की दृष्टि से परिवहन प्राधिकरणों के साथ प्राथमिकता के आधार पर तालमेल रखा जा रहा है। गुड़ नियंत्रण आदेश, 1994 जारी किया गया है, जिसमें गुड़ विक्रेताओं पर स्टाक रखने की सीमाएं तथा पण्यावर्त अवधि लागू की गई हैं। खाद्य वनस्पति तेल (पामोलीन) तथा अपरिष्कृत कपास को भी खुलेआम लाइसेंस के तहत रखा गया है, ताकि वे बाजार में आसानी से उपलब्ध हो सके। जिन वस्तुओं की आपूर्ति कम है, उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के कानूनों के तहत जमाखोरों, चोरबाजारियों आदि के विरुद्ध तेजी से कार्यवाही की जा रही है।

विवरण-I

खाद्य तेलों, चीनी तथा कपड़े (मिल का) के मास अन्त के थोक मूल्य सूचकांक

(आधार 1981-82 = 100)

वस्तु	मास अन्त के थोक मूल्य सूचकांक						
	नवम्बर 27-11-1993	दिसम्बर 25-12-1993	जनवरी 29-1-1994	फरवरी 26-2-1994	मार्च 26-3-1994	अप्रैल 30-4-1994	मई 21-5-1994
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) खाद्य तेल	**260.7**	**257.1**	**252.3**	**253.2**	**153.6**	**260.4**	**263.6**

1	2	3	4	5	6	7	8
(i) वनस्पति	243.4	239.1	238.1	228.2	227.9	246.2	245.6
(ii) मूंगफली का तेल	224.9	233.4	220.6	226.8	232.5	240.4	249.6
iii) सरसों का तेल	217.4	224.0	220.9	210.6	210.6	220.0	221.5
iv) नारियल का तेल	269.2	257.7	256.2	251.6	257.3	248.0	254.7
(ख) चीनी	**207.3**	**211.7**	**215.7**	**226.7**	**228.6**	**233.5**	**246.8**
(ग) सूती कपड़ा (मिल का)	**222.7**	**222.9**	**224.4**	**224.6**	**241.3**	**240.9**	**241.6**

विवरण-II

मई, 1994 के महीने के दौरान लंदन तथा दिल्ली में चीनी के थोक मूल्य सूचकांक

(रु० प्रति क्विंटल)

निम्न तारीख को	लंदन	दिल्ली
1	2	3
3-5-1994	1039	1400
4-5-1994	1038	1400
5-5-1994	1058	1400
6-5-1994	1968	1400
9-5-1994	1065	1450
10-5-1994	1074	1450
11-5-1994	1074	1450
12-5-1994	1088	1460
13-5-1994	1082	1500
16-5-1994	1985	1540
17-5-1994	1088	1575
18-5-1994	1107	1575
19-5-1994	1125	1600
20-5-1994	1128	1600

1	2	3
23-5-1994	1125	1575
24-5-1994	1140	1575
25-5-1994	1128	1575
26-5-1994	1128	1575
27-5-1994	1131	1565
31-5-1994	1126	1565

टिप्पण : लंदन के चीनी के दैनिक मूल्य जो अमरीकी डालर में उपलब्ध थे को एक अमरीकी डालर 31.50 रु० की औसत विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपए में परिवर्तित किया गया है।

तोल और माप कानून

167. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** :

श्री तारा सिंह :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में निर्माताओं के लिए संयुक्त लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू करने के लिए लगातार मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अनुचित व्यवहारों को अंकुश लगाने और तोल और माप कानून की समीक्षा हेतु उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय बाट तथा माप सम्मेलन में एक संयुक्त लाइसेंसिंग प्रणाली अपनाने की सिफारिश की है।

(ख) बाट तथा माप के बारे में मौजूदा कानूनों की पुनरीक्षा की जा रही है, ताकि उन्हें लागू करते समय पता चली कमियों को दूर किया जा सके और अनुचित पद्धतियों को रोकने के लिए उन्हें अधिक कारगर बनाया जा सके।

तेल का फैलाव

168. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नदियों में तेल के फैलाव, जैसा कि हाल ही में आन्ध्र प्रदेश में गौतामी नदी के मुहाने पर हुआ था, से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कोई विशेष विभाग अथवा प्रकोष्ठ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डूबती तेल नोका "अनवेटिव-1" को अपनी सही स्थिति में लाने अथवा तेल निकासी में इतनी देरी किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने समुद्री तट के निकट कम-से-कम तीन सौ समुद्री मील पर समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी को हुए नुकसान का आंकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) तेल के रिसाव से निपटने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय में ऐसा कोई विशेष विभाग अथवा प्रकोष्ठ नहीं है। तेल के रिसाव से होने वाले समुद्री प्रदूषण से निपटने की जिम्मेदारी तट-रक्षकों की है। तथापि, इस मंत्रालय का एक प्रभाव अपने अन्य कार्यों के साथ-साथ सामान्य समुद्री प्रदूषण की निगरानी एवं नियंत्रण तथा आवश्यक विधायी उपाय करने का कार्य भी करता है।

(ग) गौतमी नदी के मुहाने पर नौका से निकले तेल के लाइटरिंग का कार्य रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ तटरक्षक ने किया था। दुष्कर मार्ग, पम्प के उपयोग के लिए नौका में विद्युत की अनुपलब्धता तथा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण यह कार्य कठिन हो गया था। तथापि, तेल निकालने का कार्य प्रगति पर है। तेल को पम्प करके रबर के तैरने वाले टैंकों में डाला जा रहा है जिसे बाद में 30 समुद्री मील की दूरी पर स्थित घाट पर लाया जाता है इन टैंको को खींच कर लाने और सड़क पर खड़े टेंकरों में तेल को अवतरित करने में काफी समय लगता है।

(घ) से (च) चूंकि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, तटरक्षक एवं आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए हवाई सर्वेक्षण एवं जल के विश्लेषणों से इस बात की पुष्टि की गई है कि तेल का कोई बिखराव नहीं हुआ है। अतएंव समुद्री जीवों तथा परिस्थितियों को हुई क्षति का मूल्यांकन करने का प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

शैक्षिक कार्यक्रम

169. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा शुरू किए गए शिक्षा संबंधी अभियान के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में कौन कौन सी शैक्षिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं, किन किन राज्यों में ये गतिविधियां चलाई जा रही हैं और इनसे जुड़ी संस्थाओं के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसी संस्थाओं को कितना अनुदान दिया गया;

(ग) उक्त कार्यक्रम को ठीक ढंग से संचालित करने की दृष्टि से इन गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए क्या कोई समिति गठित की गई है अथवा कोई अन्य व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत, 15-35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के लिए पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किए गए हैं। ये अभियान जिला साक्षरता समितियों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं तथा ये जिला कलक्टर के नेतृत्व में एक पंजीकृत निकाय होती हैं। जिला साक्षर समितियों के सदस्य सभी क्षेत्रों से संबंधित होते हैं जिनमें शिक्षाविद, स्वेच्छिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति शामिल हैं।

इस समय पूर्ण साक्षरता अभियान आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी और चंडीगढ़ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 267 जिलों में अनुमोदित किए गए हैं। पूर्ण साक्षरता अभियानों के पूरा होने के पश्चात् जिला साक्षर समितियों द्वारा मुख्य रूप से उत्तर साक्षरता अभियान शुरू किए गए हैं ताकि नव साक्षरों को फिर से निरक्षर होने से बचाया जा सके। इस समय आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में 84 उत्तर साक्षरता अभियान कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान, जिला साक्षरता समितियों को दिए गए अनुदान की राशि का राज्य वार विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) पूर्ण साक्षरता अभियान और उत्तर साक्षरता अभियान में समीक्षा की एक मिली जुली पद्धति है। पूर्ण साक्षरता अभियान में प्रत्येक तीन प्रवेशिकाओं की तीन परीक्षाओं के माध्यम से सभी शिक्षार्थियों का कड़ा आन्तरिक मूल्यांकन किया जाता है। अभियान की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक पूर्ण साक्षरता अभियान के लिए प्रतिष्ठित समाज विज्ञान संस्थानों आदि के माध्यम से बाह्य मूल्यांकन किया जाता है। पूर्ण साक्षरता अभियान पर एक स्तर एवं प्रभाव मूल्यांकन आयोजित करने के लिए प्रो० अरुण घोष, भूतपूर्व सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में अप्रैल, 1993 में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था। इस दल के अन्य सदस्य निम्नलिखित हैं :

(i) प्रो० वीना मजूमदार, महिला विकास अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली

(ii) प्रो० आन्द्रे बेटेले, दिल्ली विश्वविद्यालय

(iii) प्रो० यू० आर० अनन्तमूर्ति, अध्यक्ष, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली

(iv) प्रो० एस० एम० कंसल, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली

(v) श्री अचीन वानेक, फैलो, नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली।

विवरण

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1991-92	1992-93	1993-94
1		2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7,71,76,000	7,01,66,000	17,19,74,500

1	2	3	4	5
2.	असम	1,00,00,000	65,00,000	25,00,000
3.	बिहार	1,30,00,000	1,25,00,000	874,08,000
4.	चंडीगढ़	–	15,00,000	18,00,000
5.	दमन और दीव	–	–	1,40,000
6.	दिल्ली	16,00,00	18,35,000	55,43,000
7.	गोवा	–	–	–
8.	गुजरात	–	4,95,00,000	8,35,35,000
9.	हरियाणा	–	2,95,00,000	1,81,05,000
10.	हिमाचल प्रदेश	25,00,000	2,11,00,000	64,67,000
11.	जम्मू और कश्मीर	–	–	25,00,000
12.	कर्नाटक	5,26,00,000	6,27,90,000	14,94,83,000
13.	केरल	1,50,00,000	–	1,00,00,000
14.	मध्य प्रदेश	4,04,95,000	1,40,00,000	11,60,99,000
15.	महाराष्ट्र	3,48,00,000	6,30,00,000	6,77,27,000
16.	उड़ीसा	5,30,73,500	4,68,00,000	4,32,38,000
17.	पांडिचेरी	11,11,000	–	–
18.	पंजाब	65,00,000	–	25,00,000
19.	राजस्थान	2,89,30,000	2,20,00,000	5,01,97,000
20.	तमिलनाडु	4,23,87,500	11,46,00,000	9,26,00,000
21.	त्रिपुरा	–	–	2,22,45,000
22.	उत्तर प्रदेश	–	6,85,00,000	22,12,88,500
23.	पश्चिम बंगाल	14,83,27,000	10,69,33,000	5,38,65,000
	कुल :	52,75,00,000	69,12,24,000	120,92,35,000

कृषि अनुसंधान संस्थानों का सम्मेलन

170. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बौद्धिक सम्पदा अधिकार के मुद्दे पर वैज्ञानिक आदानों में सुधार के तरीके ढूंढने और इस संबंध में दृष्टिकोण को अन्तिम रूप देने के लिए हाल ही में दिल्ली में विश्व के अग्रणी कृषि अनुसंधान संस्थाओं का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मुद्दे पर विचार करते समय मुक्त व्यापार के संबंध में व्यापार और तटकर संबंधी सामान्य करार (गैट) को भी ध्यान में रखा गया था;

(ग) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में अनुसंधान के क्षेत्र में भारत द्वारा एकत्रित की गयी नवीनतम जानकारी और देश को इससे होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में अनुसंधान के क्षेत्र में भारत द्वारा एकत्रित की गयी नवीनतम जानकारी और देश को इससे होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उत्पादों/अनुसंधान को पेटेन्ट कराने के संबंध में विशेषज्ञों की क्या प्रतिक्रिया है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर परामर्शदात्री दल की एक बैठक दिनांक 23 मई से 27 मई, 1994 तक नई दिल्ली में हुई थी, जो मौजूदा समय में 18 अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सम्बन्धी इस परामर्शदात्री दल को विश्व बैंक, खाद्य तथा कृषि संगठन (एफ० एक० ओ०) तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) द्वारा चलाया जा रहा है। प्रायोजकों द्वारा धन देने के अलावा प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सम्बन्धी परामर्शदात्री दल को 35 दाताओं द्वारा सहायता दी जाती है जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठन, सदस्य देश तथा निजी संस्था जैसे फोर्ड फाउण्डेशन, राकफेलर फाउण्डेशन आदि शामिल हैं। भारत प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सम्बन्धी परामर्शदात्री दल का एक दाता (डोनर) सदस्य है तथा 5,00,000 अमेरिकी डालर का प्रतिवर्ष अंशदान करता हैं

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सम्बन्धी परामर्शदात्री दल का मूल उद्देश्य कम विकसित देशों में स्थायी आधार पर विश्व खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सम्बन्धी परामर्शदात्री दल के विभिन्न संस्थानों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला, अन्तर्राष्ट्रीय मक्का तथा गेहूं सुधार केन्द्र, मेक्सिको, अन्तर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र, पेरु तथा अन्तर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधी फसल अनुसंधान संस्थान के साथ घनिष्ट परस्पर सहयोग से कार्य कर रहा है। इक्रीसेट भारत में स्थित है।

हाल के सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सम्बन्धी परामर्शदात्री दल द्वारा अनुमोदित कार्यसूची के अनुसार निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया :

(i) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली आवश्यकताएं और आशाएं। (ii) खाद्य सुरक्षा पर रिपोर्ट, (iii) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सम्बन्धी परामर्शदात्री दल का पौध तथा आनुवंशिक संसाधन कार्यक्रम। (iv) मृदा तथा पोषकों सहित विशेष इको-प्रणाली जैसे वनों सहित राष्ट्रीय संसाधन प्रबन्ध। (v) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सम्बन्धी परामर्शदात्री दल (सी० जी० आई० ए० आर०) में पशुधन अनुसंधान, (vi) कृषि के क्षेत्र में जैव-प्रौद्योगिकी का प्रयोग। (vii) उक्त परामर्शदात्री दल (सी० जी० आई० ए० आर०) की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए खासकर दाता देशों, एजेन्सियों और संस्थानों द्वारा अधिक अंशदानों पर विशेष बल और (viii) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि

अनुसंधान सम्बन्धी परामर्शदात्री दल (सी० जी० आई० ए० आर) के प्रबन्ध और प्रशासन को सरल बनाने के उपाय करना। बैठक में जैव-विविधता सम्मेलन और गैट समझौते से संबंधित समस्याएं विचार-विमर्श के प्रमुख मुद्दे नहीं थीं।

अनुसधान प्रबन्धकों और दाता तथा प्रायोजाकों के प्रतिनिधियों के साथ परस्पर विचार-विमर्श से ऐसी नीतियां बनाने में सहायता मिली, जो भा० कृ० अनु० परिषद और अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पद्धति के लिए भी लाभप्रद हैं।

राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद

171. **श्री अरविंद त्रिवेदी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली के समन्वित और नियोजित विकास और शिक्षा के प्रति व्यावसायिक दृष्टिकोण पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक परिषद स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस परिषद को कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां। शिक्षक शिक्षा के सुनियोजित तथा समन्वित विकास के लिए तथा शिक्षक शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पर स्थापित की जा रही है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान परिषद के स्थापित हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

टैक्समैको को बंद करना

172. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या टैक्समैको की एक इकाई को बंद कर देने से वैगमन निर्माण कार्य में लगे लगभग 4500 श्रमिकों की छटनी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) रेलवे को प्रति वर्ष कुल कितने वैगनों की आवश्यकता होती है और अब रेलवे का वैगन निर्माण इकाईयों के बंद हो जाने की स्थिति में अपनी आवश्यकता को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़) : (क) टैक्समैको के किसी यूनिट के बंद होने में इस मंत्रालय को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी वर्ष की परिवहन की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त परिवहन क्षमता जुटाने

के लिए माल डिब्बों की आवश्यकता एक संदर्श प्रावधान है और यह परिसम्पत्ति उपयोगिता का काम है जो वर्षानुवर्ष अलग-अलग होता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल आवश्यकता 1,20,000 माल डिब्बे हैं। 1994-95 के लिए उद्योगों को 7600 चौपहियों और रेल कारखानों को 1000 चौपहियों के आदेश दिए गए हैं। चूकि मालडिब्बों की उपलब्धता मौजूदा यातायात को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, मांग पूरी करने के लिए किसी कठिनाई की संभावना नहीं है।

वैकल्पिक आवास

173. **श्री शिवलाल नागजी भाई** : क्या **खाद्य मंत्री** 10 मई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7079 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली के परेशान मकान मालिकों को बहुत प्रतीक्षित राहत दिलाने हेतु पट्टा अभिलेख को सही रूप से क्रियान्वित करने के लिए नई दिल्ली में वैकल्पिक आवास किराए पर लेने के लिए गत अनेक वर्षों से कया प्रयास किए गए हैं;

(ख) भवन तथा अन्य सम्पत्तियां खाली कराने के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने और किराए पर लेने में असफलता के क्या कारण हैं;

(ग) और आवास कब तक खाली कराया जाएगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने वैकल्पिक स्थान किराए पर लेने के लिए दो बार विज्ञापन दिया था और इसके लिए दलालों/कमीशन एजेन्टों से सहायता भी मांगी थी लेकिन निगम उपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं कर सका था। अतः भारतीय खाद्य निगम ने किराए पर लिए गए स्थान को खाली करने के प्रयोजन से केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान (सी० टी० आई०) के लिए अपनी स्वयं की बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए गुड़गांव (हरियाणा) में 5 एकड़ के एक प्लाट की खरीदारी की है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम की अपनी बिल्डिंग का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। जब भारतीय खाद्य निगम का अपना भवन अधिग्रहण के लिए उपलब्ध हो जाएगा तब किराए के आवास को खाली कर दिया जाएगा।

जाली टिकट

174. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून के निकट मुकेरियां से खरीदे गए जाली रेल टिकटों पर यात्रा करने वाले अनेक लोगों को पकड़ा गया था;

(ख) क्या 1993-94 के दौरान बिहार से भी ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी गैर-कानूनी और असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में छात्र - शिक्षक अनुपात

175. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** :

प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों, छात्रों और खेल प्रशिक्षकों, छात्रों और पुस्तकालयाध्यक्षों के बीच अनुपात गत तीन दशकों के दौरान कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार किया है :

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के पदों को छोड़कर जो प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की संख्या के अनुसार संस्वीकृत किए जाते हैं, शिक्षकों के सभी पद कक्षाओं/सैक्शनों तथा अलग-अलग विषयों के लिए अपेक्षित शिक्षण पीरियडों की संख्या के आधार पर संस्वीकृत किए जाते हैं। कक्षा 1/1 से ऊपर की कक्षाओं वाले प्रत्येक स्कूल में, छात्रों की संख्या पर ध्यान दिए बिना, एक पुस्तकाध्यक्ष का पद दिया जाता है। केन्द्रीय विद्यालयों में खेल प्रशिक्षकों का कोई पद नहीं है।

(ग) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं का यातायात

176. **श्री तारा सिंह** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम से हरियाणा से गेहूं ले जाने के लिए लगातार मांग की जा रही है;

(ख) गेहूं की भरपूर फसल होने के कारण हरियाणा की मंडियों में गेहूं के लिए जगह नहीं बची है;

(ग) क्या हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम के गोदान खाद्यान्नों से ठसाठस भरे हैं; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम हरियाणा से गेहूं को ले जाने की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रहा है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के अनुसार उन्हें मंडियों में स्थान की ऐसी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था। सामान्यतया, हरियाणा की अधिकांश मंडियों में मूल्य समर्थन कार्य सुचारू रूप से चलाया गया था। गेहूं की वसूली करने का कार्य मई, 1994 के तीसरे सप्ताह के अन्त तक लगभग समाप्त हो गया था। भारतीय खाद्य निगम/एजेन्सियों द्वारा हरियाणा में वर्तमान रबी मौसम के दौरान लगभग 50 दिनों में ही कुल 30.29 लाख मीटरी टन गेहूं वसूल कर लिया गया था। मंडियों से समस्त स्टॉक उठा लिया गया है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के पास हरियाणा में अपने गोदामों में 15-5-1994 को स्थिति के अनुसार 14.05 लाख मीटरी टन खाद्यान्न थे जबकि उनकी कुल भण्डारण क्षमता (ढकी हुई और कैप) 16.69 लाख मीटरी टन है।

(घ) खाद्यान्नों की संचलन करने की संसाधनवार योजना प्रत्येक मास भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय में आयोजित संचलन आयोजना बैठक में बनाई जाती है और परिस्थितियों का समूचा जायज़ा लेने के बाद ही तदनुसार खाद्यान्नों की निकासी करने की व्यवस्था की जाती है। वर्ष 1993-94 के दौरान हरियाणा से 20.17 लाख मीटरी टन गेहूं का संचलन किया गया था जबकि 1992-93 में 13.68 लाख मीटरी टन की मात्रा का संचलन किया गया था। अप्रैल और मई, 1994 के महीनों में 3.98 लाख मीटरी टन गेहूं का संचलन किया गया जबकि अप्रैल-मई, 1993 में 1.08 लाख मीटरी टन की मात्रा का संचलन किया गया था। आगामी महीनों के लिए संचलन करने की योजना बनाते समय आगामी खरीफ मौसम में की गई वसूली के लिए स्थान बनाने के लिए हरियाणा से गेहूं के स्टॉक का उठान करने की आवश्यकता की तरफ ध्यान दिया जाएगा।

[अनुवाद]

माल डिब्बों की खरीद

177. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

श्री अन्ना जोशी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने इस वर्ष माल डिब्बों की खरीद में कटौती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो बेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड से 1992-93 और 1993-94 के दौरान खरीदे गये और 1994-95 में खरीदने हेतु प्रस्तावित माल डिब्बों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) खरीद आर्डर में कटौती करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) 1992-93 से आगे के वर्षों में बेथवेट से खरीदे गए माल डिब्बों का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	सं० (चौपहिया)
1992-93	3707.5
1993-94	2120
1994-95	1220
(लक्ष्य)	

(ग) रेलों पर प्रत्याशी के अनुरूप यातायात प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, रेलों ने विशेष रूप से संसाधनों की तंगी को देखते हुए परिसंपत्तियों की उपयोगिता में सुधार करने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी है, इन सभी उपायों का शुद्ध परिणाम माल डिब्बों की आवश्यकताओं में कमी होना और परिणामतः इनकी खरीद में कमी आना है।

व्यावसायिक शिक्षा

178. **श्री काशी राम राणा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान खोलने का निर्णय लिया है जो मध्य प्रदेश में भोपाल में व्यावसायिक शिक्षा में अनुसंधान, विकास, निगरानी मूल्यांकन और वित्त पोषण करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के व्यावसायिक शिक्षा संस्थाएं गुजरात में भी चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत गुजरात में ऐसा केन्द्रीय संस्थान खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां। अनुसंधान और विकास संबंधी कार्य करने के लिए तथा संपूर्ण देश में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए तकनीकी और शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु भोपाल में एक केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान स्थापित किया गया है। इस प्रकार का संस्थान प्रत्येक राज्य में स्थापित करने का कोई लक्ष्य नहीं है।

(ख) और (ग) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना में राज्य स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए अनुसंधान और विकास संबंधी सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एस० सी० ई० आर० टी०) राज्य व्यावसायिक शिक्षा संस्थान में एक अलग प्रकोष्ठ स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। गुजरात सरकार राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में इस प्रकार का प्रकोष्ठ स्थापित कर चुकी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

असम की पर्यावरण और वन योजना

179. **श्री प्रवीन डेका** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने पर्यावरण के सुधार और वनों के विकास के लिए कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) सरकार ने इस उद्देश्य के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) असम सरकार ने पर्यावरण सुधार और वनों के विकास के लिए भारत सरकार के समक्ष निम्नलिखित स्कीमें प्रस्तुत की हैं :

— क्षेत्रोन्मुख जलाऊ लकड़ी तथा चारा परियोजना स्कीम।

— समन्वित जलसंभर परियोजना स्कीम।

— समन्वित वनीकरण और पारि-विकास परियोजना स्कीम।

— औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद का पौधरोपण।

— बीज विकास।

— हाथी परियोजना स्कीम।

(ग) और (घ) उपर्युक्त स्कीमों के लिए 1987 से 1994 तक असम सरकार को दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता (लगभग) 1003.62 लाख रुपए है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम

180. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या-क्या सुझाव दिए गए है; और

(ग) इन सुझावों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में एक विधेयक लाने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 में संशोधनों के सम्बन्ध में सरकार को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अध्यापक संघ में हाल ही में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

तथापि, सरकार ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम के संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति गठित की है। समिति की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिनियम में संशोधन के लिए कानून पुरस्थापित करने हेतु आगे कार्रवाई की जाएगी।

मछुआरे गांव

181. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रत्येक आदर्श मछुआरे गांव में सड़क, पानी, बिजली और मछली पकड़ने के लिए घाट जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य-वार कितने गांवों में ऐसी सुविधएं उपलब्ध हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार) : (क) आदर्श मछुआरा गांवों को पीने के पानी की आपूर्ति का कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के तहत पहले ही विद्यमान है। फिलहाल, इस योजना के तहत सड़क, बिजली इत्यादि उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) एवं (ग) संलग्न है।

विवरण

स्वीकृत गांवों को पानी की आपूर्ति का प्रावधान

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत किए गए गांव
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	224
2.	असम	9
3.	बिहार	4
4.	गोवा	1
5.	गुजरात	3
6.	जम्मू और कश्मीर	1
7.	कर्नाटक	23
8.	केरल	32
9.	मणिपुर	4
10.	मध्य प्रदेश	6
11.	उड़ीसा	13

1	2	3
12.	तमिलनाडु	40
13.	त्रिपुरा	4
14.	उत्तर प्रदेश	25
15.	पश्चिम बंगाल	10
16	पाण्डिचेरी	1

यूथ क्लबों के लिए सहायता

182. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान प्रत्येक राज्य में "यूथ क्लबों" को कितनी सहायता राशि स्वीकृत की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा में कितने यूथ क्लबो को सहायता प्रदान को गई;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान सहायता राशि में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) मे राज्य मंत्री तथा ससदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) युवा क्लबों की सहायता को योजना, नेहरू युवा केन्द्र संगठन और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के जरिए विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। प्रत्येक राज्य में युवा क्लबों को 1993-94 के दौरान स्वीकृत सहायता राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 1993-94 के दौरान उड़ीसा में 28 युवा क्लबों (23 नेहरू युवा केन्द्र संगठन और 5 राज्य सरकार के जरिए) की सहायता प्रदान की गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	संस्वीकृत राशि (रुपये में)
1	2
1. नेहरू युवा केन्द्र संगठन के जरिए	
आन्ध्र प्रदेश	1,70,000

1	2
असम	50,000
बिहार	35,000
गुजरात	40,000
हरियाणा	1,90,000
हिमाचल प्रदेश	1,40,000
जम्मू व कश्मीर	5,000
कर्नाटक	1,80,000
केरल	2,00,000
मध्य प्रदेश	2,10,000
महाराष्ट्र	4,55,000
मणिपुर	1,30,000
उड़ीसा	1,15,000
पंजाब	5,0000
राजस्थान	1,30,000
तमिलनाडु	1,05,000
त्रिपुरा	30,000
उत्तर प्रदेश	1,95,000
पश्चिम बंगाल	95,000
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5,000
दिल्ली	15,000
2. राज्य सरकारों के जरिए	
आन्ध्र प्रदेश	55,000
हरियाणा	5,000
उड़ीसा	25,000
उत्तर प्रदेश	70,000
पश्चिम बंगाल	5,000

भण्डारण की सुविधा

183. **प्रो० के०वी० थामस** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु और केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अपर्याप्त भण्डारण सुविधा के कारण वर्षवार कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की क्षति हुई;

(ख) इसके कारण भारतीय खाद्य निगम को वर्षवार कितना घाटा हुआ है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के पास तमिलनाडु और केरल में खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए पर्याप्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध है। अतः इन दो राज्यों में अपर्याप्त भण्डारण सुविधाओं के कारण निगम को कोई हानि नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वनभूमि का अतिक्रमण

184. **श्री हरिन पाठक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लोगों द्वारा वन भूमि का अतिक्रमण करने संबंधी राज्यवार कितनी-कितनी घटनाएं हुई;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों और राजस्व अधिकारियों की सहायता से वन भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को हटाने का है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वन भूमि से हटाए गये अतिक्रमणों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) लोगों द्वारा वन भूमि पर अवैध कब्जे की घटनाएं समय-समय पर भारत सरकार के ध्यान में लाई जाती हैं। राज्य सरकारें अवैध कब्जों से भूमि को खाली करवाती हैं। वन भूमि पर अवैध कब्जों और उन्हें हटाने संबंधी ब्यौरा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभाग/जिला स्तर पर रखा जाता है।

बात करने वाली पक्षी

185. **श्री मोहन रावले** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1994 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बात करने वाले एक हजार तीन सौ पक्षियों को मुक्त कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) वन्यजीव परिरक्षण दिल्ली के क्षेत्रीय उप-निदेशक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली पर 1320 पक्षी पकड़े गए थे तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। पकड़े गए पक्षियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

एक्जैडराइन पैरकीट	150
पहाड़ी मैना	50
मुनिया	1000
काले सिर वाली मुनिया	120

अभियुक्त तथा पकड़े गए पक्षियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 50(4) के तहत अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोल्टिन मजिस्ट्रेट, दिल्ली के समक्ष पेश किया गया था। अभियुक्त को पहले न्यायिक हिरासत में रखा गया तथा बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। पक्षियों को भी न्यायालय के आदेशानुसार वन्यजीव अधिकारी/मुख्य वन्यजीव वार्डन की उपस्थिति में मुक्त कर दिया गया। यह मामला अब भी न्यायालय में चल रहा है।

बागवानी उत्पादों का निर्यात

186. **डा० वसंत पवार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश से बागवानी उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्यात होता है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान बागवानी उत्पादों का कुल कितना और किन-किन देशों को निर्यात किया गया; और

(घ) सरकार का देश में बागवानी के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रमुख उत्पाद के मसाले, काजू, ताजे फल तथा सब्जियां, बीज सहित पुष्पोत्पाद उत्पाद तथा संसाधित फल और सब्जियों के उत्पाद।

1992-93 तथा 1993-94 (जनवरी, 1994 तक) का निर्यात निम्नवत है :

क्र.सं.	बागवानी उत्पादों का नाम	वर्ष 1992-93 (करोड़ रु० में)	वर्ष 1993-94 (अप्रैल-जनवरी)
1.	मसाले	368.82	459.80
2.	काजू	748.85	840.74
3.	फल और सब्जियां	361.44	318.05
4.	पुष्पोत्पाद उत्पाद	13.20	10.96
	कुल	1492.31	1629.55
		2984.62	3159.10

जिन देशों की अब बागवानी उत्पाद का अधिकांश भाग निर्यात किया जा रहा है वे हैं- यू० एस० ए०, यू० के०, जर्मनी, सिंगापुर, नीदरलैंड, पाकिस्तान, बंगला देश, मलेशिया, सऊदी अरब, यू० ए० ई०, कुवैत, रूस।

(घ) सरकार ने, सातवीं पंचवर्षीय योजना के 24 करोड़ रुपए के स्थान पर, आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1,000 करोड़ रुपए का आबंटन करके बागवानी के विकास पर प्रमुख जोर दिया है। विकास के इस कार्यक्रम में सभी प्रमुख बागवानी फसलों को कवर किया गया है जिसमें उनकी उत्पादकता को सुधारना, प्रत्येक फसल के अंतर्गत रकबे का विस्तार करना, क्वालिटी पौध रोपण सामग्री उपलब्ध कराना तथा कटाई-पश्चात फसलों को संभालने और विपणन के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास करना शामिल है।

बीजों की सप्लाई

187. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय बीज निगम और राज्य बीज निगमों के माध्यम से राज्यों को सप्लाई किए जाने वाले बीज की मात्रा में कमी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डा० बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

188. **श्री राज नारायण** :

श्री राम निहोर राय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डा० बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के एक ब्लाक में मुक्त विश्वविद्यालय खोलने का है ताकि पिछड़े वर्गों और अन्य वर्गों के लोग इस विश्वविद्यालय का लाभ उठा सकें; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं। डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अधीन मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट

189. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का 1996 के विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो भाग लेने वाले अन्य देशों के नाम क्या हैं;

(ग) भारतीय टीम का खेल स्तर सुधारने हेतु किस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(घ) टीम का चयन कब तक किया जायेगा और इसके लिए क्या मानदंड अपनाये जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्री लंका, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे।

(ग) शारीरिक उपयुक्तता और खेल कौशल में सुधार करने के लिए नियमित प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

(घ) बी० सी० सी० आई० की चयन समिति द्वारा टीम का उचित समय पर चुनाव किया जायेगा।

[हिन्दी]

विचार गोष्ठियां

190. **श्री हरचन्द सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा स्वयं आयोजित अथवा प्रायोजित की गयी विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इन पर विचार गोष्ठी-वार/सम्मेलन-वार कितनी धनराशि व्यय हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश को पामोलिन का आवंटन

191. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मई, 1994 में कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए पामोलिन के आवंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया गया; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने ज्ञापन में की गई मांग को किस हद तक स्वीकार कर लिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने प्रतिमाह 10,000 मी० टन पामोलीन के आवंटन का अनुरोध किया है।

(ग) केंद्र सरकार के पास उपलब्ध आयातित खाद्य तेल के वर्तमान स्टाक से राज्य सरकार की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं है। जुलाई-अगस्त, 1994 में आयातित पामोलीन के नए स्टॉक को सम्भावित आवक पर राज्य सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटन में वृद्धि किए जाने की संभावना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और इसका आशय उनकी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं होता है। ये आवंटन केंद्रीय पूल में उपलब्ध स्टॉक, खुले बाजार में उपलब्ध मात्रा, विगत में उठाई गई मात्रा इत्यादि को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में 'यूनिसेफ' सहायता

192. **श्री एन०जे० राठवा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'यूनिसेफ' की सहायता से गुजरात में विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्र छोटा उदयपुर में शिक्षा के प्रसार के लिए शुरू की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कार्यक्रमों को शुरू करते समय उनके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इन कार्यक्रमों पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

फलों और सब्जियों के मूल्य

193. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में फल एवं सब्जी परियोजना के विक्रय-केन्द्रों के माध्यम से बेचे जाने वाले फलों और सब्जियों के मूल्य प्रत्येक बूथ पर अलग-अलग हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत छह महीनों के दौरान प्रति माह बेचे गये फलों और सब्जियों के विक्रय केन्द्र-वार तथा वस्तु-वार मूल्य दर्शाने वाला एक तुलनात्मक चार्ट सदन पटल पर रखा जायेगा;

(घ) सभी प्रकार के फलों और सब्जियों के मूल्यों में भिन्नता, उनकी अनुपलब्धता तथा घटिया होने के संबंध में कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) इन विक्रय-केन्द्रों के काम-काज में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह अंतर मुख्यतः खुले बाजार जहां अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग कीमतें होती हैं के मुकाबले कम मूल्य/अधिक मूल्य की समस्या को दूर करने के लिए हैं। केन्द्रवार और वस्तु-वार छह महीनों के मूल्यों के ब्यौरे एक वृहदाकार सूचना है जिसे सदन के पटल पर रखना कठिन है।

(घ) छह महीनों के दौरान प्राप्त शिकायतों में से तीन मूल्यों के कम-ज्यादा होने के संबंध में थी, दो अनुपलब्धता के संबंध में और उनतालीस गुणवत्ता संबंधी थी। शिकायत करने वालों से मिलकर शिकायतों पर कार्यवाही की गयी।

(ङ) सभी केन्द्र सन्तोषप्रद रूप से कार्य कर रहे हैं और इस समय इनमें सुधार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्कूली शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाना

194. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन माध्यमिक स्कूलों की संख्या कितनी है जिनमें माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बना दिया गया है;

(ख) कुशलता में वृद्धि करने के लिए छात्रों को पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या जिन विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की गई है वहां प्रशिक्षित प्रशिक्षक तथा आवश्यक अध्यापन सहायता उपलब्ध कराए जा रहे हैं;

(घ) क्या मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाए जाने के अभाव का कोई आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार 331 स्कूलों में +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ कर चुकी है। इन स्कूलों में 26 व्यावसायिक ट्रेडों की पढ़ाई होती है। एक विवरण संलग्न है।

(ग) यद्यपि सभी स्कूलों/सेक्शनों के लिए उपकरण और शिक्षक पदों के लिए संस्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उपकरण की खरीद तथा शिक्षकों की नियुक्ति प्रदान की गई संस्वीकृति से पीछे चल रही है। इस प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को सलाह दी गई है।

(घ) और (ङ) अधिकारियों ने बैठकें तथा क्षेत्र दौरा आयोजित करके मध्य प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा की है। इन रिपोर्टों के आधार पर कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु राज्य सरकार को सलाह दी जाती है।

विवरण

स्कूली शिक्षा के +2 स्तर पर मध्य प्रदेश में पढ़ाए जाने वाले व्यावसायिक ट्रेडों की सूची

1		2	
I.	कृषि संकाय	1.	फार्म प्रबंध और कृषि अर्थशास्त्र
		2.	बागवानी
		3.	मुर्गीपालन
		4.	डेरी उद्योग
		5.	फार्म-मिकैनिक्स
II.	व्यवसाय एवं वाणिज्य	6.	कार्यालय प्रबंध
		7.	लेखाशास्त्र
		8.	को-आपरेटिव-मैनेजमेंट
		9.	स्टेनो-टाइपिंग
		10.	बैंकिंग असिस्टैंट
		11.	स्टोर-कीपिंग
III.	गृह विज्ञान एवं अर्ध चिकित्सा परा मैडिकल	12.	फल एवं सब्जी परिरक्षण (खाद्य परिरक्षण)
		13.	बेकरी एवं कंफेक्शनरी
		14.	गारमेंट मेकिंग (परिधान डिजाइनिंग एवं सिलाई)
		*15.	अस्पताल देखरेख
IV.	तकनीकी संकाय	16.	रख-रखाव व भवन निर्माण
		17.	रेडियो, टी० वी० की मरम्मत
		18.	मोपेड, स्कूटर एवं मोटर साइकिल की मरम्मत
		19.	बिजली के घरेलू उपकरणों की मरम्मत मोटर रीवाइडिंग
		*20.	टेक्सटाइल डिजाइनिंग

1	2
	21. वेल्डिंग टेक्नोलोजी एंड फैब्रिकेशन
	22. संगणक अनुप्रयोग
V. विविध	23. फोटोग्रापी
	*24. लेदर प्रोसेसिंग एंड गुड्स मेकिंग
	25. प्रिंटिंग, बाइडिंग एंड पेपर कानवर्टिंग
	26. वूडेन गुड्स मेकिंग एंड कार्विंग

*फिलहाल ये पाठ्यक्रम नहीं चलाए जा रहे हैं।

प्राकृतिक आपदा प्रबंध संबंधी व्यापक योजना

195. **श्री राम कापसे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गढ़वाल और कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र के लिए एहतियाती सुरक्षा उपाय और राहत तैयारी के लिए प्राकृतिक आपदा प्रबंध संबंधी कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विस्तृत प्राकृतिक आपदा प्रबंध संबंधी योजना तैयार नहीं की गई है, किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्य योजना में असुरक्षित क्षेत्रों में जागरुकता अभियान चलाना, राहत प्रबंधकों और प्रशासकों का प्रशिक्षण, भव निर्माण की विनाशरोधी तकनीकों को शामिल करने तथा विनाश को कम करने में गैर-सरकारी कार्य को बढ़ावा दिए जाने का प्रावधान है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

196. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि गेहूं और चावल को खुले बाजार में कीमतें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कीमतों से कम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) उचित दर दुकानों के माध्यम से बेची

जाने वाली वस्तुओं के मूल्य आमतौर पर तुलनात्मक रूप से उनके तदनुरूपी खुले बाजार मूल्यों से कम होते हैं।

(ख) व (ग) तथापि, यदि खुला बाजार मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्य से कम है तो यह अनाजों की अच्छी उपलभ्यता का सूचक है।

लक्ष्मी कोऑपरेटिव लिमिटेड

197. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भंडार के निदेशक मंडल और राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर लक्ष्मी कोऑपरेटिव होल सेल एण्ड रिटेल स्टोर्स लिमिटेड को गारण्टी प्रदान की थी;

(ख) यदि हां, तो गारण्टी प्रदान करने से पहले राज्य की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप राजकोष को अत्यधिक घाटा हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने इस घाटे की भरपाई के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में इस संबंध में क्या सावधानियां बरते जाने का प्रस्ताव है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) 1977-78 के दौरान उक्त स्टोर की वित्तीय स्थिति का उस समय मूल्यांकन स्टोर और सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर किया गया था।

(ग) महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, बम्बई को 15,40,185 रुपए की राशि अदा की गई थी। नागरिक पूर्ति मंत्रालय द्वारा 665 मामलों में दी गई गारंटी में से चूक का यह एकमात्र मामला था।

(घ) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार से स्टोर के परिसमापक का नाम और पता सूचित करने का अनुरोध किया गया था ताकि स्टोर की परिसम्पत्तियों की बिक्री से अदा की गई राशि की क्षतिपूर्ति के लिए उनसे सम्पर्क किया जा सके।

(ङ) केन्द्रीय सरकार अब केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूती से कार्य कर रही समितियों को ही गारंटी प्रदान कर रही है। मंजूर की गई प्रत्येक गारंटी पर। प्रतिशत का गारंटी शुल्क लिया जाता है। जिन समितियों को गारंटी दी जाती है उनकी वित्तीय स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। राज्य सरकारों से भी गारंटी योजना शुरू करने का अनुरोध किया गया है और भारत सरकार उन राज्यों में अपनी गारंटी की सुविधा प्रदान नहीं करती जहां राज्य सरकार अपनी गारंटी योजना चला रही है।

रोरिख की दुर्लभ कलाकृतियां

198. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि प्रसिद्ध रूसी चित्रकार श्री श्वेत्सलोव रोरिख जिनका गत वर्ष बंगलौर में देहान्त हो गया था और जिन्होंने अपने पीछे बड़ी संपत्ति छोड़ी है, की दुर्लभ और अमूल्य कलाकृतियों की चोरी हुई है;

(ख) क्या इन दुर्लभ कलाकृतियों के संरक्षण हेतु कर्नाटक सरकार के परामर्श से कोई कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) इस आशय की रिपोर्टें सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यह मामला कर्नाटक की सरकार से संबंधित है;

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

ललित कला अकादमी में

199. **श्री राम नाईक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ललित कला अकादमी के कर्मचारियों ने मई, 1994 के दौरान तालाबंदी करने का संकल्प किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति को टालने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

काली मिर्च का व्यापार

200. **श्री पी०सी० थामस** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली मिर्च के उत्पादकों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसके व्यापार के संबंध में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसके खेती तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाये जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में काली मिर्च के व्यापार में कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आ रही है क्योंकि 1992-93 के मुकाबले 1993-94 के दौरान निर्यात की गई काली मिर्च की मात्रा में 96 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसके मूल्य में 129 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, इस अवधि में निर्यात की गई काली मिर्च का इकाई मूल्य भी 32,790 रुपये प्रति मीटरी टन से बढ़कर 38,514 रुपये प्रति मीटरी टन हो गया।

(ग) काली मिर्च की खेती को बढ़ावा देने हेतु मसाला विकास के लिये केन्द्रीय प्रायोजित समेकित कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार, काली मिर्च के पुराने उद्यानों को फिर से ठीक करने काली मिर्च के रोगों पर नियंत्रण, काली मिर्च की अधिक उपज देने वाली किस्मों की अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के अलावा उन्नत कृषि पद्धतियों के प्रसार हेतु किसानों के खेतों में भू-खण्ड तैयार करने के लिये सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिये, आठवीं योजना के दौरान 63.30 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

मसाला बोर्ड द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिये उठाए गये कदम इस प्रकार हैं :

(1) भारतीय निर्यातकों के साथ चर्चा करने के लिये विभिन्न देशों के आयातकों को भारत आने के लिये आमंत्रित करना।

(2) व्यापारिक शिष्टमंडल को चुनिन्दा देशों में भेजना।

(3) महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना;

(4) विशेषकर पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका और अफ्रीका में गैर-परम्परागत देशों में नई मंडियों में माल भेजने की संभावनाओं का पता लगाना। मसालों की उपभोक्ता पैकिंग और यूरोपीय मंडियों में प्रायोगिक तौर पर विपणन के लिये एक परियोजना यूरोपीय आर्थिक समुदाय की वित्तीय सहायता से आरम्भ की जा रही है।

(5) विदेशी मंडियों में ब्रांडों को बढ़ावा देने की प्रचारार्थ गतिविधियों के लिये अनुमोदित ब्रांड वाले उपभोक्ता पैकों के निर्यातकों को ब्याज मुक्त-ऋण देना।

(6) भारतीय काली मिर्च और अन्य मसालों को बढ़ावा देने के लिये "लोगों" (प्रतीक चिह्न) प्रमोशन स्कीम प्रारम्भ करना;

(7) सरकार ने भारतीय काली मिर्च को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिये 30 सितम्बर, 1994 तक काली मिर्च के निर्यात पर उप-कर लेना स्थगित कर दिया है।

उपनगरीय गाड़ियां

201. **श्री मोहन रावले** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई में अलग-अलग केन्द्रीय और पश्चिम रेलवे में उपनगरीय रेलगाड़ियों में कुल कितने दैनिक यात्री यात्रा करते हैं;

(ख) इन यात्रियों से केन्द्र और रेलवे को अलग-अलग औसत कितनी दैनिक आय और मुनाफा होता है;

(ग) क्या मुम्बई के बंदरगाह लाइन और केन्द्रीय एवं पश्चिम रेलवे की गाड़ियों में और स्टेशनों पर प्रकाश फिटिंग, पंखे और सफाई जैसी यात्री सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए अलग से किसी स्वायत बोर्ड के गठन का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार मुम्बई में उपनगरीय गाड़ियों में चलने वाले इन यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) 1993-94 के दौरान मध्य और पश्चिम रेलों पर बम्बई में उपनगरीय गाड़ियों द्वारा क्रमशः औसतन 24 लाख और 24.29 लाख दैनिक यात्रियों ने यात्रा की।

(ख) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान मध्य और पश्चिम रेलों की उपनगरीय सेवाओं की वार्षिक आय और लाभ/हानि (नवीनतम उपलब्ध) का ब्यौरा अलग-अलग से नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

	1990-91		1991-92		1992-93	
	म०रे०	प०रे०	म०रे०	प०रे०	म०रे०	प०रे०
आय	122.30	125.81	134.70	151.72	177.97	189.12
लाभ (+)/हानि (–)	16.60 (+)	8.43 (–)	7.81	(+) 24.91	(–) 7.13	(–) 49.95

(ग) और (च) बम्बई में मौजूदा मानदंडों के अनुसार सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। यात्रियों के लिए सुख-सुविधाओं को अपग्रेड करना और उनका सुधार करना एक सतत् क्रिया है।

(घ) और (ङ) जी नहीं, उपर्युक्त (ग) को देखते हुए।

[हिन्दी]

दिल्ली में औद्योगिक प्रदूषण

202. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्री तारा सिंह :
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली बहुत-सी इकाइयां चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में गैर अनुपालन क्षेत्रों के 22,561 उद्योग हैं। इन इकाइयों को दिल्ली की सन्, 2001 की मास्टर प्लान में 115 श्रेणियों में रखा गया है।

(ग) दोषी इकाइयों के खिलाफ वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

I. वायु अधिनियम, 1981 और जल अधिनियम, 1974 की धारा क्रमशः 31 (क) और 33 (क) के तहत 27 उद्योगों को बन्द करने के नोटिस जारी किए गए हैं।

II. विभिन्न अधिनियमों के उपबंधों के तहत 24 उद्योगों को बन्द कर दिया गया है।

III. 30 उद्योगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आरम्भ की गई है।

(घ) और (ङ) इस समय दिल्ली में एक प्रदूषण नियंत्रण समिति कार्य कर रही है जिसे वही अधिकार प्राप्त है जो किसी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्राप्त होते हैं। तथापि, दिल्ली में एक अलग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के बारे में जांच परख की जा रही है।

बिहार में मत्स्य पालन

203. **श्री लाल बाबू राय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान बिहार में मत्स्य पालन के विकास के लिए स्वीकृत नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा राज्य-वार दी गई आर्थिक सहायता राशि का ब्यौरा क्या है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) चालू वर्ष के दौरान बिहार में मात्स्यिकी विकास के लिये कृषि मंत्रालय द्वारा कोई नई योजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में क्रीड़ा परिसर

204. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने क्रीड़ा परिसर के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान गुजरात सरकार ने खेल परिसर के निर्माण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण क्षमता

205. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने भारतीय खाद्य निगम से पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों की मांग को पूरा करने और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए अतिरिक्त भण्डारण क्षमता जुटाने हेतु जोरदार सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा देश में खाद्यान्नों की आवाजाही को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा नियुक्त आठवीं योजना के लिए भण्डारण और भाण्डागारण से सम्बन्धित कार्यकारी ग्रुप ने सिफारिश की थी कि क्षेत्रीय असंतुलनों को समाप्त करने तथा पर्वतीय क्षेत्रों सहित दूर-दराज तथा दुर्गम इलाकों में पर्याप्त क्षमता का निर्माण करने की आवश्यकता की दृष्टि में कुछ अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने की योजना बनानी होगी ताकि ऐसे क्षेत्रों में पूरे वर्ष के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उपाबन्ध में वर्तमान योजनावधि में पर्वतीय क्षेत्रों में सृजित की जाने वाली प्रस्तावित भण्डारण क्षमता का ब्यौरा दिया गया है। संलग्न विवरण में दिए गए स्थानों के अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में स्थित रामबाण और बारामूला जैसे कुछेक अन्य स्थानों में भी भण्डारण क्षमता का निर्माण करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

(घ) वसूली क्षेत्रों में उपभोक्ता क्षेत्रों को अधिशेष स्टॉक का पूरे वर्ष संचलन किया जाता है ताकि वसूली क्षेत्र में आगामी मौसम के लिए वसूल किए जाने वाले स्टॉक को रखने के लिए भण्डारण स्थान को खाली किया जा सके। खाद्यान्नों का अधिक से अधिक संचलन करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जाते हैं तथा संचलन की मासवार मानीटरिंग की जाती है। पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र जैसे क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है। भारतीय खाद्य निगम इन इलाकों के मामले में रेल द्वारा खाद्यान्न भेजने के अतिरिक्त जहां कहीं सम्भव होता है सड़क मार्गों द्वारा ढुलाई करने की सुविधाओं का भी व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। इस प्रयोजन के लिए नदी मार्गों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जैसा कि देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के मामले में किया जाता है।

विवरण

पर्वतीय क्षेत्रों में गोदामों/भण्डागारों का निर्माण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के प्रस्तावों के संबंध में राज्यवार सूचना

भारतीय खाद्य निगम क्षमता (मीटरी टन में)

क्र.सं.	केन्द्र	राज्य	क्षमता
1	2	3	4
1.	हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश	1670
2.	चम्बा	–वही–	1670
3.	कुल्लू	–वही–	1670@
4.	शिमला	–वही–	2500
5.	हर्रेवाला	उत्तर प्रदेश	10000
6.	न्यू टिहरी	–वही–	2500
7.	गोपेश्वर	–वही–	2500
8.	सतपुली	–वही–	2500
9.	लौंगतलाई	मिजोरम	3340
10.	भैराभी	–वही–	5000
11.	शिलांग	मेघालय	5000
12.	जोवई	–वही–	5000
13.	एजवाल	मिजोरम	5000
14.	जीरीबाम	मणिपुर	2500

1	2	3	4
15.	दीमापुर	नागालैण्ड	10000
16.	कोहिमा	–वही–	2500
17.	अगरतला	त्रिपुरा	5000
18.	तुरा	मेघालय	2500

@ = जब राज्य सरकार भूमि उपलब्ध करवाएगी तब निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

चीनी की कमी

206. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :**
श्री नीतीश कुमार :
श्री नवल किशोर राय :
श्री तेज नारायण सिंह :
श्री राज नारायण :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खुदरा केन्द्रों में चीनी की कमी और लम्बित पूर्ति की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अप्रैल, 1994 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खुदरा केन्द्रों को चीनी बहुत देर से जारी किए जाने के कारण कई कार्ड धारक समय पर अपना चीनी का कोटा नहीं ले सके;

(ग) क्या सरकार को पता है कि मई, 1994 का चीनी का कोटा अभी राज्यों को नहीं पहुंचा है; और

(घ) यदि हां, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खुदरा केन्द्रों को नियमित व समय पर चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमरुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) यह सूचित किया गया है कि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अप्रैल, 1994 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के लिए लेवी चीनी की आपूर्ति में देरी होने के कार्डधारी लेवी चीनी का अपना कोटा समय पर नहीं ले सके थे। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को हर महीने लेवी चीनी का थोक आवंटन करती है। यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है कि वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चीनी कारखानों से अपने नामितियों के जरिए लेवी चीनी की आवंटित मात्रा को उठाने की व्यवस्था करें। जहां कारखानों से उपभोग केंद्रों तक ढुलाई का कार्य भारतीय खाद्य निगम को सौंपा जाता है, वहां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नामितियों को भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से लेवी चीनी का स्टाक

उठाना पड़ता है। लेवी चीनी के आवंटन केवल मई, 1994 को छोड़कर जबकि आवंटन 15 अप्रैल, 1994 को जारी किया गया था, आमतौर पर समय से जारी किए गए हैं। चालू मौसम के दौरान चीनी के देशीय उत्पादन में कमी आई है। सरकार ने आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए उपाय किए हैं। चीनी के आयात को खुलेआम लाइसेंस के तहत लाया गया है। राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम को भी निदेश दिए गए हैं कि वे चीनी की उपलभ्यता में वृद्धि लाएं। आयातित चीनी की बन्दरगाहों से उपभोग केंद्रों तक समय से ढुलाई करने की परिवीक्षा करने के लिए अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।

रेल लाइनों का दोहरीकरण

207. **श्री सी०पी० मुदाल्ल गिरियप्पा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और मद्रास के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) व्हाइटफील्ड-कुप्पम के लिए शेष 81 कि०मी० लम्बे खण्ड में दोहरी लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है और इसके नौवीं योजना में पूरा हो जाने की संभावना है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

रेलवे आरक्षण

208. **डा० मुमताज अंसारी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूसरी श्रेणी के स्लीपर में आरक्षण के संबंध में जून, 1994 से कुछ परिवर्तन किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत महोत्सव

209. **श्री महेश कनोडिया** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में चीनी में "भारत महोत्सव" का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस उत्सव की विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस पर कितनी धनराशि खर्च की है; और

(घ) अगला उत्सव किस देश में आयोजित किये जाने का विचार है और कब ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) चीन में भारत महोत्सव के कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल थे;

(I) प्रदर्शन कलाएं।

(II) प्रदर्शनियां।

(1) "कारीगिरी"– भारतीय हस्त-शिल्पों और वस्त्रों की प्रदर्शनी।

(2) भारत-विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विकास प्रदर्शनी की एक झलक।

(3) भारत में प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तकों की प्रदर्शनी।

(III) फैशन शो।

(IV) दोनों देशों के बीच "साहित्यिक परंपराओं" पर सेमिनार।

(IV) फिल्म महोत्सव।

(ग) अब तक 1,98,03,225 रुपये।

(घ) 1994-95 में थाईलैंड।

गोंडा-बाराबंकी सेक्शन में दुर्घटना

210. **श्री बृजभूषण शरण सिंह** :

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्व रेलवे के लखनऊ के गोंडा-बाराबंकी खंड में एक ट्रेन और एक ट्रैक्टर के बीच हाल में भिड़ंत हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितने लोग हताहत हुए;

(ग) क्या हताहत हुए लोगों के आश्रितों को कोई मुआवजा दिया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) 28-5-1994 को जब 5063 अप एक्सप्रेस पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा कचहरी-मैजापुर ब्लाक खंड पर चल रही थी तब एक ट्रैक्टर, जिसके साथ ट्राली लगी हुई थी, चौकीदार वाले समपार सं० 267-ग, जो सड़क यातायात के लिए बंद था, पर गाड़ी के इंजन के साथ टकरा गया।

(ख) 27 व्यक्तियों की जानें गईं और 6 को गंभीर चोटें आईं।

(ग) और (घ) रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी दुर्घटनाएं मुआवजे के भुगतान के अन्तर्गत नहीं आती हैं, तथापि, मृतकों के निकट संबंधियों और घायलों को अनुग्रह राहत के रूप में 1,47,000 रु० की राशि का भुगतान किया गया था।

(ङ) नियमित संरक्षा अभियानों और अचानक जांचों के माध्यम से समपारों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। समपारों के पहुंच मार्गों पर सीटी बोर्ड, गति अवरोधक और सड़क चिह्न लगाये जाते हैं। इसके अलावा, सड़क उपभोगकर्त्ताओं और गाड़ी चालकों के लिए दृश्यता में सुधार करने हेतु प्रबंध भी किए जाते हैं। सड़क उपभोगकर्त्ताओं को शिक्षित करने के लिए समाचार-पत्रों और दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए प्रचार अभियान चलाए जाते हैं और गांवों/शहरों में नियमित रूप से प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा

211. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत और अमरीका के बीच ताज महल सहित विश्व विरासत की सुरक्षा तथा अन्य संबंधित मामलों के बारे में कोई समझौता किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समझौता कब तक लागू किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री की हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच ताज महल सहित विश्व विरासतों की सुरक्षा तथा अन्य संबंधित मामलों के बारे में किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तथापि, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत स्थल की आयोजना, संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में नेशनल पार्क सर्विस, यू० एस० ए० के साथ 18 मई, 1989 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, जो अप्रैल, 1994 में समाप्त होना था, को प्रधान मंत्री की हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, नेशनल पार्क सर्विस ने निम्नलिखित विरासत स्थलों के लिए अवधारणात्मक योजनाएं तैयार करने के लिए सहमति प्रदान कर दी है :

(I) आगरा विरासत परियोजना,

(II) बोधगया, नालन्दा और राजगीर में ऐतिहासिक और पुरात्वीय स्थल के लिए क्षेत्रीय विकास योजना,

(III) अजंता और एलौरा गुफाओं तथा दौलताबाद किले में पर्यटन के संवर्धन के लिए प्रबंध योजना।

(III) सारनाथ के लिए संयुक्त विकास योजना।

(ग) अप्रैल, 1994 को समाप्त होने वाले समझौता ज्ञापन की अवधि को पांच वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

[हिन्दी]

यात्री सुविधाएं

212. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश में रेल यात्री सुविधा विस्तार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस उद्देश्य हेतु तैयार की गयी समयबद्ध कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख)

विवरण

(क) और (ख) 2 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले प्रत्येक निर्माण कार्य का ब्यौरा इस प्रकार है :

(लागत लाख रु० में)

क्र०सं०	स्टेशन	कार्य का ब्यौरा	लागत	पूरा करने का संभावित वर्ष
1	2	3	4	5
1.	बीना	प्लेटफार्म सं० 2 पर धुलनीय एप्रन	26.54	1996-97
2.	इटारसी	यात्री सुविधाओं में सुधार	93.75	1996-97
3.	दामोह	प्लेटफार्मों पर सायवान का विस्तार	7.78	1996-97
4.	हरदा	द्वीप प्लेटफार्म पर सायवान और ऊपरी पैदल पुल	11.50	1996-97
5.	भोपाल	प्लेटफार्म सं० 2 और 3 पर सायवान का विस्तार	13.00	1996-9 7
6.	सतना	बुकिंग काम्प्लेक्स के ढांचे में परिवर्तन	11.98	1996-97
7.	कटनी	प्लेटफार्म सं० 5 का विस्तार	4.86	1996-97

1	2	3	4	5
8.	मुरैना	प्लेटफार्मों का विस्तार	8.08	1996-97
9.	पथारिया	अप और डाउन प्लेटफार्मों का ऊंचा करना	14.87	1996-97
10.	पथारिया	नये ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था	13.17	1996-97
11.	बानापुरा	ऊपरी पैदल का विस्तार	10.90	1996-97
12.	भोपाल	स्टेशन इमारत को सुन्दर बनाना	15.00	1996-97
13.	सतना-कटनी खंड	बैटरी चार्जिंग सुविधाओं को व्यवस्था	5.10	1996-97
14.	जबलपुर	मास्टर जल शीतक की व्यवस्था	8.00	1996-97
15.	कटनी			
16.	धोररामोहर	निस्यंदन संयंत्र की व्यवस्था	5.50	1996-97
17.	खंडवा	बैटरी चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार	5.93	1996-97
18.	इटारसी	बैटरी चार्जिंग सुविधाओं की व्यवस्था	9.12	1996-97
19.	ग्वालियर	प्लेटफार्म नं० 1 पर सायवान का विस्तार	7.84	1996-97
20.	माना	स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था	12.00	1994-95
21.	सोरसोनपुरी			
22.	वाकल			
23.	बिलासपुर मंडल	15 स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर फर्श बिछाना	27.00	1995-96
24.	बिलासपुर	लाइन सं० 3 पर धुलनीय एप्रन की व्यवस्था	26.75	1995-96
25.	दुर्ग	परिचलन क्षेत्र का सुधार	38.29	1995-96
26.	अनूपपुर	प्रतीक्षालयों/प्रतीक्षा कक्षों का विस्तार	8.25	1994-95
27.	बिलासपुर मंडल	6 स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों का विस्तार	13.89	1995-96
28.	वीरसिंहपुर	ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था	4.68	1995-96
29.	बिलासपुर मंडल	9 स्टेशनों पर अतिरिक्त शौचालय	2.40	1995-96
30.	रायपुर	प्लेटफार्म सायवान	8.92	1994-95
31.	दुर्ग	प्लेटफार्म नं० 2 और 3 पर सायबान का विस्तार	8.83	1994-95

1	2	3	4	5
32.	हथबंध	अप और डाउन प्लेटफार्म पर सायबान	5.99	1995-96
33.	निपनिया	द्वीप प्लेटफार्म पर सायबान	3.01	1995-96
34.	हावबाग	प्लेटफार्म सायबान का विस्तार	5.97	1995-96
35.	डोंगरगढ़	" " "	8.98	1995-96
36.	छिंदवाड़ा	" " " "	11.96	1995-96
37.	वालाघाट	प्लेटफार्म सायबान का विस्तार	11.96	1994-95
38.	धुरवासिन	स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था	9.54	1994-95
39.	मानिक चौरी			
40.	गरागांव			
41.	सिरी			
42.	चक्रभाटा	हाल्ट स्टेशन को फ्लैग स्टेशन में बदलना	8.84	1995-96
43.	शहडोल	प्लेटफार्म सायबान	9.71	1994-95
44.	अनूपपुर	प्लेटफार्म सायबान का विस्तार	7.91	1995-96
45.	भिलाईनगर	ऊपरी पैदल पुल	7.88	1994-95
46.	किरोड़ीमलनगर	ऊपरी पैदल पुल	7.88	1995-96
47.	बिलासपुर	अतिरिक्त ऊपरी पैदल पुल	9.77	1995-96
48.	करगी रोड	ऊपरी पैदल पुल		
49.	शहडोल	ऊपरी पैदल पुलों पर छत	5.58	1995-96
50.	उमरिया			
51.	अनूपपुर			
52.	सक्ति			
53.	नैला			
54.	खरसिया			
55.	अकलतारा			
56.	पेंडरा रोड	परिचलन क्षेत्र का सुधार	4.34	1994-95
57.	भाटापारा	ऊपरी पैदल पुल का बदलाव	21.97	1996-97

1	2	3	4	5
58.	बिलासपुर			
59.	दुर्ग	गाड़ी संसूचक बोर्ड	11.25	1995-96
60.	रायपुर			
61.	शहडोल	मुख्य और द्विप प्लेटफार्म को ऊंचा करना	12.33	1996-97
62.	मनेन्द्रगढ़	प्लेटफार्म का विस्तार	2.37	1996-97
63.	भिलाइ पावन हाउस			
64.	सक्ति			
65.	खरसिया	जन उद्घोषणा प्रणाली	7.00	1995-96
66.	नैला			
67.	तिलदा			
68	मनेन्द्रगढ़			
69.	करगी रोड	प्लेटफार्म सं० 1 को ऊंचा करना	4.01	1996-97
70.	पेंडरा रोड	" " " "	4.88	1996-97
71.	बिलासपुर	आरक्षणों का कंप्यूटरीकरण	28.00	1996-97
72.	रायपुर	" " "	25.00	1996-97
73.	ओमकारेश्वर	स्टेशन इमारत को सुन्दर बनाना	8.71	1996-97
74.	रतलाम	प्लेटफार्म सं० 5/6 पर सायबान का विस्तार	14.91	1996-97
75.	रतलाम	प्लेटफार्म सं० 4 पर सायबान का विस्तार	10.62	1996-97

लेवी की चीनी

213. **श्री नीतीश कुमार :**

डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी के आयात में ढील देने की घोषणा की है तथा चीनी उत्पादकों को लेवी-चीनी सरकार को "ऋण आधार" पर देने का अनुरोध किया है ताकि देश में चीनी की बढ़ती कीमतों को कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो चीनी उत्पादकों द्वारा सरकार को ऋण के आधार पर अप्रैल व मई, 1994 के दौरान कितनी लेवी-चीनी सप्लाई की गई;

(ग) क्या सरकार ने चीनी उत्पादकों को मई, 1994 में लेवी-चीनी की और ज्यादा मात्रा जारी करने का अनुरोध किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या खुले बाजार में चीनी की कीमत बढ़ जाने के कारण चीनी उत्पादकों के मुनाफे मार्च, 1994 से मई, 1994 तक काफी बढ़ गए; और

(च) यदि हां, तो उनके मुनाफे में कितनी अनुमानित वृद्धि हुई ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए लेवी चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चीनी उद्योग के शीर्ष निकाय अर्थात् राष्ट्रीय सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ और भारतीय चीनी मिल संघ इस बात पर सहमत हो गए हैं कि 1993-94 मौसम की खुली बिक्री चीनी की 2.50 लाख टन मात्रा 'वापसी' आधार पर लेवी चीनी में परिवर्तित कर दी जाए। तद्नुसार 2.50 लाख टन की उक्त मात्रा 1993-94 मौसम के लिए चीनी फैक्ट्रियों की लेवी पात्रता में जोड़ दी जाएगी तथा इसके साथ ही उतनी ही मात्रा खुली बिक्री पात्रता में से घटा दी जाएगी।

केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए लेवी आवंटन आदेशों के अनुसार चीनी फैक्ट्रियों द्वारा लेवी चीन डिलीवर करना अपेक्षित होती है।

(ङ) व (च) चीनी उत्पादकों को होने वाले घाटे व मुनाफे का हिसाब खाद्य मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश

214. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने हाल ही में जमा दो स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश बंद कर दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या विशेष उपाय किये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में हाल में जमा दो स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम नहीं समाप्त किए हैं।

ऐतिहासिक स्मारक

215. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लाल किला और विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों पर पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रभाव का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लाल किला, दिल्ली में बिखरे हुए कण पदार्थों के स्तर की जांच कर रहा है।

(ख) बिखरे हुए कण पदार्थों का स्तर सामान्यतया 500 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर से ऊपर नापा गया है जो उचित सीमा से ज्यादा है, किन्तु वर्षा ऋतु के समय को छोड़कर।

(ग) स्मारकों के चारों ओर पर्यावरण संबंधी विकास के अलावा, संगमरमर/पत्थर की सतह समय-समय पर रसायनों से साफ की जाती है और फिर उस पर परिरक्षणात्मक लेव लगाया जाता है।

केन्द्रीय विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा

216. **श्री प्रकाश वी० पाटील** :

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा आरम्भ करना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विकास योजनाएं

217. **डा० के०वी०आर० चौधरी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में कृषि योजनाओं को लागू करने हेतु नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक लागू किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जन उपयोगिता आयोग

218. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार जन उपयोगिता आयोग की स्थापना हेतु सक्रिय रूप से विचार कर रही है जिसके तहत प्रत्येक मंत्रालय को उपभोक्ता संबंधी विषय पर कोई निर्णय लेने के पहले इस आयोग से स्वीकृति लेनी होगी जिसमें कि वस्तु मूल्य तथा भाड़े वृद्धि जैसे विषय भी सम्मिलित होंगे; और

(ख) यदि हां, तो जन उपभोक्ता आयोग की स्थापना कब तक होने की संभावना है और कौन-कौन इसके सदस्य होंगे तथा इसकी शक्तियां तथा कार्य क्या होंगे ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) व (ख) इससे पहले केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के तत्वावधान में एक कार्य दल ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के सार्वजनिक उपयोगिता आयोग (पब्लिक यूटीलिटीज कमीशन) के अनुसार एक अर्धन्यायिक तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट पर राज्य सरकारों तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से निर्णय किया जाना है।

जनजातियों द्वारा पशुओं की हत्या

219. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार में डालमा अभयारण्य में स्थानीय जनजातियों द्वारा वार्षिक शिकारोत्सव के अवसर पर सैकड़ों पशुओं की हत्याओं की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त पारिस्थितिकी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) बिहार सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) व (घ) भारत सरकार ने "बाघ रिजर्वों सहित राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में तथा उनके आसपास पारिस्थिति विकास की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम" आरम्भ की है। इस स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को दी गई राशि इस प्रकार है :

वर्ष	दी गई राशि (लाख रुपयों में)
1991-92	44.28
1992-93	172.173
1993-94	243.48

इसके अतिरिक्त पारि-जागरूकता कार्यक्रम के "राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास" नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत भी सहायता दी जाती है। यह मंत्रालय पारि-क्लबों, पर्यावरण वाहिनियों तथा पर्यावरणीय विषयों संबंधी फिल्मों/ऑडियो फिल्मों के माध्यम से भी अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा एवं जानकारी को बढ़ावा देता है।

[हिन्दी]

कृषि को प्रोत्साहन

220. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राजस्थान में कृषि और गाय की नस्ल सुधारने संबंधी कार्य को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार राजस्थान और हरियाणा के किसानों की कृषि क्षेत्र में इजराइली तकनीक उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) भारत सरकार के साथ-साथ राजस्थान राज्य सरकार राजस्थान में कृषि एवं गाय प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है, जैसे–सस्य पालन, मृदा एवं जल संरक्षण, वर्षा सिंचित खेती, पशु-पालन, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, भण्डारण एवं विपणन, ऋण एवं सहकारिता आदि सम्बन्धी विकासात्मक कार्यक्रम।

(ख) आठवीं योजनावधि के दौरान उपर्युक्त प्रयोजन हेतु राजस्थान के लिए कुल 96037 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गयी है।

(ग) और (घ) भारत सरकार और इजरायल ने प्रबंध दिसम्बर, 1993 में कृषि के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता किया। इस सहयोग में जल एवं मृदा प्रबंध जैसे कार्यकलाप शामिल हैं, जिसमें पानी का इष्टतम उपयोग, शुष्क और अर्द्ध-शुष्क फसल उत्पादन तथा भूमि पर आधारित अन्य कार्यकलाप, फसल, कटाई पश्चात् एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, पशुपालन आदि शामिल हैं, ताकि किसानों को प्रौद्योगिकी उपलब्ध करायी जा सके।

[अनुवाद]

रेल डिब्बों की आवश्यकता

221. **श्री सुधीर गिरि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष औसतन कितने रेल डिब्बों की आवश्यकता होती है;

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कितने रेल डिब्बों की आपूर्ति की गई;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितने रेल डिब्बों की आवश्यकता है;

(घ) अब तक कितने रेल डिब्बों हेतु आर्डर दिये गये हैं; और

(ङ) इस वर्ष आर्डर देने में विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) किसी वर्ष की परिवहन की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त परिवहन क्षमता जुटाने के लिए माल डिब्बों की आवश्यकता एक संदर्श प्रावधान है और यह परिसम्पत्ति उपयोगिता का काम है जो वर्षानुवर्ष अलग-अलग होता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल आवश्यकता 1,20,000 माल डिब्बे (चौपहिया) होने का अनुमान है। जो प्रतिवर्ष औसतन 24,000 डिब्बे हैं।

(ख) पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान खरीदे गए माल डिब्बों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	सं० (चौपहिया)
1991-92	25778
1992-93	26129
1993-94	19649

(ग) चालू वित्त वर्ष के लिए 18,000 चौपहिया माल डिब्बों के लिए बजट प्रावधान किया गया है।

(घ) उद्योग को 7600 चौपहिया माल डिब्बों के लिए तथा रेल कारखानों को 1000 चौपहिया माल डिब्बों के लिए आदेश प्रस्तुत किये गये हैं।

(ङ) इस समय प्राप्त होने वाले यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माल डिब्बे आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हैं। अतः रेलवे की दृष्टि से कोई विलम्ब नहीं हुआ है। बहरहाल, उद्योग की कठिनाई समाप्त करने के लिए 1-6-1994 को आदेश दिये गए हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनमान

222. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेट्टोपाध्याय समिति की रिपोर्ट के दृष्टिगत सरकार का विचार केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनमानों की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो पुस्तकालयाध्यक्षों के नये वेतनमानों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सरकार ने अध्यापकों और पुस्तकालयाध्यक्षों का वेतनमान नियत करने के

लिए चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अभिधारणाओं के साथ-साथ चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने उन्हीं वेतनमानों को अपनाया है। वेतनमानों को आगे संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

प्रतिलिप्यधिकार प्रवर्तन प्रकोष्ठ

223. **श्री तारा सिंह :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चोरी रोकने के लिए प्रतिलिप्यधिकार प्रवर्तन प्रकोष्ठ बनाने का है;

(ख) यदि हां तो क्या राज्य सरकारों को इस संबंध में कुछ दिशा-निर्देश दिए गये हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के उल्लंघन के कितने मामलों की जानकारी मिली;

(घ) सरकार ने प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) प्रतिलिप्यधिकार प्रवर्तन प्रकोष्ठों से चोरी रोकने में कितनी सहायता मिलेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) कापीराइट अधिनियम के अतिलंघन की जांच करने के लिए भारत सरकार के राज्य सरकारों के कुछ उपाय सुझाए थे, जिनमें कापीराइट उल्लंघनों की जांच करने के लिए बड़े शहरों में विशेष कापीराइट प्रवर्तन सैलों की स्थापना करना शामिल था।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कापीराइट अधिनियम के अतिक्रमण के वर्ष 1991 और 1992 में तथाकथित क्रमशः 854 और 1120 मामले हैं। वर्ष 1993 के लिए आंकड़े अभी संकलित किए जा रहे हैं। इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जाती है।

(ङ) चोरी की रोकथाम करने में प्रस्तावित कापीराइट प्रवर्तन सैलों के उपयोगी होने की आशा है।

नवोदय विद्यालय

224. **श्री प्रबीण डेका** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों के सभी जिलों में नवोदय विद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो 1994-95 में राज्य-वार नवोदय विद्यालय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी; और

(ग) इससे कितने शिक्षकों को रोजगार मिलेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। किसी जिले में कोई नवोदय विद्यालय खोलने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार को पर्याप्त और उचित निःशुल्क भूमि तथा नवोदय विद्यालय समिति द्वारा अपने भवनों का निर्माण किए जाने तक अस्थाई आवास प्रदान करना होता है। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर नवोदय विद्यालय समिति का 50 तक नए विद्यालयों को खोलने का प्रस्ताव है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय खोले गए हैं किन्तु 18 राज्यों में 94 ऐसे जिले हैं जहां अभी तक नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बारहवीं कक्षा तक की व्यवस्था वाले प्रत्येक विद्यालय में 26 शिक्षण स्टाफ का शिक्षक-दल होगा।

विवरण

राज्यवार ऐसे जिले हैं जिन्हें नवोदय विद्यालय योजना के अंतर्गत अभी तक शामिल किया जाना है

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ऐसे जिलों की संख्या जिन्हें अभी शामिल किया जाना है।
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	01
2.	अरुणाचल प्रदेश	05
3.	बिहार	16
4.	गुजरात	07
5.	हरियाणा	04
6.	हिमाचल प्रदेश	02
7.	केरल	02
8.	महाराष्ट्र	05
9.	मेघालय	01
10.	उड़ीसा	01
11.	पंजाब	01
12.	राजस्थान	04

1	2	3
13.	सिक्किम	02
14.	नागालैंड	04
15.	त्रिपुरा	01
16.	उत्तर प्रदेश	19
17.	दिल्ली	02
18.	असम	17
	योग :	94

रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना

225. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण की ओर जाने वाली कुछ सुपर फास्ट रेल गाड़ियां निरन्तर विलम्ब से चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों के क्या नाम हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) पिछले तीन महीनों के दौरान दक्षिण की ओर जाने वाली सुपरफास्ट गाड़ियों का समयपालन प्रतिशत नीचे दिए अनुसार रहा है :

गाड़ी सं० और नाम		समयपालन प्रतिशत		
		मार्च 1994	अप्रैल 1994	मई 1994
2616	जी०टी० एक्सप्रेस	38.7	46.6	51.6
2618	मंगला एक्सप्रेस	74.2	43.3	54.8
2620	राजधानी एक्सप्रेस	100	100	100
2622	तमिलनाडु एक्सप्रेस	32.3	23.3	22.6
2626	केरल एक्सप्रेस	45.1	33.3	45.2
2628	कर्नाटक एक्सप्रेस	80.6	90.0	64.5
2632	राजधानी एक्सप्रेस	75.0	75.0	100
2724	ए०पी० एक्सप्रेस	87.1	90.0	87.1

(ग) रेलों द्वारा कड़ी नजर और चौबीसों घंटे निगरानी रखने सहित सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वे सभी रूकौनियां दूर की जा सकें जो रेलों के नियंत्रण में हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में योग्यता प्रोन्नति योजना

226. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में योग्यता प्रोन्नति योजना लागू नहीं की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षकों में इस बात को लेकर रोष है; और

(घ) यदि हां तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचनानुसार, 1983 की योग्यता प्रोन्नति योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) योग्यता प्रोन्नति योजना, 1983 के स्थान पर 1-1-1986 से एक नवीन जीविका (कैरियर) प्रोन्नति योजना प्रतिस्थापित की गई है। तथापि, इस योजना को कार्यान्वित करते समय, शिक्षकों को योग्यता प्रोन्नति योजना, 1983 के अंतर्गत रहने का विकल्प दिया गया था। विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि कुछ सह-प्रोफेसर, जिन्होंने योग्यता प्रोन्नति योजना को छोड़ दिया था, इस कारण इसे पुनः अपनाने के लिए कह रहे हैं कि जीविका (कैरियर) प्रोन्नति योजना के कुछ प्रावधान उनके अनुकूल नहीं हैं।

(घ) सरकार को इस संबंध में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से कोई विशेष अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

सांस्कृतिक संगठनों को भवन-निर्माण अनुदान

227. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों को भवन-निर्माण अनुदान की कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा सरकार को कोई राशि स्वीकृत की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त राज्य के ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) शैक्षिक सांस्कृतिक संगठनों को भवन-निर्माण अनुदान देने की योजना के अंतर्गत अनुदान राज्य सरकारों को नहीं दिए जाते हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संस्वीकृत राशि 1992-93	संस्वीकृत राशि 1993-94
1.	आन्ध्र प्रदेश	रु० 2,08,500	रु० 0,81,250
2.	असम	रु० 4,12,500	रु० 2,39,372
3.	बिहार	रु० 0,30,00	रु० 0,61,250
4.	दिल्ली	रु० 5,60,500	रु० 6,47,500
5.	गोवा	रु० 0,66,400	रु० शून्य
6.	गुजरात	रु० 2,75,000	रु० 1,25,000
7.	हरियाणा	रु० 7,50,000	रु० शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	रु० 1,07,500	रु० 5,85,500
9.	कर्नाटक	रु० 6,40,000	रु० 5,82,500
10.	केरल	रु० 11,44,500	रु० 11,48,000
11.	मध्य प्रदेश	रु० 2,50,000	रु० 6,00,000
12.	महाराष्ट्र	रु० 12,43,000	रु० 44,50,000
13.	मणिपुर	रु० 0,23,00	रु० 3,38,525
14.	उड़ीसा	रु० 4,02,500	रु० 8,07,500
15.	पंजाब	रु० 4,25,000	रु० 1,37,500
17.	तमिलनाडु	रु० 0,12,500	रु० 0,55,000
18.	उत्तर प्रदेश	रु० 2,69,250	रु० 3,90,000
19.	पश्चिमी बंगाल	रु० 2,26,500	रु० 5,34,250
20.	चंडीगढ़	रु० 0,25,000	रु० 3,62,500

कुर्ला में रेलवे टर्मिनल

228. **डा० वसंत पवार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के कुर्ला उपनगर में रेलवे टर्मिनल शुरू किए जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) प्रस्तावित टर्मिनल की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन नए टर्मिनल से शुरू की जाने वाली गाड़ियों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) चरण-1, स्तर-1 की सुविधाएं, जिनमें द्वीप प्लेटफार्म एक शंटिंग ग्रीवा, दो निर्जल गर्त लाइनें, दो धुलाई लाइनें और स्टेशन इमारत की व्यवस्था शामिल है, पूरी की गई हैं।

(ग) कुर्ला टर्मिनल पहले ही कार्य कर रहा है और यहां से निम्नलिखित गाड़ियां बनकर चलती हैं/समाप्त होती हैं :

1. 1013/1014 कुर्ला (टी०)–बेंगलूरू एक्सप्रेस (दैनिक)
2. 3417/3418 कुर्ला (टी०)– भागलपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में 4 दिन)
3. 4247/4248 कुर्ला (टी०)– वाराणसी एक्सप्रेस (दैनिक)
4. 5113/5114 कुर्ला (टी०)–छपरा एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)
5. 6635/6636 कुर्ला (टी०)–मंगलोर/कोचीन नेत्रवती एक्सप्रेस (दैनिक)
6. 8029/8030 कुर्ला (टी०)–हावड़ा एक्सप्रेस (दैनिक)

कुर्ला टर्मिनल से फिलहाल अन्य गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सद्भावना रेलगाड़ी

229. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवयुवकों को सद्भावना विशेष रेलगाड़ी से देश में एकात्मता तथा सांप्रदायिक सौहार्द फैलाने के लिये भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विशेष रेलगाड़ी चलाने से पूर्व ऐसे प्रचार में भाग लेने के लिए अभ्यार्थियों के आवेदन-पत्र आमंत्रित करने हेतु प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिये गए हैं;

(ग) इस रेलगाड़ी द्वारा ऐसी यात्रा पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) सद्भावना रेलगाड़ी के इन यात्रियों की संख्या कितनी है, वे किन-किन राज्यों के रहने वाले हैं और उनके इस यात्रा में भाग लेने के लिये पात्रता संबंधी मानदंड क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) एक स्वैच्छिक संगठन तथा नेशनल यूथ

प्रोजेक्ट मुरैना (म० प्र०) द्वारा एकात्मकता और साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए सद्भावना विशेष गाड़ी का आयोजन किया गया था और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसमें सहायता प्रदान की थी। रेल मंत्रालय ने यह गाड़ी निःशुल्क चलाई थी।

(ख) और (घ) स्वैच्छिक संगठन ने 200 युवकों को ले जाने का प्रस्ताव किया था जिनमें से 100 युवकों को समय-समय पर बदला जाना था।

(ग) प्रस्तावित यात्रा के लिए सामान्य टैरिफ दरों पर कर्षण प्रभार लगभग 1.75 करोड़ रुपए थे।

नई चीनी मिलें

230. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई चीनी मिलों की स्थापना करने में वित्तीय सहायता देता है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश में ऐसी चीनी मिलों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की;

(ग) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास ऐसी मिलों की सहायता करने हेतु पर्याप्त धनराशि नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अतिरिक्त धनराशि देने का है ताकि वह चीनी मिलों को वित्तीय सहायता मंजूर कर सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई सहकारी चीनी फैक्टरियों की अंश पूंजी में योगदान के लिये राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को निवेश ऋण संबंधी सहायता प्रदान करता है। यह ऋण सहायता केन्द्रीय वित्त-पोषण संस्थान द्वारा इस परियोजना का मूल्यांकन कर लिये जाने तथा उनके द्वारा इस परियोजना के लिये आवधिक ऋण का अनुमोदन कर दिये जाने के पश्चात् दी जाती है।

(ख) 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा इस योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को कोई सहायता नहीं दी गई है क्योंकि राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

(ग) और (च) जी, नहीं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई सहकारी चीनी फैक्टरियों की स्थापना, मौजूदा सहकारी चीनी फैक्टरियों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण और उनके विविधीकरण के लिये सहकारी चीनी फैक्टरियों की अंश-पूंजी में हिस्सेदारी के लिए 350.00 करोड़ रु० का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

[अनुवाद]

जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम

231. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए किए गए वित्तीय नियतन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यक्रम में राज्य-वार कितने जिले आते हैं; और

(ग) सरकार ने जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं या उठाने जा रही है और 1994-95 के अंत में कितनी उपलब्धि की आशा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केन्द्र सरकार के बजट में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए वर्ष 1994-95 के लिए 40 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।

(ख) फिलहाल जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में 7 राज्यों के 42 जिलों को शामिल किया गया है। राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

—	हरियाणा	5
—	केरल	3
—	महाराष्ट्र	5
—	तमिलनाडु	3
—	असम	4
—	कर्नाटक	4
—	मध्य प्रदेश :	9

(ग) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए एक कंप्यूटरीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली तथा समयान्तराल पर प्राथमिक स्कूल के बच्चों के उपलब्धि स्तरों का आंकलन करने के लिए बेसलाइन अध्ययन शुरू किया गया है। वर्ष 1994-95 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए आवश्यक प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को सही ढंग से स्थापित करने पर बल दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रातःकालीन कक्षाएं

232. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कुछ केन्द्रीय विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों हेतु प्रातःकालीन कक्षाओं की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन विद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन विद्यालयों में प्रातः कालीन कक्षाएं चलाने का विचार रखती है ताकि उन माता-पिता का बोझ कम हो सके जो घर से बाहर काम करने जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि दो पारी वाले केन्द्रीय विद्यालयों में, प्रशासनिक तात्कालिक अत्यावश्यकता के अध्यधीन अन्य कक्षाओं के लिए बड़ी कक्षा-कक्ष आवास की कमी की समस्या पर काबू पाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं को उत्तरोत्तर दूसरी पारी में किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मध्य रेलवे

233. **श्री राम नाईक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मध्य रेलवे ने लगभग 50 कर्मचारियों की भर्ती करने वाले गिरोह के संबंध में कोई जांच की है;

(ख) इस गिरोह की कार्य प्रणाली क्या है और इसके लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार ठहराए गए हैं; और

(ग) दोषी अधिकारियों को दंड देने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जायेंगे ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) जिन उम्मीदवारों की जाली नियुक्ति की जानी थी उन्हें जाली मेडिकल जांच ज्ञापन जारी किये गये थे। मैडिकल जांच के बाद नकली सेवा रिकार्ड तैयार किये गये और उम्मीदवारों को जाली नियुक्ति पत्र जारी करके नियुक्त किया जाना था। इसमें सेवानिवृत्त रेल अधिकारी के शामिल होने का संदेह है।

(ग) नगर पुलिस, बम्बई के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली अधिसूचित कर दी गई है ताकि संबंधित अधिकारियों द्वारा भविष्य में ऐसी जाली नियुक्तियां किये जाने से बचा जा सके।

केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों और राज्य विद्युत बोर्डों की और बकाया राशि

234. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों और राज्य विद्युत बोर्डों की ओर भारतीय रेलवे की करोड़ों रुपये की राशि देय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने काफी समय से बकाया पड़ी धनराशि की वसूली के लिए बकायादार विद्युत केन्द्रों और विद्युत बोर्डों के विरुद्ध इस वर्ष कड़ा रुख अपनाया;

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे ने इस संबंध में कुछ विकल्पों का सुझाव दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां, महोदय।

(ख) और (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) फरवरी, 1994 के अंत तक राज्य विद्युत बोर्डों से वसूल की जाने वाली बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार से है :

(करोड़ रुपयों में)

क्रमांक	विद्युत बोर्ड का नाम	राशि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	2.81
2.	असम राज्य विद्युत बोर्ड	4.52
3.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	9.17
4.	दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम	72.45
5.	गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड	49.47
6.	हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	125.73
7.	कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड	0.18
8.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	22.70
9.	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	1.49
10.	उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड	0.01
11.	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	9.26
12.	राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	70.85

1	2	3
13.	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	9.30
14.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	115.50
15.	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	36.28
16.	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	504.31
17.	निजी विद्युत गृह-साबरमती	3.43
	योग :	1037.46

(ग) से (च) राज्य विद्युत बोर्डों, दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को बकाया राशि का भुगतान करने के लिये बार-बार अनुरोध किया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य विद्युत बोर्ड के नाम बकाया 308.05 करोड़ रुपये की राशि को राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय योजना सहायता में से चार समान वार्षिक किश्तों में वसूल किया जाए। कुछेक विद्युत बोर्डों के मामले में भाड़े के अनिवार्य पूर्व भुगतान को भी कहीं-कहीं लागू किया गया है।

राज्य विद्युत बोर्डों के नाम और अधिक बकाया राशि जमा न होने देने के लिये "भुगतान करना है" आधार पर कोयला यातायात को बुक करने पर लगने वाले अधिभार को वर्ष 1993-94 के बजट प्रस्ताव के एक भाग के रूप में 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। राज्य विद्युत बोर्डों के साथ ये भी प्रयास किए जा रहे हैं कि कोयला यातायात के लिये गंतव्य स्थान पर भाड़े के अग्रिम भुगतान की योजना को अपनाया जाये और इसे "भुगतान कर दिया गया" समझा जाये जिससे इसके कारण अधिभार के भुगतान में छूट मिल सके। पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड में अग्रिम भुगतान की योजना पहले से ही प्रचलित है।

केरल में रेल-नेटवर्क

235. **श्री पी०सी० थामस :**

श्री थाइल जॉन अंजलोज :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के बजट में केरल में रेल-नेटवर्क को आवंटित धनराशि दक्षिण रेलवे को दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार उपयोग किए गए धन का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र० सं०	कार्य का नाम	परियोजना की लागत	94-95 के लिए आबंटित राशि	31-3-94 तक किया गया खर्च	अप्रैल, 1994 के दौरान खर्च (लाख रुपयों में)
	योजना शीर्ष : दोहरीकरण				
1.	कायनकुलम-कोल्लम दोहरीकरण-41.00 कि० मी०	4217.00	700.00	3147.38	9.63
2.	कोल्लम-तिरूवनंतपुरम केन्द्रीय दोहरीकरण	8123.00	500.00	137.11	2.41
3.	कुट्टीपुरम-कालीकट दोहरीकरण	6000.00	200.00	—	—
	योजना शीर्ष : कारखाने				
4.	एर्णाकुलम-गर्त लाइन सवारी डिब्बा अनुरक्षण सुविधाएं	41 ।.73	9.08	321.32	4.21
	योजना शीर्ष : पुल				
5.	विलिंग्टन द्वीप और कोचीन बाईपास को जोड़ते हुए ऊपरी सड़क पुल	389.87	40.00	—	—
6.	पुनकुन्नम के निकट ऊपरी सड़क पुल	76.81	36.72	34.34	—
7.	फेरोक में पुल सं० 943	605.73	26.52	495.21	0.55
	जोड़ :	19827.14	1512.32	4135.36	16.80

दो मंजिले प्लेटफार्म

236. **श्री मोहन रावले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार उत्तर प्रदेश में कानपुर रेलवे स्टेशन पर दो मंजिले प्लेटफार्मों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन अन्य रेल स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान ऐसे प्लेटफार्मों का निर्माण करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) कानपुर में दुमंजिले शायबान वाला एक द्वीप प्लेटफार्म पूरा होने ही वाला है। प्लेटफार्म पर 130 मी० लम्बा तथा 10.67 मी० चौड़ा पूर्व प्रबलित कंक्रीट सीमेंट शायबान है और यह अपने छोरों पर दो मौजूदा ऊपरी पैदल पुलों को जोड़ता है। पूर्व प्रबलित कंक्रीट सीमेंट शायबान तथा दो घुलनीय एप्रनों सहित इस द्वीप प्लेटफार्म की अनुमानित लागत 1.30 करोड़ रु० है।

(ग) फिलहाल किसी अन्य स्टेशन पर इस किस्म के प्लेटफार्म का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बत्तखों का आयात

237. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वियतनाम से बत्तख आयात करने तथा उस देश को भैंसे निर्यात करने का है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) बत्तखों का आयात और भैसों के निर्यात के कारण क्या-क्या लाभ/हानियां होंगी ?

(घ) इसके मूल्यों का निर्धारण करने के संबंध में क्या मानदंड अपनाए जायेंगे; और

(ङ) क्या बत्तखों के आयात से स्वदेशी कुक्कुट पालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात को खाद्य तेल

238. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में खाद्य तेलों की वर्तमान में कितनी मांग है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात को इन तेलों का वास्तव में कितना कोटा सप्लाई किया गया;

(ग) क्या केंद्र सरकार का गुजरात को खाद्य तेलों का कोटा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) गुजरात सरकार ने मई, 1994 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पामोलीन की 2000 मी० टन की आवश्यकता सूचित की है।

(ख) विगत 3 तेल वर्षों (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान गुजरात सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेल का आवंटन निम्नवत रहा है :

वर्ष	(मात्रा मी० टन में)
1991-91	15,800
1991-92	8,650
1992-93	4,000

(ग) और (घ) राज्य सरकारों को खाद्य तेलों का आवंटन केंद्रीय पूल में उपलब्ध स्टॉक, खुले बाजार में उपलब्ध मात्रा, विगत में उठाई गई मात्रा आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। वर्तमान तेल वर्ष 1993-94 के दौरान (मई, 1994 तक) गुजरात सरकार को 6300 मी० टन आयातित खाद्य तेल का आवंटन किया गया है। देश में पामोलीन की कुल उपलब्धता पर निर्भर करते हुए गुजरात सरकार द्वारा की गई पामोलीन की अतिरिक्त मांग पर भी समुचित विचार किया जाएगा।

पादप किस्म अधिनियम, 1993

239. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पादप किस्म अधिनियम, 1993 के अंतिम प्रारूप में स्व-विकसित प्रणाली (स्यूई जेनरिसिस सिस्टम) शामिल करके उसे राज्य सरकारों के पास उनके सुझावों और टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कृषि वैज्ञानिक भारतीय कृषि पर "गैट" प्रावधानों के प्रभाव के कारण सरकार से असहमत थे;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों से विचार प्राप्त हो गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) तथा (ख) पौध किस्मों के संरक्षण के लिए अद्वितीय प्रणाली (सूई जेनरिस) से सम्बन्धित विधान का मसौदा राज्य सरकारों को उनकी राय जानने तथा सुझाव प्राप्त करने के लिये भेजा गया है।

(ग) इस विधान का मसौदा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि वैज्ञानिकों के निकट तथा सक्रिय सहयोग से तैयार किया गया है और इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

योजना आवंटन/उपयोग

240. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान विभिन्न मदों के अन्तर्गत योजना आवंटन का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1993 और 31 मार्च, 1994 तक मदवार कितना योजना आवंटन किया गया और कितने का उपयोग किया गया;

(ग) क्या वित्त वर्ष 1993-94 की अन्तिम तिमाही के दौरान अत्यधिक व्यय किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यात्री सुविधाओं के लिए धन की उपयोगिता असमान और अपूर्ण रही है; और

(च) यात्री सुविधाओं, कार्यशाला/उत्पादन एककों तथा संयंत्र और मशीनरी के लिए धन की उपयोगिता का प्रत्येक मद के लिए किये गये कुल आवंटन की तुलना में त्रैमासिक ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

यशपाल समिति की रिपोर्ट

241. **श्री सी०पी० मुदाल्ल गिरियप्पा :**
श्री नारायण सिंह चौधरी :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की पन्द्रहवीं बैठक जिसमें अन्य बातों के अलावा यशपाल समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई, का क्या निष्कर्ष निकाला; और

(ख) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के स्कूलों में इस संबंध में कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) 2-3-1994 को आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 50वीं बैठक में राज्यों ने यशपाल समिति की सिफारिशों से मोटे तौर पर अपनी सहमति व्यक्त की। इस प्रकार के दृष्टिकोणों पर मतैक्य की पहचान कर ली गई है तथा राज्यों को इसकी सलाह दी जाएगी। केन्द्र सरकार के सीधे नियंत्रण में आने वाली स्कूल प्रणाली में इसका लागू किया जाना केन्द्रीय संगठनों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। चूंकि अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं अतः यशपाल समिति की सिफारिश का लागू किया जाना राज्य सरकारों पर निर्भर है।

नई कम्प्यूटर व्यवस्था

242. **श्री कृष्णभूषण शरण सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में अंग्रेजी से अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए एक नई कम्प्यूटर व्यवस्था विकसित की है जिससे रेलवे के दैनिक कार्यों में सुविधा होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक उक्त कम्प्यूटर व्यवस्था कार्य करना शुरू कर देगी ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिलों को वित्तीय सहायता

243. **श्री नीतीश कुमार** :

श्री गुमान मल लोढा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दि० 28 मई, 1994 के दैनिक "पायनियर" में "औराइ सूगर प्रोडक्शन एसटिमेट लैड टू स्पाइरल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने चीनी मिलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 1992 के दौरान वित्तीय सहायता के रूप में इन्हें कतिपय सुविधाएं प्रदान की थीं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या सफलता प्राप्त हुई है; और

(ङ) इस वित्तीय सहायता के परिणामस्वरूप चीनी उत्पादकों को प्रति क्विंटल कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता राशि प्राप्त होगी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ख) चीनी उद्योग एक कृषि पर आधारित उद्योग है और चीनी का उत्पादन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे मौसम की स्थिति, सूखा/बाढ, गन्ने का अन्य मीठा कारकों की ओर विपथन, आदि। यह सच है कि प्रारंभ में चीनी फैक्ट्रियों ने चालू मौसम 1993-94 के दौरान चीनी के अधिक उत्पादन का अनुमान लगाया था। तथापि अब 1993-94 मौसम के दौरान चीनी का वास्तविक उत्पादन 96 लाख टन होने की संभावना है। चीनी के उत्पादन मे यह कमी, उत्तर प्रदेश में गुड़ तथा खांडसारी क्षेत्रों की ओर गन्ने का अत्यधिक विपथन और मुख्य चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में गन्ना तथा चीनी के उत्पादन में कमी के कारण भी आई है।

(ग) और (घ) सरकार चीनी मिलों को गन्ना विकास परियोजनाओं के लिए और उनके प्लांट एवं मशीनरी के पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण के लिए भी रियायती ब्याज दर पर तथा आसान प्रतिसंदाय शर्तों पर चीनी विकास निधि से ऋण उपलब्ध कराती है। वर्ष 1992-93 के दौरान इस उद्देश्य के लिए विभिन्न चीनी फैक्ट्रियों को 109.85 लाख रुपये के ऋण संवितरित किए गए थे। क्योंकि चीनी उत्पादन को प्रभावित करने वाले बहुत-से अन्य कारक भी हैं, जैसे–जलवायु परिस्थितियां आदि, इसलिए चीनी विकास निधि से दिए जाने वाले ऋण के प्रभाव को आंका नहीं जा सकता।

(ङ) भविष्य में चीनी विकास निधि से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता चीनी मिलों से प्राप्त आवेदनों की संख्या पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

प्राकृतिक आपदा कोष

244. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने हाल के वर्षों में राज्यों में बाढ़, सूखा, समुद्री तूफान, ओलावृष्टि आदि जैसे प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती हुई समस्याओं का सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार से प्राकृतिक आपदा कोष के केन्द्रीय अंश में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

(क) से (ग) आपदा राहत कोष के आबंटन सहित प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने की स्थिति में राहत संबंधी व्यय का वित्त-पोषण करने की मौजूदा योजना नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। दसवां वित्त आयोग इस वर्तमान योजना की समीक्षा कर रहा है। अधिकांश राज्य सरकारों ने आपदा राहत कोष के तहत आबंटन में वृद्धि करने के लिये 10वें वित्त आयोग को प्रत्यावेदन दिया है। आयोग अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देते समय राज्य सरकारों की मांग पर विचार करेगा।

चीनी का आयात

254. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री चन्द्रजीत यादव :
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग के कुछ वर्गों ने निजी स्वार्थ के लिए राशन की दुकानों के द्वारा चीनी का वितरण करने हेतु चीनी के आयात के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों को विफल कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार किन परिस्थितियों के कारण अनुबन्धित चीनी के आयात को रोकने के लिए उत्पादक संघ के दबाव के आगे झुक रही है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राशन की दुकानों के द्वारा चीनी का वितरण करने हेतु चीनी के आयात के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों को किसी उत्पादक-संघ द्वारा विफल करने के आरोप के बारे में खाद्य मंत्रालय के पास कोई निश्चित सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

काबुली चने का उत्पादन

246. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष काबुली चने का उत्पादन अधिक हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस खाद्य पदार्थ के मूल्य में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1994 के दैनिक जागरण में "देशी फसल आने के बावजूद काबुली चना की कीमतों में वृद्धि" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) तथा (ख) काबुली तथा अन्य किस्म के चनों के किस्मवार उत्पादन की अलग-अलग मानिटरिंग की जाती है। बहरहाल, चने का उत्पादन 1992-93 में हुए 4.35 मिलियन मीटरी टन की तुलना में 1993-94 के दौरान 5.56 मिलियन मीटरी टन होने की आशा है।

(ग) आम तौर पर कीमतों पर नियंत्रण मांग और आपूर्ति की स्थिति के अनुसार किया जाता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) तथा (च) काबुली चने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं है। किसान जब भी चाहें अपने उत्पादों की बिक्री कर सकते हैं। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार आयात भी किया जाता है। दलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सभी राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित दलहन विकास परियोजना चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत किसानों की प्रमुख आदानों की आपूर्ति रियायती दर पर की जाती है।

स्वैच्छिक संगठनों का साक्षरता कार्यक्रम

247. **डा० के०वी०आर० चौधरी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा निरक्षरता उन्मूलन के लिए कितने केन्द्र चलाए जा रहे हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इन संगठनों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केन्द्र आधारित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को अक्तूबर, 1991 से बन्द कर दिया गया है।

प्रौढ़ साक्षरता को अब पूर्ण साक्षरता अभियानों के माध्यम से चलाया जा रहा है जो कि क्षेत्र विशिष्ट, समयबद्ध, स्वेच्छा आधारित तथा मूल्य प्रभावी है।

इस संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान 107 स्वैच्छिक संगठनों को 109 पूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। ये परियोजनाएं पूरे देश में फैली हुई हैं और इसमें लगभग 17 लाख शिक्षु शामिल किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए वेतन आयोग

248. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां तो कब तक उक्त आयोग नियुक्त कर दिया जाएगा;

(ग) प्रस्तावित आयोग के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) आयोग कब तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के शिक्षकों के वेतन मानों में संशोधन करने के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित समिति के गठन तथा इसमें विचारणीय विषयों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

दादर के निकट दुर्घटना

249. **श्री राम कापसे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में दादर (महाराष्ट्र) के निकट मद्रास-बम्बई मेल, बम्बई-कलकत्ता मेल और एक उपनगरीय लोकल रेल गाड़ी के बीच हुई भयंकर दुर्घटना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दुर्घटना में कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(घ) मृतक एवं घायल व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(ङ) सिगनल और पटरी बदलने संबंधी प्रणाली की विफलता के कारण होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी हां, 25-5-1994 को लगभग 20.35 बजे मध्य रेलवे के दादर-माटुंगा खंड पर एक मल्टीपल पार्श्व टक्कर हुई जिसमें 6063 दादर-मद्रास चेन्नाई एक्सप्रेस, 8001 बंबई वी०टी०-हावड़ा मेल और थाणे से दादर तक चलने वाली डी०टी०-26 ई०एम०यू० लोकल गाड़ियां अंतर्ग्रस्त थीं। इसके कारण 8001 बंबई-हावड़ा मेल गाड़ी का रेल इंजन और आगे के दो सवारी डिब्बे, 6063 दादर-मद्रास चेंन्नाई एक्सप्रेस के 3 सवारी डिब्बे और ई०एम०यू० लोकल का आगे का सवारी डिब्बा भी पटरी से उतर गया।

(ग) इस दुर्घटना में किसी व्यवित की जान नहीं गई और एक यात्री को गंभीर चोटें आईं।

(घ) अनुग्रह के रूप में 1000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। मुआवजे का भुगतान घायल व्यवित द्वारा दावा करने पर रेल दावा अधिकरण द्वारा डिगरी दिए जाने के बाद किया जाएगा।

(ङ) रेल संरक्षा आयुवत, मध्य सर्किल ने अपनी अनंतिम जांच में यह निष्कर्ष निकाला कि टक्कर 8001 बंबई-हावड़ा मेल के ड्राइवर की गलती के कारण हुई। ड्राइवर को पहले ही निलंबित किया जा चुका है और उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, ड्राइवरों और स्टेशन कर्मचारियों की विशेष निर्धारित स्क्रीनिंग भी शुरू की गई है और ड्राइवरों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

[हिन्दी]

पत्थर की खानें

250. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में, विशेष रूप से कोटा परिमण्डल में पत्थर की खानों से हो रही क्षति की जांच कराने हेतु कोई पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी विकास गतिविधि विशेष के लिए पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन सामान्यत: पर्यावरणीय मंजूरी चाहने वाले संबंधित परियोजना प्रस्तावक द्वारा कराया जाता है।

उत्पादक शुल्क में रियायत

251. **श्री एन०जे० राठवा** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उपभोवता संगठनों के नाम क्या हैं जिन्होंने उत्पाद शुल्क में रियायत का लाभ उपभोक्ताओं तक न पहुंचाने वाली कंपनियों के संबंध में शिकायतें भेजी हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इस मामले की रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) कॉमन काज, नई दिल्ली तथा कानपैन्डरेशन ऑफ इंडियन कंज्यूमर आर्गेनाइजेशन (सी० आई० सी० ओ०) ने कुछ कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें भेजीं थीं कि उन्होंने उपभोक्ताओं को उत्पाद शुल्क लाभ नहीं दिया है।

(ख) इसी प्रकार की शिकायतें नागरिक पूर्ति मंत्री जी द्वारा उद्योग एसोसिएशनों तथा उपभोक्ता संगठनों के साथ हुई बैठक में की गई थी, अतः इस मंत्रालय ने औद्योगिक लागत व मूल्य ब्यूरो (बी० आई० सी० पी०) से अनुरोध किया कि वे दस वस्तुओं के बारे में जल्दी से एक अध्ययन करें। बी० आई० सी० पी० ने अध्ययन किया और पाया कि कुछ उद्योगों ने शुल्क रियायतों को पूरी तरह से उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया है। रिपोर्ट संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों, जिसमें वित्त मंत्रालय शामिल है, को भेज दी गई थी।

(ग) रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय ने सूचित किया कि नियंत्रित औषधियों के मामले में रियायतें उपभोक्ताओं तक पूरी तरह पहुंचा दी गईं। गैर-नियंत्रित औषधियों के मामले में, भैषज्य उद्योग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ऐसी लगभग 254 मदों में 0.76% और 2.05% के बीच गिरावट दिखाई दी।

उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया कि उनके अधिनियमों के अंतर्गत वस्तुओं के मूल्यों के विनियमन/नियंत्रण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, मंत्रालय ने लाभों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए मामले को विभिन्न औद्योगिक संगठनों के समक्ष समय-समय पर उठाया।

वाणिज्य मंत्रालय ने सूचित किया कि चाय के मूल्य कुल मिलाकर के नीलामी पद्धति और मांग तथा आपूर्ति द्वारा शासित होते हैं। बजट में छूट के बाद कम्पनियों ने रियायत की घोषणा की। इसके साथ ही चाय बोर्ड को निदेश दिया गया है कि वे प्रमुख चाय उत्पादकों पर मूल्यों को कम करने के लिए जोर डालें।

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने सूचित किया कि लम्बी प्रक्रिया के कारण केंद्रीय उत्पाद कानूनों में यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि उत्पाद शुल्क रियायतें उपभोक्ताओं तक पहुंच जाएं।

[अनुवाद]

गुवाहाटी में स्टाल मालिक

252. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर खाद्य सामग्री की बिक्री के लिए कितने स्टालों तथा वेंडरों को लाइसेंस दिया गया है तथा इन स्टाल मालिकों तथा वेंडरों के लाइसेंसों की अवधि क्या है;

(ख) क्या स्टेशन पर वेंडर सीधे लाइसेंसधारी नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो बिचौलिया के तौर पर कार्य करने वाले स्टाल मालिकों के शोषण से वेंडरों को बचाने के लिए उन्हें सीधे लाइसेंस जारी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) गुवाहाटी में एक वृहद विभागीय खानपान यूनिट की व्यवस्था की गई है। खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए 20 स्टाल हैं जिनमें से 18 स्टाल कमीशन के आधार पर कमीशन वेंडरों द्वारा चलाये जा रहे हैं। अन्य दो स्टालों को विभागीय कर्मचारियों द्वारा चलाया जा रहा है। कमीशन वेंडरों को एक वर्ष की अवधि के लिए खाद्य पदार्थों को बेचने के लिए तैनात किया जाता है और उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर उनकी तैनाती अवधि बढ़ायी जाती है।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र

253. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सूचना केन्द्र का विचार माल ढुलाई कार्य के लिए एक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ने जनवरी, 1994 में एक सुझाव दिया था कि वह माल गाड़ी परिचालनों के लिए कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली विकसित कर सकती है। हाल ही में 7 जून, 1994 को कुछ तकनीकी और वित्तीय ब्यौरे प्राप्त हुए हैं।

(ख) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा दिए गए प्रस्ताव में एरिया रिपोर्टिंग सेन्टरों, क्षेत्रीय तथा मंडल कार्यालयों तथा रेलवे बोर्ड में स्वीकृत सुपर मिनी कम्प्यूटरों का एक नेटवर्क शामिल है। यह उपग्रह पर आधारित दूर संचार लिंक का इस्तेमाल करेगा। इस प्रणाली की लागत 296.75 करोड़ रुपये होगी।

(ग) और (घ) चूंकि राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के तकनीकी तथा वित्तीय ब्यौरे हाल ही में प्राप्त हुए हैं इसलिए इनकी जांच की जा रही है।

रेल कर्मियों के लिए राहत राशि

254. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान रेल कर्मियों तथा उनके परिवारों को रेल मंत्री कल्याण एवं राहत कोष से कितनी राशि दी गई।

(ख) यह सहायता देने के लिए क्या मानदंड अपनाये जा रहे हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान रेल मंत्री कल्याण तथा राहत कोष से रेल कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को क्रमशः 1,20,500 रु० और 17,10,000 रु० की राशि दी गई थी।

(ख) रेल कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को रेल मंत्री कल्याण तथा राहत कोष से प्राकृतिक आपदाओं, लम्बी बीमारी, अचानक मृत्यु आदि जैसे संकट के समय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और यह प्रत्येक मामले के गुण-दोष/औचित्य पर निर्भर करती है।

(ग) 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान लाभान्वित हुए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

1992-93	1993-94
16	13.478
	(इनमें वे 13,469 कर्मचारी भी शामिल हैं जिन्हें सामूहिक बाढ़/चक्रवात राहत कोष से लाभ प्राप्त हुआ है।

स्टेशनों पर अनधिकृत फेरीवाले

255. **डा० मुमताज अंसारी :**

श्री राजेश कुमार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे के विभिन्न जोनों में रेलवे स्टेशनों और चलती गाड़ियों में अनाधिकृत फेरीवालों की बढ़ती हुई संख्या के संबंध में कोई आंकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन फेरीवालों को लाइसेंस देकर उन्हें नियमित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) रेलवे स्टेशनों तथा गाड़ियों में अनधिकृत फेरीवालों/वेंडरों की संख्या का कोई आकलन नहीं किया गया है। तथापि 1993-94 के दौरान 57967 जांच की गई थीं और अधिनियम, 1989 के प्रावधान के अंतर्गत 18157 अनधिकृत फेरीवालों/वेंडरों पर मुकदमा चलाया गया था।

(ग) और (घ) जी नहीं। तथापि, मामले की गहराई से जांच की गई थी किन्तु उसे व्यावहारिक नहीं पाया गया था।

शयनयानों पर अंकन

256. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्लीपर कोचों पर अक्सर खड़िया से गलत और अव्यवस्थित ढंग से अंकन किया जाता है और इन्हें क्रमबद्ध ढंग से नहीं लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) अधिकांशतः सवारी डिब्बों का क्रमांकण निर्धारित अनुदेशों के अनुसार किया जाता है। अपवाद के रूप में सवारी डिब्बों का खराब क्रमांकण आदि किए जाने के कारण वे सही क्रम में नहीं होते हैं।

(ग) रेलों को इस आशय के अनुदेश दोहरा दिए गए हैं कि आरक्षित सवारी डिब्बों पर कोच संख्या दर्शाने के लिए धातु की प्लेटों का उपयोग किया जाए।

रेलवे खान-पान निगम

257. **श्री मोहन रावले** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे का विचार अपनी खान-पान सेवाओं में सुधार करने हेतु एक रेलवे खान-पान निगम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस निगम की स्थापना कब तक कर दी जाएगी और यह निगम कब से कार्य करना आरम्भ कर देगा।

(घ) क्या नॉर्थ/साउथ एवेन्यू कैंटीन में परोसी जाने वाली खाद्य वस्तुओं और भोजन की जांच रेलवे खान-पान अधिकारियों द्वारा की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त कैंटीनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में क्या-क्या सुधार किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) जी हां, यह प्रस्ताव वैचारिक स्तर पर है।

(घ) से (च) जी हां, नॉर्थ एवेन्यू स्थित संसद सदस्यों की कैंटीन में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थ तथा भोजन की उत्तर रेलवे के संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है। खानपान सेवा में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। कैंटीन में परोसे जाने वाला भोजन पोष्टिक, साफ सुथरा तथा अच्छी गुणवत्ता का हो यह सुनिश्चित करने के लिए कच्ची सामग्री की खरीद तथा खाद्य पदार्थों को तैयार करने में निगरानी रखने में यथोचित सावधानी रखी जाती है।

[हिन्दी]

पूर्व रेलवे सतर्कता विभाग

258. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्व रेलवे सतर्कता विभाग के अंतर्गत ट्रैफिक इंस्पेक्टर, इंजीनियरिंग और स्टोर विभाग द्वारा कितने कर्मचारियों को पकड़ा गया तथा इनके द्वारा क्या जांच की गई;

(ख) इस हेतु सरकार सतर्कता विभाग के अधिकारियों को क्या प्रोत्साहन देती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन अधिकारियों को भविष्य में अधिक-से-अधिक जांच कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगी ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्व रेलवे के सतर्कता निरीक्षकों द्वारा की गई जांच की संख्या और उन कर्मचारियों की संख्या से संबंधित ब्यौरा

नीचे दिया गया है जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी तथा जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दण्डित किया गया है :

	की गई जांच की संख्या	उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई	उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें दण्डित किया गया
1991	704	1752	486
1992	696	1271	355
1993	464	1428	290

(ख) सतर्कता निरीक्षकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें प्रतिवर्ष पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान दिए गए पुरस्कारों का ब्यौरा इस प्रकार है :

	1991-92	1992-93	1993-94
महाप्रबंधक स्तर पर	2	1	2
	1991-92	1992-93	1993-94
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक स्तर पर	3	4	4

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कर्मचारियों/अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार देकर उन्हें सार्थक और प्रभावी जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

[अनुवाद]

शिक्षा निकायों के प्रमुख

259. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कया सरकार ने चालू वर्ष के दौरान शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी शीर्षस्थ शिक्षा निकायों में पूर्णकालिक प्रमुखों की नियुक्ति कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कुल कितनी नियुक्तियों में विलम्ब हुआ है और कितने संस्थानों में प्रमुख नहीं है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) इस विभाग के अंतर्गत 78 स्वायत्त संगठन आते हैं। संस्थान के प्रमुख स्तर पर, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना प्रबन्ध संस्थान, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिक संस्थान, राष्ट्रीय औद्योगिक अभियान्त्रिकी प्रशिक्षण संस्थान में निदेशक तथा महर्षि सन्दीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान में सचिव के पद रिक्त हैं। ये पद सरकार की स्वीकृति से अन्वेषण/चयन समितियों की प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाते हैं। इन रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। चालू वर्ष के दौरान, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के पद को भरा गया। ऐसे महत्वपूर्ण पदों को तत्काल भरे जाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

चीनी का उत्पादन

260. **श्री नीतीश कुमार** :

श्री गुमान मल लोढा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चीनी मिलों की स्थापना के समय गन्ने के वास्तविक उत्पादन का अनुमान लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो चीनी उत्पादन की विद्यमान क्षमता का शत प्रतिशत उपयोग करने के लिए कुल कितने गन्ने की आवश्यकता होती है;

(ग) क्या वित्तीय वर्ष 1993-94 में गन्ने का उत्पादन उसकी आवश्यकता से कम था; और

(घ) यदि हां, तो देश में गन्ने की अनुपलब्धता के बावजूद नये चीनी मिलों की स्थापना के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) चीनी उद्योग में लाइसेंस देने के लिए दिनांक 8 नवंबर, 1991 के प्रेस नोट के तहत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार नई यूनिटों के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए मूल मानदंड, मुख्यतः गन्ने की उपलब्धता तथा गन्ने के विकास की संभावना के दृष्टिकोण से उनकी व्यवहार्यता का होगा।

(ख) 31-3-1994 को देश में चीनी मिलों की दैनिक गन्ना पेराई की संस्थापित क्षमता 8,10,845 टन थी। 150 दिन की औसत अवधि को मानते हुए लगभग 1216.27 लाख टन गन्ने की आवश्यकता होगी। देश में चीनी मिलों की दैनिक गन्ना पेराई की लाइसेंसशुदा क्षमता 13,87,886 टन थी। 150 दिन की औसत अवधि को मानते हुए चीनी मिलों को 2081.83 लाख टन गन्ने की आवश्यकता होगी।

(ग) व (घ) जी, नहीं। फसल वर्ष 1993-94 (जुलाई-जून) में गन्ने का उत्पादन अब 2398.64 लाख टन होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं का आवंटन

261. **श्री प्रकाश वी० पाटील :**

प्रो० रासा सिंह रावत :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

प्रो० के०वी० थामस :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छह माह में विभिन्न राज्यों के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की अत्यधिक कमी रही है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान राज्यों की मांग की तुलना में राज्यवार चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी तेल की कितनी मात्रा में आपूर्ति की गई;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इन वस्तुओं के कोटा में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जनजातीय क्षेत्र में वस्तुवार प्रति क्विंटल खाद्यान्न पर कितनी राजसहायता दी जाती है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में पिछले छः महीने के दौरान आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी के संबंध में कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु वर्ष 1993-94 के दौरान चावल और गेहूं की राज्यवार मांग, आवंटन और उनकी उठाई गई मात्रा तथा चीनी और मिट्टी के तेल का आवंटन और उनकी उठाई गई मात्रा दर्शाने वाले विवरण-I तथा II में संलग्न है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों का आवंटन, केंद्रीय पूल में स्टॉक की उपलब्धता, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकताओं और मौसमजन्य कारकों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए माह-दर-माह आधार पर किया जाता है। लेवी चीनी का आवंटन सामान्यतः 1-10-1986 को अनुमानित आबादी के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के एकसमान मानदण्ड के आधार पर किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल के आवंटन में वृद्धि इस दृष्टि से की जाती है कि जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति औसत उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से कम है, वहां प्रति व्यक्ति औसत उपलब्धता बढ़ाकर राष्ट्रीय औसत के बराबर की जा सके।

(ङ) संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाए गए क्षेत्रों में, जिनमें समन्वित आदिवासी विकास परियोजनाओं के तहत आने वाले क्षेत्र शामिल हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के

जरिए वितरण के लिए नियत गेहूं, चावल और मोटे अनाज राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर जारी किए जाते हैं जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सामान्य केंद्रीय निर्गम मूल्यों से 50 रु० प्रति क्विंटन कम होते हैं।

विवरण-I

(हजार मी० टन में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं			चावल		
		मांग	आवंटन	उठान	मांग	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	235.00	172.06	117.00	2546.00	2282.50	2172.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	13.70	7.20	6.50	124.20	124.20	87.40
3.	असम	438.00	260.00	231.80	685.20	510.80	397.30
4.	बिहार	1489.20	725.20	427.80	317.00	299.20	86.40
5.	गोवा	48.50	37.20	22.90	67.20	54.00	39.80
6.	गुजरात	790.50	642.00	306.20	414.00	414.00	238.90
7.	हरियाणा	406.42	141.90	74.10	40.00	36.00	16.20
8.	हिमाचल प्रदेश	194.00	121.00	107.60	93.10	80.60	77.20
9.	जम्मू व कश्मीर	281.00	240.00	126.00	484.60	436.40	163.00
10.	कर्नाटक	490.00	295.00	257.20	887.00	828.50	597.30
11.	केरल	590.00	350.00	315.50	2604.00	1825.00	1578.30
12.	मध्य प्रदेश	735.00	492.00	247.40	538.10	490.80	190.00
13.	महाराष्ट्र	1210.00	960.00	528.50	872.00	858.00	578.00
14.	मणिपुर	36.80	34.40	24.70	138.50	120.00	49.50
15.	मेघालय	44.00	32.00	29.70	190.50	126.00	111.20
16.	मिजोरम	20.60	16.80	16.50	120.00	103.20	98.40
17.	नागालैण्ड	59.46	40.50	33.10	132.05	112.60	94.90
18.	उड़ीसा	410.00	270.00	221.00	468.40	464.40	185.30
19.	पंजाब	250.00	240.00	12.80	18.00	18.00	5.20
20.	राजस्थान	1248.50	1140.00	577.30	84.70	84.60	18.40
21.	सिक्किम	7.80	7.20	6.10	60.00	54.00	42.70

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	तमिलनाडु	335.00	245.00	235.70	941.60	878.80	856.70
23.	त्रिपुरा	30.80	21.60	13.90	194.40	194.40	146.80
24.	उत्तर प्रदेश	1295.40	972.60	391.60	738.40	535.60	232.50
25.	पश्चिम बंगाल	1255.00	992.00	821.80	1166.00	967.20	528.90
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	12.60	12.60	0.40	36.00	36.00	—
27.	चंडीगढ़	36.00	21.60	11.00	6.20	3.60	2.40
28.	दादरा व नगर हवेली	3.90	2.40	—	6.45	6.00	1.10
29.	दमण व दीव	3.40	1.80	0.30	6.90	6.00	1.20
30.	दिल्ली	924.00	864.00	558.80	240.00	240.00	143.00
31.	लक्षद्वीप	0.50	0.50	शून्य	6.30	6.30	3.30
32.	पाण्डिचेरी	9.00	9.00	शून्य	24.00	24.00	3.40
	योग :	1204.08	9368.10	5723.20	14246.80	12218.70	8748.50

विवरण-II

(हजार मी० टन में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मिट्टी का तेल		चीनी	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	594.41	491.45	326.19	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.41	7.66	4.06	*
3.	असम	249.17	208.02	125.00	*
4.	बिहार	514.61	420.80	428.64	*
5.	गोवा	27.12	22.64	6.47	*
6.	गुजरात	786.03	655.62	208.88	*
7.	हरियाणा	152.55	127.19	82.39	*

1	2	3	4	5	6
8.	हिमाचल प्रदेश	38.49	30.88	26.05	*
9.	जम्मू और कश्मीर	65.37	56.31	37.22	*
10.	कर्नाटक	448.44	373.53	229.27	*
11.	केरल	268.38	222,76	157.95	*
12.	मध्य प्रदेश	411.53	337.43	322.90	*
13.	महाराष्ट्र	1497.32	1242.80	386.23	*
14.	मणीपुर	20.85	15.52	8.97	*
15.	मेघालय	15.46	12.79	8.53	*
16.	मिजोरम	6.14	5.11	3.33	*
17.	नागालैंड	10.22	8.43	5.52	*
18.	उड़ीसा	174.00	140.75	159.86	*
19.	पंजाब	325.47	265.83	102.48	*
20.	राजस्थान	285.70	231.69	218.22	*
21.	सिक्किम	7.51	6.23	2.09	*
22.	तमिलनाडु	661.90	551.50	290.83	*
23.	त्रिपुरा	21.46	17.45	12.80	*
24.	उत्तर प्रदेश	961.51	799.51	682.78	*
25.	पश्चिम बंगाल	743.08	617.55	333.96	*
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3.03	3.01	3.19	*
27.	चंडीगढ़	20.88	15.36	4.80	*
28.	दादरा व नगर हवेली	3.12	2.58	0.62	*
29.	दमण व दीव	2.92	2.38	0.50	*
30.	दिल्ली	238.56	198.82	112.23	*
31.	लक्षद्वीप	0.88	0.38	0.90	*
32.	पाण्डिचेरी	14.71	11.84	5.12	*
	योग :	8577.28	7105.83	4298.97	

1. लेवी चीनी की उठाई मात्रा को शतप्रतिशत मान लिया गया है।

2. मिट्टी के तेल की उठाई गई मात्रा जनवरी, 1994 तक।

[हिन्दी]

सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल

262. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश जाने वाले साहित्यिक और सांस्कृतिक शिष्टमंडलों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के अंतर्गत राज्य से कितने व्यक्ति विदेश गए; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कितने विदेशियों ने राजस्थान का दौरा किया और ये किन-किन देशों के थे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले संगठनों में चयन के मानदंड भिन्न-भिन्न हैं। तथापि, शिष्टमंडलों का गठन कलाकार/अध्येता/लेख की श्रेष्ठता तथा विजिटिंग देश की विनिर्दिष्ट अपेक्षा को ध्यान में रख कर तथा सांस्कृति विनिमय कार्यक्रमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आरक्षित डिब्बों में सैन्य कर्मियों का प्रवेश

263. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 मई, 1994 के "हिन्दू" में "मिलिटरी मेन" "रिजर्व रिजर्ड कोचेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे बोर्ड ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में किसी भी रेलवे स्टेशन पर भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, क्या उपाय किये हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) सैन्य कर्मियों तथा कुछ अनारक्षित यात्रियों द्वारा 4645 शालीमार एक्सप्रेस के एक आरक्षित डिब्बे में जबरदस्ती कब्जा करने के परिणामस्वरूप नई दिल्ली स्टेशन पर 75 मिनट तक गाड़ी रुके रहने का समाचार प्रकाशित हुआ था।

(ग) जिस डिब्बे का सैन्य कर्मियों तथा अन्य अनारक्षित यात्रियों द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया

गया था वह वास्तव में अनारक्षित डिब्बा था जिसे अन्य आरक्षित डिब्बे के क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से यात्रियों को स्थान उपलब्ध कराने के लिये उसे आरक्षित सवारी डिब्बा निर्धारित किया गया था। ऐसी स्थिति में क्षतिग्रस्त डिब्बे के स्थान पर उसी किस्म के डिब्बे द्वारा बदलाव के सदैव प्रयास किए जाते हैं। घटना वाले दिन, क्षतिग्रस्त डिब्बे को बदलने के लिए कोई भी उपयुक्त शयनयान डिब्बा या अनारक्षित डिब्बा नई दिल्ली के यार्ड में उपलब्ध नहीं था।

आवश्यक वस्तु

264. **श्री मोहन रावले :**

डा० साक्षी जी :

प्रो० के०वी० थामस :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या गत तीन माह के दौरान लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ग) इस वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) मूल्यों में, कम-से-कम आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) व (ख) दिसम्बर, 1993 से मई, 1994 तक चुनी आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों का विवरण संलग्न है।

(ग) व (घ) कुछ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि ऊंची मांग होने, उत्पादन में लगभग स्थिरता होने, निर्देशित मूल्यों में बढ़ोत्तरी होने, मांग एवं आपूर्ति में अन्तर होने तथा मौसमी कारणों की वजह से हुई कही जा सकती है। सरकार ने मूल्यों की बढ़ोत्तरी को उचित सीमाओं के भीतर रखने के लिए उच्च प्राथमिकता दी है। मूल्यों की मॉनीटरिंग से संबंधित अन्तरमंत्रालयिक समन्वय समिति मूल्यों की स्थिति की समीक्षा करती है तथा संबंधित प्राधिकारियों को उपयुक्त तथा समय से कार्रवाई करने की सलाह देती है। उत्पादन में वृद्धि लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कम आपूर्ति वाली वस्तुओं का आयात किया जा रहा है, ताकि बाजार में उनकी सहज उपलब्धता हेतु अनुपूर्ति की जा सके। चीनी, खाद्य तेलों, पामोलीन तथा कपास के आयात को खुलेआम लाइसेंस के तहत रखा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत तथा सुप्रवाही बनाया जा रहा है, ताकि उसके लाभ दुर्गम इलाकों तक भी पहुंच सके। आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य कानूनों के तहत जमाखोरों, चोर-बाजारियों तथा ऐसे असामाजिक काम करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

चुनी हुई आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक

(आधार : 1981-82 = 100)

वस्तु	दिसम्बर 1993	जनवरी 1994	फरवरी 1994	मार्च 1994	अप्रैल 1994	मई 1994 (21-5-1994)
चावल	274.3	265.6	269.2	268.6	267.5	274.4
गेहूं	256.7	261.3	283.7	281.4	272.2	264.0
चना	399.0	406.6	419.1	367.7	330.2	336.6
अरहर	343.3	346.2	335.1	333.9	331.8	323.4
आलू	354.8	258.2	205.6	210.3	203.9	229.7
प्याज	535.8	460.7	306.9	257.2	219.8	218.9
चाय	360.6	364.4	364.7	362.7	297.5	258.1
चीनी	209.9	214.9	226.3	227.7	230.2	246.8
नमक	240.2	236.5	236.5	236.5	236.5	235.7
वनस्पति	241.3	238.3	237.6	238.1	243.1	245.6
मूंगफली का तेल	238.8	227.4	226.5	228.9	237.4	249.6
तरसों का तेल	222.9	222.3	214.0	210.5	215.3	221.5
समग्र वस्तुएं	251.7	252.7	252.9	255.5	260.1	263.5

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की बिक्री

265. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा नवम्बर, 1993 से अप्रैल, 1994 तक प्रतिमाह खुले बाजार में कुल कितने गेहूं की बिक्री की गई;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक माह खुले बाजार में गेहूं की प्रति क्विंटल बिक्री दर क्या थी;

(ग) क्या इससे खुले बाजार में गेहूं के मूल्यों में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को कुछ और महीने गेहूं की खुली बिक्री करने की अनुमति दी है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने नवम्बर, 1993 से अप्रैल, 1994 के महीनों के दौरान खुले बाजार में 29.67 लाख मीटरी टन गेहूं बेची थी। विवरण संलग्न है जिसमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा नवम्बर, 1993 से अप्रैल, 1994 के दौरान खुले बाजार में बेची गई गेहूं की मासवार मात्रा दी गई है।

(ख) विवरण II सलंग्न है जिसमें खुले बाजार में बिक्री करने के लिए निर्धारित किए गए गेहूं के राज्यवार/मासवार मूल्य दिए गए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में गेहू की बिक्री करने से खुले बाजार में दामों को रोकने में मदद मिली है। अक्तूबर से मार्च के बीच की कमी वाली अवधि में जब खुले बाजार में दामों के चढ़ने की प्रवृत्ति होती है, तब भारतीय खाद्य निगम द्वारा बेची गई गेहूं की वजह से खुले बाजार में स्टाक में वृद्धि हो जाने से मूल्यों को स्थिर करने में मदद मिली है।

(ङ) जी, हां। भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को खुले बाजार में सितम्बर, 1994 तक गेहूं की बिक्री जारी रखने की अनुमति प्रदान कर दी है।

विवरण-I

भारतीय खाद्य निगम द्वारा नवम्बर, 1993 से अप्रैल, 1994 के महीनो के दौरान खुली बिक्री संबंधी योजना के अधीन खुले बाजार में बेची गई गेहूं की मात्रा बताने वाला विवरण

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

क्र.सं.	मास	बेची गई मात्रा
1.	नवम्बर, 1993	4.83
2.	दिसम्बर, 1993	4.21
3.	जनवरी, 1994	6.23
4.	फरवरी, 1994	7.80
5.	मार्च, 1994	4.32
6.	अप्रैल, 1994	2.28
	जोड़ :	29.67

विवरण-II

नवम्बर, दिसम्बर, 1993, जनवरी से अप्रैल, 1994 के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए गेहूं की खुली बिक्री के लिए निर्धारित किए गए मूल्य

दर प्रति मीटरी टन 1 रुपये

राज्य का नाम	नवम्बर, 1993	दिसम्बर, 1993 और जनवरी, 1994	फरवरी, 1994 और मार्च, 1994	अप्रैल, 1994
पंजाब/हरियाणा/उत्तर प्रदेश	3850	3850	4100	4100
दिल्ली	4050	4050	4250	4250
राजस्थान	4000	3950	4150	4150
जम्मू और कश्मीर	4000	4000	4200	4200
हिमाचल प्रदेश	4000	4000	4200	4200
महाराष्ट्र	4450	4400	4650	4500
गुजरात	4300	4250	4450	4350
मध्य प्रदेश	4100	4000	4200	4100
			*4100	
पश्चिम बंगाल और उड़ीसा	4400	4250	4400	4350
बिहार	4300	4190	4350	4300
तमिलनाडु	4500	4500	4750	4600
आन्ध्र प्रदेश	4450	4450	4700	4550
कर्नाटक	4550	4550	4750	4600
केरल	4600	4600	4800	4600

*मध्य प्रदेश के लिए खुली बिक्री के अधीन गेहूं का मूल्य 4-2-1994 से घटाकर 4100 रुपये प्रति मीटरी टन कर दिया गया है।

समन्वित मात्स्यिकी परियोजना

265क. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचि स्थित समन्वित मात्स्यिकी परियोजना तथा विशाखापत्तनम स्थित इसके संयंत्र पर अब तक कुछ कितना निवेश किया गया है;

(ख) 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 में परियोजना का कितना कारोबार हुआ तथा 1994-95 में अनुमानित कारोबार कितना होगा;

(ग) पिछले वर्ष में कम कारोबार होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या परियोजना के उत्पादों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग है।

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) परियोजना की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाएंगे ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) समन्वित मात्स्यिकी परियोजना में अब तक किया गया निवेश इस प्रकार है :

कोचि :	3037 लाख रुपये
विशाखापतनम :	121 लाख रुपये

(ख) वर्ष	लाख रुपये
1991-92	15.11
1992-93	26.61
1993-94	42,39
1994-95 (अनुमानित)	110.00

(ग) पिछले वर्ष के दौरान समन्वित मात्स्यिकी परियोजना में कम कारोबार होने के कुछ कारणों में निम्नलिखित कारण शामिल हैं :

(1) परियोजना कोई वाणिज्यिक उद्यम नहीं है। इसका कार्य कम मूल्य वाली और गैर-पारम्परिक मछली प्रजातियों से उत्पाद विकास करना और स्वदेशी बाजार में उनका परीक्षण के तौर पर विपणन करना है; तथा

(2) अक्तूबर, 1991 के दौरान कोचि बन्दरगाह में आग की दुर्घटना में परियोजना के 3 मत्स्यन जलयानों की अचानक क्षति हो गई और इस बेडे की प्रतिपूर्ति नहीं हो पाई।

(घ) और (ङ) जी, हां। समन्वित मात्स्यिकी परियोजना के मात्स्यिकी उत्पादों विशेषकर हिमित डिब्बाबंद और शुष्क मात्स्यिकी उत्पादों की स्वदेशी बाजारों में तुरन्त स्वीकार्यता मुहैया है विगत

मैं परियोजना के मात्स्यिकी उत्पादों का निर्यात 227.9 मीटरी टन था जिसका मूल्य 37.37 लाख रुपए था। परियोजना के निर्यात संबंधी प्रयासों में गहरे समुद्र के लौब्स्टरों और गहरे समुद्र के झींगों के लिए निर्यात बाजार तैयार करने में भी मदद मिली है।

(च) समता का अधिकतम उपयोग करने के लिए कुछ उठाए गए/प्रस्तावित कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) 4 नए सुदूस्तरीय/गहरे समुद्र में मत्स्यन करने वाले जलयानों का अधिग्रहण करके परियोजना के मत्सयन बेडे को सुदृढ़ बनाना और पुराने जलयानों में से एक को पुनः चालू करना ताकि उत्पाद विकास के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को बढ़ाया जा सके;

(2) विशाखापत्तनम में परियोजना की इकाई का विकास करना; आदि

[अनुवाद]

12.00 बजे मध्याह्न

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, इस समय राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के लगभग आधे कर्मचारियों की दशा बहुत ही शोचनीय है। वे लोग लगभग 4 से 6 माह से वेतन न मिलने के कारण भूखों मर रहे हैं। बहुत परियोजनाओं पर विशेष रूप से उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में, कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यह स्थिति इस कारण से पैदा हुई है क्योंकि बार-बार आश्वासन देने के बावजूद सरकार और सम्बंधित मंत्रालय अर्थात् जल संसाधन मंत्रालय ने अपेक्षित परियोजनाओं को पुनः चालू करने संबंधी योजना को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है। उन्होंने बार-बार इस सभा में आश्वासन दिया है, संसद सदस्यों ने बार-बार उन्हें पत्र लिखे हैं और मंत्रियों ने कहा है चाहे कुछ परियोजनाएं आर० पी० एन० एन० की गलती न होने के कारण भी घाटे में न चल रही है, फिर भी कर्मचारियों का पारिश्रमिक सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बावजूद आज हम देखते हैं कि यह प्रतिष्ठित संस्था धीरे-धीरे समाप्ति की ओर जाती जा रही है। संसद के गत सत्र में कृषि संबंधी स्थायी समिति ने इस कंपनी को अर्थक्षम बनाने की सिफारिश भी की थी। हममें से कुछ लोग आर० पी० एन० एन० के सदस्यों के साथ प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्होंने स्वयं इस कंपनी को अर्थक्षम बनाने के सम्बन्ध में जांच कराने का आश्वासन दिया था। तथापि, इस मामले में कुछ भी नहीं किया गया है। सरकार कंपनी में उच्च पदों को भरने के लिए कुछ नहीं कर रही है। चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक का पद काफी समय से रिक्त पड़ा है। अन्य पद भी रिक्त पड़े हैं, क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका है।

यहां तक कि कंपनी द्वारा सभी मानदंड पूरे किए जाने और न्यूनतम बोलीदाता होने के बावजूद भी विश्व बैंक के प्रत्यक्ष दबाव में कंपनी को कोई कार्य नहीं दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में ऐसा एक दृष्टांत श्रीराम सागर परियोजना का है जहां आर० पी० एन० एन० सबसे कम बोलीदाता कम्पनी रही है। बैंक गारंटी सीमा समाप्त हो चुकी है। लिखित में आश्वासन देने के बावजूद भी मंत्रालय ने इस बैंक गारंटी का नवीकरण कराने के लिए कुछ नहीं किया है और इससे ऐसा लगता है कि सरकार

जानबूझकर इस कंपनी को धीरे-धीरे समाप्त होने दे रही है। महादेय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह स्पष्ट वक्तव्य दे कि कंपनी को अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है और क्या राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के श्रमिकों का पारिश्रमिक सुनिश्चित किया जाएगा तथा क्या सरकार निगम हेतु बैंक गारंटी सुनिश्चित करेगी। **(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने पिछले सत्र में भी यह मामला उठाया था सरकार इस कंपनी को अर्थक्षम बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। लोग भूख से मर रहे हैं। हजारों श्रमिकों को उनका वेतन नहीं मिल रहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : आपके सहयोगी ने बहुत अच्छा कहा है।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोलबाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग की जो दुर्दशा देश में हो रही है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। बहुत उम्मीदों के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ग पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से जुल्म ढाए जा रहे हैं, जिस तरह से उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, उसको हल करने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई है, इसी सदन के द्वारा। अभी हाल में अखबारों में पढ़ा होगा कि इस राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, सरदार सरोवर डैम की वजह से जो आदिवासी विस्थापित हुए हैं, उजाड़े गए हैं, उनकी कुछ खबरों और सूचनाओं के आधार पर, दो जून को गुजरात में गए थे। जब वे बड़ौदा पहुंचे और उनको मालूम हुआ कि सरकार निगम के अध्यक्ष के इशारे पर 40 लोगों का एक बहुत बड़ा झुंड, उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जिसकी अध्यक्षता इस आयोग के अध्यक्ष कर रहे थे, उनको रोकने के लिए वहां पर जमा हो गए। उनको उनके काम से ही नहीं रोका गया, बल्कि उनके साथ हाथा-पाई की गई, गालियां दी गईं, बुरे-बुरे नारे लगाए गए और उनको वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। वे, श्री रामधन जी, इसी सदन के मैम्बर थे, और आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। वे गांधीवादी हैं। इन्होंने उनके जवाब में गालियां नहीं दी, बल्कि गांधीवादी तरीके से वहां धरना दे दिया और कहा कि मैं इस काम के लिए आया हूं और मुझे यह काम निपटाना है। उन्होंने वहां पर धरना दे दिया और जब धरना दे दिया, तो वहां के मुख्य मंत्री से टेलीफोन पर बात हुई और मुख्यमंत्री ने उस घटना के लिए क्षमा-याचना की और तब उन्होंने धरना खत्म किया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इस घटना से कुछ संवैधानिक सवाल खड़े होते हैं। संवैधानिक सवाल यह है कि संवैधानिक आधार पर यह आयोग बनाया गया और वह आयोग अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए यदि किसी प्रदेश में जाता है और वहां उस प्रदेश की सरकार बाजए उनको सहयोग दिए, उसमें अड़चन डालती है, तो उस आयोग का क्या बनेगा।

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, लम्बा भाषण हो रहा है। आप इसकी जानकारी दें।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : मैं कह रहा हूं, संवैधानिक जो रचना हुई है, उसका क्या बनेगा। इस वर्ग को जो राहत मिली है और यह आयोग बनाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वर्ग की बात में मत जाइए, बात चेयरमैन तक ही रखिए।

श्री कालका दास : कोई घटना हुई, आयोग जाएगा, उनको सुझाव देगा और कोई हल निकलेगा। ऐसी घटनाओं से जो उनका मनोबल है, जो विश्वास है, वह टूट जाएगा। मैं जानना चाहता हूं, यदि कहीं ऐसी घटना होती है, तो केन्द्रीय सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाएगी और गुजरात के मामले में सरकार के खिलाफ क्या कार्रवाही की जा सकेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सरकार इस संबंध में सूचना एकत्र करेगी। संसदीय मामलों के मंत्री इस पर ध्यान देंगे। हम जानना चाहेंगे कि तथ्य क्या हैं। तथ्यों को एकत्र करके सभा को सौंपी जाएगी। हमारे समक्ष दो बातें रखी जाएंगी यदि वह सच पाया गया तो यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अतिमहत्वपूर्ण बात की जानकारी सभा को देना चाहता हूं। हाल ही में पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे के संबंध में टेलीविजन के माध्यम से भारत विरोधी प्रचार शुरू कर दिया है जो हमारे यहां के टेलीविजन सेटों पर भी उपग्रह चैनल द्वारा प्रसारित होता है। यह कार्यक्रम तीन सप्ताह पूर्व अर्थात् 29 मई, 1994 से शुरू हुआ है और यह अब भी जारी है। इसका प्रसारण प्रत्येक रविवार को रात्रि 8.30 बजे से 9.30 बजे तक हो रहा है। इसमें काल्पनिक झूठी कहानी के द्वारा यह दिखाया जा रहा है कि भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। कश्मीरियों के नैतिक आचार को मलिन करने हेतु झूठी और मनगढंत कहानियों को सुनाया और दिखाया जा रहा है। वे अपने कार्यक्रम में कहते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। भारत ने इस पर बलात् कब्जा कर लिया है तथा वे कश्मीरियों को यातना दे रहे हैं।

हजरतबल आपरेशन के द्वारा कश्मीरियों को दबाया गया है। वहां कोई भी आतंकवादी नहीं थे। सीमा सुरक्षाबल तथा सेना के उच्चाधिकारी खूबसूरत लड़कियों के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। हम सरकार द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग का आनंद ले रहे हैं। हमारी सेना का कार्य देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ना है लेकिन वे देश में अपने ही भाइयों से लड़ रहे हैं। वहां हर प्रकार के भारत विरोधी प्रचार किए जा रहे हैं।

अत: मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करता हूं कि इससे सरकार को अवगत कराया जाए और सरकार को कश्मीर में स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता

हूं कि गृह मंत्रालय द्वारा इस दुष्प्रचार का हमारे दूरदर्शन तथा अन्य प्रचारतंत्रों के माध्यम से पाकिस्तान के इस अनिष्टकर और कुटिल इरादों का प्रत्युत्तर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल (गौड्डा) : अध्यक्ष महोदय, 12 तारीख को बी० सी० सी० एल० के जो कर्मचारी दामोदर नदी के पार में रहते हैं, जो वहां काम करते हैं उनके लिये बी० सी० सी० एल० की तरफ से आने-जाने के लिये एक नाव का इंतजाम किया हुआ है। वहां पर जो लोकल कर्मचारी काम करते हैं उनको रहने के लिये कोई क्वार्टर नहीं दिया जाता है। नाव पर कर्मचारियों के साथ-साथ दूसरे लोग भी आते हैं उसमें बहुत सारे गांव के लोगों को भी सुविधा प्राप्त है। परसों जब कर्मचारी आ रहे थे तो एक ही नाव में करीब एक सौ आदमी चढ़े हुए थे यह नाव इतनी पुरानी है कि उसके नीचे की लकड़ी सड़ी हुई थी और उसके नीचे से नाव के अंदर इतना पानी घुस गया कि इस कारण से नाव आगे जाकर डूब गई। अभी 85 आदमी लापता हैं। मेरा कहना यह है कि उस इलाके की इंडस्ट्री का दोहन किया जाता है और पैसा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार कमाती है लेकिन लोगों को, मजदूरों को नदी पार करके आने-जाने के लिये आज तक कोई इंतजाम नहीं किया। वहां जो कर्मचारी कोयला निकालते हैं उस इलाके के लोगों के लिये आने-जाने की कोई सुविधा नहीं की। उनको एक टूटी नाव दे दी और उसकी कभी कोई जांच नहीं की, इतनी लापरवाही बी० सी० सी० एल० के लोग बरतते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दामोदर नदी पार करने का कोई काम नहीं किया। उसमें एक सौ आदमी चढ़े थे जिसमें से 85 आदमी अभी लापता हैं।

महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच करे कि इस सड़ी हुई नाव की मरम्मत क्यों नहीं की गई, उसको बदला क्यों नहीं गया? 85 आदमी मर गए हैं उनको अभी तक निकाला नहीं गया है। मेरा कहना यह है कि जो लोग मारे गए हैं उनको आप एक-एक लाख रुपए का मुआवजा दें और प्रत्येक परिवार को एक-एक नौकरी दें। दामोदर नदी को पार करने के लिये भारत सरकार बी० सी० सी० एल० की तरफ से वहां पुल बनाने का इंतजाम करे। मैं इस संबंध में कोयला मंत्रालय से एक स्टेटमेंट दिलाने के लिये मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को निर्देश दें कि इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट सदन में रखे।

प्रो० रीता वर्मा (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय सूरज मंडल जी ने जो बात की है उसके साथ मैं अपने आपको एसोसिएट करना चाहती हूं। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नेग्लीजेंस हुई है, बी० सी० सी० एल० की तरफ से हुई है जिसके कारण इतने लोगों के जान-माल का नुकसान हुआ है इसलिये इसके लिये इनक्वायरी बिठाई जाये और जो भी दोषी ऑफिसर्स हैं उनको कड़ी-से-कड़ी सज़ा दी जाये। मैं यह भी मांग करूंगी कि न्यूकेंडा के डिजास्टर के बाद उनको पैकेज दिया गया था इसलिये सिर्फ एक लाख कम्पनसेशन से काम नहीं चलेगा क्योंकि जान सब की कीमती होती है। मैं यह मांग करती हूं कि ये जो अभागे श्रमिकों की जान चली गई है सेंट्रल गवर्नमेंट और माननीय कोयला मंत्री जी उसी तरह का पैकेज उनके परिवार को भी दें और इस मामले की जल्दी से जल्दी इनक्वायरी होनी चाहिये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सरकार को जानकारी एकत्र करनी चाहिए तथा सभा को देनी चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को सराहेंगे कि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी अल्पसंख्यक या कोई भी भारतीय देश के किसी भी भाग में रह सकता है। **(व्यवधान)**

शिलांग में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या की जा रही है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें उनके घरों से तथा राज्य से निकाला जा रहा है।

[हिन्दी]

मामला बहुत गंभीर है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है, अब आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : शिलांग में अल्पसंख्यक समुदाय के करीब दो लाख लोग हैं जो वहीं पले और बढ़े हैं। अब वहां यह हो रहा है कि वहां के लोगों का एक वर्ग जो अलगाववादी ताकतें हैं वे उन लोगों की हत्या कर रहे हैं। उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। उन्होंने तेजाब से भरा पात्र एक छात्रा पर फेंक दिया जिसकी मृत्यु हो गई। अब तक 200 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। यहां तक कि महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता है।

मैं यह चाहती हूं कि माननीय गृह मंत्री यह मुद्दा वहां के मुख्य मंत्री के साथ उठाएं। हम शिलांग से प्यार करते हैं। हम शिलांग को अपनी मातृभूमि की तरह प्यार करते हैं। वहां जनता का जीवन असुरक्षित नहीं रहना चाहिए। उन्हें वहां शांतिपूर्वक रहना चाहिए। हम देश के अन्य भागों के साथ भी सांप्रदायिक सौहार्द, भाई चारा और मित्रता की भावना पैदा करना चाहते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से आग्रह करती हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि वे लोग अपने जीवन से वंचित न हों। माननीय गृह मंत्री इस पर ध्यान दें और इस मामले में हस्तक्षेप करें। मैं आपको ऐसे फोटो दिखा सकती हूं कि वहां छात्रों का एक वर्ग किस तरह व्यवहार कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : उन फोटो को दिखाने से पूर्व आपको मुझसे अनुमति लेनी चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : उन्होंने नारे लिखे हैं जैसे **"बंगालियो** शिलांग से वापस जाओ", "असम वासियो शिलांग से वापस जाओ, नेपालियो वापस जाओ" और ऐसे ही अन्य नारे लिखे हैं। उन्होंने नारों में यह भी लिखा है, "हम उच्च श्रेणी के लोग हैं, परन्तु संयोगवश हम भारतीय हैं।" यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो यह देश के लिए संकटपूर्ण स्थिति पैदा करेगा।

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : मैं विशेष रूप से मेघालय जा रहा हूं ताकि मैं स्वयं वहां

की स्थिति का अध्ययन कर सकूं। जनजातीय एवं गैर-जनजातीय लोगों के बीच विरोध बढ़ रहा है और इसीलिए प्रधान मंत्री ने मंत्रियों की एक उपसमिति नियुक्त की है और इसके एक हिस्से के रूप में तीन दलों की स्थापना की गई है जो पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे। मैं मेघालय जा रहा हूं। मैं स्थिति का स्वयं अध्ययन करूंगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : वस्तुतः आज मेघालय की स्थिति चिंताजनक है अतः जब तक सत्र जारी है यदि माननीय गृह मंत्री को सूचना मिल जाती है और उस पर वे एक वक्तव्य दें तो बेहतर होगा। मेघालय की स्थिति और जो गतिविध वहां चल रही है वह अत्यंत चिंताजनक है।वहां से कई लोग आए हैं और इस संबंध में उन्होंने शिकायत की है। यदि वह इस संबंध में सभा को कुछ जानकारी दें तो अच्छा होगा।

श्री एस०बी० चव्हाण : मैं नहीं समझता कि इससे स्थिति में कोई अंतर आएगा। वास्तव में हमें मामले की गहराई में जाना होगा और इसके वास्तविक कारणों का पता लगाना होगा और यह भी जानना होगा कि ऐसी घटनाएं इस तरह क्यों बढ़ रही हैं। अचानक छात्र समुदाय इस तरह का माहौल पैदा करने की ऐसी गतिविधियों में अत्यधिक लिप्त हो गए हैं। अतः यह जिम्मेवारी हमने अपने ऊपर ली है। हम दो या तीन ग्रुप में जाएंगे और इस स्थिति का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात् हम विचार करेंगे कि आगे क्या करना है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : स्पीकर साहब, आज से 6 महीने पहले कोकराझार जिले के पास बंगलाभाषाई लोगों का कत्लेआम हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : 6 महीने पहले ?

श्री सैयद शहाबुद्दीन : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : उस समय आपने यह प्रश्न क्यों नहीं पूछा ?

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं वही बता रहा हूं। लोग अभी तक कैंपों में पड़े हुए हैं, अभी तक इनके आंसू खुश्क नहीं हुए हैं। अभी फिर 27 मई को उनके ऊपर कत्लेआम हुआ। दिन के 5 बजे 6 गांवों पर हमला हुआ, जबकि उन गांबों के तमाम मर्दों को जिला प्रशासन की मीटिंग में बुला लिया गया था। वहां पर औरतों और बच्चों का कत्लेआम हुआ, जिसमें कहा जाता है कि तकरीबन 100 आदमी मारे गए। 15-20 हजार आदमी कैंपों में पड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : सबसे दर्दनाक बात यह है कि ये गांव कोकराझार जिले के मुख्य पुलिस स्टेशन से सिर्फ 4-5 मील की दूरी पर है, इसके बावजूद कोई पुलिस फोर्स 12 घंटे तक नहीं पहुंची। अभी तक लोग वहां कैंपों में पड़े हुए हैं, उनके रिलीफ का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। ये लोग अपने को असुरक्षित और गैर-महफूज समझ रहे हैं। 2 मरतबा हमला हो चुका है और बार-बार ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जिला प्रशासन ने जानबझूकर इस मामले में गलत काम किया है, यह प्रि-प्लांड अटैक था। पता नहीं कौन-सा मिलीटेंट्स ग्रुप था, जिसने बाजाब्ता वर्दी पहन कर इन गांवों

पर हमला किया और उनके पास फायर आर्म्स थे। मैं, होम मिनिस्टर साहब की नोटिस में लाया हूं कि उस इलाके में पुलिस पोस्ट कायम होना चाहिए। उस इलाके में आर्मी और सी० आर० पी० एफ० की पैट्रोलिंग होनी चाहिए ताकि वे लोग गांवों में वापिस जा सके और जो कसूरवार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जो खानदान बर्बाद हुए हैं और जो मारे गए हैं उनके परिवारों को मुनासिब मुआवजा मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा गंभीर मामला है जिसकी वजह से पूरा बोडो लैंड मुतास्सिर हो सकता है। अगर, आसाम को आग लगने से बचाना है तो तमाम लोगों की हिफाजत का सरकार को इंतजाम करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि उनका राज्य सरकार पर और जिल प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। होम मिनिस्टर साहब वहां जा रहे हैं तो इस बात को गौर से देखें।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा और विशेषकर गृह मंत्री महोदय का ध्यान जम्मू-कश्मीर में डोडा जिले में विस्फोटक स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां लगभग चालीस लोग मारे गए हैं जिनमें से तीस लोग भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। गत सप्ताह रुचिकर कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी के भद्रवाह में अध्यक्ष थे, उनका कत्ल हुआ और उससे दो दिन पहले स्वामी राज का कत्ल हुआ। वहां पर जो लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं तो उनको भी यह सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है। वहां कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां भूतपूर्व सैनिकों और उस क्षेत्र के लोगों ने आतंकवादियों को मार गिराया और गंडोह तहसील के कुछ लोग साढ़े तेरह हजार फीट की उंचाई पर बर्फ पर नंगे पांव हिमाचल प्रदेश में पहुंचे। मैं उनके कैम्प में गया था। वे अपने बीबी-बच्चों को लेकर आ गए हैं जबकि उनकी संपत्ति और जायदाद वहीं पर है। वे इंतजार करते रहे कि जब उन्होंने उग्रवादियों को मारा हैं तो जिला प्रशासन उनका समर्थन करेगा और उनको सुरक्षा देगा। लेकिन उनको न तो हथियार दिए जा रहे हैं और न उनकी सुरक्षा की गई है। मजबूर होकर वे हिमाचल प्रदेश में आ गए हैं तो वहां उन्होंने सुरक्षा ली है। भद्रवाह के एस० डी० एम० गए। वहां का प्रशासन किस तरह से लोगों से कटा हुआ है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 825 लोगों में से एक ने भी एस० डी० एम० को नहीं पहचाना और दो उच्च अधिकारी हैलिकाप्टर से जम्मू-कश्मीर से चंबा गए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उसको कहानी मत बनाइए। आप डाईरेक्टली प्वाईंट पर आइए इसलिए आपको अलाऊ किया है।

(व्यवधान)

प्रो० प्रेम धूमल : वहां के लोगों की यह मांग है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और डोडा जिले को आतंकवाद ग्रस्त घोषित करके वहां सेना तैनात की जाए तब वे वापिस जाएंगे। वे श्री गुलाम नबी आजाद के गांव और सोली गांव के पास के लोग हैं। वे तब जाएंगे जब उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हथियार दिए जाएं और प्रशासन सुरक्षा के लिए आगे आए, अन्यथा वे सब कुछ छोड़कर दूसरे प्रदेशों में भाग रहे हैं। तीन-चार वर्षों से हम लोग यह मामला इस सदन में उठा रहे हैं कि डोडा जिले में स्थिति विस्फोटक होती जा रही है लेकिन सरकार हर बार भाषण सुनती है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। वहां के प्रशासनिक अधिकारी जहां पर कैंप हैं वहां नहीं गए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका वक्तव्य किसी अधिकारी विशेष के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यह घटना के विरुद्ध होना चाहिए। कृपया मुद्दे से संबंधित बात करें।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल : मैं प्रशासन के बारे में बात कर रहा हूं। डोडा जिले को उग्रवाद ग्रस्त घोषित कर आर्मी को सौंपा जाए और प्रशासन सुरक्षा का प्रबंध करे और जो लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार मांग रहे हैं उनको हथियार दिए जाएं और भद्रवाह में जो छावनी का प्रस्ताव लंबित पड़ा है उसको तुरन्त लागू किया जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदया डोडा की स्थिति से परिचित हैं। सरकार का ध्यान डोडा की स्थिति के बारे में बार-बार दिलाया जा चुका है। हम लोग इस संबंध में प्रधान मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, डोडा वह महत्वपूर्ण क्षेत्र है ···। अगर डोडा कट गया तो कश्मीर घाटी से हमारा कोई सम्पर्क और सम्बन्ध नहीं रहेगा। इसीलिए आतंकवादी अब डोडा में अपनी गतिविधियां केन्द्रित कर रहे हैं। लोगों में आतंक को पैदा करके वहां से हिन्दुओं को निकालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आतंकवादी लोगों को गिरफ्तार कर लें, उनकी ज्यादतियों को शिकार बनाकर मारें, उनके चीथड़े करें और फिर उनके घरवालों को बुलाकर भरी भीड़ के सामने उन लाशों से मांस के लोथड़े निकाल कर उनके बच्चों के मुंह पर मारें, इस देश में ये घटनायें हो रही है। भद्रवाह में सैनिक छावनी कायम होनी चाहिए। यह मामला वर्षों से पड़ा हुआ है। हम लोग जब मिलते हैं तब कहा जाता है कि छावनी होनी चाहिए, मगर जमीन कौन देगा, पैसा कौन दे। यह तय नहीं हो पा रहा है। लोग अपनी जान दे रहे हैं। लोग हथियार लेकर आतंकवादियों से लड़ने को तैयार हैं, आप उन्हें हथियार नहीं देते हैं। आप स्वय उनकी रक्षा नहीं करते हैं। इस मसले पर सदन को विचार करना चाहिए। हमें बार-बार कहा जा रहा है कि यह तो विशेष अधिवेशन बुलाया गया है उसके दौरान डोडा में क्या होता है इसकी चिन्ता न करो और इलेक्शन कमीशन के जो पर कतरने हैं उसमें सब जुट जाओ। हम उस बहस में भी भाग लेने को तैयार हैं, पर कतरने में नहीं रंाकने में। लेकिन डोडा की स्थिति के सम्बन्ध में आप गृह मंत्री को निर्देश दें कि एक विस्तृत और स्पष्ट वक्तव्य दें, फिर हम उस पर सदन में चर्चा की मांग करेंगे। यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसको नजरअंदाज कर दिया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तर देना चाहते हैं?

श्री एस०बी० चव्हाण : महोदय, अभी हमारे पास सही जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि डोडा को अशांत क्षेत्र घोषित करने के संबंध में सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। एक बार जब इस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा तो अधिनियम के अंतर्गत सभी विशेष शक्तियां सेना को प्राप्त हो जाएंगी। अतः हम इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। लेकिन इस समय हम सही स्थिति नहीं बता सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी : इस मामले मे आठ दिन पहले हम प्रधान मंत्रीजी से मिले, डिटेल में तथ्य दिये।

अध्यक्ष महोदय : सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि डिस्टर्ब एरिया बनाने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री लालकृष्ण आडवाणी : वह उन मांगों में से एक थी।

[हिन्दी]

उसमें विलम्ब हो रहा है। स्पेशल सैशन इसके लिए बुलाया जा सकता है, डोडा के लिए नहीं हो सकता?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सदन में दिया गया आश्वासन है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इस मामले पर परसों निर्णय लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : क्यों नहीं? कम-से-कम हमें यह पता होना चाहिए कि सरकार का इस संबंध में क्या करने का विचार है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप उनसे कहिये एक विस्तृत वक्तव्य दें डोडा की स्थिति के बारे में, क्योंकि यह मामला केवल डिस्टर्ब एरिया तक का नहीं है। कुछ और भी प्रश्न है जो लोगों को उत्तेजित करते रहे हैं। वे मांग करते रहे हैं कि सुरक्षा बलों में वृद्धि की जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आतंकवादी पहाड़ों पर बैठे हैं। जब तक हैलिकाप्टरों से उन आतंकवादियों को उतरने के लिए मजबूर नहीं किया जायेगा या उन्हें मारा नहीं जायेगा तब तक आप जमीन पर बैठ कर उनका मुकाबला नहीं कर सकते।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य देने की आवश्यकता है अथवा नहीं, हम इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : इस सदन में कई बार हम लोगों ने सवाल उठाया है संघ लोक

सेवा आयोग की परीक्षाओं में जब से मडल कमीशन की सिफारिशों के अनुरूप अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण की सुविधा दी गई है, तब से हम इस सवाल को उठा रहे हैं कि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। अंत में आपने बजट सत्र में आश्वासन दिया था कि आप प्रयास कर लें सम्बन्धित मंत्री से मिल लें। इसके कार्मिक मंत्री स्वय प्रधान मंत्री हैं। हम उनसे मिले थे। कई दलों के लोग थे, जिसमें सोमनाथ बाबू, अब्दुल गफूर और देवेंद्र प्रसाद यादव भी थे। हम लोगों ने प्रधान मंत्री से आग्रह किया था कि इस सवाल पर लाखों नौजवानों का भविष्य टिका हुआ है। लेकिन प्रधान मंत्री जी उस समय अमेरिका जाने की तैयारी में थे और उन्होंने कहा कि अमेरिका से जब वापस आयेंगे तो चर्चा करेंगे और निर्णय करेंगे। लेकिन इस संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ है। अब ये परीक्षायें 26 जून से शुरू होने वाली हैं जैसा कि इसकी हमें सूचना है। अब केवल एक सप्ताह रह गया है। अगर उन लोगों के लिये एज रिलैक्सेशन देना है तो तत्काल निर्णय दें। यदि यह आयु छूट नहीं मिलेगी तो उनके साथ बड़ा अन्याय होगा। अगर 1990 में यह लागू हो गया होता अन्य पिछड़े वर्गों के लिये तो वे परीक्षा में बैठते। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है और समय कम बचा है, उनके लिये एज मे छूट मिलनी चाहिये। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में 9 प्रकार के समूह हैं, जिन्हें आरक्षण की सुविधा है उन्हें आयु सीमा में छूट दी गयी है। चूंकि आपने कहा था कि मिनिस्टर से मिल लीजिये तो हम लोग मिले हैं लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। उस समय श्री आडवाणी जी ने भी कहा था और श्री सीता राम केसरी ने भी आश्वासन दिया था और अब पूरी स्थिति आपके सामने है। आप भावनाओं से अवगत हैं और आपका भी आश्वासन मिला था, इसलिये आपसे अनुरोध करेंगे ···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय कोई आश्वासन नहीं देते।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आपने कहा था कि अगर मंत्री जी से रिलीफ नही मिलेगा तो फिर हम अपने स्तर से बुलायेंगे और आप इस बात का स्मरण करें ···

अध्यक्ष महोदय : आप एक दफा और मिल लीजिये।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, ऐसे मामलों में पूर्व मे भी आपने निर्णय कराये हैं। इसलिये आपसे आग्रह है कि मात्र 7 दिन का समय बाकी बचा है, तत्काल आज या कल में कोई निर्णय दें ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको इसमें निहित बातों को समझने में निपुण होना चाहिए।

[हिन्दी]

फिर से एक बार मिल लीजिये।

श्री अमरपाल सिंह (मेरठ) : अध्यक्ष महोदय, मैं चीनी के बारे में ···

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, एक जरूरी बात कहनी है ···

अध्यक्ष महोदय : वे नये मैम्बर हैं, उनको पहले बोलने दीजिये ···

श्री चन्द्रजीत यादव : आप उनकी बात सुन लें और एक मिनट मुझे भी बोलने दें ···

श्री अमरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में मऊखास नामक ग्राम में चीनी मिल स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास 1989 से विचाराधीन है और इस स्थान पर चीनी मिल लगाने के लिये 2 बार उत्तर प्रदेश की सरकार भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेज चुकी है। वर्तमान में शासन की नीति के अनुसार 25 कि०मी० की दूरी पर ही दूसरी चीनी मिल का प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है परन्तु भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा नई चीनी मिल की स्थापना के संबंध में जारी निर्देशों में, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1992-93 से 1996-97 के लिये प्रेस नोट संख्या-16, दिनांक 8-11-1991 जारी किया गया है कि क्लाज संख्या-2 में प्रावधान है कि यदि स्थापित चीनी मिल और नया प्रस्थापित चीनी मिल के बीच की दूरी 25 कि०मी० है तो उस पर विचार किया जा सकता है परन्तु परिस्थिति विशेष में यदि उस क्षेत्र में गन्ने की पैदावार अधिक हो तो दूरी का मापदण्ड 15 कि०मी० की सीमा में किया जा सकता है।

मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी को अवगत करना चाहता हूं कि मऊखास की दूरी निकटवर्ती चीनी मिल मवाना और सिम्भावली की दूरी 21 कि०मी० है और यदि कृषक अपनी पैदावार वहीं कर देते हैं तो उनको उचित मूल्य नहीं मिलता। संभवतः चीनी मिल स्थापित करने का एक बार आशय पत्र भी जारी हो चुका है। प्रस्तावित क्षेत्र में 21 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की पैदावार होती है। यदि चीनी मिल को कुल पैदावार का 40 प्रतिशत भी प्राप्त होता है तो लगभग 60 लाख क्विंटल गन्ना इस क्षेत्र की चीनी मिल को उपलब्ध हो जायेगा। जहां पर 25 हजार की सी०टी०सी० की क्षमता की चीनी मिल प्राप्त है, वहां पर कृषकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार से मऊखास में नयी चीनी मिल स्थापित किये जाने की मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यादव जी आप और नीतीश जी मेरे चैम्बर में मिलें फिर आपसे बात करूंगा।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, हम लोगों पर लाठी चार्ज हुआ है ···

अध्यक्ष महोदय : नहीं कल लेंगे। आज आधा घंटा हो गया है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, कल इसका महत्व खत्म हो जायेगा। आप एक मिनट में सुन लीजिये। **(व्यवधान)**

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : मान्यवर अध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का सांसद हूं। वहां के एस०एच०ओ० परवेज मियां ने मुझको मारने के लिए मेरे घर पर आकर मेरे ऊपर फायर किया लेकिन मैं ईश्वर की कृपा से बच गया। वहां पर एक गंभीर मामला था। गांव की एक महिला के साथ सरकारी अस्पताल के एक कर्मचारी ने बलात्कार किया। उस घटना के 6 घंटे बाद भी

जब उसकी एफ० आई० आर० दर्ज नहीं की गई तो उस औरत के पति ने मुझे सारी घटना बताई जब मैं अपने क्षेत्र में जनता की समस्याओं को जानने हेतु भ्रमण करने गया। मैंने उसको कहा कि तुम थाने में जाओ और अपनी एफ० आई० आर० लिखाओ। उसके साथ 10-20 और लोग थे। उसने कहा कि जब 6 घंटे में मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी तो में वहां जाकर क्या करूं? मैंने उनके साथ कुछ लोग भेज दिये। थाने और मेरे मकान के बीच में अस्पताल है। वहां जाकर मालूम हुआ कि लैब टैक्नीशियन सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से छुट्टी लेने के लिए बैठा है। वह लोग सीधा अस्पताल गए। उन्होंने उस मुल्जिम को पकड़ा। थाना पास ही है। तब तक वहां से थानेदार आ गए और वह मुल्जिम को थाने ले गए। एक दो दिन के पहले वहां बलात्कार के दोषियों को एस० डी० ने मुंह काला करके घुमाया था। जनता चाहती थी कि इनको जेल में न भेजा जाए, सरकारी आदमी है, लेकिन सामाजिक दंड उसे अवश्य दिया जाए और मुंह काला करके घुमाया जाए। एस० एच० ओ० ने इससे इंकार कर दिया। इससे वहां बात बढ़ गई। कुछ देर में जब थाने की तरफ से शोरगुल और चीख-पुकार की आवाज आई तो मैं मकान पर बैठा था। मैं वहां गया। जब मैं थाने के गेट पर पहुंचा तो वहां परवेज मियां थानेदार और एक चपरासी और एक अफसर खां सिपाही और एक जीप का ड्राइवर त्यागी सिपाही एस० के० सिंह, एस० आई० यह सब खड़े हुए थे। मैंने उनसे कहा कि आप मामला क्यों बढ़ाते हैं? इनकी एफ० आई० आर दर्ज करके जेल भेज दें। उन्होंने कहा कि इनको जेल नहीं भेजा जाएगा। मैंने कहा कि अगर आप इनको जेल नहीं भेजेंगे तो मैं इस सवाल को लोक सभा में उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं तेरी लोक सभा दिखाता हूं। उन्होंने मेरे ऊपर लाठी का प्रहार किया। मैं वहां से भागा और वहां खड़ी हुई जनता मेरे पीछे आई। मैं अपने घर पर आ गया। पीछे-पीछे परवेज मियां एस० एच० ओ० और चपरासी मेरे घर पर आ गए। उन्होंने घर पर आकर मेरे ऊपर अपनी सरकारी रिवॉल्वर से फायर किया, लेकिन मेरा बेटा खड़ा हुआ था, उसने उनके हाथ पर हाथ मार दिया जिससे हवाई फायर हो गया। उसके बाद जनसमूह इतना ज्यादा हो गया जिससे वह संभवतः घबरा गए या उनकी जो भी इच्छा हो रही हो, वह मकान से उतरे और फायर करते हुए निकले और कहा कि जो भी मकान में है लूट लो। वे मेरी दो मोटरसाइकिलें और तीन साइकिलें लूट कर थाने ले गए और उसके बाद उन्होंने हमारे 500 कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनाई। हमारे 27 लोगों को पकड़कर मार-मारकर जेल में भेजा। एक कार्यकर्ता जो मंडल का महामंत्री था उसको कील चुभाते हुए चप्पलों से मारते गए कि बता सांसद डा॰ परशुराम हैं या परवेज मियां हैं? उसने आखिरी दम तक कहा कि सांसद डा॰ परशुराम हैं, तुम किस गिनती में हो? उसको जेल में भेज दिया।

मैं चाहता हूं कि इस प्रकरण की जांच हो। उस एस० एच० ओ० ने कहा कि इस बार तो तुम बच गए लेकिन अगली बार मैं तुमको जान से मार दूंगा। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। परवेज मियां को उत्तर प्रदेश की सरकार की पूरी शह है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं क्योंकि मैं लोक सभा का सदस्य हूं। उत्तर प्रदेश सरकार जो अत्याचार कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम बलात्कार की घटनाएं पुलिस द्वारा की जा रही हैं, उनकी जांच हो और दोषियों को दंड दिया जाए और मेरे साथ हुए इस अन्याय के लिए आप गृह मंत्री से बयान देने को कहें।···**(व्यवधान)** ···

अध्यक्ष महोदय : आप लोग सिर्फ बोलने में इंटरेस्टेड हैं। मैंने पहले ही उसकी इन्फार्मेशन मंगायी है।

(व्यवधान) *

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : यह बहुत गम्भीर मामला है। उत्तर प्रदेश में राजनैतिक आधार पर ···**(व्यवधान)** ···

अध्यक्ष महोदय : आप अब बैठ जाइये।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं आज जिद नहीं करता और आपके आदेश को मान लेता लेकिन विषय ऐसा है ···

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं मानते हैं, आप प्रौपर्ली डील नहीं करते हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैंने बहुत गम्भीर नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कोई गम्भीर नोटिस नहीं होता है।

श्री राम विलास पासवान : कल हम लोगों पर जिस तरीके से लाठी चार्ज हुआ, अश्रु गैस छोड़ी गयी, वाटर कैनन छोड़ी गयी, जिसके कारण एक लड़के की आंख फूट गयी और वह अस्पताल में है। यह घटना दिल्ली में हुई जिसका विवरण तमाम पेपरों में आया है कि कल हम लोगों की क्या हालत की गयी। इससे ज्यादा गम्भीर मामला कोई दूसरा नहीं हो सकता जब एक मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट के साथ इस तरह की घटना घटे।

हमारे कालका दास जी को मालूम है कि यहां दिल्ली में कुछ समय पहले बाबा साहेब अम्बेडकर की एक मूर्ति को तोड़ दिया गया। हम लोग वहां गये और कल्याणपुरी में पूरी दिल्ली के दलितों की पंचायत हुई। उसके बाद हम लोगों ने उपराज्यपाल को मिलने का नोटिस दिया और उनके पास गये। उपराज्यपाल महोदय ने कहा कि उसी स्थान पर दोबारा अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगायी जायेगी। जब काफी समय तक नहीं लगायी गयी तो उसके विरोध में हम लोगों ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। कल जब हमारा प्रदर्शन हो रहा था तो यहीं पार्लियामेंट की बगल में, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर लाठी चार्ज हुआ, हमारे ऊपर वाटर कैनन छोड़ी गयी जिसमें ज्ञान चंद गौतम और प्रवीण कुमार नाम के दो लड़के बेहोशी की हालत में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराये गये। सात लड़कों में से दो की हालत चिंताजनक है। एक लड़के की आंख निकल गयी और दूसरा लड़का बेहोशी की हालत में पड़ा है। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार लगभग हमारे 4000 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

यदि दिल्ली में इस प्रकार की घटना हो रही है, बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

खुले-आम तोड़ा जा रहा है जो आज से नहीं, 1992 से लगी हुई थी तो इससे ज्यादा शर्मनाक घटना दूसरी क्या हो सकती है और इसी की तरफ मैं सदन और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

शहरी विकास मंत्री जी यहां हैं, पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब यहां हैं, होम मिनिस्टर साहब यहां हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, यदि आप बाबा साहेब अम्बेडंकर को सम्मान नहीं दे सकते तो उन्हें अपमानित करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। दलित लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कुछ नहीं हो सकती है। मैं संसद सदस्य उसे लीड कर रहा था। कोई भी बता दे यदि कहीं एक कंकड़ भी फेंका गया हो। यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चलें, अश्रुगैस चलाई जाये, लाठी चार्ज हो तो इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कुछ नहीं हो सकती। मैं होम मिनिस्टर साहब से मांग करता हूं कि कल की घटना की तहकीकात करायें और यदि हो सके तो सदन में एक स्टेटमेंट दें या इंक्वायरी करायें, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष जी, ओ० बी० सी० के मामले में आपका नियमन हुआ था कि हम पहले मंत्री जी से मिलें, उसके बाद आप स्वयं बैठक बुलायेंगे। उसका आपको स्मरण होगा। अब मात्र एक सप्ताह परीक्षा होने में बाकी है, 24 जून से परीक्षायें होने वाली हैं इससे विषय की गम्भीरता और बढ़ जाती है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आप अपने स्तर से बैठक बुलाकर इस समस्या का समाधान करें। यह ऐज रिलैक्सेशन का मामला है और यदि इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिला, ऐज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया तो मैं समझता हूं कि अनेकों ओ० बी० सी० के छात्र परीक्षा में बैठने से वंचित रह जायेंगे और उन्हें फिर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिये मेरा आपसे आग्रह है। इस परीक्षा में बैठने वाले अनेकों अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरी सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि मैं इस प्रश्न की पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता लेकिन श्रीमती मार्गरेट अल्वा जी ने यह कहा था कि चूंकि कुछ उम्मीदवार हाई कोर्ट में चले गये हैं और हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन पर इजाजत दे दी है परीक्षा में बैठने की, इसलिये वे सब बैठेंगे, उनके बैठने पर कोई रोकथाम नहीं लगेगी।

अध्यक्ष महोदय : मेरी भी यही इन्फार्मेशन है।

श्री चन्द्रजीत यादव : जब आपको भी यही इन्फार्मेशन मिली है लेकिन ठीक उसके विपरीत काम हो रहा है जिन लड़कों की उम्र ज्यादा हो गयी है उन्हें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिजैक्ट कर रहा है, उन्हें रिजैक्शन लैटर्स जा रहे हैं जिसके कारण उनमें गहरी चिन्ता है। उनकी केवल यह मांग थी कि तीन साल पहले यदि मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हो गयी होती तो उनके तीन साल व्यर्थ न जाते और वे सब परीक्षा में बैठ गये होते। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में था, तो इतनी मांग थी और जस्टीफाइड थी और पूरे सदन ने, बूटा सिंह जी ने भी कहा था, आडवाणी जी ने भी कहा था, सोमनाथ जी ने भी कहा था और आपने भी कहा था कि आप लोग मंत्रियों से मिल लीजिए और नहीं

होगा, तो मैं इस मामले में आपका, एक बैठक बुला कर निराकरण करूंगा। प्रधान मंत्री तक से लोगों ने मिल लिया। दो मंत्रियों से मिल लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब सिर्फ एक हफ्ते का समय है, लाखों विद्यार्थी इसमें उम्मीदवार हैं और इससे सम्बन्धित हैं। यह गहरी चिन्ता का विषय है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर आप सरकार को निर्देशित करें कि उनको इस वक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जाए। फिर 3 साल की छूट होगी, 5 साल की छूट होगी, इस पर और विचार करके निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनको परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाये, ऐसी व्यवस्था करें, मेरा आपसे यही अनुरोध है।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन केवल इतना इजाफा करना चाहता हूं कि लास्ट सैशन में सभी मान्यवर नेताओं के कहने से और फिर इधर से भी हमारे मान्यवर सदस्यों ने कहा था, तो आपने फ़रमाया था कि मंत्रियों से मिलने के बाद यदि आप ठीक समझेंगे, तो आप सरकार से इस बारे में बात करेंगे। इस दौरान मैंने भी मागरिट अल्वा जी से बात की थी, उन्होंने मुझे कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऐसा कोई निर्णय हुआ है। अब उसकी कापी तो हमारे पास नहीं है। आपके पास सूचना होगी। हमारा इतना ही अनुरोध है कि यदि यह फैसला ब्यूरोक्रेसी पर छोड़ दिया जाएगा, तो इन लोगों को कभी भी कंसेशन मिलने वाला नहीं है। बहुत से विद्यार्थी यहां पर अनशन पर बैठे हुए हैं और पूरे देश भर में उनके मन में यह ख़दशा है कि उन्हें यह सुविधा कभी नहीं मिल पाएगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप वह हाईकोर्ट का निर्णय देख लें या जो मंत्रियों ने हमसे कहा उसको लेकर, जो भी ठीक समझें, आप मीटिंग काल न करें, जो भी आप ठीक समझें इन बच्चों के हित में देश के हित में यह सरकार को फरमा दें, तो यह मसला जल्दी हल हो जाएगा क्योंकि 10-12 दिन में इम्तिहान होने वाले हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इस मामले के बारे में मेरी प्रधान मंत्री जी से बात हुई थी। मुझे बताया गया था कि फाइल उनके निर्णय के लिए गई है, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने कहा कि फाइल अभी तक शायद मेरे पास पहुंची नहीं है, परन्तु जो बातचीत हुई उससे ऐसा लगता था कि प्रधान मंत्री जी छूट देने के पक्ष में हैं। अब यह फाइल कहां रुकी हुई है यह मेरी समझ में नहीं आता। आप क्या हस्तक्षेप करेंगे इस मामले में, मैं नहीं चाहता, क्योंकि फाइल तो कहीं और अटकी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा मुझे ही सारे प्रशासनिक कार्य करने होंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन यहां गृह मंत्री बैठे हुए हैं, शुक्ला जी महाराज ध्यान लगा रहे हैं। वे ध्यान-मग्न नहीं हैं। वे बात ध्यान से सुन रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं न? तो यह जो चर्चा हुई है, इसको आप प्रधान मंत्री तक पहुंचा दें। मुझे लगता है कि अगर प्रधान मंत्री जी के सामने यह मामला आ गया या फाइल आ गई, तो इस पर तत्काल आदेश हो जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, हम सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि वह इस मुद्दे पर निर्णय लें। यह एक ऐसा मामला है जिसमें और विलम्ब नहीं होना चाहिए क्योंकि देश के कुछ युवकों के भविष्य का इससे संबंध है। वे अवसर चाहते हैं। कानून को उचित ठहराते हुए और उनके बिना किसी भूल के इस अंतराल के दौरान जब यह मामला लम्बित था तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिल सका। इस सभा द्वारा स्वीकृत कानून का लाभ प्राप्त करने का उन्हें अधिकार है। सिद्धांत और नीति को स्वीकार कर लिया गया है। अब मुझे पता चला है कि विपक्ष के नेता को कई अंदरूनी जानकारी हैं। आजकल वे कई फाइलों की जानकारी रखते हैं।''' **(व्यवधान)** काश मुझे भी विपक्ष के नेता के समान सरकारी फाइलों तक पहुंच होती। लेकिन फाइल की स्थिति क्या है केवल इसकी जानकारी रखना ही संगत नहीं है। फाइल में क्या है, इसकी जानकारी रखना भी संगत है। बेहतर यह होगा कि कोई उचित निर्णय लिया जाए। यदि आप कोई निर्णय लेते हैं तभी फाइल आगे बढ़ सकेगी और उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। कृपया कोई निर्णय लें। मुझे शक है कि इस पर कोई निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, केवल 7 दिन का समय है। इसलिए हमने कहा कि आप अपने स्तर मे हस्तक्षेप करें। अटल जी ने कहा कि आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपने हमको आश्वासन दिया है। हम आपको उसे याद करवा रहे हैं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मैं इस विषय के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि दो वर्षों से भर्ती पर रोक लगायी गई है। उनका अन्तिम प्रस्ताव सभी उम्मीदवारों की आयु सीमा में तीन वर्ष की वृद्धि करने के लिए है। इसलिए वे आयु सीमा 28 वर्ष कर रहे हैं।

मैंने एक प्रस्ताव दिया है जो कि विचाराधीन है। पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को 28 वर्ष के बाद तीन वर्ष की और छूट दी जाएगी। मेरा अनुरोध है कि आयु में छूट के पहलू की जांच की जानी चाहिए क्योंकि इसका देश के सभी युवकों पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ वर्षों से अनेक उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पाए थे क्योंकि भर्ती पर रोक लगी हुई थी। इसलिए पिछड़ी और अगड़ी जातियों के उम्मीदवारों की आयु-सीमा में तीन वर्ष और पिछड़ी जातियों के लोगों को 28 वर्ष के बाद तीन वर्ष की और छूट देने की मांग वास्तविक है। केवल तभी देश के सभी युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। परन्तु यह प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है। मेरा यह अनुरोध है कि इन दोनों प्रस्तावों पर शीघ्रतापूर्वक विचार करके निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि इस परीक्षा में देश के उन उम्मीदवारों को एक बार और बैठने का मौका मिल सके। यह कार्य पूरी निष्पक्षता से किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय यहां होते तो वह स्थिति को स्पष्ट करते। परन्तु मुझे याद है कि यह बताया गया है कि न्यायालय के आदेश के कारण सभी छात्र इस परीक्षा में बैठ सकते

हैं : लेकिन फिर भी मंत्री महोदय से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। यही उचित होगा। मैं तो अपनी याददाश्त के हिसाब से कह रहा हूं। मेरी समझ से इसमें गलती नहीं होनी चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : जैसा आप समझते हैं वैसा ही हम समझते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप एक बार मंत्री महोदय से तो मिलिए और उसके बाद हम इसका पता लगायेंगे।

श्री नीतीश कुमार : हम मंत्री महोदय से कितनी बार मिलें ?

अध्यक्ष महोदय : यह मैं नहीं जानता। मैं आपको यह बताने के लिए नहीं बैठा हूं। आप मंत्री महोदय से भी नहीं मिल सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आपने पहले कह दिया, अभी कह दिया ··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको यह समझना चाहिए कि यदि प्रत्येक सदस्य प्रशासनिक कार्य अध्यक्ष पर छोड़ देगा तो मैं विधायी कार्य का निर्वहन नहीं कर पाऊंगा। आप कृपया इस बात को समझिए। हर कोई खड़े होकर मुझसे कोई-न-कोई कार्यवाही करने के लिए कह रहा है। यह अच्छा नहीं लगता है। यह अध्यक्षपीठ की गरिमा के अनुकूल भी नहीं है।

अब पत्र सभा पटल पर रखे जायें।

12.53 बजे म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

प्रारूप राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-जनसंख्या नीति संबंधी विशेषज्ञ दल

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०सी० सिल्वेरा) : मैं श्री बी० शंकरानन्द की ओर से प्रारूप राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-जनसंख्या नीति संबंधी विशेषज्ञ दल की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5996/94]

कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेख परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5997/94]

केन्द्रीय वन्य प्राणी उद्यान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) केन्द्रीय वन्य प्राणी उद्यान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय वन्य प्राणी उद्यान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5998/94]

(3) (एक) केन्द्रीय वन्य प्राणी उद्यान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय वन्य प्राणी उद्यान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5999/94]

(5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 1994 जो 16 मार्च, 1994, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 320(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का० आ० 230(अ), जो 17 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 27 जनवरी, 1994 की अधिसूचना संख्या का० आ० 60(अ) का शुद्धि-पत्र सम्मिलित है।

(तीन) आ० का० 356(अ), जो 4 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 जनवरी, 1994 की अधिसूचना संख्या का० आ० 60(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6000/94]

गोवा मीट कॉम्पलेक्स लिमिटेड, पणजी के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरबिन्द नेताम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) गोवा मीटर कॉम्पलेक्स लिमिटेड, पणजी के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा मीट कॉम्पलेक्स लिमिटेड, पणजी के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6001/94]

केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत अधिसूचना आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1994 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि० 335(अ) जो 28 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुए थे तथा जिनका आशय 28 फरवरी, 1993 की अधिसूचना संख्या 1/93-के० उ० शु० के कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 336(अ) जो 28 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 16/94-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन करने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 636(अ) जो 6 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय गैर-टैक्सचर्ड सिंथैटिक फिलामेंट से बने हुए टैक्सचर्ड फिलामेंट यार्न, जिसकी 1 मार्च, 1994 से पहले निकासी/आघात किया गया हो, को गैर-टैक्सचर्ड यार्न पर पहले से ही अदा किए गए शुल्क के बराबर, यदि कोई ऋण लाभ प्राप्त नहीं किया हो तो, छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 363(अ) जो 6 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय गैर-टैक्सचर्ड कृतिम फिलामेंट से बने हुए टैक्सचर्ड फिलामेंट यार्न, जिसको 1 मार्च, 1994 से पहले निकासी/आयात किया गया हो, को गैर-टैक्सचर्ड यार्न पर पहले से ही अदा किए गए शुल्क के बराबर, यदि कोई ऋण लाभ प्राप्त नहीं किया हो तो, छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 365(अ) जो 6 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय शुल्क अदा किए गए यार्न से बने हुए दोहरे या बहुतहों वाले यार्न, जिसको 1 मार्च, 1994 से पहले निकासी/आयात किया गया हो, को ऐसे यार्नों पर पहले से ही अदा किए गए शुल्क के बराबर, यदि कोई ऋण लाभ प्राप्त नहीं किया हो तो, छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन है।

(छह) सा० का० नि० 366(अ), जो 6 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय शालों, मफलर, रूमाल आदि को उत्पाद शुल्क से सम्पूर्ण छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० का० नि० 367(अ), जो 6 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 26/94-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० का० नि० 368(अ), जो 6 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 7/94-के० उ० शु में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1994 जो 6 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 369(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० का० नि० 473(अ), जो 20 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1994 में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6002/94]

(2) अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 488(अ), जो 3 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट उपस्करों, संयंत्रों जीवित पशुओं, कार्यालय उपस्करों आदि को उस स्थिति में सीमा शुल्क के उद्ग्रहण से छूट देने के बारे में है जब उन्हें बागवानी/अंगूर की खेती/पशुपालन/मुर्गीपालन और रेशम उद्योग क्षेत्रों में शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों द्वारा आयात किया गया हो।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6003/94]

(3) भारतीय रेल के वर्ष 1992-93 के विनियोग लेखाओं, भाग-I -समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6004/94]

(4) भारतीय रेल के वर्ष 1992-93 के विनियोग लेखाओं भाग-II, विस्तृत विनियोग लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6005/94]

(5) भारतीय रेल के वर्ष 1992-93 के खंड लेखाओं (जिसमें ऋण लेखाओं सहित पूंजी विवरण शामिल है), तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6006/94]

(6) रक्षा सेवाओं के वर्ष 1992-93 के विनियोग लेखाओं (संघ सरकार) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6007/94]

(7) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष

का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1994 का संख्या 3) (राष्ट्रीय राजधानी संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली) **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6008/94]**

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन–संघ सरकार (1994 का संख्या 8)–रक्षा सेवाएं (थल सेना और आयुध कारखाने)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6009/94]

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1994 का संख्या 9)–रक्षा सेवाएं (वायु और नौसेना)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6010/94]

(चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1994 का संख्या 11) अन्य स्वायत्त निकाय।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6011/94]

(8) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अन्तर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लेखाओं और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम, 1994, जो 20 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 472(अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6012/94]**

(9) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6013/94]

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय, परिषद्, कलकत्ता का 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखे और उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6014/94]

(3) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6015/94]**

(तीन) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6015/94]

(5) (एक) नेशनल म्यूजियम इन्स्टीट्यूट आफ हिस्ट्री आफ आर्ट, कन्जर्वेशन एण्ड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल म्यूजियम इन्स्टीट्यूट आफ हिस्ट्री आफ आर्ट, कन्जर्वेशन एण्ड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6016/94]

(7) (एक) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6017/94]

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6018/94]

(11) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6019/94]

(13) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6020/94]

(15) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6021/94]

(17) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6022/94]

(दो) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, खडगपुर के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6023/94]

(19) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6024/94]

(23) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6025/94]

(25) (एक) संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6026/94]

(27) (एक) महिला सामख्या, गुजरात के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला सामख्या, गुजरात के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6027/94]

(29) (एक) नार्थ-इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांक के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नार्थ-इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) नार्थ-इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांक के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6028/94]

(33) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6029/94]

(35) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6030/94]

(37) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6031/94]

(39) (एक) विश्व भारती शांति निकेतन के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्व भारती शांति निकेतन के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने मे हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6032/94]

(41) नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6033/94]

(43) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6034/94]

12.54 बजे म०प०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, 13 मई, 1994 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1994

(2) वित्त विधेयक, 1994

(3) रबड़ (संशोधन) विधेयक, 1994

(4) प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 1994

12.54 $\frac{1}{2}$ बजे म०प०

संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित तथा प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक, जिसे राज्य सभा द्वारा 29 अप्रैल, 1992 को पारित किया गया, लोक सभा के पटल पर 4 मई, 1992 को रखा गया तथा प्रवर समिति द्वारा 18 दिसंबर, 1992 को प्रतिवेदित किया गया, को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक, जिसे राज्य सभा द्वारा 29 अप्रैल, 1992 को पारित किया गया, लोक सभा के पटल पर 4 मई, 1992 को रखा गया तथा प्रवर समिति द्वारा 18 दिसंबर, 1992 को प्रतिवेदित किया गया, को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990 का प्रबल विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। महोदय, यह विधेयक संविधान के अनुच्छेदों 81,82, 270 तथा 327 से संबंधित है जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में है और इसके मार्ग में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। इसे तत्कालीन विधि मंत्री श्री दिनेश गोस्वामी ने 30 मई, 1990 को प्रस्तुत किया था और राज्य सभा द्वारा 29 अप्रैल, 1992 को पारित किया गया था।

महोदय, इसे लोकसभा में प्रस्तुत किये जाने के बाद 7 मई, 1992 को प्रवर समिति को भेजा गया तथा प्रवर समिति की रिपोर्ट लोकसभा के समक्ष 18 दिसंबर, 1992 को प्रस्तुत की गयी। महोदय, यह वर्ष 1994 है। यह आशा की गयी थी कि विधेयक पारित हो जायेगा क्योंकि इस बीच अनेक सत्र हो चुके हैं। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता पक्ष ने इसे पारित करवाने का अभी तक प्रयास नहीं किया है। महोदय, यह विधेयक परसीमन के संबंध में है और सदन में कोई विवाद नहीं है। इस सभा के सभी माननीय सदस्य इस बात पर सहमत हैं। परन्तु अब यह करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस विधेयक को वापस लेने के पश्चात् इन उपबंधों को एक अत्यंत विवदास्पद विधेयक में शामिल करने का प्रयास भी किया जा रहा है जिसे इसके बाद ठीक अभी प्रस्तुत किया जायेगा अथवा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। यह एक अत्यंत विवादास्पद मामला है जिसमें संवैधानिक उपबंधों तथा संविधान की आधारभूत विशेषताओं के विरुद्ध एक बहुमत वाली खंड लागू करके मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियों तथा प्राधिकारों में कटौती करने का प्रावधान किया गया है। महोदय, इस कारण से यह एक अत्यंत विवादास्पद मामला बन जायेगा। हम चुनाव आयोग के प्राधिकारों पर किसी भी आक्रमण का विरोध करेंगे और इस सभा के अधिकांश सदस्य इसका प्रबल विरोध करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में कार्यपालिका के हस्तक्षेप से रहित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सकें जैसा कि संविधान के उन संस्थापक सदस्यों ने सोचा था जो मूलभूत अधिकारों को निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ बनायी गयी प्रथम समिति के अनुसार इन उपबन्धों को मूलभूत अधिकारों में शामिल कराना चाहते थे। महोदय, इस कारण यह अत्यंत महत्व की बात है। और अब इन दोनों को एक साथ रखने से क्या होगा। महोदय, क्या ऐसा है कि परिसीमन संबंधी इन उपबंधों को, जो अहानिकर हैं और जिनकी सभी के द्वारा प्रशंसा, जांच, पुष्टि, स्वीकृति तथा समर्थन किया जाता है, को संविधान के अनुच्छेद 324 के उपबंधों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियों में कटौती के साथ जोड़ दिया गया है। ऐसा होने के कारण, पूरा मामला एक विवादास्पद मुद्दा बन जायेगा और उस प्रक्रिया द्वारा हम इन वर्तमान उपबन्धों को भी खतरे में डाल देंगे। महोदय, अतएव, यह समझना कठिन है कि क्या इस विधेयक को, जो विवाद-रहित है और जिसे अन्य सदन में पारित कर दिया गया है और जिसे हम सभी एकमत से पारित करने को तैयार हैं, को वापस लेने के पीछे कोई तर्कसंगति, कोई तर्काधार, कोई कारण है। इसलिये, महोदय, मैं आपसे इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान न करने का अनुरोध करूंगा और मैं यह अनुरोध की करूंगा कि माननीय सभा तथा माननीय सदस्यगण कृपया उन जटिलताओं को समझने का प्रयास करें जो इन दोनों को एक साथ जोड़ने के कारण उत्पन्न होंगी।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान करना अथवा न करना सभा का काम है।

श्री गुमान मल लोढा : इसलिये, मैं अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को वापस न लिया जाये और मैं ऐसा करने का प्रबल विरोध करता हूं और यह चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस पर फिर से विचार करें और विवाद रहित मुद्दों को विवादास्पद न बनायें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री एच०आर० भारद्वाज : मैं माननीय सदसय को आश्वासन देता हूं कि मैं कोई विवाद उत्पन्न नहीं करूंगा। यदि आप मुझे इसे वापस लेने की अनुमति देंगे तो आपको प्रसन्नता होगी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : यदि थोड़ी देर के लिये यह मान कर चलें कि इसे निर्वाचन आयोग से संबंधित अन्य उपबन्धों के साथ किसी कारण वश जोड़ने से वह विधेयक पारित नहीं किया जा सके तो क्या होगा? आप चुनावों से संबंधित एक अत्यंत महत्वूपर्ण प्रक्रिया को खतरे में डाल रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप चुनाव आयोग विधेयक को न लायें। आपको चुनाव आयोग विधेयक लाने का पूरा अधिकार है। हम उस पर अलग से विचार करेंगे, यही साधारण सा प्रश्न है। आपने कल इसका उत्तर नहीं दिया, कृपया आज उसका उत्तर दें। यदि आप इस विधेयक को पारित कर दें और तत्पश्चात संविधान (तिरासीवां संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करें तो हम इसके गुण-दोष पर विचार करेंगे। हममें से कुछ इसका विरोध करेंगे, कुछ इसका समर्थन करेंगे; चाहे वह पारित किया जाये अथवा नहीं, कम से कम परिसीमन की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। अन्ततः, आपको यह समझना चाहिये कि संविधान संशोधन कारी इस विधेयक को पारित करने के बाद भी आपको एक और परिसीमन आयोग विधेयक प्रस्तुत करना पड़ेगा। यह करना ही पड़ेगा। परिसीमन आयोग का गठन करना ही पड़ेगा। यह बड़ी विस्तृत प्रक्रिया है। मैं वास्तव में यह समझ पाने में असमर्थ हूं कि सरकार इस प्रारम्भिक बात का संज्ञान क्यों नहीं लेती। मैं आपसे रचनात्मक प्रयोजन हेतु इस पर पुनर्विचार करने का पुनः अनुरोध कर रहा हूं। हम इसे आधे घंटे में पारित कर सकते हैं। मैं राज्य सभा के अपने साथियों से भी यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि इसमें विलम्ब न हो। यदि उस प्रयोजनार्थ आवश्यक हो तो हम सत्रकाल बढ़ाने पर भी सहमत हैं।

1.00 बजे म०प०

परन्तु इस आधार पर परिसीमन संबंधी प्रक्रिया को रोकने का प्रयास कृपया न करें। इसलिये मैं, आपके माध्यम से, सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करूंगा।

श्री एच०आर० भारद्वाज : मैंने पहले ही कहा है कि मतदान सूची संबंधी मामलों पर हम इस सभा और समग्र संसद की व्यापक सर्वसम्मति चाहते हैं। आप यह मानेंगे कि आज सुबह तक हम यह प्राप्त करने का प्रयास करते रहे हैं। आपको मेरे इस वक्तव्य में से यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम कुछ दिशा पाने में सफल हुए हैं और हम उस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे क्या यह मतदाता सूची का मामला कोई पक्षपात का मुद्दा नहीं है। मैं सदस्य महोदय की बात से सहमत हूं। कृपया आप मुझे इसे वापस लेने का कर्त्तव्य पूरा कर लेने दें और उसके बाद मैं वक्तव्य दूंगा। **(व्यवधान)**

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : यह आपका यह कर्त्तव्य नहीं है। आपका कर्त्तव्य है कि आप इसे पूरी सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित करायें।

श्री एच०आर० भारद्वाज : जहां तक हो सके, आपको सन्तुष्टि करना भी मेरा कर्त्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक, जिसे राज्य सभा द्वारा 29 अप्रैल, 1992 को पारित किया गया, लोकसभा के पटल पर 4 मई, 1992 को रखा गया तथा प्रवर समिति द्वारा 18 दिसंबर, 1992 को प्रतिवेदित किया गया, को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एच०आर० भारद्वाज : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

1.01 बजे म०प०

संविधान (तिरासीवां संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 81, 82, 170 तथा 324 में संशोधन तथा नये अनुच्छेद 324 का अंतः स्थापन के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कार्य सूची की मद संख्या 10 पर विचार करेगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : जैसा कि आज की कार्यसूची के क्रम में कहा गया है, यह उल्लेख किया गया है कि श्री भारद्वाज भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति पाने का प्रस्ताव रखेंगे। इसका प्रयोजन विधेयक को वापस लेना भी प्रतीत होता है। आप पहले प्रस्तुत करें, फिर वापस ले लें, क्यों? इसी कार्य का उल्लेख है और इसका कोई शुद्धिपत्र हमें नहीं मिला है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : स्पष्ट रूप से, इस सत्र में सरकार द्वारा पहले प्रस्तुत किये गये संभवतः छह या इससे अधिक विधेयकों को वापस ले लिया है। पहले के मंत्रिगण इस बात का पहले से ध्यान नहीं रख सके कि एक दिन वे इसे वापस ले लेंगे। वर्तमान विधि राज्य मंत्री ने पहले ही यह सोच रखा था। अतः संविधान 83वें संशोधन विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति मांगते समय उन्होंने 'विधेयक को वापस लेने के लिये भी' जोड़ दिया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय आपको विनिर्णय देना चाहिये। मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय यह है कि आपकी व्यवस्था के प्रश्न का अनुमोदन किया जाता है। और यह गलती हुयी है और मेरा विचार है कि उन्होंने इसे सुधार लिया है।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : यह बड़ी अर्थपूर्ण गलती है। क्या सचिवालय को इसका पूर्वानुमान था? **(व्यवधान)**

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : जैसा कि इस सभा के माननीय सदस्यों को विदित है कि सरकार ने संविधान (तिरासीवां संशोधन) विधेयक,

1994 की प्रतियां वितरित कर दी हैं और उक्त विधेयक को प्रस्तुत करने के आशय का नोटिस भी दे दिया गया है।

यह विधेयक दो भागों में है, पहला भाग 1991 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में है और दसूरा भाग बहुसदस्यीय चुनाव आयोग के गठन से उत्पन्न होने वाले कतिपय पहलुओं के बारे में है। चुनाव आयोग से संबंधित विधेयक के खण्डों के सम्बंध में कुछ ने कतिपय आशंकाएं व्यक्त की हैं।

यह बात सभी जानते हैं कि सरकार ने विधेयक में अंतर्विष्ट सुझावों पर आम सहमति हासिल करने के विचार से विधेयक के परिचालन से पूर्व और बाद में भी संसद की दोनों सभाओं में सभी दलों के प्रतिनिधियों से गहन परामर्श किया है। आम सहमति से निर्णय पर पहुंचने के उद्देश्य से सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श किए जाने के प्रावधान हेतु विधेयक में एक नया खण्ड भी जोड़ा है। हमारे सतत प्रयासों के बावजूद विधेयक पर अभी तक आम सहमति नहीं बन सकी है। एस० एस० धनोआ बनाम संघीय भारत, 1991 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ 1745 में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। यह बात स्पष्ट है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से अलग हटने की बात पर सहमत नहीं हो सकते। चूंकि ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान (तिरासीवां संशोधन) विधेयक को आवश्यक समर्थन नहीं मिल पाएगा और इसीलिए सरकार का इस विधेयक को प्रस्तुत करने का विचार नहीं है। चुनाव आयोग में कार्य संचालन के सम्बंध में वैधानिक स्थिति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1993 में स्पष्ट रूप से घोषित की गई है। अतः यही स्थिति बरकरार रहेगी और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप तो संशोधन के लिए आग्रह कर रहे हैं। **(व्यवधान)** फिर अब भी परिसीमत प्रक्रिया को क्यों रोक दें? **(व्यवधान)** यह कैसी सरकार है? आपने पिछले दो महीनों से एक संवैधानिक सत्ता के विरुद्ध हमला बोल रखा है। इसी सिलसिले में आप यह सब कर रहे हैं। सरकार को विधेयक वापस लेने की बजाय त्यागपत्र दे देना चाहिए।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बंध में आपकी टिप्पणी के बारे में जानना चाहूंगा। जब मेरे मित्र श्री मिर्नल कान्ति चटर्जी ने यह आपत्ति उठाई थी, तो आपने कहा था कि प्रत्यक्षतः यह एक गलती ही है। किन्तु यह स्पष्ट रूप गलती नहीं है। यह सरकार की चूक तो नहीं किन्तु फिर भी संसदीय प्रजातंत्र के अस्तित्व के विरुद्ध की नई एक गलती है।

हमें इस मामले को इतने हल्के फुल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। अब कई महीनों से यह विवाद चल रहा है। कई सदस्य इस मामले पर गौर करने हेतु सरकार से आग्रह कर रहे थे। अब से कुछ देर पहले ही श्री अडवाणी इस विधेयक का समर्थन करने के लिए आग्रह कर रहे थे जिसे राज्य सभा पहले ही पारित कर चुकी है। श्री भारद्वाज ने यह कहा था कि वे एक मिनट के अंदर कुछ खास बात करने वाले हैं और संसदीय प्रजातंत्र के इतिहास में घटित यह सबसे निकृष्ट बात है।

[श्री चन्द्रशेखर]

मुझे इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। किन्तु मैं राजनीतिक विज्ञान का छात्र रहा हूं। यदि आप विश्व के इतिहास में से ऐसा कोई उदाहरण उद्धत करें तो मैं यह समझूंगा कि इस सरकार में संसदीय प्रजातंत्र के सम्बंध में कुछ आदर-मान है।

चाहे वे इस विधेयक को पारित करें अथवा न करें किन्तु क्या संसद के साथ व्यवहार करने का यही तरीका है? क्या पूरे देश की जनता के साथ व्यवहार का यही सही ढंग है? इस देश में और इस सर्वोच्च मंच की जो तस्वीर आप विश्व के समक्ष रख रहे हैं क्या यह एक सही तरीका है?

मैं इस सम्बंध में आपका मार्गनिर्देश चाहता हूं। इस सरकार को आप संसदीय प्रजातंत्र के मान और मर्यादा के विपरीत कार्य करने की कितनी छूट देंगे?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, हम बहुत गुस्से में है। मै नहीं मानता हूं, इस सदन के साथ और इस देश की संसद के साथ कभी आज तक इस प्रकार का मजाक हुआ है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, कैसे सरकार इस तरह से आपको और इस सदन को*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह बात कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, आप मेरी बात समझ लीजिए। हम बहुत गुस्से में है। हम अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। हुआ क्या है? विदड्रा करने या न करने का सवाल नहीं है। पहले वाला बिल था, पहले वाले बिल को आपने विदड्रा करना था। उस पर हमारे बाजू में बैठे हुए सदस्य, श्री लोढा जी, ने कहा कि हम लोग एक मत हैं। डिलिमिटेशन के बारे में एक सच हैं, इस लिए डिलिमिटेशन को मत रोकिए। जिस पर हम एक मत हैं, उसको स्वीकार कीजिए। तब आप खड़े होकर अपनी बात को बोलें। आपकी साजिश हो चुकी थी कि डिलिमिटेशन होने देना है और बिल को वापिस लेना है। उस साजिश के तहत आपने कभी विधेयक को वापस लेने और उसके बाद विधेयक को पुरःस्थापित करने की बात कही। आपको इस बात की जानकारी थी कि आप विधेयक के पुरःस्थापित नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग कभी-कभी अपने सदन की ही गरिमा को नहीं पहचानते। अध्यक्ष जी, मुझे नहीं मालूम कि इस पर क्या इलाज खोजना हैं, क्योंकि यह आज झोंपड़ी सब को बांटी जा रही है इसमें आपको कहीं भी इस प्रकार के व्यवहार का जवाब नहीं मिलेगा। चूंकि आज तक इस सदन को, आजादी के बाद से आज तक इस प्रकार के व्यवहार का कभी सामना करने का मौका मिला था, मुझे नहीं मालूम। चन्द्रशेखर जी ने कहा कि पहली बार हमारे लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा हुआ है। इस सदन में मैं पांचवी बार आया हूं लेकिन इस सदन में इतना घोर अन्याय कभी नहीं

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हुआ है, और अगर किसी सदन में कहीं भी प्रजातांत्रिक संसद में इस प्रकार का व्यवहार कोई भी मंत्री करे, यहां मंत्री की बात नहीं है यह जो हुआ है वह इस सरकार से हुआ है।

महोदय, आप प्रधान मंत्री को बुलाइये और पूछिये कि क्या उनको मालूम था लोक सभा के साथ इस प्रकार का मजाक होगा। हम सब लोगों को इस तरह से बेवफूक बनाने का काम होगा। ममता जी ने कहा कि मुझे एक शब्द बोलने दीजिये लेकिन उनको बोलने से रोका गया।' ' ' **(व्यवधान)** ' ' ' उनका इसमें एक विशेष विचार है। उन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में कहा था कि फ्रीडम ऑफ वोट्स चाहिये हम उनकी तारीफ करते है। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन मेरा इसमें इतना जरूर कहना है कि हम अपने को काबू में नहीं पा रहे हैं। हम इस चीज को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं, इस पर आप किस प्रकार की सजा देना चाहेंगे। यह जो सदन के साथ अपमान हुआ है, इसको आप कैसे निकालना चाहेंगे।' ' **(व्यवधान)** ' ' ' हम लोग हमेशा सदत की गरिमा के बारे में बोलते हैं और आज जो यह सदन की पूरी गरिमा को खत्म करने का काम हुआ है इसका जवाब कौन देगा? अध्यक्ष जी, यह आपके हाथ में है, इसलिये इसे हम आपके हाथ में ही छोड़ देते हैं।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से कांग्रेस पार्टी से जानना चाहता हूं कि उनको क्या लाभ मिला और यह किस उद्देश्य से कर रहे हैं? यह प्रजातंत्र को और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अगर समाप्त नहीं करना है तो दूसर उद्देश्य इस व्यवहार का और इस आचरण का क्या हो सकता है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं बड़ी विनम्रता से कांग्रेस पार्टी से निवेदन करूंगा, एक तर्क बताएं कि इस तरह से आचरण का क्या कारण हो सकता है?

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझें बोलने के लिये मौका दिया है। मैं भारद्वाज जी को इसके लिये बधाई देना चाहती हूं। इस बिल पर कांसेंसस हो जाये तो अच्छा है। महोदय, लोकतंत्र में यह एक गंभीर बात है कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स, जिन लोगों ने पहले शेषन का इमपीचमेंट चाहा था, उस टाइम में हम लोगों ने कुछ नहीं बोला लेकिन उन लोगों ने इमपीचमेंट चाहा था बाद में कांस्टीट्यूशन अमेंढमेंट बिल आया था।' ' ' **(व्यवधान)** ' ' ' आप पहले मेरी बात को तो सुनिये। डिलिमिटेशन के बारे में जो बात है, इस बारे में सोचने के लिये मैं जरूर मंत्री जी को रिकवेस्ट करना चाहती हूं लेकिन साथ-साथ में मल्टी मेम्बर कमीशन की जो बात थी हम लोगों के दिल में थोड़ा फर्क था। मैं आपको यह बताना चाहती हूं हम लोग चाहते थे, क्योंकि जो इलेक्टोरल रिफार्म्स है वह बड़े इमपोरटेंट रिफार्म्स हैं। हम लोग चाहते हैं कि इलेकटोरल रिफार्म्स आए लेकिन इसमें अगर कंसेंसस नहीं हो तो दिक्कत होगी। इसीलिये अगर इसमें नेशनल डिबेट कराई जाये, गवर्नमेंट को जल्दी कुछ नहीं करना चाहिये।' ' ' **(व्यवधान)** ' ' ' अगर गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है तो मैं उसका स्वागत करती हूं। इसमें नेशनल डिबेट होनी चाहिये कि जल्दी से जल्दी हम ऐसा कुछ न करें जिसमें हमारी जनता को दुख पहुंचे। हम इसको लेकर कोई पोलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं लेकिन एक बात सच है कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर शेषन है लेकिन कल वह नहीं रह सकता है। उन्होंने पीसफुल इलेक्शन कराने के लिये कामयाबी पाई

[कुमारी ममता बनर्जी]

है। महोदय, वैशाली में जो लवली जी जीत कर आई है यह शेषन का लवलीनेस है।' ' ' **(व्यवधान)** ' ' ' अगर वे ऐसा नहीं करते तो वैशाली में।' ' '*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जाएगी।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : मैं इस बात को घुमा कर बोलती हूं।*

अध्यक्ष महोदय : यह भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

कुमारी ममता बनर्जी : मैनें नाम नहीं लिया है, लेकिन सबको पता है कि मैं किसके बारे में कह रही हू।

कई राज्यों में चुनाव संबंधी समस्याएं हैं, इसलिये आम जनता की फीलिंग यह थी कि इस बिल को वापिस लिया जाए, इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकार कम नहीं किए जा रहे हैं। हमने इस बात को अपनी पार्टी में कहा और हमें अपनी पार्टी में फ्रीडम और डेमाकेसी पर गर्व है, वहां पर हमारी बात मानी गई और जनता की राय जानने के लिए नेशनल डिबेट की बात स्वीकार की गई। राज्यों के साथ भी बात की जानी चाहिए, अन्य दलों के साथ भी बात की जानी चहिए और एक कंसेंसस कायम हो तो बहुत अच्छा होगा, यदि कंसेंसस नहीं होती है तो यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा।

इसलिए यह बिल जो वापिस लिया जा रहा है, इसका हम स्वागत करते हैं। इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में डीलिमिटेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। जिस तरह से एस० सी० एस० टी० और माइनारिटजी के रिजर्वेशन की बात है, इसी तरह से डीलिमिटेशन की तरफ ध्यान देना भी आवश्यक है। मेरा विपक्षी दोस्तों से भी आग्रह है कि वे इस मुद्दे पर राजनीति न करें, अभी मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्तियां कम नहीं की जा रही है। सरकार ने हम लोगों की बात सुन कर इस तरह का निर्णय लिया है। आप लोगों की मंशा भी यही थी, इसलिए आप लोगों को भी सरकार के इस कदम का स्वागत करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ इस बिल का वापिस लेने के लिए मैं सरकार को बधाई देती हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं सन् 1957 से पार्लियामेंट से संबद्ध रहा हूं। कभी लोक सभा में, कभी राज्य सभा में। अनेक सरकारें हमने देखी हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकारें देखी हैं, लेकिन आज जिस फूहड़पन का प्रदर्शन हुआ है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, यह विशेष अधिवेशन है, बार-बार हमें याद दिलाया जा रहा है कि यह विशेष अधिवेशन संविधान में संशोधन करने के लिए बुलाया गया है। यह अधिवेशन चुनाव सुधारों

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

पर विचार करने के लिए बुलाया गया है। यहां तक कि हमें अन्य प्रश्नों को उठाने से रोका जाता रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम पहले से इस बात पर बल देते रहे हैं कि चुनाव कानून में संशोधन करने के लिए आप सहमति होनी चाहिए। चुनाव आयोग कोई एक व्यक्ति नहीं है, यह एक संस्था है, जिस पर कोई निर्णय लेने के लिए मात्र बहुमत पर्याप्त नहीं है। आपको याद होगा कि आपके चैंबर में जो बैठक हुई थी, उसमें मैंने विद्या चरण जी से पूछा था कि क्या आप बहुमत से निर्णय करने जा रहे हैं, तो उनका जवाब था कि हां, हम करेंगे। कल भी बहुमत का सवाल उठा था। आपने गणना नहीं की कि दो-तिहाई बहुमत जुटेगा या नहीं। यदि दो/तिहाई बहुमत जुटाने में आप सफल भी हो जाते, तब भी इस तरह से चुनाव सुधारों के मामले पर पार्लियामेंट का वह फैसला ठीक नहीं रहता।

कौन-सा दल है जो चुनाव सुधार नहीं चाहता? कौन-सा दल है जो चुनाव सुधारों के मामले पर आपको सहयोग देना नहीं चाहता? हमारी तो शिकायत है कि गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट पिछले 4 साल से पड़ी हुई है, धन-शक्ति और गुंडा-शक्ति बढ़ रही है, पोलिंग बूथों पर हमले हो रहे हैं, अनाप-शनाप धन खर्च किया जा रहा है, इन मामलों पर सरकार कानूनों में संशोधन करे, लेकिन आपने कोई ध्यान नहीं दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में एक व्यक्ति ऐसा आया, हालांकि उनकी हर बात से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन इस बार के उप-चुनावों में मैंने जाकर देखा कि दीवारें इस बार रंगी नहीं गई हैं। पोस्टरों की संख्या घट गई है और बैनर्स भी कम दिखाई देते हैं। मंत्री महोदय प्राइवेट गाड़ी की तलाश में जाते हैं और सरकारी गाड़ी जरा दूर रखते हैं कि कहीं शेषन की नजर न पड़ जाए। एक व्यक्ति ने सारी व्यवस्था को झकझोर दिया है और इसीलिए जनता ने उन्हें व्यापक समर्थन दिया और आप उनके अधिकारों को कम करने के लिए संविधान में संशोधन और विशेष अधिवेशन कर रहे हैं। आपने गणित नहीं लगाया, गणना नहीं की और संख्या पर विचार नहीं किया। आज सबेरे तक हम लोग कहते रहे कि इस तरह के विधेयक नहीं लाए जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप तो इस बात के साक्षी हैं। आपकी बात भी अगर सरकार ने सुनी होती चूंकि आप हमेशा इस बात पर बल देते रहे हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर एक आम राय होनी चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि आप बहुमत नहीं जुटा सके। बहुमत नहीं जुटा सके, वह आपकी बड़ी भारी विफलता है। उसके लिए मैं कह सकता हूं कि आपको गिनती भी नहीं आती। अगर आप दो-तिहाई बहुमत जुटाने की स्थिति में आ जाते तब भी उसके बल पर इस तरह के बिधेयक पास कराने में या चुनाव की व्यवस्था को पुष्ट करने में सहायक न होते और न इस सदन की गरिमा को बटाने में सहायक होते।

अध्यक्ष महोदय, अब क्या होगा? यह विशेष अधिवेशन बुलाया गया था जिस काम के लिए तो उसका काम तमाम हो गया और श्री भारद्वाज के हाथों ही अंतिम क्रिया होनी थी। इसमें भी कुछ विधि का विधान हो सकता है। यह जो विदड्राल छपा है, मिस-प्रिंट नहीं था, मैं समझा था कि यह मुद्रा राक्षस है। आपने जान-बूझकर इसमें लिखा था कि आप विदड्रा की मांग को लेकर आए हैं। यह तो सदन के साथ खिलवाड़ हुआ है। संसद से कई बार सरकार इस तरह के बर्ताव कर चुकी है जो संसद की गरिमा को बढ़ाने वाला नहीं है। आज तो सारी सीमाएं टूट गईं। आज सरकार ने सारी मर्यादाएं ताक पर रख दीं। इस सदन के साथ धोखाधड़ी हुई है। मालूम होना चाहिए कि कौन इसकी

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

सजा भुगतेगा और कौन दंड लेगा? अगर सरकार यही करना चाहती थी तो इसे भी सम्मान के साथ ग्रेसफली करने का आज सबेरे तक रास्ता निकाला जा सकता था। सरकार यह भी नहीं कर सकी मंत्री कन्सेंसस की बात कर रहे हैं। लेकिन कन्सेंसस के लिए जो वातावरण बनना चाहिए उसको बनाने में सहायक नहीं है। सदन के सामने एंटी क्लाईमेक्स की स्थिति पैदा हो गई है। इसकी सजा किसे भुगतनी होगी? अच्छा हो कि सरकार इस्तीफा दे दे।

अध्यक्ष महोदय, हम आपसे मांग कर रहे हैं कि इस विशेष अधिवेशन को आगे चलाने की आवश्यकता नहीं है। आप अधिवेशन को साई-ने-डाई यानि अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर दीजिए। जिस काम के लिए आए थे वह काम अब नहीं होना है, हम और कामों में लगे संसद का अधिवेशन भविष्य में सोच-समझकर बुलाया जाए। अगर यह सरकार अपने पीछे संख्या बल खड़ा नहीं कर सकती तो सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगत सिंह पुर) : यह क्या हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय : यहां पर चर्चा चल रही है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था सम्बंधी प्रश्न क्या है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरा व्यवस्था सम्बंधी प्रश्न विशेषाधिकारों के हनन के बारे में है। मैंने आज ही जारी की गई इस पुस्तक के नवीनतम संस्करण का पृष्ठ 246 खोल रखा है। इसमें यह लिखा है :

"सभा अथवा इसकी समितियों में झूठे और जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।"

यह विशेषाधिकार का हनन है। मैं इस पुस्तक से पढ़ रहा हूं जिसमें इस सभा के विशेषाधिकारों की प्राधिकृत रूप से व्याख्या की गई है।

"सभा अथवा किसी समिति को धोखा देने के विचार से झूठे अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना विशेषाधिकार का हनन और सदन की अवमानना है।"

यह फैसला दिया है स्पीकर मावलंकर ने किसी और संदर्भ में, लेकिन महत्व का शब्द यह है कि इस प्रकार का दस्तावेज सदन के सामनें, किसी कमेटी के सामने रखना जो सदन को डिसीव करने के लिए हो। मैं आपसे दो प्रार्थना करना चाहता हूं। पहली तो यह है कि हम लोग और आप भी सदन में कई नियमों को सस्पेंड करते हैं। आप नियम 202, 222 और उसके साथ जुड़े हुए नियम हैं उनको सस्पेंड करें, जो चाहते हैं कि आपको पहले नोटिस दूं।.इस पर आप अपना निर्देश दें। दूसरी मेरी प्रार्थना यह है कि आप अपनी तरफ से सदन की गरिमा को बचाने के लिए ···

श्री चन्द्र शेखर : जो सदन के सामने घटना हो उसमें नियम सस्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। वह लागू नहीं होता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस नियम के आधार पर आप इस मामले को तत्काल बीच आफ प्रिवीलेज के तौर पर कंटेम्प्ट आफ हाउस के तौर पर बहस के लिए सदन में लें।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज): मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आइटम नं० 10 के ऊपर लिखा है बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमारी समझ में आ गया है कि क्या हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : इसका शीर्षक पुरःस्थापित किये जाने वाला विधेयक है। अब विधेयक को परिचालित कर दिया गया है परन्तु इसे अभी तक पुरःस्थापित नहीं किया गया है। जब विधेयक पुरःस्थापित ही नहीं किया गया है तो इसमें वापस लेने का प्रश्न ही कहां है? स्पष्ट है कि इसमें गलत छपा है और सरकार को पहले पर स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तव में इसे वापस लिया जा रहा है अथवा इसे वास्तव में पुरःस्थापित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, विडम्बना यह है कि आज भी खड़े होकर कह सकते थे कि मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, यह जो दिया है सचमुच में तो उसकी भी जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने पहले अनुमति चाही सदन से कि मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। उसके बाद बयान दिया कि मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं। यह इतना आश्चर्यजनक है कि इतनी छोटी-सी बात थी। उसको भी इस प्रकार से बंडल किया, इसलिए शब्द प्रयोग किया 'पुअर'। लेकिन पुअर उसमें खाली इनकम्पीटेंस का है, लेकिन सही बात है सिर्फ इनकम्पीटेंसी नहीं है, यह धोखाधड़ी है।

श्री चन्द्र शेखर : मामला इसलिए गम्भीर है, अगर ला मिनिस्टर के भाषण के पहले लोढाजी और आडवाणी जी का भाषण नहीं हुआ होता तो यह मामला उतना गम्भीर नहीं था। लेकिन इन दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो डीलिमिटेशन का क्लाज है उसको आज पारित किया जाये। उसके बाद विधि मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हम कुछ ऐसा कहने जा रहे हैं जो आप सबको संतुष्ट कर देगा। उसके बाद जो डीलिमिटेशन का संविधान संशोणन है विदड्रा कर लिया गया, यह धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं है। अगर उनका भाषण नहीं हुआ होता और उसके बाद विधि मंत्री ने यह कहा होता कि सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है जिससे आप संतुष्ट होंगे और कोई रास्ता निकल जायेगा, यह रिकार्ड पर है, आप देख लें। जार्ज साहब ने कहा इसमें नियम बदलने की जरूरत नहीं है, यह सारा मामला सदन के सामने हुआ और आपकी उपस्थिति में हुआ है, सारा रिकार्ड है, आप देख लें। विधि मंत्री जी हमारे बड़े मित्र हैं, लेकिन एक गलत जगह पर बैठे हुए हैं इस प्रकार का अभद्र व्यवहार कर सकते हैं संसद में, यह मुझे आशा नहीं थी। मैं मानता हूं कि उन्होंने साधारण नियमों का पालन नहीं किया, साधारण शिष्टाचार का भी निर्वाह नहीं किया, साधारण जिसको हम सत्य के प्रति दिखावा कहते हैं उसको भी नहीं माना। इसलिए लोढाजी और आडवाणी साहब का भाषण और उसके बाद विधि

[श्री चन्द्रशेखर]

मंत्री का भाषण तीनों को मिलाकर पढ़िये, यह धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं है। जार्ज फर्नान्डीज ने जो कहा वह सही है।

[अनुवाद]

चन्द्रजीत यादव : हमारे साथ विश्वासघात हुआ है और भारतीय संसद के साथ विश्वासघात हुआ है और इसमें आपकी छवि भी शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : आपको अध्यक्ष को इसमें नहीं घसीटना चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरा कहने का अभिप्राय कुछ और था। **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसका अभिप्राय अध्यक्ष के आसन से है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मुझे इसका खेद है ... **(व्यवधान)** ... महोदय कृपया आप मेरी बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरी बात तो सुन लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : आप प्वांयट पर बात कीजिये। गवर्नमेंट के खिलाफ बात कीजिये। मैंने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। किसी को भी आप इन्वाल्व करने जा रहे हैं, क्या मतलब है उसका?

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरी बात तो सुन लें। कहने को तो बात ही अलग है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आपकी गरिमा के खिलाफ कुछ कह सकता।

अध्यक्ष महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, मैंने क्यों कहा?

अध्यक्ष महोदय : आप मुद्दे पर ही बात कीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, मैं प्वांयट के लिये कह रहा हूं। यह विशेष अधिवेशन नहीं बुलाया जाता अगर आपके माध्यम से सारे दलों को बुलाकर राज़ी नहीं किया गया होता यह एक निहायत जरूरी सैशन है और एक विशेष अधिवेशन है। आपकी मेहरबानी से इस विशेष अधिवेशन में देश का लाखों रुपया खर्च हुआ और हमारे मतदाताओं को लाखों रुपया खर्च हुआ। मैं यह भी समसझ सकता था कि अगर सरकार को यही व्यवहार करना था तो इस अधिवेशन में पूरी चर्चा हो जाती। आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय सहमति हो। इस पर चर्चा होती, बात होती, जो मांग हमेशा से हम उठाते रहे थे तो उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिये। कम से कम सदस्यों का मत मालूम हो जाता। दलों का मत मालूम हो जाता। विशेष अधिवेशन बुलाने का अर्थ तो यह है कि कुछ सार्थक होता। इस पर चर्चा हुई, वह भी नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपको बताया गया? क्या इतना

शिष्टाचार सरकार ने या संसदीय कार्य मंत्री ने दिखाया कि अध्यक्ष जी के अनुरोध पर इस विशेष अधिवेशन को बुलाने के लिये दलों को सहमत कराईये। कम से कम इतना शिष्टाचार दिखाने के लिये बता दिया जता कि हम अब विशेष अधिवेशन नहीं बुलाना चाहते हैं, हम इस बिल को पेश नहीं करना चाहते हैं और आपको भी यह नहीं बताया गया। यह इस सदन के साथ धोखा नहीं किया गया, इस सरकार ने आपके साथ धोखा किया कि आपको इस बीच डालकर आपकी गरिमा का ध्यान इस सरकार ने नहीं किया जोकि सरकार को करना चाहिये था। मैं समझता हूं कि कोई साधारण बात नहीं है, यह अत्यंत असाधारण बात है। हमारे जैसे लोग, जो इस बात के लिये इच्छुक थे और हमारा दल इस बात को चाहता था कि चुनाव सुधार के ऊपर पूरी चर्चा होनी चाहिये। चुनाव में सुधार की आवश्यकता है। चुनाव मंहगा हो रहा है, चुनाव में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, चुनाव में बूथ कैपचरिंग हो रही है। इसलिये प्रजातंत्र के लिये जरूरी है कि इस देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराये जायें। गरीब आदमी के लिये चुनाव लड़ना मुश्किल हो रहा है। इन तमाम बातों पर चर्चा होने जा रही थी और आज सवेरे भी बैठक हुई और सरकार सवेरे से यह आश्वासन दे रही थी। उस समय सरकार ने यह शिष्टाचार नहीं दिखाया कि जो लोग सरकार को यह कह रहे थे, ठीक उस पर चर्चा कराई जाये, बात कराई जाये, संकेत कर सकते थे कि हमारी मजबूरी है हम यह बिल नहीं बुला रहे हैं। इसके लिये मैं भी मांग करता सरकार को यह अंदेशा था कि विशेष अधिवेशन के नाम पर आर्डिनेंस जारी करे, उनको पास कराये लेकिन अब यह विशेष अधिवेशन समाप्त करना चाहिये। सरकार को विधिवत् इस सदन से और आपसे माफी मांगनी चाहिये क्योंकि सरकार ने इस सदन और देश के साथ धोखा किया है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा विधेयक को वापस लेने वाले ···

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वापस कोई नहीं ले रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ··· अथवा पुरःस्थापित नहीं कर रहे हैं।

महोदय, मुझे अपनी दाईं ओर से अपने मित्रों की पीड़ा समझ में नहीं आती है क्योंकि वे इस विधेयक का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अब मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि वे सहज नहीं हो पा रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपको बताऊंगा कि उन्हें किस प्रकार की परेशानी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसमें कोई परेशानी नहीं है। वे यही चाहते हैं कि विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए। यदि वे विधेयक को सभा में गिर जाना ही सही मानते हैं तो यह अलग बात है। वे विधेयक का विरोध कर रहे हैं और इसके साथ-साथ वे मंत्री महोदय के वर्तमान प्रस्ताव का भी विरोध कर रहे हैं। अतः मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी है कि क्या कुछ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी यह देखने का पुरजोर प्रयास कर रही है कि इन दो विधेयकों को छोड़कर

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

कुछ अन्य कार्य चर्चा हेतु लिया जाए। हम सभी यह जानते हैं कि पिछले दो दिन से यहां पर क्या हो रहा है। मुझे इसी बात की अप्रसन्नता है कि राष्ट्रीय प्रतिबंधताओं की अनदेखी की जा रही है। राष्ट्री प्रतिबद्धता यही है कि चुनाव आयोग बहु-सदस्यीय निकाय होगा। प्रत्येक राजनैतिक दल और इस देश के उच्चतम न्यायिक मंच, इस सभा की संसदीय समितियां जिनमें श्री जय प्रकाश नारायण जी द्वारा गठित श्री तारकुंडे की अध्यक्षता वाली समिति भी शामिल हो इन सभी का यही मानना है कि यह एक बहुसदस्यीय निकाय होना चाहिए। किसी ने भी यह बात नहीं कही है। यही प्रतिबद्धता जो इस सरकार ने इस सभा में दोहराई थी।

मैं यही कह रहा हूं कि जिस ढंग से वे लोग कार्य कर रहे हैं यह कुछ और नहीं बल्कि अनाड़ीपन ही है। यदि आपका यही सोचना था कि हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं, तो आप इस राष्ट्रीय प्रतिबद्धता पर किस प्रकार से कायम रह पाते जिस पर राष्ट्रीय सहमति भी है? मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है। आपके लिए यह आरोप लगभग आसान है कि आप एक व्यक्ति के पर कतरने जा रहे हैं। अब एक ही व्यक्ति को यह निभेद करना है कि इस देश के मूलभूत कानून में संशोधन करना चाहिए अथवा नहीं। और इस देश का मूलभूत कानून क्या होना चाहिए वह एक ही व्यक्ति पर निर्भर करेगा।

हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। हमने मुख्य चुनाव आयुक्त को बधाई भी दी है। अब हरेक व्यक्ति यह मानता है कि हर जगह अच्छे ढंग से चुनाव हुए हैं। हमें तो इस बात पर प्रसन्नता है कि जो लोग पश्चिमी बंगाल में सी० पी० आई० (एफ०) द्वारा चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते थे, वे अब ऐसा नहीं कह सकेंगे। हमारे मतों में वृद्धि हो गई है। **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : वे तो हर बार ही यह बात कहते हैं · · · **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुख्य चुनाव आयुक्त केवल पश्चिमी बंगाल में ही कार्य नहीं कर सकते। इसका यही कारण है। अब विपक्ष के नेता क्या कहेंगे? क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश में सितम्बर तक चुनाव स्थगित करने की बात का समर्थन किया था? क्या उन्होंने पंजाब में चुनाव स्थगित किए जाने का समर्थन किया था? इनके लिए क्या आधार बनाया गया था? आप उच्चतम न्यायालय के पास क्यों जाकर आत्मसमर्पन करते हैं? इसीलिए एक गलत तथा जन विरोधी निर्णय को ही उच्चतम न्यायालय द्वारा ठीक किया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है। इस देश में चुनाव न्यायालयों के आदेशों के अंतर्गत ही कराए जाते हैं एक व्यक्ति आदेश के बाद आदेश दिए जा रहा है? और यह एक ही व्यक्ति पर निर्भर करता है कि इस देश में संसदीय प्रजातंत्र रहे? यदि संसदीय प्रजातंत्र को एक ही व्यक्ति के भरोसे पर छोड़ दिया जाता है, चाहे वह कितना ही ऊंचा और शक्तिशाली क्यों न हो, यह बात राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अनुरूप न होकर राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के विपरीत ही जाती है। अतः जो मैंने कहना चाहा है वह यह कि यह एक दुखद दिवस है। आज जो कुछ भारी दबाव, अत्यधिक भारी दबाव के परिणामस्वरूप किया जा रहा है वह इस देश में संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली के भविष्य के लिए खतरा ही है। यह कोई नहीं जानता कि अगले वर्ष चुनाव होंगे अथवा नहीं, क्योंकि इस भद्र

व्यक्ति ने कहा है कि जब कि सभी लोगों को फोटो पहचान-पत्र नहीं मिल जाते अगले वर्ष चुनाव नहीं होंगे। यह बिल्कुल अनुचित है। किसी ने इस मुद्दे का विरोध नहीं किया ··· **(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : सरकार पूरे देश को धोखा दे रही है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप यह जानते हैं कि आज कम लोग मतदान कर रहे हैं। **(व्यवधान)** हमने पहचान-पत्रों के मुद्दे का समर्थन किया है। अब तो केवल रणनीति और निधियों का ही प्रश्न उठता है। यह सभी जानते हैं ··· **(व्यवधान)** मैं यह आरोप लगाता हूं कि सरकार इस मामले में विफल रही हैं यदि वे इस विधेयक पर कार्यवाही करते तो मुझे विश्वास है कि उससे देश के लोगों को उन व्यक्तियों अथवा पार्टियों का पता चल जाता जो इस राष्ट्रीय वचनबद्धता के विरोधी हैं। इसके बाद लोग इस पर अपने-आप निर्णय कर लेते। वे इस विधेयक को पुरःस्थापित क्यों नही करते? वे संसद में पुरःस्थापित किए जाने वाले उन समग्र उपबंधों पर संसद को अपने विचार प्रकट करने के लिए क्यों नहीं कहते? मुझे खेदपूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि उन्होंने संसद का अपमान किया है। उन्होंने इस संसद के संयुक्त रूप से निर्णय करने के आधार की अवमानना की है जैसा कि दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है। अतः जहां तक हमारा संबंध है हम इस विधेयक को पुरःस्थापित न किए जाने के प्रस्ताव का विरोध करेंगे और हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस विधेयक को पुरःस्थापित किया जाए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह व्यक्त करना चाहता हूं कि यह विधेयक भारत के संसदीय इतिहास में एक काला विधेयक के रूप में रहेगा। आज हमने इससे अलग स्थिति देखी है। माननीय विधि और न्याय मंत्री ने इस सभा को यह आश्वासन दिया है कि वे विधेयक में दिए गए उपबंधों को वापस ले रहे हैं और ये उपबंध अगले विधेयक में रखे जायेंगे जिसे वे पुरःस्थापित करने वाले हैं। यह आश्चर्य की बात है कि वे इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का नैतिक साहस नहीं रखते हैं। यह तो इस सभा को धोखा देना है। इससे यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह सरकार उस देश की सर्वोच्च संस्था को कितना कम सम्मान करती है उन्होंने यह उल्लेख किया है कि सरकार ने इस पर सर्वसम्मति का प्रयास किया है। यदि सरकार वास्तव में प्रजातंत्र के लिए वचनबद्ध होती और यह अन्य लोगों के विचारों का सम्मान करती तो यह दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर प्रस्ताव रखती। उस समय यह दल विपक्ष में था। उस समय यह प्रमुख विपक्षी दल था और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ विपक्ष के नेता के साथ भी परामर्श किये जाने के सुझाव को उदारतापूर्वक स्वीकार किया। यदि यह सरकार अब ऐसा उपबंध रखती तो सभी दल इसका समर्थन करते। परन्तु, वे विपक्ष का कोई सम्मान नहीं करते। और वे विपक्ष के दृष्टिकोण को कोई महत्व नहीं देते। यदि सरकार इस पर सर्वसम्मति जुटाने में असफल भी हो जाती तो कोई बात नहीं थी परन्तु वह कम से कम इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का साहस तो करती। इस विधेयक पर चर्चा की जाये और इस सम्मानित सभा के सदस्यों और विभिन्न राजनीतिक दलों को इस विधेयक के उपबंधों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाये। परन्तु, वे यह भी नहीं कर पाये। हम यह महसूस करते हैं कि सरकार इसके माध्यम से वही करना चाहती है जो उसने विगत में किया है। उस समय एक उच्च

[श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे]

न्यायालय ने देश में सर्वोच्च व्यक्ति का निर्वाचन रद्द कर दिया था और आपातकाल के दौरान इस संसद ने उस फैसले को अमान्य करने का प्रयास किया था। इसी प्रकार से अब उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश को रद्द करने के लिए वे यह संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहते हैं जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ निर्वाचन आयुक्तों को समान अधिकार दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 में ही एक बहु-सदस्यीय आयोग का प्रावधान किया गया है। कुछ विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। हम इससे सहमत हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निर्णयों में थोड़ी निरंकुशता है। कभी-कभी वे अपनी सीमा से बाहर भी हुए हैं। परन्तु, मैं इस सम्मानित सभा को एक बात बताना चाहूंगा कि उनके निर्णयों के कारण ही चुनाव पहले की अपेक्षा बेहतर तरीके से और कम खर्चे में हो पाए हैं और इसका श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। हमें यह स्वीकार करना होगा। और इस देश के लोग यह भली-भांति जानते हैं। अतः, इस संदर्भ में हमारी यह मांग है कि विधि मंत्री तत्काल त्यागपत्र दें क्योंकि इस सभा की अवमानना करने के बाद वे इस सरकार में बने रहने के पात्र नहीं हैं। उनसे और इस सरकार से हमारी यह न्यूनतम अपेक्षा है।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) अध्यक्ष महोदय, मैं एक विधेयक, जिसे परिचालित किया गया था, को पुरःस्थापित न किए जाने के सरकार के निर्णय पर व्यक्त किए गए क्षोभ की मंशा और उसके औचित्य को समझ नहीं पाया।

महोदय, यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो गत दो दशकों के दौरान समय-समय पर आडवाणी जी सहित विभिन्न दलों ने बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग की वांछनीयता का प्रश्न उठाया था। सरकार ने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह निर्णय संवैधानिक आदेश के अनुरूप हो, इस विधेयक को रखा। **(व्यवधान)** यदि आप मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसी बात नहीं करेंगे।

महोदय, जैसा कि माननीय विधि मंत्री ने कहा कि इस पर सर्वसम्मति लाने के लिए कल से प्रयास किए जा रहे थे। यदि सरकार ने इस विधेयक को पुनःस्थापित न करने का निर्णय लिया है तो मैं विनम्रतापूर्वक यह कहूंगा कि यह विपक्ष के सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध है। विभिन्न दल ऐसे हैं जो इस उपबंध को लाना नहीं चाहते हैं। हम यह जानते हैं कि गत तीन वर्षों से हमारे पास दो-तिहाई बहुमत नहीं है और जब तक सदस्यों में पार्टी लाइन को छोड़कर सर्वसम्मति नहीं बन जाती हम, संविधान (संशोधन) विधेयक लाने की जल्दीबाजी नहीं करेंगे।

महोदय, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा और आज, यदि कोई दल अथवा सदस्यों का समूह इस विधेयक का समर्थन नहीं करता तो ऐसी स्थिति में मुझे यह आशंका है कि सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि यह विधेयक पुरःस्थापित किए जाने की आवश्यकता है और मैं इस मामले में चिंतित हूं। वास्तव में, जैसा कि मैंने कहा था कि यह इस सभा के विचारों का सम्मान करते हुए यह विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जा रहा है। मैं कुछ सदस्यों की यह बात सुनकर चकित रह गया कि कांग्रेस सम्भवतः कुछ ऐसे उपबंध लाना चाहती है जो चुनाव सुधार के लिए नहीं हैं।

महोदय, कृपया लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक में यह देखें कि हम उसमें क्या कर रहे हैं? सरकार वर्तमान आदर्श आचार संहिता में विभिन्न उपबंधों को एक सांविधिक आदेश बनाना चाह रही है। श्री वाजपेयी, अपनी अत्युत्कृष्ट शैली में, कारों के काफिले का उल्लेख कर रहे थे। कांग्रेस सरकार इसे समाप्त करना चाह रही है और इसलिए, वह उपबंध यहां पुरःस्थापित किया गया है। अब इसका क्या नतीजा निकल रहा है? सरकार चुनाव प्रचार की अवधि को 10 दिन से घटाकार 14 दिन करना चाहती है। क्या इससे चुनाव के खर्चों में कटौती नहीं होगी? हम यहां किस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं? हम क्या कहना चाह रहे हैं? सम्भवतः, ये लोग यह चाहते थे कि सरकार चुनाव में धनराशि लगाये। कांग्रेस की यह दृढ़ राय है कि सरकारी कोष पर इस तरह और बोझ डाला नहीं जा सकता है जब हमारी किसी अन्य तरह से खर्चे में कटौती पर सर्वसम्मति नहीं हो पाती तो हमारे लिये यह परामर्श योग्य नहीं है, कि हम इसी तरह राजस्व पर बोझ बढ़ाते रहे। **(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : यह पहले संशोधन विधेयक में रहा।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, ऐसी राय नहीं दी जा सकती है और यदि हम इस देश के लोगों से यह कहेंगे कि हम उनके खर्चे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो यह देश के लोगों के साथ विश्वासघात होगा। माननीय प्रधानमंत्री ने इस खंड पर आपत्ति प्रकट की है। राजनीतिक कारणों से हम ऐसी छवि बना रहे हैं कि सरकार चुनाव सुधार के पक्ष में नहीं है। मैं इस सम्मानित सभा और माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, जिसे कल पुरःस्थापित किया गया था, पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए और इस मामले को वास्तव में निपटा देना चाहिए क्योंकि वस्तुतः यह विधेयक विभिन्न चुनाव सुधार लाने के अलावा उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करता है जिसमें यह स्पष्टतया बताया गया है कि धर्मनिरपेक्षता का आशय क्या है और भारत की लोक संस्कृति क्या है तथा चुनाव लड़ने के इच्छुक राजनीतिक दलों की आचार संहिता कैसी होनी चाहिए।

महोदय, यह सत्र किसी विशेष प्रयोजन के लिए बुलाया गया है और हमें वह प्रयोजन भुलाना नहीं चाहिए। उन सभी माननीय सदस्यों, जिन्होंने पहले भाषण दिए हैं, के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैं अपने भाषण को और लम्बा करना नहीं चाहता हूं परन्तु, मैं यह कहना चाहूंगा कि अब हमें लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक पर कार्यवाही आरम्भ करनी चाहिए और इसे पारित करना चाहिए। ऐसा करने पर ही सिर उठाने वाली साम्प्रदायिक ताकतों जो सामाजिक वातावरण और चुनाव प्रक्रिया को प्रदूषित कर रही हैं, पर वास्तव में रोक लगाया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज आपके समक्ष जो कुछ हुआ, मैं बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि हमारे संविधान इतिहास में वह एक काले दिन के नाते लिखा जाएगा। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता लेकिन इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि आज जो दो शब्द हमारे बहुत ज्ञानी सांसदों ने इस्तेमाल किए हैं, जो फूहड़पन और धोखाधड़ी हुई है, हमको लगता है कि इससे ज्यादा कभी नहीं हुआ होगा, कम ही होगा।

[श्री रवि राय]

मैं पहली बार जब चौथी लोक सभा में चुनकर आया था तो मुझे वह दिन याद है जब बार ऑफ दी हाउस के सामने स्पीकर ने एक पुलिस वाले की भर्त्सना की थी क्योंकि वह नागपुर में एक सांसद के साथ गलत तरीके से पेश आया था।

आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं। यह प्रीविलेज कमेटी को नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो धोखाधड़ी हुई है, वह आपके समक्ष हुई है। वहां के जो हमारे दोस्त बैठे हैं, मैं मंत्रियों के बारे में नहीं कह रहा हूं, हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र को कांग्रेस दल के साधारण सदस्य भी बरकरार रखना चाहते हैं। सांसद होने के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मेरा मन कहता है कि सरकारी दल के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, वे स्वेच्छा से यह सोचकर बताएं कि उनको क्या दंड मिलना चाहिए। मैं कोई डिप्लोमैटिक ढंग से नहीं कह रहा हूं कि उनको दंड मिलना चाहिए, दंड नहीं मिलेगा तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। मेरा कहना है, चौथी लोक सभा में संसद के सामने पुलिस वाले की भर्त्सना हुई थी। आज जो क्रिमिनैलिटी की गई है, वह उससे बढ़कर है। जब आपकी राय है तो मैं नहीं कहता कि आप दंड विधान कीजिए, मैं कहता हूं कि वे खुद बोलें, मन से बोलें कि उनको क्या दंड मिले।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैं आपको यह बाताना चाहूंगा कि आप मुझे यह न बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए। परन्तु, यदि आप यह बताते कि यह नियम के अंतर्गत सम्भव है और ऐसा किया जा सकता है, तो मैं इसका स्वागत करता।

श्री रवि राय : मैं आपके भाषण का इशारा समझ रहा हूं।

[हिन्दी]

मैं व्यक्तिगत राय बता रहा हूं। हमारी राय में कम-से-कम चीज जो होनी चाहिए वह यह है कि प्रधानमंत्री आकर अनक्वालीफाइड ऐपौलोजी करें क्योंकि वे कैबिनेट के नेता हैं, सदन के नेता हैं। हमको लगता है कि हमारी आवश्यकता पूरी होंगी।

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी आज सदन में हुआ, जिसको लेकर जार्ज साहब गुस्से में आए, चन्द्र शेखर जी ने दुनियाभर के उदाहरण दिए, अटल जी ने फूहड़पन और धोखाधड़ी की संज्ञा दी, मुझे उस पर आश्चर्य नहीं हुआ बल्कि खुशी हुई क्योंकि इस देश की राजनीति में अभी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके दो बाजू हैं आर्थिक जगत को दुरुस्त करने के लिए मनमोहन सिंह जी और राजनैतिक जगत को दुरुस्त करने के लिए शुक्ला जी। इस देश की राजनीति में, पूरी बौडी पौलिटिक्स में एक शुक्ला फैक्टर आया है और यह कहें कि राजनीति में एक शुक्ला ईरा रहा है। दुखी उनको होना चाहिए जिनको इन दिनों शुक्ला जी ने बातचीत में उलझाए रखा और असली इरादे का आभास नहीं होने दिया। मेरे जैसे आदमी को कतई तकलीफ नहीं है क्योंकि मैं यह मानकर

चलता हूं कि यह हुकूमत और ये लोग जो बैठे हुए हैं, इसको छोड़कर कोई दूसरा आचरण कर ही नहीं सकते। आपने पूछा है सलाह दीजिए कि क्या करें। आपको एक ही सलाह है कि इसी समय सदन को साइने-डाई स्थगित कर दें।

अध्यक्ष महोदय : आप सलाह ही दे रहे हैं, कानून नहीं बता रहे हैं। कोई कानून है तो बता दें।

श्री नीतीश कुमार : सदन को साइने-डाई स्थगित कर दें।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह कानून है?

श्री नीतीश कुमार : यह सलाह है।

श्री नीतीश कुमार : मैं सलाह पर नहीं चलता हूं। हमें कानून के मुताबिक चलना चाहिये।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, आप यह अच्छी तरह से जानते हैं पिछले दो अथवा तीन दिनों से कभी-कभी आपके कदर में भी सभी दलों के नेताओं ओर प्रवक्ताओं, जिन्हें आपने आमंत्रित किया है, के बीच विस्तृत और सुदीर्घ विचार-विमर्श किए जा रहे हैं कि वे इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पर कार्यवाही करने और इसके आसानी से पारित कराने को सुनिश्चित करने हेतु अपने विचार व्यक्त कर सकें। आखिर उसी उद्देश्य से इस सत्र का आह्वान किया गया था। इसका व्यापक प्रचार हुआ । इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के पक्ष-विपक्ष विभिन्न खंडों तथा अन्य सभी शर्तों पर इस सदन में ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी हर तरह से विचार किया गया है एवं मत व्यक्त किया गया है। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि इसे यहां सदन में विचार हेतु लाया जाएगा लेकिन इस पर सदन के बाहर अन्य मंचों पर विचार होता रहा। माननीय विधि मंत्री ने आज एक तरह से गायब कर देने वाला खेल खेला है। विधेयक गायब हो गया है।

सभा की कार्यसूची के अनुसार आज विधेयक पेश किया जाना था, लेकिन अंतिम समय में इसे वापस किया जा रहा है और इसे अब पेश नहीं किया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : यह कल पेश किया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इसका कोई विकल्प नहीं है, चूंकि सरकार ने अपनी समझ से–हालांकि उसने स्पष्ट नहीं कहा है–शायद यह सोचा कि इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने का जोखिम है। हो सकता है कि उनका ऐसा सोचना हो। यदि वे ऐसा सोचते भी हैं- तो भी उन्हें सदन के समक्ष कुछ वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि संसदीय कार्य मंत्री, विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अन्य कई लोग गत दो-तीन दिनों से विपक्षी दलों से व्यापक विचार-विमर्श कर रहे हैं। इस विचार-विमर्श का मुद्दा क्या था? क्या यह मुद्दा इस विधेयक को लाया जाए अथवा नहीं लाया जाए इससे संबंधित था? यह विधेयक के कुछ पहलुओं, बिन्दुओं, प्रावधानों से असहमति के संबंध में था। इस संबंध में कुछ असहमति थी। असहमति क्यों नहीं होनी चाहिए? यहां कई राजनीतिक दल हैं। अतः इन बातों पर विचार विमर्श होना चाहिए था।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

मैंने पहली बैठक, जिसे आपने अपने कक्ष में बुलाया था, में ही आपसे पूरी विनम्रता के साथ यह कहा था कि इस विधेयक से सदन में तीव्र भावना उमड़ने की संभावना है। इसका कारण मामूली सा है। मैं उस विषय पर अधिक कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि वह बात यहां बार-बार कही जाती रही है। इस विधेयक की सम्पूर्ण पृष्टभूमि तथा वह सम्पूर्ण वातावरण जिसमें अनुमति मिलने पर उक्त वार्ता होती, उस पर वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त का मुद्दा छाया हुआ है। यह एक सत्य है। इसमें शक नहीं कि वे अक्सर मनमाने, अलार्किक तथा स्वेच्छाचारी ढंग से बर्ताव करते हैं। उनके व्यवहार की नापसंद करने वाले देश के अनेक लोगों में इस सम्बध में अपना विरोध प्रकट किया है।

14.00 बजे म०प०

वे उन्हें किसी तरह हटाना चाहते हैं। लेकिन सभी दलों के साथ हमेशा ऐसा नहीं रहा है। एक समय था जब ये महानुभाव भी इसी तरह स्वेच्छाचारी ढंग से व्यवहार करते थे। लेकिन उनके ऐसे व्यवहार से सत्तादल को मदद मिलती थी। उस समय, सत्ता दल ने इसकी परवाह नहीं की। अभी किसी ने पंजाब में चुनाव होने के चंद घंटों पहले चुनाव रद्द कर दिए जाने के प्रसिद्ध मामले के बारे में बातया, उस समय सत्तादल पंजाब में चुनाव नहीं चाहती थी। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। बल्कि उस समय कुछ विपक्षी सदस्यों अथवा दलों ने महाभियोग लाने का विचार रखा था।

(व्यवधान)

यह सही है कि इसमें सत्तादल नहीं है। लेकिन यह सत्य है कि आपका दल चुनाव के विरुद्ध खुल के सामने आया था।

महोदय, मैं एक व्यक्ति विशेष के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाए जाने को सही नहीं मानता। वह व्यक्ति अच्छा या भला हो सकता है।, वह सही या गलत काम करता है। इस देश में बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि वे कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों की सही या गलत ऐसी भी मान्यता है जो कि हाल में सम्पन्न हुए चुनावों के अनुभव पर आधारित है। ये उप-चुनाव दस राज्यों में सम्पन्न हुए। जन भावना यही है कि वे सही थे या गलत थे लेकिन उनका प्रयास सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाना रहा है जो कि बाहुबल धन-शक्ति इत्यादि अनेक कदाचारों से बिगड़ चुकी है। वे कोई बहुत प्रतिभाशाली नहीं हैं। और न ही वे कोई जादूगर हैं। लेकिन यह सत्य है कि गत चुनाव शांतिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न हुए; बहुत समय से इस तरह के शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हुए थे। यह एक सत्य है कि चुनाव के दौरान हिंसा, हेराफेरी, बूथ पर कब्जा करने की घटनाएं इत्यादि की शिकायतें नहीं मिली जिसके हम लोग आदि हो चुके हैं। अतः सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ लोगों की जनभावना है जो उन्हें सुधार उपायों को जारी रखने की अनुमति देती है और दूसरी भावना, जो कि विशेषकर राजनीतिक दलों की है, यह है कि उन्हें शक्ति के अधिक एवं मनमाने प्रयोग करने से रोका जाए। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक एक के लिए लाया जा रहा है। संविधान में, देश के चुनाव आयोग का एक प्रतिष्ठित स्थान है, एक ठोस स्थान है जो कि बना रहेगा। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त उस पर पर हमेशा नहीं बने रहेंगे। मुझे लगता है कि अभी उनका दो साल का कार्यकाल

बाकी है। उसके बाद कोई और व्यक्ति मुख्य चुनाव-आयुक्त बनेगा। क्या तब कानून में पुनः परिवर्तन किया जाएगा? निश्चय ही ऐसा नहीं होगा। अतः इस दृष्टिकोण से हमारे दल ने यह विचार किया और अभी भी करता है और मैंने बैठक के दौरान इसके बारे में आपको बताया भी था। काफी समय तक सरकार इस तरह का संशोधन विधेयक नहीं लाई थी। अब इस तरह का संशोधन विधेयक लाया गया है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सदस्यों के पास पर्याप्त समय नहीं हैं संशोधित विधेयक को तीन दिन पहले ही वितरित कर दिया गया था। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सदस्यों के पास विधेयक के सभी खंडों का अध्ययन करने का पर्याप्त समय तथा अवसर था। दो विधेयक हैं? संविधान संशोधन विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करने वाला विधेयक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, इन्हें बारी-बारी से पेश किया जाना था। इसका चुनाव से सीधा संबंध है। इन दो विधेयकों के पारित होने से ही देश की चुनाव-प्रक्रिया में ठोस परिवर्तन लाया जा सकता है। हम लोगों ने सलाह दी थी और मैं अभी भी कहता हूं कि श्री भारद्वाज जी जो बहादुरी दिखाते हुए विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है। वह कोई विकल्प नहीं है। इस विधेयक को अध्ययन करने इस पर आगे विचार करने, विधेयक के अनेक प्रावधानों को पुनः परिभाषित एवं परिमार्जित करने का मौका दिया जाना चाहिए। एक आम सहमति बनाना कोई असंभव बात नहीं है।

संसद का अगला मानसून सत्र मेरे विचार से जुलाई के अंत तक शुरू होाग। यानी कि इसमें करीब डेढ़ महीना बाकी है। इस विधेयक को अभी भी पारित करने की क्या जल्दी है और यदि मंत्री महोदय का विचार है कि इसे पारित नहीं किया जा सकता तो इसे निश्चय ही वापस ले लिया जाना चाहिए। इस डेढ़ महीने के समय में दोनों विधेयकों को आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की समितियों के पास विचार हेतु भेजा जा सकता है। सदस्यों को विधेयक के पहलुओं पर विस्तार से अध्ययन करने का समय दिया जाए और समिति को बचे हुए डेढ़ माह अर्थात अगले सत्र के शुरू होने तक अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि यह काम किया जाए तो एक आम सहमति बनाई जा सकती है क्योंकि सदन में लोग इसके कई पहलुओं पर एक राय रखते हैं। वस्तुतः इस समय एक बहुसदस्यीय आयोग है, हालांकि यह कार्य नहीं कर पा रहा है। संविधान में इसकी परिकल्पना की गई है तथा वास्तविक व्यवहार में भी बहु-सदस्यीय आयोग है। इसके क्रिया कलाप, गठन, नियुक्ति, कार्य, उत्तर दायित्व से संबंधित कुछ प्रश्न थे, कि यह कैसे काम करे आयोग को सही ढ़ग से कार्य करने के लिए नियम बनाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है इत्यादि। क्या ये ऐसी बातें हैं जिसका निदान विचार-विमर्श से नहीं हो सकता, मैं समझता हूं कि ऐसा किया जा सकता है। यदि मंत्री महोदय में साहस है और यदि वे यह महसूस करते हैं कि इसे बहस एवं मतदान के लिए नहीं लिया जा सकता है तो उन्हें कम से कम इतना तो कहना ही चाहिए था कि सरकार इन विधेयकों को और विस्तार से विचार-विमर्श हेतु संसदीय समिति के पास भेजेगी तथा डेड़ महीने बाद इसे पुनः सदन में लाया जाएगा। लेकिन यह तो मुद्दे को खत्म करने की एक मुहिम है। आज जो हुआ वह मुद्दे को रफा-दफा करने वाली बात है, क्योंकि इसमें भविष्य की कार्यवाही के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। चुनाव सुधार के पूरे प्रश्न को उपेक्षित कर दिया गया है, मुझे नहीं पता कि अब इस संबंध में कितना समय लगेगा। दूसरा विधेयक अभी पड़ा है, इस विचार हेतु अवश्य लिया जाना चाहिए। मुझे

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

पता नहीं कि वे क्या करना चाहते हैं। इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। उनका विचार यह हो सकता है कि या तो दोनों ही विधेयकों को लिया जाए अथवा दोनों को ही नहीं लिया जाए। मुझे सरकार के विचार की जानकारी नहीं है। अतः मैं इस मुद्दे पर विपक्ष में बैठे सदस्यों के साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी का विचार विरोधाभासी रहा है। वे दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट के पक्ष में हैं जिस पर श्री आडवाणी जी ने भी हस्ताक्षर किए हैं। इससे वे दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट के सभी सिफारिशों से सहमत होने के लिए बद्ध हैं। उन्हें अब अपने रुख में संशोधन करने का अथवा उससे किसी बात से पीछे हटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं महसूस करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध इस विधेयक से न होकर दूसरे विधेयक-लोक प्रतिनिधित्व कानून (संशोधन) विधेयक से है क्योंकि इसमें धर्म को राजनीति से मिलाने अथवा चुनाव में धार्मिक मुद्दों का प्रचार करने वाली पार्टियों का पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान है। उनका मुख्य विरोध यही है यह सभी को पता है। इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं है। वे इस बात को भूल कर कह रहे हैं चूंकि क्योंकि सरकार धर्म सम्बंधी इस प्रावधान को पिछले दरवाजे से लाई है और इसीलिए वे धर्म संबंधी इस मुद्दे के बिल्कल खिलाफ हैं। हम सभी इस विधेयक को पेश किए जाने के पक्ष में हैं। इस पर पिछली बार बहस हो चुकी है। प्रवर समिति में धर्म और राजनीति तथा धर्मनिर्पेक्षता आदि सभी प्रश्नों पर विचार हुआ। प्रवर समिति की रिपोर्ट आ चुकी है। इस संबंध में विधान नहीं बना। यह सत्य है। लेकिन इसके अकाट्य एवं आवश्यक पक्ष को लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम में शामिल किया गया है। और क्योंकि वे उस विधेयक का विरोध करते हैं इसीलिए वे इस विधेयक का भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन वे हमारी तरह इस बहु-सदस्यीय आयोग के प्रति प्रतिबद्ध हैं। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : श्री जार्ज फर्नान्डीज इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक मुझे जानकारी है, श्री जार्ज फर्नान्डीज इसके विरुद्ध नहीं हैं। वे किसी अन्य बात के विरुद्ध हो सकते हैं।

किसी भी हालत में हमारे लिए यह दुःखद स्थिति है। अब कुछ लोग विश्वासघात की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सभा के साथ विश्वासघात किया गया है और इसकी अवमानना की गई है। काई भी व्यक्ति ऐसा सोच सकता है। मुझे सन्देह है इसके लिए इस सरकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाएगी।

मेरा निश्चित रूप से यह मानना है कि उन्होंने सभा का उपहास किया है। कल आपको संचार माध्यमों में इसकी प्रतिक्रिया और सब कुछ के बारे में पता चलेगा। अन्ततः इस शोर शराबे का कोई अर्थ नहीं निकलेगा यही घटित होता रहा है। सारे देशवासी और सारा देश आश्चर्य से स्तब्ध रह जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति नये विधान या संविधान संशोधन की आशा और प्रतीक्षा कर रहा था। अब सब कुछ वापस कर लिया गया है। मैं नहीं जानता कि अब सरकार के लिए यह सम्भव है या यह उनकी मंशा है और मैं यह भी नहीं जानता कि यहां जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को है परन्तु यदि ये लोग कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो इन लोगों को आपकी अनुमति होनी

चाहिए। अब उन्होंने कहा कि वे अब संविधान (तिरासीवां संशोधन) विधेयक प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। उन्हें अन्य विधेयक के बारे में क्या कहना है? उन्हें उस प्रस्ताव के बारे में क्या कहना है कि संविधान (तिरासीवां संशोधन) को बीच रास्ते में छोड़ा जाना चाहिए बल्कि इसकी दोनों सभाओं की एक समिति द्वारा आगे जांच की जानी चाहिए जो डेढ़ महीने का समय ले सकती है? इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा और वे एक सुविधारित रिपोर्ट पेश कर सकते हैं ताकि हम इस प्रक्रिया का त्याग नहीं करें बल्कि उसका बाद में अनुसरण कर सकते हैं। तर्क सगंतता क्यों नहीं? मैं नहीं समझ पाता कि इस अनुचित रवैये का क्या अर्थ है। यदि कुछ मनमाने ढंग से होता है तो वे इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह निर्णय जिसने लिया। मैं श्री शुक्ल से जानना चाहता हूं क्या यह केबिनैट का निर्णय है? हमें लम्बा समय से चुनाव सुधारों के बारे में बहुत से केबिनैट निर्णयों के बारे में बताया गया है। क्या यह कैबिनैट का निर्णय था कि आप अचानक सभा में आकर घोषणा करें कि अब आप आगे कार्यवाही के बजाय इसे त्याग रहे हैं? यदि हां, तो प्रधानमंत्री को यहां आना चाहिए और बताना चाहिए कि वे भी इसमें संबद्ध हैं या स्पष्ट करना चाहिए कि वे क्या चाहते हैं। महोदय, मैं समझता हूं कि हमें अनेक गत सप्ताहों और महीनों से विशेषकर से गत कुछ दिनों से इस मामले पर लोक सभा में चल रही हास्यापद स्थिति को नहीं चलने देने चाहिए। मैं आपसे यहां पर की जा रही सब बातों उनके किए जाने को ढ़ंग के बारे में अपने विचार प्रकट करने का अनुरोध करूंगा। आप भी इस सदन के परिरक्षक होने के नाते इससे दुःखी होंगे।

मैं नहीं जानता हूं कि यहां पर जो कुछ हो रहा है उससे आप परेशान हैं या नहीं लेकिन आप दुःखी अवश्य होंगे। मै समझता हूं कि आपको मंत्रियों को सदन में लापरवाही पूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रतादित कारण चाहिए ताकि वे सदन को हल्के फुल्क ढंग से न लें। अभी भी समय है। यदि लोग चुनाव सुधार विधेयक को लाने में रूचि रखते हैं यद्यपि इसमें चुनाव सुधार के सभी पहलू सम्मिलित नहीं हैं लेकिन इसमें बहुत-सी महत्वपूर्ण बातें शामिल है और यदि सरकार रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाए तो इस विधेयक को सदन में फिर लाया जा सकता है। यदि उनका दृष्टिकोण सब कुछ बरबाद कर देने का है जो इसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया जा सकता कि इन लोगों की भर्त्सना की जानी चाहिए और इन लोगों को जनमत सदी कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ (पोन्नाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से बड़े दुःख के साथ कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज का दिन भारतीय संसद में व्यर्थ गया है। मैंने संसद के इतिहास में ऐसा अशोभनीय दिन कभी नहीं देखा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं 25 वर्षों से अधिक समय से सन् 1967 से इस सदन का सदस्य रहा हूं। ऐसा अशोभनीय दिन मेरे जीवन में कभी नहीं आया है। आज सरकार ने संसद की अवमानना की है और सदन को हास्यास्पद बना दिया है। मैं विधेयक के पक्ष या विरोध के ब्योरे में नहीं जाना चाहता हूं। परन्तु मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि सरकार ने आखिरी मिनट तक सदन को यही आभास दिया था कि इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज प्रातः काल हमने चर्चा की थी

[श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ]

तथा विधि मंत्री ने उठते हुए कहा था कि वे विधेयक को आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और विधेयक सदन के सभी माननीय सदस्यों की आशा के अनुरूप होगा। लेकिन उसी पल उन्होंने विधेयक को वापस कर लिया है। यह संसद का उपहास है। सच्चाई तो यह है कि सरकार ने संविधान को, आपको, इस सदन की और इस देश की जनता को धोखा दिया है। इस स्थिति के लिए सरकार को क्षमा नहीं किया जा सकता।

महोदय, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार ने यह नीति क्यों अपनाई है। मैं यह कदापि नहीं समझ पा रहा हूं। आखिरी क्षणों तक हम समझ रहे कि विधेयक को प्रस्तुत किया जा रहा है। अब इसे प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। अतः मेरा कहना है कि सरकर ने संविधान, सदन, इस देश की जनता और स्वयं आपको धोखा दिया है। महोदय, अब इस मामले में क्या किया जा सकता है इस पर गम्भीर चर्चा की जानी चाहिए विधेयक को वापस कर लिया गया है। मैं महसूस करता हूं, जैसा कि मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए। दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति इस विधेयक पर चर्चा कर सकती हैं और अगले सत्र यानि मानसून सत्र में इस विधेयक को पुनः सदन में प्रस्तुत कर सकती है। तब तक सदन में कोई और कार्य नहीं है। मैं समझता हूं कि सदन की बैठक में जारी रहने के कोई औचित्य नहीं है।

अब दूसरा विधेयक सामने है और यह विधेयक भी विवादास्पद है। धार्मिक नामों वाले राजनैतिक दलों की मान्यता करने के बारे में मतभेद हैं। इन दोनों विधेयकों को दोनों सदनों की प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए। वे संसद के अगले सत्र में इस विधेयक को प्रस्तुत कर सकते हैं। जब तक इन विधेयकों पर देश में चर्चा हो सकती है और हम जनमत तैयार कर आम सहमति पर पहुंच सकते हैं। यही रास्ता है।

मैं सरकार के रवैये से दुखी हूं। मैं चाहता हूं कि इन दोनों विधेयकों को एक प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए और संसद में अगले सत्र में एक बार पुनः प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं भी एक बात कहना चाहूंगा। **(व्यवधान)**

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं भी एक छोटी-सी बात कहना चाहूंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे क्या करना है इस संबंध में प्रत्येक व्यक्ति को सुनने की जरूरत है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त ढंग से कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अत्यन्त संक्षिप्त रूप में।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मद संख्या 10 पर विचार-विमर्श करने से पूर्व हमने मद संख्या 9 पर विचार-विमर्श किया था और हमने माननीय मंत्री महोदय को संविधान (इक्कहत्तरवां) संशोधन विधेयक यानि परिसीमन विधेयक को वापस करने की अनुमति दे दी थी। परिसीमन विधेयक को सदन में उनके इस वक्तव्य पर वापिस किया था कि विधेयक के प्रावधानों को संविधान (तिरासीवां) संशोधन विधेयक में पुनः शामिल किया जाएगा। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने

संविधान (इक्कहत्तरवां) संशोधन विधेयक को वापिस कर लिया है परन्तु संविधान (तिरासीवां) संशोधन विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। मेरा प्रस्ताव है कि सदन को अब मंत्री महोदय को विधेयक को वापिस करने हेतु दी गयी अनुमति को रद्द कर देना चाहिए। अतएव, संविधान (इक्कहत्तरवां) संशोधन विधेयक यानि परिसीमन विधेयक को सदन में विचार के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी श्री जॉर्ज फर्नान्डीज ने इस बात का उल्लेख किया था कि सदन को धोखा दिया था।

[हिन्दी]

धोखाधड़ी शब्द का आपने प्रयोग किया, डिसीव, और कौल एण्ड राकथर को भी कोट किया, तो उसका रेलीवैंस इस संदर्भ है। रूल 110 है जो 3 कारण बताता है जिनके तहत कोई बिल विदड्रा किया जा सकता है।

[अनुवाद]

मैं नियम-110 को उद्धरित करता हूं :

विधेयक का प्रभारी सदस्य विधेयक को किसी भी चरण में विधेयक को इस आधार पर वापिस करने का प्रस्ताव कर सकता है :

(क) विधेयक में सम्मिलित विधायी प्रस्ताव को छोड़ा जाना है; अथवा

(ख) एक विधेयक के स्थान पर बाद में दूसरे विधेयक को लाना हो जिसमें अन्य प्रावधानों के अतिरिक्त इसके सभी या कोई प्रावधान सम्मिलित हैं;

(ग) एक विधेयक के स्थान पर बाद में दूसरे विधेयक को लाना हो जिसमें अन्य प्रावधानों के अतिरिक्त इसके सभी या कोई प्रावधान सम्मिलित है :

नियम 110 के भाग (ग) यहां प्रासंगिक है जिसके तहत भी भारद्वाज ने विधेयक को वापिस करने का प्रस्ताव किया है। जैसा कि सम्पूर्ण सदन जानता है कि हम इसका विरोध करते हैं। मेरे सहयोगी श्री लोढाजी ने चुनाव सुधार के प्रति होने वाले अन्याय की ओर संकेत क्रिया है यदि परिसीमन की यह प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती है। उस समय हमने भी महसूस किया था कि अन्य विधेयक पारित हो या नहीं, आवश्यक बहुमत जुटा पाए या नहीं अतः हमारा तर्क सामान्य है। आप इस विधेयक को खतरें में क्यों डाल रहे हैं? सच्चाई यह है कि वे पहले ही तैयार हो कर आए हैं कि वे विधेयक को सदन में प्रस्तुत नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने सदन के सभी सदस्यों को यह आभास कराया था कि परिसीमन संबंधी विधेयक को तिरासीवें संशोधन विधेयक के भाग के रूप पारित किया जाएगा। यदि यह धोखा नहीं है तो यह और क्या है?

अतएव, श्री शहाबुद्दीन का यह प्रस्ताव उचित है कि सदन को इस प्रस्ताव पर गौर करना चाहिए कि परिसीमन संबंधी विधेयक पर विचार होना चाहिए या नहीं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, सरकार ने जो विदड्रा की अनुमति मांगी है

[श्री राम विलास पासवान]

तो मैं समझता हूं कि इनकी नीयत साफ नहीं है। मेरी राय में सरकार का नया कानून बनता और उसमें लाख कमी होती तो एक बात तय थी कि सरकार के हाथ से अपाईन्टमेंट की पावर निकलनेवाली थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार यह बहाना नहीं खोज सकती और मैं बी० जे० पी० के बारे में नहीं जानता कि इनका क्या मकसद था। नेशनल फ्रंट के मोड आफ अपाईन्टमेंट के बारे में दो मत नहीं थे। यह दो-तिहाई बहुमत के लिए काफी था। पावर के ऊपर अंतर था कि तीनों इलैक्शन कमिश्नर्स को एक पावर दी जाए या नहीं दी जाए। लेकिन मोड आफ अपाईन्टमेंट में चीफ जस्टिस हो और उसके साथ-साथ दो सीनियर जजेस हों और अपोजिशन पार्टी के साथ कंसलटेशन हो तो इस मुद्दे पर नेशनल फ्रंट और लैफ्ट फ्रंट के दो मत नहीं थे इसलिए यह सरकार के लिए काफी था। ऐसे ही स्टेट फंडिंग और परिचय पत्र के ऊपर दो मत नहीं थे। एक चीज के ऊपर था कि चीफ इलैक्शन कमिश्नर को प्रायोरिटी दी जाए या उसको विशेष अधिकार हो या न हों। मैं बी० जे० पी० के साथियों से कहना चाहता हूं कि सरकार ब्लैकमेल करेगी जिससे उसको खतरा है और जिसके पक्ष में वह तर्क दे रही है। यह बहुत होशियार सरकार है। कल जब यह मामला आएगा तो सरकार ब्लैक-मेल करेगी। . . .

(व्यवधान) मैं यह आग्रह करूंगा कि सरकार यह गारंटी न ले कि 1996 के बाद पावर में रहेंगे या नहीं या हम एम० पी० रहेंगे या नहीं। अभी जो कानून बनने वाला है उससे चीफ इलैक्शन कमिश्नर 1996 तक इफेक्ट होने वाला नहीं है, जिसको अपाईट किया है वह पांच साल तक रहेगा। हम भविष्य के लिए विचार कर रहे हैं और उसकी नींव रखने जा रहे हैं। हम ईमानदारी पूर्वक चाहते थे। . . .

(व्यवधान) हम चाहते थे कि एक ऐसे आदमी के हाथ में पावर्स दी जाएं जो ईमानदारी से चुनाव करा सके। सरकार इसको भांप चुकी है कि उनके हाथ से पावर निकलने वाली है। इलैवन्थ आवर में जो थोड़ा सुधार होने वाला था उनको सरकार ने विदड्रा करके अपोजिशन के नाम पर उस खामी पर पर्दा डालने का काम किया है। इस समय श्री शुक्ला जी मुस्करा रहे हैं और श्री भारद्वाज जी चुपचाप बैठे हैं। आपकी मल्टी मैम्बर्स और मोड आफ अपाईन्टमेंट के बारे में दो ओपीनियन नहीं थी। आप दो-तिहाई बहुमत से लोक सभा और राज्य सभा में पास करवा सकते थे।

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : महोदय, मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। सभा के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा काफी कुछ कहा जा चुका है। में केवल कुछ बातों की व्याख्या करना चाहता हूं। समूचा विपक्ष इस तथ्य को जानता है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, सी० पी० आई० तथा सी० पी० एम० पार्टियों सहित बिना किसी राजनीतिक पार्टी पर दोषरोपण किए, विभिन्न बैठकों के माध्यम से हम लगातार उनके सम्पर्क में हैं तथा समय-समय पर उनके विचारों को हमने अपनी नीतियों में सम्मिलित किया है। एक संशोधन जिसे मैंने 82 वें संविधान संशोधन विधेयक में शामिल किया था उसे 83 वे संशोधन विधेयक में शामिल किया गया था। मुख्य न्यायाधीश से संबंधित इस संशोधन के बारे में पहली बार सर्वदलीय नेताओं की एक बैठक में सुझाव दिया गया था। उनके साथ हमारी बैठक आज भी हुई थी। यहां में आपके चैम्बर में हुई बैठक का

उल्लेख नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां उस बैठक का उल्लेख करना अनुचित होगा। उसके बैठक के बाद आज सुबह संसदीय मामलों के मंत्री के साथ हमारी बैठक हुई थी और इस बैठक में हमने लगभग सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया था जो काफी उदार थे और इस विधेयक को पारित करवाने में सहयोग दे रहे थे। इस सम्बन्ध में भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। वे पूर्णतया इसके विरोधी हैं और उन्होंने संसद के अन्दर तथा संसद के बाहर इस बारे में कारण स्पष्ट कर दिये हैं। मैं उनको कोई दोष नहीं देता हूं। हमने इस मसले पर उनके साथ आज सुबह भी बातचीत की है। प्रायः सभी प्रमुख राजनीतिक दलों तथा कानूनविदों ने इस संबंध में सुझाव दिए थे। हमारा यह विचार है कि संघनोआ मामले के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के मद्दे नजर ऐसे मामलों के निपटारे के लिए एक बहुसदस्यीय आयोग, जिसमें सभी सदस्यों की समान शक्तियां प्राप्त हों, की आवश्यकता है। यह हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे दृष्टिकोण से सहमत न हो। इनमें से कई लोग इससे सहमत नहीं थे। यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर हम मनमाने ढंग से निर्णय ले सकते हैं। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, हमें दोनों सभाओं में से किसी भी समय में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं है। अतएव, हमारे लिए यह आवश्यक है कि इस बारे में आप सहमति बने। चन्द्रशेखर जी इन दिनों मुझ से नाराज दिखाई देते हैं। मुझे नहीं मालूम कि वह नाराज क्यों हैं। मैं उनसे बाद में बातचीत करूंगा ...

श्री चन्द्रशेखर : मैं उनसे नाराज नहीं हूं अपितु एक कानून मंत्री के रूप में उनके व्यवहार से नाराज हूं।

श्री एच०आर० भारद्वाज : मैं सदव उनका स्नेह पात्र रहा हूं। शायद में उनसे काफी दिनों से नहीं मिला हूं। एक बार उन्होंने स्वयं कहा था। जब तक इस पर आम सहमति नहीं हो जाती तब तक हमें अधिक शोर नहीं मचाना चाहिए। मेरा यह कहना कि इन वरिष्ठ सांसदो की भावनाओं को सम्मान देते हुए ही मैंने आम सहमति की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। लेकिन मेरे जैसा नया व्यक्ति आम सहमति नहीं बना सकता है। मैं यह मानता हूं लेकिन मैंने ऐसा करने का भरसक प्रयास किया तथा यही बात विपक्ष के माननीय सदस्यों के भाषणों में भी परिलक्षित होती है। महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, यह एक महत्वूपर्ण निर्णय है। किसी ने भी चुनाव सुधारों की उपेक्षा नहीं की है। हम इसी प्रक्रिया में लगे हैं। मैं यह बात पुनः कहता हूं कि मैंने किसी भी व्यक्ति करे किसी मुद्दे पर कभी भी गुमराह करने की कोशिश नहीं की। चुनाव-सुधार, परिसमीन इत्यादि से संबंधित ये सभी पहलु, जो कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में हैं, तर्कसंगत हैं। हम इस पर विचार करेंगे लेकिन इस भावना के वशीभूत होकर नहीं जब आप मुझ पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाएं। मुझे इस बात का अत्यन्त खेद है। मुझ पर ऐसे आरोप न लगाएं। इसलिए, महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को प्रस्तुत न करने सम्बन्धी मेरा प्रस्ताव उनकी भावनाओं के अनुरूप है। ऐसा मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : भारद्वाज जी, एक बात है जिसके बारे में, मेरे विचार से आपको सभा को तथा मुझे भी अवगत कराना चाहिए। बात यह है कि जब आपने संविधान 71 वां संशोधन विधेयक

[अध्यक्ष महोदय]

के वापस लेने का प्रस्ताव किया था तो आपने वक्तव्य में कहा था कि कोई अन्य विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा तथा आपने कहा था कि 83वां संविधान संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा। शायद, विधेयक को वापस लिए जाने का प्रस्ताव करते समय इस वक्तव्य को हटा दिया जाना चाहिए था। यदि इस वक्तव्य को नहीं हटाया गया था–और यदि यह वक्तव्य रहता है–तो आप विधेयक पुरःस्थापित नहीं कर सकते, आप इन दो बातों में सामंजस्य कैसे बिठाएंगे ?

श्री एच०आर० भारद्वाज : परिसीमन का प्रश्न अभी भी है। मैं इस संबंध में एक विधेयक लाऊंगा। मैं इस तथ्य से इंकार नहीं कर रहा हूं कि मैं इस मुद्दे पर एक विधेयक नहीं लाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह विधेयक आप कब लाएंगे ?

श्री एच०आर० भारद्वाज : जब भी आप निर्देश दें हम परिसीमन पर एक विधेयक लाने के लिए तैयार हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मैं आपको बार-बार सुनने वाला नहीं हूं।

[अनुवाद]

मैं आपके अच्छे सुझावों के लिए शुक्रगुजार हूं। पर कृपया बार-बार न बोलें। मुझे समझने दें कि आप इन दोनों बातों का सामंजस्य कैसे करते हैं ?

श्री एच०आर० भारद्वाज : ये दो अलग-अलग विधेयक थे–सत्तरवां संशोधन विधेयक तथा इकहत्तरवां संशोधन विधेयक–लेकिन इस आशा के साथ इन दोनों विधेयकों को एक साथ रखा गया था कि इन्हें सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाएगा क्योंकि सभी बहुसदस्यीय चुनाव आयोग के पक्ष में थे। अतः मेरा विधेयक प्रस्तुत किया जाना इस बात पर निर्भर था कि मुझे बहुमत प्राप्त हो। वास्तव में यही कारण था कि मैंने उस बात का उल्लेख नहीं किया था। कि मैं विधेयक के परिसीमन वाले भाग को भी वापस ले रहा हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस परिसीमन वाले भाग पर कभी भी अथवा किसी भी विधेयक में विचार करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस परिस्थिति में सबसे अच्छी बात यह होती कि 71वें संशोधन विधेयक को वापस नहीं लिया जाता था 83वें संशोधन विधेयक को पुरःस्थापित नहीं किया जाता।

श्री एच०आर० भारद्वाज : महोदय, इसीलिए मैं यह अनुरोध कर रहा हूं कि सभा यह बताए कि परिसीमन भाग की आवश्यकता कब है। हम अपनी पार्टी में विचार-विमर्श करेंगे तथा इस संबंध में विधेयक लाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। अब यह मामला संसद के पास है। यदि हम लोग वास्तव में मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो कृपया आप नाराज मत होइए। श्री जार्ज फर्नान्डीज सही थे जब उन्होंने कहा था कि यह मंत्री का वक्तव्य है कि "मैं विधेयक को वापस ले रहा हूं। और, मैं विधेयक को पुरःस्थापित कर रहा हूं।" लेकिन पांच मिनट के अन्दर एक परिस्थिति पैदा होती है कि

विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता है। आपने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि आप विधेयक पुरःस्थापित नहीं कर रहे हैं। यदि आप चुप रहते तो ठीक होता।

श्री एच०आर० भारद्वाज : महोदय, हमने विधेयक को पुरःस्थापित नहीं करने के सम्बन्ध में कारण दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : भारद्वाज जी, मेरे विचार से शायद आप लोगों से मिलने की जल्दबाजी में थे।

(व्यवधान)

श्री एच०आर० भारद्वाज : मैं कोई बहाना नहीं कर रहा हूं। मैं पूर्णतया आप पर निर्भर हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरे पास आज की कार्यसूची की अंग्रेजी प्रति है। मद संख्या 10 में कहा गया है, कि विधेयक का वापस लिया जाना और विधेयक का पुरःस्थापन यहां यह भी उल्लेख किया गया है कि भारद्वाज जी की इस विधेयक को वापस भी लेंगे। और, कार्यसूची की हिन्दी की प्रति में भी लिखा है :

[हिन्दी]

"पुरःस्थापित किए जाने के लिए विधेयक" और इसके नीचे लिखा है कि वह विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे।

[अनुवाद]

दूसरे शब्दों में, मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे। अतः, कार्यसूची को हिन्दी की प्रति में आपने कहा है कि वे विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे जबकि कार्य सूची की अंग्रेजी की प्रति में लिखा है कि वे विधेयक को वापस लेंगे। यह महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इससे पता चलता है कि यह कितना गहरा षड्यन्त्र है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छी बात कही है, हमें इन छोटी-छोटी बातों में नहीं जाना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं महोदय, मैं शब्दार्थ या मुद्रण सम्बन्धी गलतियों की बात नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी गलती भी हो सकती है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं, महोदय, मुझे खेद है।

अध्यक्ष महोदय : सभा इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि संविधान (71वां संशोधन) विधेयक को इस आश्वासन के साथ वापस नहीं लिया जाना चाहिए था कि संविधान (13वां संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा। मैं ममता बनर्जी जी, इन्द्रजीत गुप्त जी, शहाबुद्दीन जी, आडवाणी जी तथा अन्य सदस्यों का आभारी हूं जो इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही, मैं यह महसूस करता हूं कि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो बेहतर होता। यह बात इतनी अधिक जटिल

[अध्यक्ष महोदय]

तथा बेमेल हो गयी है कि कोई भी व्यक्ति इससे खुश नहीं है। इससे बचा जा सकता था। लेकिन सभा के समक्ष ऐसी परिस्थिति आ ही गई है तो सभा को समझदारी से इस गलती में सुधार करना चाहिए। प्रमुख आपत्ति संविधान (71वां संशोधन) विधेयक को वापस लेने के सम्बन्ध में है। यदि आपने इसे वापस नहीं लिया होता तथा 83वां संविधान संशोधन विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया होता तो भी अच्छा होता। लेकिन एक आश्वासन के साथ इसे वापस लेने से जटिलता पैदा हो गई है। मैं सदस्यों से विचार-विमर्श करूंगा और इस संबंध में अंतिम विनिर्णय मध्याह्न भोजन के बाद सभी दलों के नेताओं से परामर्श के बाद दूंगा।

सभा 3.30 म०प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

2.36 बजे म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.30 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.35 बजे म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.35 बजे म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

संविधान (तिरासीवां संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 81, 82, 170 और 324 में संशोधन) तथा नए अनुच्छेद (324 (क) का अन्तः स्थापन) के बारे में–जारी

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप नियम 15 के अन्तर्गत हाउस की एडजर्न कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मालूम है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तो फिर एडजर्न करा दीजिए।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : यदि अध्यादेशों के बारे में कोई सांविधानिक आवश्यकता हो तो वह पूरी की जा सकती है तथा सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आर्डिनेंस को कल फिर ला सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री एच० आर० भारद्वाज, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक की वापसी के बारे में पहले कही गई बातों में कुछ बातें जोड़ना चाहता हूं। मैं संविधान (तिरासीवां) संशोधन विधेयक पुरःस्थापित नहीं कर रहा हूं। यहां एक अन्तराल है और मैंने सभा में निवेदन किया था कि मैं संविधान (इकहत्तरवां) संशोधन विधेयक संविधान (तिरासीवां) संशोधन विधेयक में समाविष्ट कर रहा हूं। अतएव, उस सीमा तक मैं सदन को स्पष्टीकरण देने के लिए उत्तरायी हूं और महोदय मेरा इरादा सदन को गुमराह करने का नहीं था। मैं वस्तुतः यह अनुभव कर रहा था कि मुझे आम सहमति प्राप्त होगी तथा बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा तथा इसे पुरःस्थापित किया जा सकेगा। मैं इसे पुरःस्थापित नहीं कर सका जिसके लिए मुझे अत्यन्त खेद है।

मैं परिसीमन संबंधी कदम को सदन में लाने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध हूं। जब भी सदन चाहे यह लाया जा सकता है तथा सर्वसम्मति से पारित किया जा सकता है क्योंकि इसके ऊपर कोई विवाद नहीं है। यह विवादास्पद कदम नहीं है।

मैं पूरी तरह से आपके साथ में हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस मुद्दे पर कोई बहाना ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इस मुद्दे पर कोई दलील देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारा कुछ सदन के सामने हुआ है।

ऊर्जा संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, आप अब निर्देश दें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हम अध्यादेशों को लें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, यह तो केवल वह बिल कैसे आया, कैसे गया, यहीं तय हुआ। लेकिन जो सदन के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके बारे में क्या है? उन्होंने जो खेद व्यक्त किया है, वह केवल उनसे जो गलती हो गई कि यह लिखना चाहिए था वह लिखना चाहिए था, वह नहीं लिखा, वहां तक है, उसके लिए है, लेकिन अध्यक्ष जी हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सदन इसको स्वीकार करे, लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में श्री जार्ज फर्नान्डीज बहुत सही थे जब उन्होंने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने बताया कि दिए गये दो वक्तव्यों तथा सदन में जो कुछ हुआ उसमें अन्तर है। मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि श्री भारद्वाज को अत्यन्त परेशानी हुई और उन्हें एक बैठक से दूसरी बैठक में जाकर सब लोगों से बात करनी पड़ी थी। शायद उन्हें बाकी इन बातों पर विचार करने का मौका नहीं मिल पाया तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे मामलों में उन्होंने अपना खेद सभा में व्यक्त किया है हम इस पर कोई अन्य कार्यवाही नहीं करेंगे। यह पर्याप्त है हमें उनकी परेशानियों को समझना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उन्हें दूसरा बहुसदस्यीय विधेयक अवश्य लाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : साथ ही, मैं इस मामले को समाप्त कर रहा हूं जो श्री फर्नान्डीज द्वारा उचित रूप से उठाया गया था तथा मंत्री महोदय द्वारा जिसका शिष्टता से जवाब दिया गया था। हालांकि इससे बचा जा सकता था, परन्तु नहीं बचा गया। मैं अब मामले को समाप्त कर रहा हूं।

दूसरी ओर, समग्र रूप से जहां तक चुनाव सुधारों का संबंध है, सभी सदस्य इन सुधारों को करने की इच्छा रखते हैं। फिर भी, यह एक ऐसा मामला है जिस पर अत्यन्त धीरता से विचार किया जाना चाहिए तथा सभी विचारों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा विश्वास है कि सभी संबंधित सदस्य इस पर उचित तरीके से विचार करेंगे तथा यदि संभव हुआ, तो सम्मत चुनाव सुधार विधेयक सदन में लाया जायगा, उसके लिए यदि विभिन्न दलों के नेताओं के बीच विचार-विमर्श होता है। तो वह हो जाना चाहिए। परन्तु मेरा यह दृढ़ विचार है कि चुनाव सुधार जैसे मुद्दे पर सभी के मत पर विचार किया जाना चाहिए–एक सौ प्रतिशत तो संभव नहीं है–परन्तु सहमति का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि यह सहमति से किया जाय, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। यदि यह संभव नहीं लगता तो भी इसके लिये किया जा सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपने एक अत्यन्त अच्छा सुझाव दिया था, लेकिन इसमें एक अड़चन है। हम दूसरे सदन से इसे समझ लेने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। यह हो चुकने के बाद इसे यहां पुनः पुरःस्थापित करना संभव नहीं हो सकता है। हमें इस मामले पर दूसरे तरीके से कार्यवाही करनी पड़ेगी। मैं सरकार को इस मामले पर विचार करने तथा इस पर कार्यवाही करने के लिए कह रहा हूं। यह एक अच्छा सुझाव था। ममता जी ने यह सुझाव दिया था, आपने खुद यह सुझाव दिया था, आडवाणी जी ने भी यह सुझाव दिया था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं औपचारिक रूप से प्रस्ताव करता हूं कि सभा को अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाये।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : अन्य कार्य-सूची के बारे में स्थिति क्या है?

[हिन्दी]

यह कह देना कि साइने-डाई कर दो, क्या यह सदन के साथ खिलवाड़ नहीं है?

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज इसे काफी हल्के रूप में ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि वह ऐसा नहीं चाहते हैं। हमारे पास कुछ कार्य है। कृपया उस कार्य को पूरा कर लें। गुस्से में हमें बैठक छोड़कर नहीं जाना चाहिए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा की गई टिप्पणियां वास्तव में काफी महत्वपूर्ण हैं। आप हमें उत्पन्न हुई अप्रिय स्थिति से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो कुछ भी हुआ उससे हम सभी अत्यन्त दुखी हैं। मेरी व्यक्तिगत राय में विधि मंत्री के खिलाफ

विशेषाधिकार का स्पष्ट मामला बनता है। लेकिन इसके अलावा; मैं इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के संशोधन संबंधी विधेयक जो पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है पर आगे चर्चा कर रहे हैं अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इन बातों पर मैं नियमों का पालन करूंगा। मुझे प्रत्येक बात पर स्पष्टीकरण नहीं देना है। हमारे पास जो अध्यादेश पड़े हैं अब हम उन्हें लें तथा उन पर विचार करें। अध्यादेश महत्वपूर्ण हैं। यदि आप सहमत हों तो हम अध्यादेशों को ले सकते हैं तथा सहमति के आधार पर पारित कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह हमारे लिए दुख का दिन है क्योंकि हमने जहां सम्मिलित रूप में तीन दिनों के इस सत्र में दो अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार-विमर्श करने का निर्णय किया था संसद ऐसा नहीं कर सकी है। इससे देश के संसदीय प्रजातंत्र को निश्चित रूप से धक्का लगा है।

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : कम-से-कम आज के लिए आप सदन स्थगित कर दें।

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास अध्यादेश हैं। हम अध्यादेशों को लें

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हम अध्यादेशों को लेते हैं। शायद यह सभी सदस्यों के हित में होगा यदि उन्हें यह बता दिया जाय कि क्या उन अध्यादेशों के बाद सभा अनिश्चितकाल के लिए आज ही स्थगित होगी। तीन अध्यादेशों के लिए एक घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार के विचार जानना चाहता हूं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि सभा थोड़ी देर तक बैठ जाये तो हम इन तीनों अध्यादेशों पर विचार-विमर्श आज ही समाप्त कर देंगे। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे मानव मंत्र प्रत्यारोपन विधेयक को पारित कर दें क्योंकि यह राज्य सभा द्वारा पहले ही पारित कर दिया गया है। वह महत्वपूर्ण विधेयक निपटाया जाना है और इसके बाद हम सदन को स्थगित कर सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह बिल पास करना बहुत जरूरी है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम इन तीन अध्यादेशों तथा राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक को निपटा सकते हैं और तब अनिश्चित काल के लिये सभा स्थगित कर सकते हैं। हमें आज ही स्थगित करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं कि यह सर्वसम्मति है और इसी के साथ हम आगे कार्यवाही करते हैं।

3.45 बजे म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तमिलनाडु के पूर्वी समुद्रतटीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर झींगा मछली पालन के कारण मानवोत्पति–पर्यावरण में होने वाले विक्षोभ को रोकने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री वी०पी० कालियापेरुमल (कुड्डालोर) : महोदय, तमिलनाडु के पूर्वी समुद्रतटीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर झींगा मछली पालन से पारिस्थितिक पद्धति को खतरा हो गया है तथा इससे उन क्षेत्रों में विशेषकर तंजाबूर, नगाई कैद-ए-विलहु तथा वल्लालार के जिलों में पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ है। झींगा मछली पालन के फार्म में वृद्धि होने के कारण इस क्षेत्र में जल तथा मिट्टी में प्रदूषण हुआ है।

गत दो वर्षों में सिरकाली ताल्लुक में 800 एकड़ खेती योग्य भूमि को झींगा मछली पालन फार्म के रूप में बदल दिया गया है। संभावित झींगा पालकों द्वारा झींगा मछली पालन के लिए पांच हजार एकड़ के बराबर अतिरिक्त खेती योग्य भूमि खरीदी गई है। इस तरह, खेती योग्य भूमि को भी झींगा मछली पालन के फार्म में बदला जा रहा है और भूमिहीन खेतिहर मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं।

झींगा मछली के फार्म में जमा नमकीन पानी के रिसाव के कारण तटवर्ती खेती योग्य भूमि भी खेती करने लायक नहीं रही है। यहां तक कि पलम्यारा के पेड़ भी नमकीन पानी के कारण सूख रहे हैं।

नमकीन पानी तथा झींगा मछली पालन के लिए किए गए उपायों के कारण पेयजल के स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के लोग पीलिया, अन्धेपन तथा हैजा जैसी महामारी से ग्रस्त होते रहते हैं।

मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह खेती योग्य भूमि को झींगा मछली पालन के फार्म में बदलने से रोकें तथा पूर्वी समुद्र तट पर मानवोत्पति-पर्यावरण में होने वाले विक्षोभ को रोकने के लिए तत्काल उपाय करें। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह शिक्षित बेरोजगार युवकों को तमिलनाडु की समुद्रतटीय बंजर भूमि में झींगा मछली पालन के लिए प्रोत्साहित कर स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के बारे में एक नीति तैयार करें।

(दो) पंजाब के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को दिए गए 5 हजार रुपए तक के ऋण माफ किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लोरे) : महोदय, पंजाब सरकार ने एक प्रशंसनीय घोषणा की है कि वह अनुसूचित जातियों के लोगों द्वारा किए गए 5,000 रुपए तक के बैंक ऋण माफ कर देगी। इस घोषणा का तिहरा उद्देश्य था–मानवीय, आर्थिक और नागरिक। सहकारी बैंकों और अनुसूचित जाति वित्तीय निगमों द्वारा इस वर्ग के मतदाताओं को दिए गए 5,000 रुपए तक के ऋण माफ करके पंजाब सरकार ने इनके विश्वास की कसौटी पर पूरा उत्तरने का प्रयास किया है। परन्तु वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋण माफ नहीं किए जा सके क्योंकि ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं पड़ते।

मैं केन्द्रीय सरकार से सविनय अनुरोध करती हूं कि वह अनुसूचित जातियों के लोगों द्वारा वाणिज्यिक 5,000 बैंकों से रुपए तक लिए गए ऋणों की माफी की व्यवस्था कर राज्य सरकार को अपना वायदा पूरा करने में सहायता करें।

(तीन) मध्य प्रदेश के जबलपुर मंडल में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल के जबलपुर मंडल में खासतौर से विगत तीन-चार माह के दौरान दूरसंचार सेवाओं की बड़ी तेजी से खराब हो रही दशा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हालांकि निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए नये टेलीफोन दिए जा रहे हैं तथा टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है, लेकिन टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं।

उपभोक्ताओं की असुविधाओं की उन रिपोर्टों से समाचार पत्र भरे रहते हैं जिनमें टेलीफोन विभाग से उनकी शिकायतें दूर करने के अनुरोध होते हैं।अक्सर उपभोक्ताओं को भारी राशि के टेलीफोन बिल देकर ठगा जाता है जिनका भुगतान उन्हें अत्यंत कष्ट से करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए पी० सी० ओ० ठीक काम नहीं कर रहे हैं।

इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जबलपुर दूरसंचार के कार्यकरण की भली-भांति जांच करवाई जाए तथा दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार करते समय खासतौर से निर्धारित योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विस्तार करते समय सेवाओं में कार्यकुशलता सुनिश्चित की जाए।

(चार) उड़ीसा के गंजम जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए प्रमुख पुलों के शीघ्र पुनर्निमाण के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री गोपी नाथ गजपति (बरहामपुर) : महोदय, मैं उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में वर्ष 1990 में आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए छः पुलों की मरम्मत में किए गए अत्यधिक विलंब की ओर केन्द्रीय जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के बावजूद प्रमुख सड़क पुलों की मरम्मत या उनका पुनरुद्धार अभी तक नहीं हो पाया है।

उड़ीसा सरकार ने इन सड़क पुलों की मरम्मत के लिए विश्व बैंक से 33 करोड़ के ऋण का अनुरोध किया था। यदि इनके लिए पर्याप्त धन का प्रावधान नहीं किया गया तो मरम्मत और निर्माण कार्य को समय पर पूरा नहीं किया जा सकेगा। इससे दक्षिण उड़ीसा के प्रभावित लोगों की कठिनाइयां और भी बढ़ जायेंगी।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह गंजम जिले के इन छः प्रमुख पुलों के पुनर्निमाण कार्य को समय पर पूरा कराने के लिए शीघ्र ही पर्याप्त धनराशि स्वीकृत करे तथा यह भी सुनिश्चित करे कि इस हेतु दी गई धनराशि का उपयोग अन्य परियोजनाओं पर नहीं किया जाए।

[हिन्दी]

(पांच) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को बेहतर शिक्षा प्रदान कराने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक (शाहबाद) : अध्यक्ष जी, स्वतंत्रता प्राप्ति के 47 वर्ष बाद भी भारतवर्ष की 76 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या वाले देश के अनगिनत गांव में लड़कियों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं हो पाया है। अभी तक प्रत्येक गांव में प्राथमिक पाठशालाऐं नहीं खोली जा सकी हैं। ऐसे शिक्षाविहीन गांवों की छोटी-छोटी लड़कियों को दूसरे गांवों में जाना मुश्किल होता है और वे शिक्षा की सुविधा के अभाव में अनपढ़ ही रह जाती हैं।

यही हाल गांवों में जूनियर हाईस्कूल व माध्यमिक विद्यालयों का है। 7-8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जूनियर हाईस्कूल व माध्यमिक विद्यालय बड़े-बड़े कस्बों व नगरों तक ही सीमित हैं। इतनी अधिक दूरी पर गांवों की लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना सम्भव नहीं है।

पढ़ाई-लिखाई के अभाव में ऐसी लड़कियां एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभाने से वंचित ही नहीं रहती, बल्कि अपने पारिवारिक स्तर को ऊंचा नहीं उठा पाती हैं। गांवों के लड़के तो दूर-दूर जाकर, अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिक्षित भी हो जाते हैं और बाद में वे ही ऐसी अनपढ़ लड़कियों से विवाह करने से कतराते हैं। इससे समाज में असंतुलन पैदा हो गया है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि गांवों में लड़कियों की शिक्षा के लिए अच्छे विद्यालय खोलने तथा लड़कियों के लिए होस्टल निर्माण के लिए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था करे, जहां पर गांवों की लड़कियों को निःशुल्क की व्यवस्था की जाय तथा होस्टलों में निःशुल्क रहने की तथा भोजन की व्यवस्था की जाय ताकि गांवों की लड़कियां भी शिक्षित हो सकें।

(छह) उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मुरादनगर कस्बे में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता

डा० रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद के अन्तर्गत मुरादनगर एक छोटा औद्योगिक कस्बा है जो कि उद्योगों की दृष्टि से धीरे-धीरे विकसित हो रहा है। यह कस्बा गाजियाबाद से 11 किलोमीटर तथा मोदीनगर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, परन्तु लोकल फोन की सुविधा न होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा माननीय संचार मंत्री जी से निवेदन है कि इस क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस कस्बे को लोकल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि स्थानीय जनता की परेशानियां दूर हो सकें।

(सात) बालक श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, बाल श्रम एक दण्डनीय अपराध है, लेकिन उस कानून का व्यावहारिक कार्यान्वयन नहीं हो सका है। पीड़ाएं तीव्रतर तब होती हैं, जब बाल

श्रमिक 5 से 14 वर्ष की आयु में कालीन उद्योग, होटलों, चाय की दुकान, निजी आवास, मोटर गैरेज, मोटरगाड़ियों में श्रम करके अपने माता-पिता की परवरिश करते हैं। ये अल्पायु बच्चे सामान्यतः अति निर्धन परिवार के होते हैं, जिनके माता-पिता इनके पालन-पोषण करने में असमर्थ होते हैं। बाल श्रम निरोधक कानून, वास्तव में बालकों को इंसाफ देने में कारगर नहीं है।

अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि देश में बाल श्रमिकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सर्वेक्षण कराया जाए एवं उन्हें श्रम कार्य से मुक्त किया जाए। तत्पश्चात प्रत्येक प्रखण्ड एवं अनुमण्डल में इनकी निशुल्क शिक्षा के प्रबंध हेतु आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाए। साथ-ही-साथ इनके शिक्षा-दिक्षा का पूरा खर्च सरकार वहन करे। इन व्यवस्थाओं के बावजूद यदि बाल श्रमिकों के माता-पिता अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, तो कानून बनाकर ऐसे माता-पिता को दंडित किया जाए।

[अनुवाद]

(आठ) फरक्का बांध में पानी के बहाव को बढ़ाने के लिए एक नहर के माध्यम से फरक्का पर ब्रह्मपुत्र नदी को गंगा से जोड़ने की आवश्यकता।

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, फरक्का बांध के निर्माण का मुख्य उद्देश्य हुगली नदी में गाद के जमाव को रोकना था। दुर्भाग्यवश, इस समय पश्चिम बंगाल को गाद के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। सिंचाई की बात छोड़िए, कलकत्ता पत्तन, जिसे जीवित रहने के लिए मानसून-पूर्व के महीनों में कम से कम 40,000 क्यूसेक्स पानी की आवश्यकता होती है, को केवल 20,500 क्यूसेक्स पानी मिलता है। ऐसा प्रतिवर्ष पानी की खपत में वृद्धि के साथ गंगा के ऊपर क्षेत्रों, विशेषतः उत्तर प्रदेश और बिहार में पानी के उपयोग के तरीके में बदलाव के कारण होता है।

केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस बांध में पानी के बहाव में वृद्धि करने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी को फरक्का पर एक नहर के द्वारा गंगा से जोड़ा जाए। इससे भारत और बांग्लादेश, दोनों के हितों की रक्षा होगी। बांग्लादेश को इस बात से आश्वस्त किया जाए कि पानी की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए यह अत्यंत ही व्यावहारिक और प्रभावी समाधान होगा।

3.58 बजे म०प०

मणिपुर नगरपालिका अध्यादेश, 1994 का निरनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प तथा मणिपुर नगरपालिका विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 12 एवं 13 पर विचार विमर्श आरम्भ करें। श्रीमती शीला कौल।

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन इस बात से पूर्णतः अवगत है कि आरम्भिक स्तर पर ही लोकतंत्र को सशक्त बनाने का प्रतिबद्ध तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री

[श्रीमती शीला कौल]

राजीव गांधी 1989 में ही पंचायतों और नगरपालिकाओं को सांविधिक स्थान दिलाना चाहते थे। व्यापक विचार विमर्श के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने 16 सितंबर, 1991 को लोक-सभा में नगरपालिकाओं से संबंधित संविधान (73 वां संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया। उक्त विधेयक 1992 के शीतकालीन सत्र में लोक-सभा और राज्य-सभा द्वारा पारित कर दिया गया। विधेयक को राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिलने के बाद संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के रूप में प्रकाशित किया गया।

उपरोक्त अधिनियम के बन जाने से संविधान में एक नया भाग, भाग 9-क जुड़ गया है जिसका संबंध नगरपालिकाओं से जुड़े मुद्दों से है। संविधान (संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ नगरपालिकाओं के गठन और उनकी संरचना, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लोगों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, वार्ड समितियों का गठन, पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल और भंग होने की तिथि से छः महीनों के अंदर पुनर्निर्वाचन, कर और फीस लगाने की शक्ति, वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, जिला नियोजन समिति और महानगर नियोजन समिति का गठन आदि जैसी बातों की व्यवस्था है।

4.00 बजे म०म०

अधिनियम के भाग 243 2 एफ में प्रावधान है कि उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने से ठीक पहले किसी राज्य में नगरपालिकाओं से संबंधित लागू किसी कानून का कोई उपबन्ध, जो संविधान के भाग IX-A के अनुरूप है, उस समय तक लागू रहेगा जब तक कि उसे सक्षम विधानमंडल द्वारा रद्द अथवा संशोधित नहीं किया जाता अथवा उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने तक लागू रहेगा, जो भी पहले हो। संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के 1 जून, 1993 से प्रारम्भ हुआ इस कारण एक वर्ष की अवधि 31 मई, 1994 को समाप्त हो गयी।

मणिपुर नगरपालिका अधिनियम, 1976, जो 23 मई, 1994 तक लागू था, के कुछ उपबन्ध संविधान (74वां अधिनियम) अधिनियम, 1992 के अनुरूप है। उपरोक्त अधिनियम को लागू करने के लिये, मणिपुर राज्य ने मणिपुर नगरपालिका अधिनियम, 1976 के स्थान पर एक व्यापक नया विधेयक, मणिपुर नगरपालिका विधेयक, 1994 तैयार किया।

31 दिसंबर, 1993 को मणिपुर राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। मणिपुर राज्य विधान मंडल की शक्तियों को संसद द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अंतर्गत प्रयोज्य घोषित किया गया है।

मणिपुर में संवैधानिक उपबन्धों के अनुरूप एक व्यापक नगरपालिका विधेयक लाने के लिये मणिपुर सरकार की ओर से प्राप्त एक प्रस्ताव की जांच मेरे मंत्रालय में की गयी थी और संसद के बजट अधिवेशन में इस आशय का एक विधेयक लाने का निर्णय लिया गया। इस विधेयक की विस्तृत जांच की जानी थी इसलिये इसे बजट सत्र के दौरान समयाभाव के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा

सका। क्योंकि मणिपुर नगरपालिकाओं के संबंध में आवश्यक विधेयक 31 मई, 1994 तक अधिनियमित किया जाना अपेक्षित था इसलिये आवश्यक अध्यादेश को प्रख्यापित करना समीचीन समझा गया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 24 मई, 1994 को मणिपुर नगरपालिका अध्यादेश, 1994 प्रख्यापित किया गया जिससे मणिपुर सरकार को मणिपुर की नगरपालिकाओं का गठन संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप करने की शक्ति प्राप्त हुई। अब मणिपुर नगरपालिका अध्यादेश, 1994 के स्थान पर एक संसदीय अधिनियम बनाये जाने का विचार है। उन पर्वतीय क्षेत्रों जिनमें मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषद् अधिनियम, 1971 लागू है अथवा संविधान के अनुच्छेद, 243 जेड सी तथा वर्तमान विधेक की के खंड 1 (2) में दिये गये अपवादों के आधार पर छावनी अधिनियम, 1924 के अंतर्गत किसी छावनी क्षेत्र में शामिल किये गये किसी क्षेत्र को छोड़ कर मणिपुर नगरपालिका विधेयक, 1994 के उपबन्ध पूरे मणिपुर राज्य में लागू होंगे।

उपरोक्त विधेयक के प्रमुख उपबन्ध इस प्रकार हैं :

(एक) तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का गठन अर्थात्, किसी ग्रामीण क्षेत्र से किसी नगरीय क्षेत्र के संक्रमण में किसी क्षेत्र के लिये कोई नगर पंचायत लघुतर नगरीय क्षेत्र के लिये कोई नगरपालिका परिषद् और वृहतर नगरीय क्षेत्रों के लिए कोई नगर निगम;

(दो) नगर पंचायतों तथा नगरपालिका परिषदों ऐसे व्यक्तियों को लेकर किया जायेगा जो निर्वाचित हों और जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव है;

(तीन) तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं की बावत वार्ड समितियों का गठन

(चार) नगरपालिकाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आरक्षण;

(पांच) स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिये आरक्षित किये जायेंगे;

(छह) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जातियों तथा महिलाओं के लिये नगरपालिका के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण राज्य सरकार द्वारा निहित रीति के अनुसार किया जायेगा;

(सात) पांच वर्ष की निर्धारित कालावधि और नगरपालिकाओं के भंग होने की कालावधि की सीमा छह माह निर्धारित करना;

(आठ) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की पुनरीक्षा करने और राज्यपाल को संस्तुतियां देने हेतु राज्य वित्त निगम का गठन;

[श्रीमती शीला कौल]

(नौ) नगरपालिकाओं के लिये चुनावों के अधीक्षण, निदेशन और संचालन हेतु राज्य चुनाव आयोग का गठन;

जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं को समेकित करने और पूरे जिले के लिये एक प्रारूप विकास योजना बनाने के लिये जिला योजना समितियों का गठन; प्रारूप विकास योजनाएं बनाने के लिये महानगरीय योजना समितियों का गठन।

विधेयक का उद्देश्य उपरोक्त मामलों पर मणिपुर राज्य के संबंध में एक व्यापक नगरपालिका विधेयक का अधिनियमन करने का है।

महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि मणिपुर के शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं का गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय बोलें। क्या आप सांविधिक प्रस्ताव रखने को उत्सुक हैं?

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : जी हां, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 मई, 1994 को प्रख्यापित किये गये मणिपुर नगरपालिका, 1994 (1994 का सं० न) का निरनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा यह जो विधेयक लाया गया है, यह गत सत्र में भी पारित करवाया जा सकता था, परंतु सरकार की काम करने की जो प्रवृत्ति है, पद्धति है, उसका दिग्दर्शन इससे होता है। स्वयं सरकार ने अध्यादेश के कारणों में स्वीकार किया है कि मणिपुर में संवैधानिक प्रतिबंधों के समनुरूप नगर पालिकाओं के नए व्यापक कानून बनाने के लिए मणिपुर सरकार से प्राप्त प्रस्ताव की शहरी विकास मंत्रालय में जांच की गई थी और संसद के बजट सत्र में इस आशय का एक विधेयक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था। जब यह निर्णय लिया गया था तो उस समय इस विधेयक को क्यों नहीं लाया गया और इस समय क्यों लाया जा रहा है।

4.06 बजे म०प०

[श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए]

सत्रावसान नहीं किया गया था और 13 तारीख को फिर से सदन की बैठक होनी थी, लेकिन कुछ अध्यादेश लाने के लिए सत्रावसान किया गया और अध्यादेश लाए गए, जबकि सरकार के पास उस समय भी पर्याप्त समय था और विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते थे।

सभापति महोदय, यह बात सही है कि प्रस्तुत विधेयक में मणिपुर में नगर-पालिकाएं,

नगर-निगम, नगर पंचायतें गठित करने का प्रावधान है और संभवतः वहां की स्थिति में कुछ सुधार हो, परंतु क्या इन प्रावधानों को वर्तमान परिस्थितियों में लागू किया जा सकेगा। मणिपुर में इस समय हालात ठीक नहीं है और पिछले दिनों राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाते समय इस बात को कहा गया था कि वहां पर स्थिति सामान्य नहीं है। पिछले दिनों नागा और कुकीज संघर्ष से जाति विद्वेष बढ़ा है। दिन-दहाड़े हत्याएं हुई हैं और अनेकों लोग घायल हुए हैं। इस तरह की असमान्य परिस्थितियों से संभवतः श्रीमती कौल और माननीय चव्हाण जी भी परिचित होंगे। उल्फाओं और उग्रवादियों द्वारा पुलिस केनवाय पर दिन-दहाड़े हमला किया गया और गोलियां चलाई गईं, उनको हताहत करने का प्रयत्न किया गया।

यह बात ठीक है कि इस विधेयक को लाने के पीछे आपका कमिटमेंट है कि हम पंचायती राज लागू करने जा रहे हैं। परंतु क्या इन परिस्थितियों में इन प्रावधानों को वहां पर लागू करवाया जा सकेगा? शायद यह संभव नहीं होगा इसलिए तत्काल इस अध्यादेश को लाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अभी तो कई अन्य राज्यों से भी इसकी स्वीकृति नहीं आई है।

मणिपुर की परिस्थिति की जानकारी इससे भी मिलती है कि पिछले दिनों वहां पर मणिपुर रायफल्स के 3 जवानों को मार दिया गया। एन०एस०सी०एन० ने वहां पर शस्त्रास्त्र लूट लिए। 25303 रायफल्स, 2 मशीनगन, 2 एक्सप्लोसिव, 11 हैंड ग्रेनेट, 2000 राउंड अम्यूनिशन लूट लिया गया और यह काम 50 गोरिल्लाओं ने पुलिस स्टेशन को घेर कर, पुलिस अधिकारियों को घायल कर के किया। आज यह परिस्थिति वहां पर विद्यमान है। मैं समझता हूं कि इस तरह की असमान्य परिस्थितियों के होते हुए इन प्रावधानों को वहां पर लागू नहीं किया जा सकेगा। जिस प्रकार से वहां पर विधान सभा को स्थगित किया गया और पूर्व मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं और उप मुख्य मंत्री कोई और बात कहते हैं। पूर्व मुख्य मंत्री उप मुख्य मंत्री पर आरोप लगाते हैं तो कहीं राज्यपाल उप मुख्य मंत्री को सपोर्ट करते हैं। कहीं उप मुख्य मंत्री अपनी सफाई देते हैं। सफाई देने का कारण यह है कि मैंने नागा विद्रोहियों का साथ दिया, ऐसा मुख्य मंत्री कहते हैं। लेकिन उनके बारे में आरोप है कि वे इस प्रकार का सपोर्ट दे रहे हैं और इसी कारण वहां बलात धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। यह जबर्दस्ती कहा जा रहा है कि तुम आदिवासी हो तो तुम्हारा क्या है और तुम्हारा कौन-सा ईश्वर है? तुम्हारा ईश्वर सर्वव्यापी है, ऐसा उनको गुमराह करके धर्म परिवर्तन की बात की जाती है, यह विचारणीय बात है। वहां का जो संघर्ष है और जिस प्रकार वातावरण बनाया जा रहा है तो वे आठोनोमी मांग रहे हैं। नाथी कछवार हिल्स आसाम में बन गया है और वह शरण-स्थली बनी हुई है। वहां पर पेरेलल गवर्नमेंट चलायी जा रही है और वे कह रहे हैं कि सीमा पर सारा व्यापार चलता रहे। वह सीमा खुली रहे जिससे धड़ल्ले से व्यापार चलता रहे और कोई नियंत्रण न रहे। यह पृथक भावना है जबकि राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए थी, वह नहीं है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय धारा में समरसता आए और उनके अंदर यह बात ठीक की जाए तभी सारी बातें लागू हो सकती हैं फिर चाहे पंचायत कानून, नगरपालिका कानून या नगर निगम कानून हो या दूसरी बातें हों। अध्यादेश की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति आ गई है कि सरकार अध्यादेश लेकर आ जाती है जबकि

[डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

सामान्य परिस्थिति में काम करवाया जा सकता है या किया जा सकता है लेकिन अध्यादेश के जरिए करवाना चाहती है। इस विधेयक के बारे में सारी परिस्थितियों को समझते हुए जो नगरपालिका, नगर पंचायत बनेगी, उसके लिए प्रशासक होगा और वहां एक बाडी बनेगी। उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व और निश्चित संख्या में अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित स्थान रखेंगे। यह व्यवस्था होने के बाद इसके पीछे जो आपकी भावना थी वह ठीक हो सकती है। पिछले दिनों मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के बारे में चर्चा हुई थी तो उस समय चव्हाण साहब ने कहा था कि यथा संभव प्रयत्न कर रहे हैं कि वहां सामान्य परिस्थितियां हों और वहां की राजनीतिक प्रक्रिया आरंभ करने के लिए विधान सभा स्थगित की गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको जल्दी-से-जल्दी अधिकार मिले। वहां मांग हो रही है कि हमें स्वायत्ता दे दी जाए, हम कुछ अलग हैं। वहां पर नागा विद्रोहियों द्वारा जाति संघर्ष और जाति विद्वेष फैलाया जा रहा है। इसके बारे में कदम उठाने आवश्यक हैं। मैं चाहूंगा कि इन बातों पर आप निश्चित रूप से उत्तर देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 मई, 1994 को प्रख्यापित किये गये मणिपुर नगरपालिका अध्यादेश, 1994 (1994 का सं० 6) का निरनुमोदन करती है।"

"मणिपुर के शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं के गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रो० एम० कामसन (बाह्य मणिपुर) : अध्यादेश को विधेयक में बदलने के लिये अपने मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि जैसा कि उन्होंने स्पष्ट किया है, यह आवश्यक ही है।

जैसा आप जानते हैं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है और देश के विभिन्न भागों में विकास के लिये ऐसे अधिनियम अत्यंत आवश्यक हैं, अर्थात्, हम यह चाहेंगे कि यह विधेयक इस प्रकार आए और जब देश के अन्य भागों में अपनी-अपनी पंचायतें तक नगरपालिकाएं हैं तो मणिपुर ही पीछे क्यों रहे।

मैं कुछ मुद्दों पर मंत्री महोदय का विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं। निस्संदेह, मैं किसी प्रकार के संशोधन की मांग नहीं कर रहा हूं। परन्तु मैं संबंधित प्राधिकारियों को केवल यह पुनः स्मरण दिलाना चाहता हूं क्योंकि इस मामले में केन्द्र द्वारा भी अधिक समय लेना बहुत आवश्यक नहीं है। यदि यह अधिनियम मौजूद है, और मणिपुर में जब विधान सभा बहाल की जाये, जब वहां लोकप्रिय मंत्रि-परिषद का गठन हो और यदि विधेयक में कोई खामियां अथवा त्रुटियां रह गयी हों, तो इसमें लोगों द्वारा अपनी विधान सभा के माध्यम से स्वयं ही संशोधन किया जा सकता है। इसलिये मैं इस बाबत अधिक कुछ नहीं कहना चाहता।

परन्तु इसके साथ ही मैं एक बात की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ऐसी किसी धारा में जिसके अंतर्गत सरकार ने राज्यपालों को नगर पंचायतों अथवा नगरपालिकाओं के आकार के संबंध में अपने आप निर्णय लेने का अधिकार दिया है, मेरे विचार से यदि, न केवल मणिपुर के मामले में बल्कि पूरे देश में, कुछ अधिकतम और न्यूनतम सीमाएं निर्धारित की जाती हैं तो इसके कुछ एकरूपता आएगी। मान लें कि देश के कुछ भागों में इस नगर पंचायत का आकार देश के अन्य भागों की नगर पंचायतों की अपेक्षा छोटा अथवा बड़ा है तो इस मामले में कोई एकरूपता नहीं होगी। इसलिये यदि अलग-अलग विधेयकों और अलग-अलग राज्यों में राज्यपालों को उनकी संख्या निर्धारित करने की विवेकाधीन शक्तियां मिल जायेंगी तो संभव है कुछ राज्यों में नगर पंचायतों में केवल पांच सदस्य ही रह जायें अथवा कुछ राज्यों में नगर पंचायतों में 20 सदस्य ही रह जायें अथवा कुछ राज्यों में नगर परिषद में केवल दस सदस्य ही रह जायें अथवा मणिपुर में नगर परिषद की संख्या लगभग तीस हो जाये। इसलिये किसी प्रकार की एकरूपता अवश्य होनी चाहिये। इसलिये मैं सामान्यतः यह सुझाव देना चाहूंगा जिसे सारे देश में लागू किया जाये क्योंकि हम संविधान की ग्यारहवीं तथा बारहवीं अनुसूचियों के अंतर्गत पूरे देश में नगरपालिका तथा पंचायत दोनों प्रणालियां लागू करने जा रहे हैं। यह मेरा विनम्र सुझाव है जिस पर सभी संबंधित पक्ष विचार करें।

एक अन्य बात जिस पर मैं अधिक ध्यान दिलाना चाहूंगा वह इस अधिनियम के अंतर्गत नगर पंचायत अथवा नगर परिषद के संबंध में तथा बजट सत्र के दौरान पारित किये गये अधिनियमों के अंतर्गत पंचायतों के संबंध में है। उस समय मुझे इस पर विचार करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि मणिपुर से संबंधित पंचायत विधेयक को जल्दबाजी में पारित किया गया क्योंकि समय कम था और मैं इसे समझ सकता हूं। अतः मैं इस अवसर पर तनिक चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि ये दोनों एक ही अधिनियम के अंतर्गत समानान्तर विधेयक हैं। संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियों के अंतर्गत पंचायती अधिनियम तथा नगरपालिका अधिनियम को पूरे देश में लागू किया जा रहा है। अब भारत के पूरे भू-भाग में प्रत्येक स्थान पर या तो नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत नगर प्राधिकरण होगा अथवा पंचायती अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकाय।

जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का संबंध है, मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां न तो पंचायती अधिनियम लागू है और न ही यह नगरपालिका अधिनियम लागू है जिन्हें संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियों में शामिल किया गया है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि इन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जायेगा। सामान्य रूप से अनुसूचित क्षेत्रों का अर्थ है पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय जिले। इन क्षेत्रों में न तो यह शहरी निकाय होंगे और न ही ग्रामीण निकाय। इसलिये इस पर विचार करने का प्रश्न है। यह अत्यंत गंभीर मामला है। कुछ समय बाद पूर्वोत्तर लोगों के लिये यह आवाज उठाकर बोलने के लिये एक और मुद्दा हो जायेगा कि उनकी उपेक्षा हुयी है, कि उनका विलगाव हुआ है, कि उन्हें जमीन से जुड़े लोकतंत्र अथवा लोकसत्ता की सुविधा अथवा लाभ नहीं दिया गया है। यदि आज हम इस मुद्दे की जांच नहीं करते तो लोग यही दावा करेंगे। इसलिये मेरी बात यह है कि केन्द्र को एक अध्ययन दल अथवा आयोग का

[प्रो० एम० कामसन]

गठन करना चाहिये जो यह अध्ययन करे कि पूरे देश में लागू किये जा रहे इस नगरपालिका अधिनियम अथवा पंचायती अधिनियम के समानांतर किस प्रकार का निकाय हो जिसे वहां, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों में लागू किया जाये। मैं आपको एक अत्यंत स्पष्ट उदाहरण दूंगा। मणिपुर के पर्वतीय जिले में, जिसका प्रतिनिधित्व मैं करता हूं, न तो नगर पंचायत है, न ग्राम पंचायत और न ही छठी अनुसूची के अनुरूप परिषद। अतः पूरे भाग में या छठी अनुसूची अथवा ग्यारहवीं अनुसूची अथवा बारहवीं अनुसूची के अनुरूप प्रणालियां होना अपेक्षित हो उस क्षेत्र को इससे वंचित नहीं रखा जा सकता। अब तो यही प्रश्न है कि मणिपुर के पर्वतीय जिले में हमने रिक्त स्थान छोड़ दिया है। इसलिये मैं संबंधित मंत्रालयों, न केवल शहरी विकास बल्कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, का ध्यान तथा साथ ही साथ गृह मंत्री महोदय जो यहां उपस्थित हैं तथा छठी अनुसूची से संबंधित भी हैं, का भी ध्यान आकर्षित करता हूं। जहां तक ग्यारवीं अनुसूची का संबंध है वह ग्रामीण विकास मंत्रालय का विषय है, जहां तक बारहवीं अनुसूची का प्रश्न है, वह शहरी विकास मंत्रालय का विषय है। अतः, इन तीन मंत्रालयों को यह देखना है कि देश के किस भाग को छोड़ दिया गया है ताकि भविष्य में लोग सरकार के ढीलेपन अथवा किसी प्रकार के अपेक्षाभाव की शिकायत न करें। मेरी बात यही है। मैं फिर से दोहराता हूं कि हम गत 20 वर्षों से मांग करते रहे हैं कि मणिपुर के पांच पर्वतीय जिलों में छठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू किया जाये, परन्तु एक स्वायत्तशासी जिला काउंसिल की मांग अब तक ठुकरायी जाती रही है। यह ऐसे समय पर आया है जबकि यह क्षेत्र एक ऐसे रिक्त स्थान के रूप में है, जिसमें जीमन से जुड़े लोकतंत्र अथवा लोकशक्ति के नाम पर तीन संवैधानिक उपबन्धों में से एक भी नहीं है। इससे पूर्व छठी अनुसूची अर्थात् स्वायत्तशासी जिला काउंसिल को पर्वतीय, विशेषरूप से पूर्वी क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों के विशेष निकास हेतु सविधान का एक विशेष उपबन्ध, संवैधानिक उपाय, और संवैधानिक उपकरण माना जाता था। इसकी कल्पना और बुनियादी विचार संविधान के निर्माताओं का था, जिन्हें इस उपाय की दूरगामी दृष्टि प्राप्त थी। आज इस अवसर पर मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देता हूं कि उन्हें देश के भविष्य के प्रति इतनी दूर दृष्टि प्राप्त थी कि उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों के लिये यह छठी अनुसूची प्रदान की थी। दुर्भाग्यवश यह एक क्षेत्र विशेष, अर्थात मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में अब तक प्रदान नहीं की गयी। यह प्रथम बिन्दु है जहां मैं बताना चाहूंगा कि यदि यह जानबूझकर की गयी उपेक्षा नहीं तो चूक तो है ही। मैं अपने गृह मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि उन्हें पंचायत विधेयक और नगरपालिका विधेयक के लागू किये जाने से ठीक पहले इस मामले को हाथ में लेना चाहिये। ये दोनों साथ-साथ ही लाये जायें, ताकि कोई ऐसी खामी न रह जाये कि लोग फिर से हमारी आलोचना करें।

मैं यह भी उल्लेख अवश्य कर दूं कि वर्तमान प्रधान मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव जब 1984 में गृह मंत्री थे तब उन्होंने इस सभा में हमें यह आश्वासन दिया था कि मणिपुर पर्वतीय क्षेत्रों में छठी अनुसूची को लागू किया जायेगा, अर्थात् वहां स्वायत्त शासी जिला काउंसिल की स्थापना की जायेगी। वर्ष 1984 में हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री जब गृह मंत्री थे तब हमें यह आश्वासन दिया गया

था। उनके बाद के गृह मंत्रियों द्वारा भी हमें यह आश्वासन दिया जाता रहा। और वे अच्छी बातें कहते रहे। परन्तु दुर्भाग्यवश चूक हो जाने के कारण उन्होंने इस भाग की उपेक्षा कर दी है। अब मै उन्हें फिर से याद दिलाता हूं कि यदि आप इस क्षेत्र को बिल्कुल उपेक्षित कर देते हैं, तो यह एक गम्भीर बात हो जायेगी और सरकार के लिये भविष्य में इसका बचाव करना कठिन होगा। मैं संबंधित मंत्रालय का ध्यान इसी बात की ओर दिलाना चाहूंगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रस्तावित विशेष आयोग वहां इस समस्या का अध्ययन करें। पूर्वोत्तर क्षेत्र में, अरूणाचल प्रदेश में पंचायत प्रणाली है। केवल इस पर्वतीय राज्य में ही पंचायत प्रणाली है। इससे पहले उनकी पंचायत प्रणाली राज्य अधिनियम के अंतर्गत थी। यह पूरे राज्य में थी। अब वह अरूणाचल प्रदेश में संवैधानिक दर्जा प्राप्त संवैधानिक निकाय के रूप में संविधान के अंतर्गत आ गयी है। मुझे विश्वास है कि वह राज्य पंचायत प्रणाली को स्वीकार करेगा क्योंकि अब तक उसकी यही इच्छा रही है। किन्तु अन्य राज्यों के मामले में देखा जाये तो असम में पर्वतीय क्षेत्रों में छठी अनुसूची लागू है, असम के घाटी क्षेत्रों में ग्यारहवीं अनुसूची लागू है तथा शहरी क्षेत्रों, कस्बों और नगरपालिकाओं में बारहवीं अनुसूचीं लागू है। मेघालय में पूरे राज्य में छठी अनुसूची लागू है। वहां खासी, गारो तथा जैंतिया तीन जिले हैं। दुर्भाग्यवश अथवा सौभाग्यवश उस समय उन्होंने छठी अनुसूची को पूरे राज्य में लागू किया था, उस समय हमने सोचा था कि एक आदिवासी राज्य में, एक पर्वतीय राज्य में वे पूरी छठी अनुसूची को पूरे राज्य में लागू क्यों करें। क्योंकि संविधान निर्माताओं ने मूल रूप से छठी अनुसूची को राज्य के केवल कतिपय ऐसे राज्यों में लागू करने की बात सोची गयी थी, जिनमें अल्पसंख्यक रहते हैं, जिनकी राज्य में पूरी पैठ नहीं हो सकती और जिन्हें उसका पर्याप्त लाभ नहीं मिल सकता, जैसा कि आज मिजोरम में हो रहा है। मिजोरम में जिला पावी, जिला लखेर तथा चकमा जिले में छठी अनुसूची अर्थात् स्वायत्त शासी जिला काऊंसिल है, जबकि शेष मिजोरम में, यद्यपि वह एक पर्वतीय राज्य है, न तो छठी अनुसूची है, न पंचायत और न ही ऐसी कोई और प्रणाली अब मैं उस बात पर आता हूं। मिजोरम और नागालैंड जहां छठी अनुसूची नहीं है, नागालैंड में जहां न छठी अनुसूची है, न पंचायत है और न ही ऐसी कोई और प्रणाली, वहां के लिये एक प्रश्न उत्पन्न होता है। ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची के अंतर्गत वर्तमान अधिनियम के कारण देश के प्रत्येक भाग में कोई न कोई संवैधानिक स्थानीय निकाय, या तो ग्रामीण निकाय अथवा शहरी निकाय अर्थात पंचायत अथवा नगरपालिका है। नरन्तु नागालैंड में अब नक न तो ग्यारहवीं अनुसूची अर्थात पंचायत ही है और न ही बारहवीं अनुसूची अर्थात् नगरपालिका। ऐसी स्थिति में, क्या नागालैंड अथवा मिजोरम में लोगों को लोकसत्ता अथवा जमीन से जुड़े लोकतंत्र की अवधारणा का अवसर, सुविधा अथवा लाभ प्रदान किया जायेगा, जिसकी कल्पना सर्वप्रथम श्री राजीव गांधी द्वारा की गयी थी? निस्संदेह, मूलरूप से महात्मा गांधी ने ही उस ग्राम राज्य के संबंध में कहा था जो भारत में सैकडों, हजारों वर्षों तक रहा है। परन्तु आधुनिक युग में इसकी कल्पना गांधी जी ने की थी। राजीव गांधी ने इसे मूर्तरूप देने का प्रयास किया। परन्तु दुर्भाग्यवश वह कर नहीं सके। इसके बाद श्री पी० वी० नरसिंह राव के शासनकाल के दौरान यह विधेयक अस्तित्व में आया है। इसलिये यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है। यह नया

[प्रो० एम० कामसन]

प्रश्न इस नयी परिस्थिति के कारण उत्पन्न हो रहा है कि क्या नागालैंड में, जहां पर किसी भी प्रकार की परिषद अथवा निकाय नहीं है, यह व्यवस्था की जानी चाहिये अथवा मिजोरम में यह व्यवस्था की जानी चाहिये अथवा नहीं क्योंकि उनके यहां परम्परागत ग्राम प्रणाली है। पंचायत अथवा ग्राम परिषद अथवा परम्परागत प्रणाली का नयी पंचायत प्रणाली से किस प्रकार समायोजन किया जाये? इसे नये नगरपालिका अधिनियम के साथ किस प्रकार समायोजित किया जायेगा? इस मामले के लिये विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक है। केवल थेड़ी देर के भाषण से काम नहीं चलता। इसलिये मैं एक बार फिर सुझाव देता हूं कि पूर्वोत्तर के पूरे ब्यौरे का अध्ययन करने के लिये किसी प्रकार का अध्ययन आयोग होना चाहिये। यह कहा जाता है कि ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियां जिन्हें सारे देश में लागू किया जायेगा, इनके द्वारा हमें जमीन से जुड़ा लोकतंत्र प्राप्त हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं-न-कहीं कोई खामी है। यह इंगित करने के पीछे मेरी यही मंशा है।

मैं गृह मंत्री महोदय और संबंधित मंत्रीजी से एक बार पुनः यह अनुरोध करता हूं कि इसका अच्छी तरह अध्ययन किया जाये। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। मणिपुर में, 'चोर चांदपुर' क्षेत्र पर्वतीय अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है। मुख्यालय का नाम भी 'चोर चांदपुर' है। लगभग चार या पांच वर्ष पूर्व, एक छोटे से टाऊनशिप की स्थापना की गयी और एक छोटी टाउन कमेटी का गठन किया गया। कालांतर में टाउन कमेटी के कार्यकरण का काउंसिल अधिनियम के अतंर्गत ग्राम प्रशासन और जिला प्रशासन की मूल प्रकृति से ही विवाद हो गया। इसलिये इन्हें इसे पुनः समाप्त करना पड़ा। यह घटना चार या पांच वर्ष पहले घटित हुयी है। आपको रिकार्ड में यही विवाद देखने को मिलेगा। यदि आप किसी ऐसे अनुसूचित क्षेत्र में, जहां पर स्वायत्त शासी जिला काउंसिल है, नगरपालिका अथवा किसी प्रकार की व्यवस्था की स्थापना की जाती है तो इसका समायोजन अत्यंत कठिन है। मेरा यही कहना है।

मैंने इस अधिनियम के संबंध में पहले ही उल्लेख किया है। परन्तु इसके साथ ही मै कुछ और भी कहना चाहूंगा। मैं गृह मंत्री महोदय का ध्यान मणिपुर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति की ओर दिलाना चाहूंगा। शायद कल ही, उन्होंने समाचार-पत्र में उक समाचार पढ़ा होगा कि नागा आंदोलन बहुत तेजी से फैल रहा है। उन्होंने जेनेवा, बैंकाक तथा अन्य स्थानों पर अपने कार्यलयों की स्थापना की है। यह आन्दोलन बहुत तेजी से फैल रहा है यही मुख्य कारण है जिसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में इतने आतंकवादी संगठनों को जन्म दिया है।

मैंने पहले ही कहा है। गृह मंत्री यह सुनिश्चित करें कि नागा समस्या से राजनैतिक रूप से, बातचीत और विचार विमर्श द्वारा समुचित रूप से निपटा जाये। मैं यह नहीं कहूंगा कि आप दूसरों की उपेक्षा करें। 'उल्फा' से इसी प्रकार निपटा जा रहा है। हमें सभी विद्रोही गतिविधियों से निपटना चाहिये। नागा समस्या आधी शताब्दी से भी अधिक समय से है। मैं मात्र उसके महत्व को फिर से याद दिलाना चाहूंगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस विधेयक पर एक घंटे का समय है और आधा घंटे से ज्यादा हम लोग चर्चा कर चुके है, इस बात का ख्याल रखे। अभी एक सदस्य मणिपुर से और बोलना चाहते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय इस पर नहीं लूंगा। यह अच्छा है कि गृह मंत्री जी इस विधेयक की चर्चा करते समय सदन में मौजूद है हालांकि मेरी समझ है कि वे अपने ही एक विधेयक को लेकर यहां आए हैं।

यह मामला एक ऐसे प्रदेश का है जहां पर इस वक्त सरकार नहीं है। वह इलाका केन्द्र शासित है। अभी चन्द दिन पहले मैं मणिपुर में था। वहां बड़ी जोर से अफवाह थी कि केन्द्र फिर शायद जिन लोगों को पहले सरकार से हटा चुकी थी उन्हे फिर गद्दी पर बैठाने का विचार कर रहा है।

इस बात को लेकर मणिपुर में इस वक्त काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है। चूंकि यह सवाल किसी एक दल की भीतरी लड़ाई का नहीं है, नेतृत्व की लड़ाई का नहीं है और है भी लेकिन उस दल के नेतृत्व की भीतरी लड़ाई, वहां आज भूमिगत स्तर पर जाकर, आतंक को फैलाने का काम कर चुकी है। ऐसी स्थिति में, अगर केन्द्रीय सरकार मणिपुर में उन्हीं लोगों को फिर से गद्दी पर बिठाने के प्रस्ताव पर अमल करने की दिशा में कदम बढ़ाये तो उसके नतीजे मणिपुर के लिये और देश के लिये अच्छे नहीं होंगे।

मैंने इसी सदन में एक सवाल कुछ समय पहले मणिपुर की बहस के संदर्भ में छेड़ा था जो वहां के गवर्नर की रिपोर्ट के बारे में था और जिसमे उन्होंने वहा के एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री पर, जो इस सदत में भी एक सदस्य के तौर पर रह चुके हैं, पहली लोक सभा में इस सदन में थे और जो मणिपुर में कांग्रेस दल के प्रमुख नेताओं में से एक है। कुछ गम्भीर आरोप लगाकर केन्द्र के पास भेजे थे। यदि वे आरोप सही है तो फिर व्यक्ति पर वे आरोप लगाये गये हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होना अत्यन्त आवश्यक है भले ही वे कितने ही बड़े राजनीतिक नेता हों। उन पर यह आरोप है कि वहां जो भूमिगत आतंक फैलाने बाली जमात है, उसके साथ उनका गहरा रिश्ता है। यदि उन पर लगाये गये आरोप निराधार हों, जैसा कि उनका कहना है जिन पर आरोप लगाये गये हैं तथा लिखिन रूप में उन्होंने गृह मंत्री जी को एक पत्र भेजा है, और भी कुछ लोगों को भेजा होगा, मुझे भी एक पत्र उनका मिला था, तो फिर इसकी जांच होनी चाहिये कि गवर्नर ने इस प्रकार की रिपोर्ट कैसे भेजी । उस स्थिति में गवर्नर पर किसी-न-किसी प्रकार की कार्यवाही करने की आवश्यकता आ जाती है। मुझे अफसोस है कि उस रिपोर्ट पर गृह मंत्री जी ने अभी तक किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया है।

सभापति जी, मणिपुर ने नागा और कुकीज तबकों के बीच पिछले कई दिनों मे जो एक तनाव का वातावरण है, उसको लेकर दोनों तरफ के सैकड़ों लोगों को मारने का, बिठाने का और उनके गांवों को उजाड़ने का क्रम चला था। वह सिलसिला अभी पूरे तौर पर खत्म नहीं हुआ है, वह तनाव अभी वहां बना हुआ है। मुझे अफसोस है कि इस कारण जो लोग अपने गांव छोड़कर अन्यत्र चले गये, कुछ लोग कैम्पों में रह रहे हैं और कुछ लोग अपने खेमों में, अपने गोल के लोगों के साथ जाकर

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

बस गये हैं, इस समस्या को हल करने की दिशा में वहां की सरकार द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं की गयी है सिवाय इसके कि वहां असम राईफल्स, बोर्डर सीक्योरिटी फोर्स, सैन्ट्रल सीक्योरिटी फोर्स तथा अन्य पैरा-मिलिटरी फोर्सेज आदि के जरिये, लोगों के ऊपर अपना दबदबा जमा कर रखने के, सरकार की तरफ के किसी प्रकार की पहल की गयी दिखायी नहीं दे रही है। ऐसी परिस्थिति में आर्डिनैंस के जरिये, यहां से कानून पास करा कर, सरकार वहां पंचायतों के चुनाव कराने जा रही है, नगर पालिकाओं के चुनाव कराने जा रही है, इसका मतलब कहां तक है, यह समझना कम-से-कम मेरे लिये मुश्किल है।

इसलिये मैं सरकार से सबसे पहले कहना चाहूंगा कि वहां की स्थिति को सामान्य बनाने के लिये, कुकी और नागाओं में, पहाड़ी और मैदानी लोगों में जो तनाव का वातावरण है, उसे मिटाने के लिये, सरकार को पहल करना अत्यन्त आवश्यक है उस पहल में मिलिटरी क्या सोचती है, अन्य लोग क्या सोचते हैं, उसे सामने लाने की कोई जरूरत नहीं है।

सभापति जी, मुझे अगली बात यह कहनी है कि हम लोग अनेक स्थानों पर अपनी सीमाओं को लेकर कई देशों से विवाद में फंसे हुये हैं। कश्मीर का प्रश्न अपनी जगह पर अलग है, चीन के साथ हमारा सीमा को लेकर विवाद है, वैसे ही बर्मा के साथ, जिसे आजकल म्यानमार कहते हैं, भी सीमाओं को लेकर विवाद है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन विवादों के निपटारे के मामले में हमारी सरकार क्यों हिचक रही है। वहां मोलचा नाम का एक गांव है जो कि हिन्दुस्तान की सीमा के भीतर स्थित है। मगर इस गांव पर कब्जा बर्मा की सेना का है। कब्जा इस मायने में नहीं है कि सेना वहां पर बनी रहती हैं, लेकिन वहां एक सड़क है, जो अंग्रेजों ने बनाई थी जब अंग्रेजों का भारत पर भी और बर्मा पर भी कब्जा था और उनको हिन्दुस्तान और बर्मा की सीमा से कोई मतलब नहीं था, उनका मतलब तो यह था कि उनको सबसे नजदीक रास्ता एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाने के लिए कौन-सा होना चाहिए, यही तय करना था। आज उस सड़क का कुछ हिस्सा हिन्दुस्तान की सीमा के भीतर से जाता है। बर्मा के दो कस्बों को जोड़ने वाली सड़क का कुछ हिस्सा मोलछाल नाम का एक छोटा-सा गांव है उसमें से होकर जाता है। उस गांव के लोगों को जो हिन्दुस्तान के अंदर पड़ता है, बर्मा की मिलिट्री लगातार सताने का काम करती है। जब मन चाहे, आती है, रुक जाती है, पैसे वसूल करती है। टैक्स वसूल करती है। टैक्स इस मायने में नहीं कि वह कोई सरकारी रसीद बुक लाकर या सरकारी सम्मन लाकर टैक्स वसूल करती है, लेकिन वह आती है और बन्दूक की नोंक पर पैसा वसूल कर के जाती है। वहां पर हमारी पुलिस का एक छोटा-सा थाना है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। जब बर्मा की मिलिट्री के 50 सैनिक वहां पर आ जाते हैं और ग्रामवासियों को पीट-पीट कर उनसे पैसा वसूल करते हैं, तो पुलिस के मुट्ठीभर लोग कुछ नहीं कर पाते हैं।

सभापति महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इस सड़क को लेकर कोई विवाद है? यदि कोई विवाद है, तो क्या उसको मिटाया नहीं जा सकता है? हमारे देश के भीतर से कोई सड़क

जाती हो जिस पर बर्मा के लोगों का आना-जाना जरूरी हो, तो क्या आप उसके ऊपर से अपना हक छोड़ने का काम कर रहे हैं? मैं नहीं कहता हूं कि आप अपना हक छोड़िए, लेकिन यदि आपकी जमीन है, तो उनका उस पर कैसा अधिकार? मुझे मालूम है कि जब अक्साई चीन में ऐसी बात हुई थी तो प्रधान मंत्री ने कहा था कि जहां पर कोई घास भी पैदा नहीं होता, जहां पर आदमी भी नहीं रहता है, हम लोगों को अपनी जमीन पर इतना प्यार रहता है कि हम लोग अपनी जमीन को सब को देने के लिए तैयार रहते हैं। जब बर्मा की मिलिट्री मोलछाल गांव में आकर वहां के नागरिकों को परेशान करती है, तो इस मामले को बर्मा के साथ उठाना चाहिए, क्योंकि मोलछाल गांव हिन्दुस्तान का है, इस बात को सबको बता देना चाहिए और वह सड़क यदि हिन्दुस्तान और बर्मा के सम्बन्धों में बिगाड़ लाने का कारण बनती हो तो बर्मा को कह देना चाहिए कि आप अपने लिए कोई दूसरी सड़क बना लीजिए। वैसे यह बात तो 1947 में ही कही जानी चाहिए थी। चूंकि यह विवाद वहां अनेक सवालों को खड़ा करता है इसलिए इस बारे में भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से बर्मा सरकार से बात की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, पिछले 3 सप्ताहों में बर्मा की सेना उस कस्बे की सीमा से थोड़ा-सा उस पार है, हमारे एक सब-पोस्ट मास्टर, जो तंगपोल गांव का है और जिसका नाम जांगपांग है, मिलिट्री ने उसे उठा लिया। उसके साथ वहां खोखांग नाम का एक गांव है, उसके मुखिया को उठा लिया, फिर वहां पड़ोस में ही सी० एच० टैननोलपाल गांव है वहां से 2 और गांव के लोगों को उठा लिया। इस प्रकार कुल मिलाकर एक साथ हमारे 4 नागरिकों को जिनमें एक आपका सरकारी कर्मचारी सब पोस्टमास्टर है, बर्मा की मिलिट्री ने वहां ताम्बो में ले जाकर बन्द कर दिया। अब रोज मिलिट्री के जवान गांव में आते हैं और कहते हैं कि पैसे दो। 2-2 और 4-4 हजार रुपए की मांग करते हैं। हमारे गांव में से गांव के लोगों को उठाकर ले गए और अब कहते हैं कि पैसे दे दो।

सभापति जी, उनका खाना गांव ताम्बो से रोजना उसके रिश्तेदार ले जाते हैं और खाना खिलाकर शाम को वापस आते हैं। गवर्नर को इसके बारे में लिखा गया लेकिन गवर्नर की तरफ से कुछ नहीं हुआ। वहां अन्य जिन सरकारी अधिकारियों से बात होनी संभव थी, उनसे बात हो गई लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं किया गया। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जमीन की फिक्र ने और हमारे नागरिकों की फिक्र ने आपको और बर्मा के साथ आपने वहां पर जो व्यापार का रिश्ता जोड़ लिया, उस रिश्ते को लेकर, आज वहां पर तस्करी को छोड़कर और कौन-सी बात हो रही है। उस तरफ से ट्रक यहां पर आ रहे हैं और यहां से जो भी चीज उनको उठानी है, उठाकर ले जाते हैं। आज यहां ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनावों की बात हम कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि हम कौन-से चुनाव वहां करने जा रहे हैं जब हम अपने साधारण नागरिकों की पड़ोस के राज्यों से रक्षा करने में असमर्थ हैं।

एक आखिरी बात पिछले, मई महीने की 9 तारीख को उकरूर में हुई एक घटना को लेकर कहनी है। उकरूर में मिलिट्री का एक कैम्प है। दो अफसर-एक मेजर और शायद एक कैप्टन जा रहे

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

थे। किसी ने गोली चलाई और मेजर गिर पड़े। मिलिट्री कैम्प के सामने उकरूर के छोटे से सड़क के कस्बे पर गोली चली। कुछ ही देर में कैम्प से सेना के जवान निकल आए। सामने के गांव में गए और एक-एक घर को तोड़ने का काम किया, जो सामने मिला उसे मारने का काम किया। आगे फिर गोली चली। हमारे जनता दल के एक कार्यकर्ता की 21 साल की बहन मारी गई। एक बूढ़ा मारा गया और एक जवान मारा गया। तीन लोग मिलिट्री की बन्दूक से मारे गए। गांव के तमाम लोगों को वहां से उठाकर तीन किलोमीटर तक पैदल चलकर एक कैम्प में ले जाकर बिठाया गया। वहां भारी आक्रोश है। सभा हुई, गांव और आस-पास के गांवों के लोग पहुंचे। मिलिट्री के अफसर को किसने मारा, किसी को पता नहीं। कोई अपरिचित व्यक्ति आकर गोली चलता है, जरूर आतंकवादी होगा वरना मिलिट्री के व्यक्ति पर कोई क्यों गोली चलाएगा। लेकिन उसको लेकर यदि आप दो हजार लोगों की बस्ती को तोड़ने का काम करेंगे, एक-एक घर को तोड़कर उजाड़ने का काम वहां करेंगे तो जिस गांव में आतंकवाद नहीं है, वहां भी आतंकवाद का बीज बोने का काम अपनी मिलिट्री की तरफ से हो जाएगा। मुझे इस बात का अफसोस है कि मिलिट्री कभी-कभी अपने हाथों से हद से ज्यादा काम कर देती है। लेकिन जो राजनैतिक नेतृत्व है, सरकार है, क्या उसके पास जानकारी नहीं आती? क्या जानकारी आने के बाद भी आपको कोई कदम नहीं उठाना होता?

आज मणिपुर ऐसी अवस्था में है कि हमको कभी-कभी इस सदन में ऐसा आभास होता है कि पंचायती राज का जनक 5-7 साल पहले ही हिन्दुस्तान में पैदा हुआ था। जैसा बार-बार बताया जा रहा है कि पंचायती राज को कौन लाया। हम जानते हैं कि हिन्दुस्तान में पंचायती राज कब से है और पंचायती राज को कल की सरकार ने सारे देश में किस तरह से चलाया है। कर्नाटक में बनाए हुए कानून को मिटाने का काम किया। इसलिए पंचायती राज के बारे में किसका, कितना दिल से, मन से, दिमाग से लगाव है, मैं उसके विवाद में नहीं जाऊंगा। यह कानून आप पास कीजिए लेकिन मणिपुर में कोई नई चीज आप कर पाएंगे और लोगों के हाथों में अधिकार देने का काम करने जा रहे हैं, मुझे इसमें विश्वास नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विशेषकर गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इन मुद्दों पर मैंने जो ठोस बातें आपके सामने रखी हैं, उन पर आप कुछ निश्चित कार्यवाही करें ताकि वहां की स्थिति पर काबू पाने के लिए आपकी तरफ से जो भी हो सकता है, हो जाए।

[अनुवाद]

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : हम यहां संसद में मणिपुर से हजारों किलोमीटर दूर मणिपुर नगरपालिका विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू है। पूरी सभा को इस बात की जानकारी है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों लागू किया गया था।

यह सर्वज्ञात है कि कांग्रेस (आई) की अंदरूनी लड़ाई के कारण कई अलगाववादी संगठनों को प्रोत्साहन मिल रहा है। कुकी और नगा लोगों के बीच झगड़े हुए थे। कुछ साम्प्रदायिक झगड़े भी

हुए थे। मिटी अलगाववादियों की गतिविधियां भी बढ़ गई थीं। कांग्रेस (आई) और इसके सहयोगी दलों में मतभेद और एकता की कमी और अलगाववादी गतिविधियों के चलते मणिपुर राज्य में एक चुनी हुई सरकार कार्य नहीं कर सकी। किन्तु विधान सभा को निलम्बित अवस्था में रखा जा रहा है जिससे दल-बदल कराने का मौका मिल सके जो अत्यधिक घिनौना कार्य है। किन्तु मणिपुर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहां न सड़कें बन रही हैं, न रेलवे ही कुछ कर रहा है और न ही विकास कार्य हो रहे हैं। वे देश की मुख्यभूमि से अन्य बहुत दूर हैं और मणिपुर के लोग हमेशा ही यह महसूस करते हैं कि उन्हें हर तरह से वंचित रखा जा रहा है और इसी का फायदा अलगाववादी ताकतों द्वारा उठाया जा रहा है।

पहली बात तो यह है कि नागालैंड की राष्ट्रीय समाजवादी परिषद न केवल मणिपुर बल्कि असम के कुछ भागों में भी बरबादी फैला रहा है। इनका प्रभाव ने केवल असम बल्कि त्रिपुरा के भी कुछ भागों में पड़ रहा है। वे अलगाववादियों के मुख्या संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी उग्रवादी संगठनों को एक झंडे के नीचे ले आए हैं और सभी उग्रवादी पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों के लोगों की भावनाओं का यह कह कर फायदा उठा रहे हैं कि केन्द्र द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही है और शोषण किया जा रहा है। उग्रवादियों द्वारा न केवल मणिपुर में बल्कि पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी अनेकानेक लोग मारे जा रहे हैं, अपहरण किया जा रहा है और अन्य आपराधिक गतिविधियां चलाई जाती हैं। परायोजन की इस भावना को दूर किया जाना चाहिए। यह बात लोगों के दिमाग से निकाल देनी चाहिए और इसके लिए वहां पर न केवल विकास ही हो बल्कि लोगों में विश्वास की बहाली के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए न केवल प्रशासनिक बल्कि अधिक विकास संबंधी लोकतांत्रिक गतिविधियों में मणिपुर के लोगों के साथ-साथ पूर्वोत्तर के पूरे क्षेत्र को भी शामिल किया जाना चाहिए।

हम यहां पर विधेयक को पारित करने जा रहे हैं। किन्तु केवल विधेयक पारित हो जाने से ही काम नहीं चलेगा। हमें इस मामले में पहले ही काफी अनुभव है कि देश के विभिन्न राज्यों में एकतरफा काम हो रहा है। असम में भी हमें कई प्रकार के अनुभव हुए हैं। वहां की पंचायतों के सदस्य हैं कि उन्हें लोगों ने चुना है। किन्तु उन्हें शक्तियां और अधिकार नहीं दिए गए हैं। केन्द्र के कई केन्द्रीय कार्यक्रम ठेकेदारों को सौंपे गए हैं। इन कार्यक्रमों को अधिकारी गण चलाते हैं। पैसा केन्द्र द्वारा भेजा जाता है किन्तु वहां बहुत ही भ्रष्टाचार व्याप्त है। केवल मणिपुर बल्कि असम में भी भ्रष्ट तरीके अपनाए जा रहे हैं। वहां एक एल० ओ० सी० घोटाला हुआ है और बहुत सारा धन लूटा जा रहा है। ये सब बातें वहां पर हो रही हैं।

अतः मेरा यही कहना है कि कानून बना देने से कुछ नहीं होगा बल्कि अधिनियम का क्रियान्वयन करना भी जरूरी है जिससे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लोगों की पूरी ताकत का लाभ उठाया जा सके और राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पहलू में वे अपनी सहभागिता का अनुभव करें की जा

[श्री उद्धव बर्मन]

सके। उनमें सहभागिता की ऐसी भावना पैदा की जाए और इसके लिए हर सम्भव प्रयास किए जाने चाहिए।

इसी के साथ-साथ वहां पर आदिवासी समाज की एक समस्या है। उन्हें भी कुछ मिलना चाहिए जिससे वे यह महसूस कर सकें कि वे भी भारत का ही एक अंग है। और इसके लिए केन्द्र और सभी राजनैतिक दलों को यह विचार करना चाहिए कि छठी अनुसूची की बात मानी जाए अथवा नहीं। एक अध्ययन भी किया जाना चाहिए जिससे क्षेत्र के पूरे कार्यक्रम पर ध्यान रखा जा सके और सही कदम उठाए जा सकें। इस प्रकार से मणिपुर की आदिवासी जनता को भी मुख्यधारा में लाया जा सकता है।

वहां बागियों की भी समस्या है। और बागियों का कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा वहां पर फायदा उठाया जा रहा है। अतः लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है जिससे उग्रवादी तत्व अलग-थलग पड़ जाएं। और इसके लिए केवल कानून बना देने से कुछ नहीं होगा बल्कि वहां पर लोगों की प्रजातान्त्रिक ढंग से भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। मेरे विचार से सरकार को इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं मणिपुर नगरपालिका विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मेरा विचार है कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है और इसे क्रियान्वित कर दि ाता है, तो इससे मणिपुर के लोगों का बहुत हित होगा।

महोदय, आप यह जानते ही हैं कि मणिपुर के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत सात नगरपालिकाएं और 21 लघु नगर समितियां हैं। मेरे विचार से जब यह विधेयक पारित हो जाएगा, तो सभी सात नगरपालिकाएं और 21 लघु नगर समितियां इसके अंतर्गत आ जाएंगी।

मैं समझता हूं, जैसा कि विधेयक के प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा भी कहा गया है कि यह विधेयक मात्र संविधान के उपबंधों की संतुष्टि के लिए लाया जा रहा है। मैं इसमें जाने की आवश्यकता नहीं समझता।

इस विधेयक के अंतर्गत कई नए उपबंध हैं जो मेरे विचार से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और वित्त संबंधी मामलों पर राज्यपाल को सिफारिश करने हेतु राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव है।

जब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढाए जाने संबंधी प्रश्न पर चर्चा की जा रही थी, तब गृह मंत्री ने भी यही कहा था कि वहां वित्तीय अनुशासन की कमी के कारण अधिक वित्तीय सहायता मंजूर करने की समस्या रही है। इस बात का मुझे अभी भी बुरा लग रहा है। अब यदि नगरपालिकाओं के लिए आप राज्य वित्त आयोग का गठन कर देते हैं तो इससे मणिपुर राज्य को

नगरपालिकाओं और लघु नगर समितियां विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने में बहुत मदद मिलेगी और इससे प्रशासन में भी सामान्य रूप से काफी मदद मिल सकेगी।

दूसरे, वहां पर जिला योजना समितियों के गठन का भी प्रस्ताव है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचायती राज के अंतर्गत नगरपालिकाएं और नगर समितियां सही ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं। इससे सही योजना नहीं बन पा रही है और इसके कारण इन नगरपालिकाओं और नगर समितियों के अंतर्गत विकास कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब जब जिला योजना समिति का गठन कर दिया जाएगा, तो इससे इन नगरपालिकाओं के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विकास कार्यक्रमों को शुरू करने में काफी मदद मिलेगी। इसमें, जैसा कि प्रभारी मंत्री महोदय ने कहा है महानगर योजना समितियां भी हैं। इसके अतिरिक्त एक चुनाव समिति का भी प्रस्ताव है। यह भी एक बहुत ही अच्छा सुझव है। अतः सभी नए उपबंधों को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूंगा कि इस विधेयक से मणिपुर राज्य के लोगों के उत्थान का उद्देश्य हासिल हो सकेगा। किन्तु इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ये लाभ लोगों को शीघ्र मिल पाएंगे अथवा नहीं। जब अध्यादेश जारी किया गया था मैंने यह सोचा था कि इतनी अल्प सूचना पर ऐसा अध्यादेश जारी किए जाने की क्या जरूरत थी। मेरे विचार से मणिपुर में कानून और व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पंचायत चुनाव कराए जाने के अनुकूल नहीं है। मैं राज्यपाल के सलाहकारों और राज्य के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों से मिला तथा इस विषय में चर्चा की कि क्या चुनाव कराए जा सकते हैं और चुनाव कराने के लिए माहौल अनुकूल है अथवा नहीं। सभी अधिकारियों की एक ही राय यह थी कि वर्तमान स्थिति चुनाव कराए जाने के अनुकूल नहीं है। किन्तु अध्यादेश मुख्य रूप से संविधान में संशोधन के उपबंधों की संतुष्टि के लिए जारी किया गया था। इसलिए मैं इस कदम की प्रशंसा करता हूं। अब जब राज्य में चुनाव के लिए अनुकूल माहौल नहीं है, तो लोगों को इस अधिनियम का शीघ्र लाभ नहीं मिल पाएगा। मेरे विचार से इसमें काफी समय लगेगा। जब तक वहां पर लोकप्रिय सरकार का गठन नहीं कर दिया जाता और सामन्य स्थिति बहाल नहीं कर दी जाती, तब तक वहां पर पंचायत अथवा नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं कराए जा सकते। सरकार भी इसी बात पर सहमत थी। फिलहाल वहां यही स्थिति है। तथापि, इस सभा को मैं यह सूचित करना चाहूंगा कि यदि वहां पर शीघ्र ही लोकप्रिय सरकार का गठन कर दिया जाता है और सामान्य स्थिति बहाल कर दी जाती है तभी वहां पर पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं और लोगों को इसका लाभ पहुंचाया जा सकता है।

5.00 बजे म०प०

पूर्व वक्ता श्री जार्ज फर्नान्डीज ने भी वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया था। यद्यपि फिलहाल स्थिति सही नहीं है फिर भी मैं यह कह सकता हूं कि सामान्य स्थिति धीरे-धीरे बहाल हो रही है और मेरे विचार से सामान्य स्थिति पूरे तौर पर कुछ समय के बाद ही लौटेगी। किन्तु कितने समय के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी यही प्रश्न शेष बचता है। इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि जिन्हें हम भूमिगत गिरोह, आतंकवादी अथवा विद्रोही कहते हैं, उन्हें आम माफी दी जाये। इस बात को

[श्री याईमा सिंह युमनाम]

मणिपुर में आजमाकर देखा जाये। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि कम-से-कम 'मीती' विद्रोही इस पर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, हालांकि मैं 'एन० एस० सी०' के संबंध में ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन यदि हम 'मीती' विद्रोहियों को आम माफी देकर मुख्यधारा में लाए और तत्पश्चात् इस माफी के साथ-साथ उनके पुनर्वास और रोजगार का आश्वासन दें, तो मेरे विचार से यह एक बड़ी सफलता की बात होगी। इसके बाद मुख्यधारा में लाने हेतु इन संगठनों के साथ राजनैतिक बातचीत की जा सकती है। जहां तक एन० एस० सी० का संबंध है, अपनी सेना और सुरक्षा बलों की सहायता से इनके दस्तों को निःशस्त्र करवाने के सिवाय हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। उनका निःशस्त्रीकरण करने के पश्चात् हम उनसे राजनैतिक अथवा अन्य बातचीत कर सकते हैं। अतः यह बेहतर होगा यदि उन्हें भी आम माफी दे दी जाये। यदि 'मीटी' विद्रोही आपके आह्वान स्वरूप सामने आएं, और तत्पश्चात यदि आप उन्हें पुनर्वास और रोजगार प्रदान करें और अन्य सुविधाएं दें, तो यह एक बड़ी सफलता होगी।

वर्तमान परिस्थितियों में, मैं केन्द्रीय सरकार, विशेष रूप से गृह मंत्रालय से यह प्रस्ताव करना चाहूंगा कि मणिपुर में लोगों की सरकार बहाल करने का समय आ गया है। यह मेरा हार्दिक प्रस्ताव है और मुझे आशा है कि इस पर गृह मंत्रालय द्वारा पूरी गम्भीरता से विचार किया जायेगा।

अब मैं मोलचा मैं बर्मी लोगों द्वारा घुसपैठ से पैदा हुई समस्या पर बात करूंगा। जैसा कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जिक्र किया था कि मोलचा भारत का एक अंग है और मणिपुर राज्य का एक हिस्सा है लेकिन यह उल्लेख किया गया है कि यह बर्मीज अर्थात् म्यांमार सरकार के नियंत्रण में आता है। यह एक सच्चाई है। कुछ वर्ष पहले केन्द्रीय गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि, मणिपुर के मुख्य सचिव और कुछ अन्य अधिकारीगण ने सच्चाई का पता लगाने के लिए उस स्थल का दौरा किया था और उस बारे में कोई रिपोर्ट भी होगी। मैं गृह मंत्रालय से उस संबंध में जांच करने और उस क्षेत्र में इस विवाद का निपटारा करने का आग्रह करता हूं ताकि वहां कोई आगे समस्या पैदा न हो। वास्तव में मणिपुर के लोग, विशेष रूप से ये युवा अथवा विद्रोही लोगा, जो भूमिगत हैं, इस कारण से बहुत ही क्षुब्ध हैं। वे सोचते हैं कि भारतीय सरकार मणिपुर का कतिपय हिस्सा म्यांमार सरकार को सौंप रही है। अतः उनके विक्षोम का एक कारण यह भी है। अतः मैं गृह मंत्री से इस समस्या पर ध्यान देने और उस मित्र देश के साथ इसे निपटाने का आग्रह करता हूं। यदि हम इस समस्या को शीघ्र ही गम्भीरतापूर्वक नहीं निपटाते, तो यह हाथ से निकल जायेगी।

मैं एक अन्य प्रश्न अर्थात् पंचायती राज अधिनियम अथवा नगरपालिका अधिनियम अथवा स्वायत्तशासी जिला परिषद अधिनियम को मणिपुर के आदिवासी क्षेत्रों में लागू करने के बारे में बात करूंगा। यह एक ऐसा मामला है जिस पर सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए क्योंकि यदि इस पर विलम्ब किया जाता है, तो इस मामले में अत्यधिक विलम्ब हो जायेगा। इस समय जिला परिषदें पांच जिलों के विकास कार्यों को देख रही हैं। यद्यपि पांच जिले ही हैं, तथापि ये जिला परिषदें अन्य क्षेत्रों में भी हैं। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार छटी अनुसूची को मणिपुर

के आदिवासी क्षेत्रों में लागू करने के लिये तैयार है और क्या नगरपालिका अधिनियम अथवा पंचायती राज्य अधिनियम उन क्षेत्रों में लागू किया जायेगा। लेकिन मैंने प्रस्ताव किया है कि छठी अनुसूची मणिपुर में भी लागू की जाये क्योंकि इससे इस समय मणिपुर के आदिवासी क्षेत्रों के विकास में अत्यधिक सहायता मिलेगी। मैं केन्द्रीय सरकार से इस ओर ध्यान देने का आग्रह करूंगा। मैं मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में छटी अनुसूची लागू करने का प्रस्ताव अथवा समर्थन करूंगा। यह मेरी दृढ़ राय है।

अंत में, मैं मणिपुर में आज की राजनैतिक स्थिति के बारे में बात करूंगा। मणिपुर में हमने सशस्त्र बल तैनात करके नागा विद्रोहियों से निपटने की कोशिश की है। हमें कुछ हद तक सफलता मिली है। लेकिन जैसा कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने उल्लेख किया है कि कभी-कभी सेना की ज्यादतियां कतिपय समस्याएं पैदा कर देती है। कभी-कभी पुलिस अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय कुछ ज्यादतियां करती रहती हैं और जब लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में रखा जाता है, तो हिरासत में मौत हो जाती है। इस कारण मणिपुर में काफी बंद भी रखे गये। इस पहलू पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि सशस्त्र बलों द्वारा कोई ज्यादतियां न की जायें। कभी-कभी लोग यह महसूस करते हैं कि वहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। मैं भी कभी-कभी ये बातें सभा के सामने लाना चाहता था। लेकिन कतिपय बातें सोचकर मैंने इन्हें यहां कभी नहीं उठाया। वास्तव में सशस्त्र बलों और पुलिस बलों द्वारा की गई ज्यादतियों के कारण वहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। मैं माननीय मंत्री से इसकी गम्भीरतापूर्वक जांच करने का अनुरोध करूंगा क्योंकि इससे वहां समस्याएं और बढ़ सकती हैं।

अतः इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे मन से इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यदि संभव हो तो छह माह के अंदर ही पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराए जायेंगे।

5.10 बजे म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जब नगर परिषद में कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होते हैं, तो अधिकार प्रशासकों के पास होते हैं। वे विकासात्मक कार्य शुरू करने में अधिक रुचि नहीं लेते। सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि वहां पर शीघ्र चुनाव कराए जाएं।

इन चंद शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिल्चर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम मणिपुर नगरपालिका विधेयक, 1994 पर चर्चा कर रहे हैं जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के दौरान 24 मई, 1994 को जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। इसे राष्ट्रपति शासन के दौरान 31-12-1993 को लागू किया गया था। यह विधेयक तत्कालीन नगर परिषद अधिनियम, 1976 का स्थान लेने और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। यह विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और मेरे विचार से इसमें अन्तर्विष्ट प्रावधान नगरपालिकाओं को चलाने और उनका स्वरूप बनाए रखने की दृष्टि से पर्याप्त है। लेकिन क्या कार्यान्वयन हेतु मात्र अध्यादेश का प्रख्यापन अथवा कानून बनाना ही पर्याप्त

[श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ]

है, किसी राज्य विशेष में विद्यमान स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा? जब तक किसी राज्य में स्थिति सामान्य न हो, शांति और व्यवस्था नहीं हो और लोग प्रसन्न न हों, यह अधिनियम कार्यान्वित नहीं किया जा सकता और उसका लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मणिपुर की यही स्थिति है। व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाये, तो मणिपुर सभी राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से समस्याग्रस्त राज्य है। मणिपुर राज्य में हालात कुछ और ही हैं। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और इसकी विधान सभा को निलंबित रखा गया। जब 60 सदस्यों की विधान सभा में सत्ताधरी दल की सदस्य संख्या मात्र 13 हो, तो वहां लोगों की सरकार के पुनः बहाल करने का कोई अवसर नहीं है। जब कांग्रेस को छोड़कर सभी राजनैतिक दल इस विधान सभा को भंग करके नया जनादेश प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार इस संबंध में कोई निर्णय नहीं ले रही है। मेरे विचार से यह भी एक कारण है जिससे मणिपुर के लोगों में क्षोभ है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। केवल एक घंटे का ही समय दिया गया था।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : दूसरे, मैं यह कहूंगा कि अलगाववादी और विद्रोह पूर्ण गतिविधियों के कारण मणिपुर राज्य में स्थिति विशेषरूप से बहुत गम्भीर है और ये गतिविधियां मणिपुर में काफी समय से चल रही है और यह मणिपुर के चुनावों के प्रति राज्य सरकार के दलगत और पक्षपात पूर्ण रवैये के कारण से है और युवा लोग अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं।

मणिपुर के युवाओं में असुरक्षा की भावना है कि और वे समझते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। उनके मन में यह बात भी बैठी हुई है कि मणिपुर राज्य का कुछ हिस्सा बर्मा द्वारा हथिया लिया गया है। कुछ हिस्सा नागालैण्ड को दे दिया गया है। इतना ही नहीं दंगा पीड़ितों को और लोकटक जल विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले कृषकों को जिनकी भूमि जल-प्लावित हो गई है को उचित प्रतिपूर्ति भी नहीं दी गई। इन सब बातों से उनके मन में एक उद्विग्नता तथा आक्रोश-सी पैदा हुआ।

दूसरी समस्या परिचय-पत्र जारी किए जाने के मुद्दे से उत्पन्न हुई। सीमांत क्षेत्रों के लिए परिचय-पत्र और भी आवश्यक है। लोगों के मन में यह बात बैठी हुई है कि राज्य में विदेशियों की घुसपैठ है और घुसपैठियों को परिचय-पत्र दिया जा रहा है, वे भारतीय नागरिक बन जाएंगे और इससे भविष्य में भारी समस्या पैदा हो जाएगी; इससे भी मणिपुर के युवाओं के मन में वेदना है।

मणिपुर ही नहीं बल्कि सभी पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक विकास की कमी समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र की निराशाजनक स्थित का दूसरा कारण है। धनराशि कम की गई है, लेकिन कम नहीं हुआ है। मणिपुर के भारतीय गणराज्य में 1949 में हुए विलय से लेकर 1971 तक इसे कुल 27 करोड़ रुपये विकास कार्य हेतु उपलब्ध कराए गए और 1972 में इसे राज्य का दर्जा दिया जाने के समय से 1982 तक विकास कार्य हेतु इसे कुल 540 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए जिसमें से अधिकतम राशि

विकास कार्य पर खर्च न होकर कानून एवं व्यवस्था के मद में खर्च हुई। यह मणिपुर के लोगों के असंतोष तथा आक्रोश का अन्य कारण है।

मणिपुर में एड्स बड़े पैमाने पर फैला है। यह रोग विदेशों से आ रहा है। मणिपुर बर्मा से लगा हुआ राज्य है, राज्य में नशीली दवाओं का अवैध व्यापार एवं उनका सेवन एक बड़ी समस्या है। राज्य के युवाओं का मानना है कि राज्य के उच्च अधिकारों सहित सुरक्षाकर्मी जिनका मूल्य कार्य बर्मा से लगे सीमा की सुरक्षा करना है, शक्तिशाली मंत्रियों की यह मदद से तस्करों से मिली भगत रखते हैं। नशीली दवओं के भारत में लाए जाने से वस्तुतः सम्पूर्ण मणिपुर राज्य में घोर समस्या उत्पन्न हो गयी है। इन दवाओं का प्रसार न केवल मणिपुर बल्कि सम्पूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहा है। मेरा मानना है कि ऐसी परिस्थिति में नगरपालिका पंचायतों इत्यादि के गठन किए जाने हेतु बनाए गए वर्धमान अधिनियम का क्रियान्वयन अनुकूल वातावरण का निर्माण किए बगैर नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम को ठीक ढंग से क्रियान्वयन के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण अवश्य ही किया जाना चाहिए। ऐसी स्थितियों में सरकार को यह विचार करना चाहिए कि मणिपुर नहीं बल्कि सम्पूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों में शांति एवं व्यवस्था कायम की जा सकती है। इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूंगा। पहाड़ी राज्यों के जनजातीय लोगों में गैर-जनजातीय लोगों को उन राज्यों मे हटाए जाने की भावना बढ़ रही है। इसके चलते वर्ग-संघर्ष बढ़ रहा है। इससे सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है जो कि देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। माननीय गृह मंत्री को इस बात की जानकारी है और उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा भी किया है। वे इस मामले में ज्यादा अनुभवी हैं। मुझे लगता है देश की रक्षा, सुरक्षा बने अखंडता के लिए इस गंभीर खतरे पर विचार करते हुए वे सम्पूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों में शान्ति बहाल कराने का भरसक प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति कायम होने पर ही नगरपालिका अधिनियम क्रियान्वित हो सकता है, अन्यथा, मुझे लगता है कि यह व्यर्थ साबित होगा। अनुकूल वातावरण स्थापित होने के बाद ही इस अधिनियम का ठीक से क्रियान्वयन हो सकेगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

डा० जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मणिपुर की वर्तमान स्थिति में राज्य में विभिन्न स्तरों पर नगर निगम निकायों की स्थापना हेतु इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य ही पूरा नहीं हो सकेगा। यही विचार विभिन्न दल के नेताओं द्वारा भी व्यक्त किया गया है। मैं उनके विचारों उनके द्वारा की गई आशंकाओं से सहमत हूं। मैं इसे मौके पर सदन एवं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर राज्यों में आम रूप से व्याप्त मुख्य अव्यवस्था में मणिपुर की अव्यवस्था अनूठी है। वहां लोकप्रिय सरकार का अभाव है। और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ भी गड़बड़ी होने पर विद्रोह एवं कानून-व्यवस्था की समस्या को इसका जिम्मेवार ठहराने की एक आम प्रकृति-सी बन गई है। तीन वर्षों से इस संसद का एक सदस्य रहने के बाद मैंने बड़े-बड़े राजनीतिक नेताओं को हमेशा यही विचार व्यक्त करते हुए देखा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को भारत की मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। ऐसा एक नजरिया है जिससे मैं पूर्णतः बुनियादी रूप से असहमत हूं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोकाचार,

[डा० जयंत रंगपी]

संस्कृति सामाजिक संरचना में वहां के समाज का लचीलापन, गतिशीलता विद्यमान है। वह भारत के बाकी हिस्से को नेतृत्व प्रदान कर सकता है। लेकिन स्थिति बिल्कुल ही विपरीत है। मैं चुनाव सुधारों की बात सुनता रहा हूं। इस संबंध में काफी हो-हल्ला हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों में कई दशकों से विद्रोह की समस्या के बावजूद तथा वर्तमान चुनाव-आयुक्त श्री शेषन जैसे व्यक्ति तथा उनके द्वारा दिये जाने वाले कठोर उपायों की अनुपस्थिति में भी वहां अत्यन्त शांन्तिपूर्ण ढंग से चुनाव हुए हैं यदि मतदाताओं के प्रतिशत को देखा जाए तो यह देश के अन्य भागों की तुलना में अधिक रहा है। वहां का प्रजातांत्रिक समाज भी बेहतर है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही बनने वाली सरकारों तथा प्रमुख राजनीतिक दलों का पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश की कथित मुख्यधारा में लाने हेतु रुख दुर्भाग्यवश संरक्षणात्मक रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तथा कथित मुख्यधारा के प्रभाव ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रजातांत्रिक समाज को बरबाद किया है, वहां के शांति प्रिय लोगों को अशान्त बनाया है।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का कारण वहां विद्रोह की समस्या नहीं है बल्कि विधायकों की खरीद बिक्री है जो कि कथित राष्ट्रीय राजनीति की मुख्यधारा का मुख्य चरित्र है। अब सिक्किम में भी यह शुरू हो गया है। मुझे पता नहीं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। पूर्वोत्तर भारत के सर्वाधिक शांतिपूर्ण राज्य सिक्किम में भी विधायकों की खरीद बिक्री शुरू हो गई है। अतः वे लोग इस मुख्यधारा की अवधारणा को भूल रहे हैं। मैं विनम्रता पूर्वक यह सलाह दूंगा कि देश के वर्तमान अनेक सामाजिक समस्याओं के निदान हेतु कृपया पूर्वोत्तर समस्याओं के निदान हेतु कृपया पूर्वोत्तर राज्यों की धारा को इसमें न मिलाया जाए।

दूसरी बात यह कि भारत सरकार को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। विदेशी एजेन्सियों, असंतुष्ट युवकों या किसी पर दोषारोपण करना आसान है। लेकिन क्या हमने कभी अपनी नीति, योजना, आर्थिक नीति में अन्दरूनी खामियों की जांच की है। जब तक यह आत्म निरीक्षण नहीं किया जाता तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अनुकूल नीति नहीं अपनाई जाती तब तक वहां राजनीतिक एवं सामाजिक अस्थिरता जारी रहेगी। असम तथा मणिपुर के लिए विशेष कानून तथा विशिष्ट सशस्त्र बल अधिनियम लागू किए गए हैं। लेकिन वहां बिद्रोह की समस्या का समाधान करने में असफलता ही मिलती है। विभिन्न संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। एन० एस० सी० एन० उल्फा, पी० एल० ए० संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। बहुत से संगठन प्रतिबंधित हैं। क्या इससे विद्रोह की समस्या समाप्त हो गई? नहीं। बल्कि दूसरे ही दिन कोई नया संगठन बन जाता है। विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर होते रहे हैं। शिलांग में 1971 में नागा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। मैं बस यही जानना चाहता हूं कि क्या वे लागू हुए? असम समझौता हुआ लेकिन विदेशी नागरिकों सम्बंधी आंदोलन जारी है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या असम समझौता लागू हो सका और क्या विदेशी नागरिकों की समस्या का समाधान हो गया अथवा नहीं? बोडो समझौता भी एक माह पहले हुआ है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बोडो समझौते कों कार्यान्वित कर दिया गया है और

समस्या सुलझा ली गई है। इसका जवाब 'नहीं' में है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं से निपटने का यह आम तरीका है। जब मांगों को शान्तिपूर्ण ढंग से रखा जाता है तो हम उन पर गौर नहीं करते हैं और जब ये मांगें कानून और व्यवस्था सम्बन्धी समस्याएं बन जाती हैं, तब कठोर कदम उठाए जाते हैं, 'टाडा' लगाया जाता है, असम (विशेष शक्तियां) अधिनियम कानून किया जाता है, सेना तैनात की जाती है, आन्दोलन को कुचला जाता है और तब कुछ समय के बाद एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने हैं फिर संगठन में फूट डालने के लिए समझौते को असफल कर दिया जाता है। 'अल्फा' को 'अल्फा' और 'सल्फा' में बांट दिया गया है।

बोडो लोगों को अलग-अलग समूहों में विभाजित कर दिया गया। नागा विद्रोहियों को विभिन्न समूहों में बांट दिया गया और दुर्भाग्य से परिणाम कुछ नहीं है। अतः मैं आपके माध्यम से निष्पक्ष रूप से, बिना किसी राजनैतिक उद्देश्य के गृह मंत्री और इस समय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमें इस सम्बन्ध में आत्म निरीक्षण करना चाहिए।

हमें एक नई नीति बनानी चाहिए और इसके लिए हमें सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों के समाज इसकी गतिशीलता, इसका लचीलापन, इसके सुदृढ़ मानदण्ड और इसकी कमजोरियों को सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और तत्पश्चात् इस समस्या को सही ढंग से निपटाना चाहिए। यदि हम इस समस्या को राजनैतिक संकट या कानून और व्यवस्था या सन्देहों से उपजी समस्या के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। अतएव, मैं गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से विभिन्न जनजातीय लोगों और समूहों से मिलें और उनकी समस्याओं को समझें तथा वास्तविक समस्याओं को बिना किसी विलम्ब के हल करें। इन समस्याओं से निपटने के समय स्पष्ट एवं सही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। वे लोग कह सकेंगे कि यह भारत सरकार की नीति है और भारत सरकार यह कर सकती है और यह नहीं। सरकार का ऐसा स्पष्टवादी दृष्टिकेण पूर्वोत्तर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से निपटने में काफी प्रभावी होगा।

जहां तक इस विशेष विधेयक का सम्बन्ध है, तो मुझे इस विधेयक के विघटन संबंधी प्रावधान के सम्बन्ध में आपत्ति है। इस नगर निगम को विघटित किया जा सकता है, हालांकि छः महीने या एक वर्ष की अवधि में चुनाव करने का प्रावधान है। लेकिन मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के दौरान देखा है। कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न जनजातीय निकाय, स्वायत्तशासी जिला परिषदें और स्वयत्तशासी परिषदें हैं और विघटन संबंधी यह प्रावधान विरोध का मुख्य विषय है। और राज्य सरकार और स्थानीय अधीनस्थ निकायों के बीच सदैव मतभेद रहता है। जब भी राजनैतिक या कोई अन्य मतभेद होते हैं तो सरकार इन अधीनस्थ या स्थानीय निकायों को विघटित कर देती है। त्रिपुरा स्वायत्तशासी परिषद के मामले में विघटन संबंधी इस ड्रामे को देख चुके हैं। इसी प्रकार हम गारो पर्वतीय और खासी पर्वतीय जिला परिषदों के मामले में देख चुके हैं कि जब ये परिषदें असम प्रदेश में थी तो इनके विघटन से स्थानीय जनजातीय लोगों का विश्वास टूटा और खासी और जैयंतिया पर्वतीय क्षेत्र के जनजातीय लोग पृथक् राज्य की मांग उठाने के लिए मजबूर हुए और अन्ततः मेघालय राज्य अस्तित्व में आया। अतः विघटन संबंधी इस प्रावधान को समाप्त कर देना चाहिए, चाहे इस प्रावधान

[डा० जयंत रंगपी]

को मणिपुर नगर निगम क्षेत्रों में लागू करना हो। यदि विघटन संबंधी इस प्रावधान को जारी ही रखना है तो कुछ नियंत्रण और सन्तुलन होना चाहिए। इस संबंध में इस प्रकार सन्तुलन लाया जा सकता है कि यदि नगर निगमों को विघटित करना ही है तो ऐसा एक आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद किया जाना चाहिए और इस आयोग की रिपोर्ट को विधान सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इस रिपोर्ट पर विधान सभा का अनुमोदन मिल जाने के बाद ही इन नगर निगमों को विघटित किया जाना चाहिए। इस प्रावधान को विघटन संबंधी वर्तमान खण्ड में संशोधन करके बनाए रखा जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से अपील करता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के माननीय सदस्यों को सुझावों को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में एक विस्तृत और व्यावहारिक नीति बनाई जानी चाहिए ताकि पूर्वोत्तर भारत हमारे अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों में हिस्सेदार बनने के साथ अपने समाज के लचीलेपन और प्रजातांत्रिक ढांचे जैसी विशेषताओं के साथ शेष भारत का नेतृत्व कर सके।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष जी, जो साथी अभी बोल रहे थे, उनकी वेदना और उनकी भावना ने साफ जाहिर कर दिया था कि दक्षिण पूर्वी राज्यों में क्या हो रहा है। मैं आदरणीय चव्हाण जी से अक्तूबर, 1992 में मिला था और मैं इन 3-4 राज्यों में कोई 2 हफ्ते घूमा था और मैंने इन्हें आकर वहां की स्थिति के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी कि वहां पर किस तरह से हालात बदलते जा रहे हैं और उन हालात की तबदीली में भारत सरकार की भूमिका नगण्य होती चली जा रही है। मैंने इनसे यह भी आग्रह किया था कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे।

5.36 बजे म०प०

[श्री शरद दिये पीठासीन हुए]

वहां के हालात पर ध्यान दिया जाना चाहिए और अभी हमारे साथी ने चर्चा की कि केन्द्रीय सरकार ने पिछले एक दशक में जो डिफैक्शन पोलिटिक्स का खेल खेला है, उसके अलावा कोई दूसरी पौलिटिक्स नजर नहीं आती है और दुर्भाग्य से इस देश में जब भी आपने डिफैक्शन की राजनीति की है, तब बराबर हादसे हुए हैं। लौंगोवाल जी के साथ जब आपने यह राजनीति की, तो उस समय हादसा हुआ और श्रीलंका के साथ आपने यही राजनीति चली, तो तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और इसी प्रकार की राजनीति जब आपने असम में की, तो असम के मुख्य मंत्री के भाई की हत्या हुई और एक के बाद एक राजनीतिक दृष्टि से विवाद हुए और आप वाहवाही लूटने के लिए डिफैक्शन पौलिटिक्स में चले जाते हैं।

हमारे बहुत से साथी कश्मीर के पूर्व गवर्नर का नाम लेते हैं क्योंकि एक दूसरे गवर्नर थे जिन्होंने आपसे वहां जाने से इंकार किया और आपने उनका तबादला श्रीनगर से अहमदाबाद कर दिया। **(व्यवधान)** आप कहते हैं कि इस बारे में म्युनिसिपैलिटी से क्या लेना है। आप विकेन्द्रीकरण

की बात करते हैं, आप स्थानीय निकायों के विकेन्द्रीयकरण की बात करते हैं, कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में चुनाव हुए जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के और चूंकि आपकी पार्टी को जिला परिषद में बहुमत नहीं मिला इसलिए आपने चुनाव स्थगित कर दिए। इसके ऊपर कर्नाटक के पंचायत मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। आज भी कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो देश और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानते हैं।

इन राज्यों को आप क्यों छेड़ते हैं। चाहे नागालैंड हो, मणिपुर हो या मेघालय हो? आप जानते हैं कि सिक्किम सरकार को गिराने के लिए इस देश के एक बड़े पूंजीपति को भेजा गया है। वहां के पूर्व मुख्य मंत्री श्री नरबहादुर भंडारी जी ने उसको कैसीनो चलाने के लिए लाइसेंस नहीं दिया। इसलिए वहां के विधायकों को वहां एक फार्म हाउस में रखा गया। दिल्ली में रखा गया। गृह मंत्री जी, आपको जानकारी होनी चाहिए। कश्मीर में फारूख अब्दुल्ला की सरकार के गिरने के बाद जो हुआ था, वही आज सिक्किम में होने जा रहा है। मैं आज इस सदन के माध्यम से इस देश को और इस सरकार को आगाह करना चाह रहा हूं। आज कश्मीर जल रहा है। पंजाब में जो कुछ हुआ, इस देश का कौन-सा मंत्री है जो बिना सिक्युरिटी के पंजाब में चला जाएगा। शेषन की चर्चा हम बहुत कर रहे थे। शेषन वर्सेस सैशन हो गया था। यदि शेषन चुनाव स्थगित नहीं करवाते तो हमारे सरदार जी यहां पर नहीं होते। यदि उस समय चुनाव हो गए होते तो कांग्रेस को नौ सदस्यों से वंचित रहना पड़ता।

मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर-पूर्वी भारत और ऐसे सीमांत इलाकों के लिए आपने जो कमेटियां बनाई हैं, उनसे काम चलने वाला नहीं है। गृह मंत्री जी, आपने तीन कमेटियां बनाई हैं। उन पर तो अभी गृह मंत्रालय और गृह मंत्री में ही मतैक्य नहीं है। ''' **(व्यवधान)** ''' गृह मंत्री जाकर वापस आते हैं तो उन जगहों पर पायलट जी पहुंच जाते हैं। जो वो करके आते हैं उस पर लीपो-पोती हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, गृह मंत्रालय को एक व्यक्ति चलाए। इस देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वाई० बी० चव्हाण थे, यह हमारे लिये सौभाग्य की बात है। ''' **(व्यवधान)** ''' छोटे-छोटे राज्यों के मसलों पर सदन का वक्त क्यों बर्बाद किया जा रहा है। शीला जी वहां आराम करती, क्यों उन्हें आपने यहां पर लाकर कष्ट दिया। डिफैक्शन की पॉलिसी का अन्त कीजिए। वहां पर किसी दूसरे दल का शासन हो जाएगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, सब हिन्दुस्तानी हैं। आज जो आपकी हालत हुई है, सरकार को जो सर्वहीन स्थिति देखनी पड़ी है, कम से कम उससे सबक लेना चाहिए। गृह मंत्री जी, अपने मंत्रालय की उचित सूचनाओं पर जरूर ध्यान दीजिए।

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : महोदय, मुझे खुशी है कि इस विधेयक पर चर्चा में अनेक सदस्यों ने भाग लिया है। मैंने देखा है कि इस विधेयक का किसी ने भी विरोध नहीं किया है। हमारा एक प्रजातांत्रिक देश है और सभी लोग प्रजातन्त्र में यकीन करते हैं। यदि हम कहीं प्रजातन्त्र

[श्रीमती शीला कौल]

लाना चाहते हैं तो हमारे माननीय सदस्यों ने इसका स्वागत किया है अनेक वक्ता थे। डा० पाण्डय ने उल्लेख किया था कि क्या कुछ अन्य राज्यों ने भी इसको स्वीकार किया था।

[हिन्दी]

मैं आपको बताना चाहती हूं कि सब स्टेट्स में हो गया है, केवल मणिपुर का रह गया है। इसलिए ऑर्डिनैन्स निकाला गया। इसके ऊपर कार्यवाही हो रही है। दिल्ली और चंडीगढ़ के हिस्से का भी हो जायेगा। मणिपुर हमारे भारतवर्ष का एक हिस्सा है। वहां भी होना चाहिए।

कामसन जी ने अच्छे न्यूज दिये हैं। हिल एरियाज का जो उन्होंने जिक्र किया, उसके लिये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऐक्ट है। इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह बिल प्लेन एरियाज पर लगता है।

[अनुवाद]

प्रो० एम० कामसन (बाह्य मणिपुर) : महोदया, क्या आप, एक मिनट के लिए, मेरी बात सुनेंगी। मैं यह कहना चाहता था कि नगर निगम विधेयक एक अच्छा विधेयक है और मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु यह विधेयक मैदानी क्षेत्रों के लिए है और यह पहाड़ी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। मणिपुर का 10 प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है और शेष पहाड़ी क्षेत्र है। मणिपुर का क्षेत्रफल 22,000 वर्ग कि० मी० है इसका 2000 वर्ग कि० मी० मैदानी क्षेत्र इस विधेयक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। शेष 20,000 वर्ग कि० मी० क्षेत्र पंचायत और नगरपालिका के प्रावधानों के अन्तर्गत है। अत मैं गृह मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह छटी अनुसूची के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों को उनका यथोचित हिस्सा सुनिश्चित करें।

श्रीमती शीला कौल : यही मैं कह रही हूं।

[हिन्दी]

जार्ज फर्नान्डीज चले गए हैं। उन्होंने आइडियाज दिए कि कैसे छोटा सा गांव है जो कि किस तरह बर्मा से ताल्लुक रखता है। उन्होंने मुझे जो इन्फर्मेशन दी, उसके लिए मैं उसकी आभारी हूं।

बर्मन जी ने जिक्र किया कि किस तरह से डैमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। इस बिल का उद्देश्य भी यही है।

याइमा सिंह जी ने भी इसको सपोर्ट किया। उन्होंने फाइनान्स कमीशन का जिक्र किया और कहा कि इसको करने से प्लानिंग कमेटी को बहुत फायदा होगा और निचले लैवल के लोगों तक यह पहुंचाना जरूरी है। यह चीज आप लोग देखें। इस बिल का परपज यही है कि ग्रासरूट लैवल पर लोग इसका फायदा उठा सकें।

डा० जयन्त रंगपी और पुरकायस्थ जी ने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया। यह बिल सोशयो

पोलिटिकल स्टेटस हर जगह देगा। इससे क्षेत्र का विकास होगा। इस बिल की मार्फत लोगों की आईडैंट्टी होगी।

हरि किशोर जी चले गये। उन्होंने जिस चीज का जिक्र किया, वह मेरे से ताल्लुक नहीं रखती है। उन्होंने सारा नजला होम मिनिस्टर साहब पर उतारा। इसलिये मुझे मालूम नहीं लग पाया कि वह इसकी फेवर में हैं या इसके खिलाफ हैं, लेकिन मैं ऐसा समझती हूं कि वह इसकी फेवर में थे क्योंकि वह डैमोक्रेसी में यकीन करते हैं। जैसे कि हम सब यकीन करते हैं। मैं आप सब की बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इतनी खुशी से इस बिल की बहस में हिस्सा लिया और लोगों को बताया कि हम इस विषय में सब बराबर हैं, सब एक राय रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में भी बराबरी का हिस्सा सब को मिले।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो बातें उठाई हैं, वह तो ठीक हैं लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया कि इसको बजट सत्र में भी लाया जा सकता था तो उस समय क्यों नहीं लाया गया और इसमें इतना विलम्ब क्यों किया गया ताकि अध्यादेश की प्रवृत्ति से आप बचते और अध्यादेश लाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। इसके बारे में आप बता दें।

श्रीमती शीला कौल : इस बारे में मैंने आपको पहले बता दिया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : पाण्डेय जी, क्या अब भी आप अपने संकल्प के लिए आग्रह करते हैं?

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : नहीं, महोदय, मैं अपने संकल्प को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय : अब, मैं विधेयक पर विचार करने सम्बन्धी प्रस्ताव को सभा के मतदान हेतु रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि मणिपुर के नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिकाओं के गठन और संगठन के लिए उससे संबंधित तथा उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब, हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 231 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 231 तक विधेयक में जोड़ दिए गए

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ।, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्रीमती शीला कौल : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.53 बजे म०प०

पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ का विस्तारण) अध्यादेश, 1994 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ और विस्तारण) विधेयक

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, मैं अपने निरनुमोदन प्रस्ताव रखूं, उसके पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्लोज सर्किट TV पर मेरा नाम तो ठीक है लेकिन मुझे महाराष्ट्र का सदस्यबना दिया गया है। मुझे मध्य प्रदेश में ही रहने दिया जाये।

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : महाराष्ट्र में आने में आपको क्या दिक्कत है?

डा लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 24 मई, 1994 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्या 7) का निरनुमोदन करती है।"

मैं वही बात फिर से कहना चाहता हूं, जो मैंने मणिपुर के निरनुमोदन प्रस्ताव पर कही थी। इतना समय था कि उसके पहले इस विधेयक को भी लाया जा सकता था और बजट सत्र में पारित करवाया जा सकता था । इसमें जो कारण दिये गये हैं, उन कारणों से ऐसा लगता था कि सम्भवतः 30 मई तक इस प्रकार की तैयारी नहीं हुई थी और इस कारण उसमें विलम्ब हुआ। मैं समझता हूं कि

थोड़ा-सा प्रक्रियागत इस बिम्ब को आप रोक पाते तो आज इसको यहां लाने की आवश्यकता नहीं थी और मैंने जिस बात को कहा है कि जहां तक सम्भव हो, जो अध्यादेश की प्रवृत्ति है, उसको रोका जाना चाहिए और अध्यादेश नहीं लाये जायें, इस प्रकार की स्थिति बननी चाहिए। अन्यथा सदन का सत्रावसान किया गया और सत्रावसान के बाद में फिर से सदन बुलया गया। उसके बीच में अध्यादेश रखे गये। अगर सत्रावसान नहीं होता तो सम्भवतः अध्यादेश भी नहीं रखे जा सकते थे। सत्रावसान करने का एकमात्र कारण यही बना कि इस प्रकार के अध्यादेशों को लाना था और उनके द्वारा इन विधियों को पुरःस्थापित करना था।

मैं चाहूंगा कि दो तीन बातें जो इसमें रखी गई हैं, चूंकि दोनों आइटम्स एक साथ हैं इसलिए विशेषकर मेरे साथी श्री प्रेम धूमल इस पर बोलेंगे, इसमें 10 सदस्य तो निर्वाचित हैं और 9 सदस्य सहयोजित हैं। 10 और 9 का कहीं कुछ बनता नहीं। अगर उनमें से एक भी सदस्य कम हुआ तो 9 और 9 हो गये। फिर उनको आपने मताधिकार भी दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में यह कोई प्रपोर्शनेट भी ठीक नहीं बनता है।

इस दृष्टि से इसको ठीक किया जाना चाहिए और इसको अनुकूल बनाया जाना चाहिए। चंडीगढ़ की आबादी करीब सात लाख या आठ लाख, इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि विधान सभा के जो क्षेत्र है, वे भी एक लाख और दस लाख 28 हजार के होते हैं और कार्पोरेटर का क्षेत्र करीब-करीब 70-80 हजार का बन जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको ठीक किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से आप अभी भी संख्शेधन कर सकते हैं, इसको संशोधित किया जाना चाहिए।

दूसरे, फाइनेंस कमीशन जो आपने बनाया है, लेकिन इस निगम के सदस्यों को फाइनेंस के कोई अधिकार नहीं दिए हैं, वे अधिकार उनको दिए जाने चाहिए। यह मेरा अभिमत है।

जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा, मैं इस बारे में लम्बा न बोलकर, जिन दो-तीन बातों की ओर मैंने ध्यान आकर्षित किया है, सदस्यों के निर्वाचन के बारे में, सदस्यों के सहयोजन व नामकंन के बारे में और क्षेत्रें के विभाजन के बारे में और साथ ही समानुपासिक रूप से जो आपने महापौर के लिए पांच वर्ष का समय रखा है, तो क्या इस पद पर एक ही व्यक्ति बना रहेगा या एक साल में महिला आएगी और दूसरे साल अनुसूचित जाति और तीसरे साल अनुसूचित जनजाति, लेकिन चौथे साल कौन आएगा इसको कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें। इसमें प्रेम धूमंल जी चर्चा में भाग लेंगें और मैं अपना निरनुमोदन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि पंजाब नगर निगम अधिनियम 1976 के चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तारण के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के द्वारा 1-11-1966 को अस्तित्व में आया। चंडीगढ़ नगर पंजाब और हरियाणा की राजधानी है तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र

[श्री एस० बी० चव्हाण]

प्रशासन का मुख्यालय भी है। चंडीगढ़ नगर का विकास और नियमन पंजाब राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 के द्वारा किया जाता रहा है। अब तक इस नगर के लिए अलग से अपने नगर निगम की स्थापना नहीं की गई है। यह विधेयक चंडीगढ़ का पहला नगर निगम जो संविधान के भाग 9-क में निहित है, के द्वारा देने की पेशकश करती है। यह अधिनियम मोटे तौर पर पंजाब नगर निगम अधिनियम 1976 का अधिकार बढ़ाकर तथा इसे चंडीगढ़ के अनुरूप ढालकर चंडीगढ़ को नगर निगम देने की व्यवस्था करता है।

भाग 9-क संविधान में संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया है तथा यह 1-6-1993 से प्रभावी है। भाग 1-क जोड़कर राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में नगर निगम का प्रावधान संविधान की धाराओं के अनुरूप करने व्यवस्था की गई है। सविधान के अनुच्छेद 243 य ख में यह व्यवस्था है कि भाग 9-क संघ राज्य दोनों पर उन अपवादों तथा सुधारों के साथ लागू होगा जैसा कि राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना द्वारा चाहेंगे।

पंजाब सरकार ने राज्य के बड़े शहरी क्षेत्रों में नगर निगम स्थापित करने हेतु "पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976" बनाया था। इस अधिनियम से अन्य बातों के अलावा पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1991 निरसित हो गया। यद्यपि 1976 के अधिनियम के प्रावधान राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ पर लागू नहीं किये गये थे। इसलिए पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 के कुछ उपबंध अभी भी चंडीगढ़ के ऊपर लागू होते हैं।

चंडीगढ़ नगर की विशिष्टता जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है :

(1) यह पंजाब तथा हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी हैं तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ का भी मुख्यालय है। इस तरह की परिस्थिति पूरे देश में कहीं भी नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि जब तक इस नगर का राजनीतिक भविष्य तय नहीं हो जाता है, इस नगर की विशिष्ट पहचान को बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की जाय।

(2) ली कूर बूजियर का चंडीगढ़ भारत के सबसे पहले योजना बद्ध नगरों में से एक है तथा राजधानी प्रोजेक्ट पर अभी भी काम चल रहा है। वस्तुतः क्षेत्र के विकास के लिए नए चरणों हेतु भी योजनायें बनाई जा रही हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा नहीं किया जाय जिससे कि नगर की सौन्दर्य बोधता, योजनाकर्ता की दूरदृष्टि, स्थापत्य कला और डिजाइन की अवधारणा, तथा चंडीगढ़ की मुख्य चारित्रिक विशेषताओं को खतरा पहुंचे।

(3) चंडीगढ़ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इसे पंजाब, हरियाणा तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की एकमात्र राजधानी होने के कारण इसे संक्रमण कालीन दर्जा दिया गया है।

6.00 म०प०

ऊपर बताई गई विशेषताओं के कारण, यह रहना उचित होगा कि इस क्षेत्र में शासन की ऐसी कोई योजना कारगर नहीं होगी जो स्थानीय स्वशयन की प्रजातंत्रीय व्यवस्था के परम्परागत ढांचे पर आधारित हो।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए तथा उक्त विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित अनुच्छेदों के संबंध में संविधान के भाग 9-क के उपबंधों को लागू करने के संबंध में संशोधन करने का प्रस्ताव है :

(1) अनुच्छेद 243द जो नगर निगम के गठन के संबंध में, नाम निर्देशित सदस्य भी रखने का प्रस्ताव है। अत: निगम के गठन में निम्नलिखित बातें होंगी :

(क) सीधे चुने गए दस सदस्य

(ख) प्रशासक द्वारा नाम निर्देशित नौ सदस्य (मताधिकार सहित)

(ग) अध्यक्ष का निर्वाचन पूरे सदन द्वारा (नाम निर्देशित सदस्यों सहित) 10 निर्वाचित सदस्यों में से

(2) जो सीटों के आरक्षण तथा अध्यक्ष पद से संबंधित अनुच्छेद 243 न के बारे में यह कहा जा सकता है कि चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी जनजाति या जनजातीय समुदाय को "अनुसूचित जनजाति" की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया है इसलिए उनके लिए आरक्षण का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली सीटों के संबंध में अनुसूचित जाति तथा महिलाओं के आरक्षण हेतु संविधान के उपबंधों का पालन किया जायेगा। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। नाम निर्देशित सदस्यों के निर्वाचन में भी आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। निगम को अध्यक्ष पद, जिसे "महापौर" के नाम से जाना जाएगा, उन महिला सदस्य के लिए आरक्षित रहेगा जो निगम के पहले तथा चौथे वर्ष में सदस्य, होंगी तथा ऐसे अनुसूचित जाति के सदस्य के लिए आरक्षित रहेगा जो तीसरे वर्ष में इसका सदस्य होगा।

(3) अनुच्छेद 243 प जो कि सदस्य पद से अयोग्यता से संबंधित है, यह प्रस्ताव किया गया है कि लोकसभा में चुने जाने हेतु 'लाभ के पद' के आधार पर यदि कोई अयोग्यता करार दिया जाता है तो वह प्रशासक द्वारा नाम निर्देशित सदस्यों पर लागू नहीं होंगी।

(4) कृत्यों से संबंधित अनुच्छेद 243क के बारे में यह कहा जाना है कि संविधान की बारहवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी कार्य तथा आज की तारीख तक संशोधित

[श्री एस० बी० चव्हाण]

पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976, के सभी कार्य निम्नलिखित कृत्यों को छोड़कर जो जिन्हें प्रशासक में निहित करने का प्रस्ताव है नगर निगम की जिम्मेवारी होगी।

(क) नगरीय योजना जिसमें नगर योजना भी है।

(ख) भूमि आयोग तथा भवनों के निर्माण का विनियमन।

(ग) कुछ महत्वपूर्ण पार्क और स्टेडियम, जो प्रशासक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(5) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के संबंधी कृत्यों के लिए भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गठित वित्त आयोग तथा चुनाव आयोग को उत्तरदायी बनाने का प्रस्ताव है।

पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अध्यादेश, 1994 राष्ट्रपति द्वारा सांविधानिक बाध्यता को पूरा करने हेतु 24 मई, 1994 को प्रख्यापित किया गया था। इस अध्यादेश के द्वारा मुख्यतः कुछ अपवादों तथा संशोधनों के साथ समय-समय पर संशोधित पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 को संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के ऊपर लागू किया गया। वर्तमान विधेयक उकत अध्यादेश की जगह लेने के लिये लाया गया है।

महोदय, मुझे विश्वास है कि इस विधेयक का सदन के सभी वर्गों द्वारा स्वागत किया जायेगा। मैं इस विधेयक को सदन के विचार हेतु प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव रखा जाता है :

"कि यह सभा 24 मई, 1994 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्या 7) का निरनुमोदन करती है।"

"कि पंजाब नगर निगम अधिनिमय 1976 के चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तारण के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, चंडीगढ़ केवल उत्तर-भारत का ही नहीं अपितु सारे देश का एक आधुनिक शहर है। और इसको मॉडल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चंडीगढ़ के निवासियों की कई वर्षों से यह इच्छा थी कि वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि उनके विकास का काम देखें लेकिन कई वर्षों से यह मामला लटकता रहा, बार-बार विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा यह मांग की गई कि चंडीगढ़ में लोगों के प्रतिनिधियों की असेम्बली हो, विधान सभा हो, कारपोरेशन हो। कुछ व्यक्तियों, संस्थाओं और मैं समझता हूं कि कुछ सरकारों की भी शायद यह त्रासदी होती है, वे अच्छा काम भी कर दें तो बीच में कुछ न कुछ गुड़ गोबर कर देते हैं। जैसे कहते है। "बकरी ने दूध दिया तो मेगली डाल दी" यह प्रस्ताव जो आया है स्वागत योग्य है पर इसमें जो प्रजातांत्रिक भावना होनी चाहिये थी वह नहीं है। जितना डेमोक्रेटिक होना चाहिए था, उतना नहीं है। पंजाब म्युनिसपल

कार्पोरेशन एक्ट को चंडीगढ़ के लिए एक्सटेंड किया गया है, परंतु लोकतांत्रिक प्रावधानों को हटा दिया गया है।

सभापति महोदय, आपको जानकारी होगी कि पंजाब में लुधियाना, अमृतसर और जालंधर में भी म्युनिसपल कार्पोरेशंस है और इन शहरों की आबादी 5-6 लाख है तथा यहां पर चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या 30 रखी गई है और पंजाब म्युनिसपल कार्पोरेशन एक्ट के अनुसार कुछ सदस्यों के को आप्शन का भी प्रावधान है।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : सिर्फ लेडीज के लिए यह प्रावधान है।

प्रो० प्रेम धूमल : क्या आप लेडीज को मेबर नहीं मानते हैं? सभापति महोदय, में कह रहा था कि चंडीगढ़ की आबादी साढ़े 7 लाख है और यहां पर सिर्फ 10 वार्डों की व्यवस्था की गई है, सिर्फ 10 चुने हुए प्रतिनिधि होंगे तथा 9 मनोनीत होंगे। इसका अर्थ हुआ कि किसी राजनीतिक दलका सिर्फ एक प्रतिनिधि चुन कर आता है और उस दल का प्रभाव एडमिनिस्ट्रेटर पर है तो वह अपनी पसंद के 9 सदस्य मनोनीत करवा लेगा और बहुमत प्राप्त कर लेगा तथा जिम दल के 9 सदस्य चुन कर आए होंगे, वह दल अल्पमत में रह जाएगा। इसलिए मैंने चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या 30 रखने का संशोधन दिया है और वैसे भी जितनी जनसंख्या एक विधान मभा के प्रतिनिध के लिए होती है, लगभग उतनी ही पार्षद के लिए रखी जाती है। इस तरह से जिन लोकतांत्रिक प्रावधानों को इसमें से हटा दिया गया है, उनको पुनः इसमें सम्मिलित किया जाए। . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री उमराव सिंह : चंडीगढ़ पंजाब को दे दीजिए, तब वह एक्ट अपने आप चंडीगढ़ पर भी लागू हो जाएगा और इस एक्ट की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। . . . **(व्यवधान)** . . .

प्रो० प्रेम धूमल : यह बात तो आप अपने पार्टी फोरम पर कहिए, वैसे मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। . . . **(व्यवधान)** . . .

सभापति महोदय, प्रस्तुत एक्ट के अनुसार यह कार्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ की कठपुतली मात्र बनने जा रहा है। इसके बजाए पंजाब म्युनिसपल कार्पोरेशन एक्ट के प्रावधानों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए और यदि किसी वर्ग विशेष से कोई प्रतिनिधि चुन कर नहीं आता तो कोआप्शन का प्रावधान है। मैं यह भी समझता हूं कि इस तरह के प्रावधान करने के पीछे आप का कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह ब्यूरोक्रेसी की चाल है ताकि एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर सर्वेसर्वा रहे।

सभापति महोदय, सेक्शन 47 में यह प्रावधान किया गया है :

[अनुवाद]

> "परन्तु यह और भी कि जहां आयुक्त सरकार के अधीन किसी सेवा पर धारणाधिकार रखता है वहां प्रशासक; किसी भी समय उसकी सेवाओं को उक्त सरकार के व्ययन पर प्रतिस्थापित कर सकता है।"

[प्रो० प्रेम धूमल]

[हिन्दी]

इसमें सारे पावर्स एडमिनिस्ट्रेटर को दिए गए हैं, जिनको कमिश्नर लागू करेगा, जिससे डेमोक्रेटिक सेटअप पर आंच आएगी और बिल की जो भावना कार्पोरेशन बनाने की है, वह समाप्त हो जाएगी। एक बात कही गई है कि प्रशासक, कमिश्नर को हटा सकता है पंजाब म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट में कहा गया है :

[अनुवाद]

सरकार किसी आयुक्त को वापस बुला लेगी यदि निगम के इस प्रयोजन के लिए बुलाए गए विशेष अधिवेशन में सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा ऐसे बुलाए जाने का संकल्प पारित किया गया है।

[हिन्दी]

यहां पर कमिश्नर को हटाने की शक्ति चुने हुए प्रतिनिधियों के पास है। यहां पर कमिश्नर को हटाने की शक्ति प्रशासक को दे दी है लेकिन चुने हुए प्रतिनिधियों को वह शक्ति नहीं दी है। इसी तरह से सैक्शन-71 में जो महत्वपूर्ण नियुक्ति हैं उनका अधिकार प्रशासक को दे दिया है।

[अनुवाद]

"प्रशासक, ऐसे मासिक वेतन और ऐसे भक्तों पर, यदि कोई हों, जो उसके द्वारा नियत किए जाएं, उपयुक्त व्यक्तियों को नगरपालिक इंजीनियर, नगरपालिक स्वास्थ्य अधिकारी, नगरपालिक मुख्य लेखापालन नगरपालिक सचिव और नगरपालिक मुख्य लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करेगा तथा एक या अधिक सहायक आयुक्त और इस उपधारा में ऊपर उल्लिखित अधिकारियों के समतुल्य या उनमें से किसी अधिकारी से उच्चतर हैसियत के एक या अधिक ऐसे अन्य अधिकारी नियुक्त कर सकता है जो प्रशासक ठीक समझे।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, सारी शक्ति प्रशासक के हाथ में है, वह जैसा चाहे फिक्स कर ले और जितनी मर्जी सेलरी रख ले और जो मर्जी एलाऊंस दे दे। इसके पीछे डेमाक्रेटिक भावना नहीं है बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। इसी तरह से 71-बी में कहा गया है :

[अनुवाद]

"धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नगरपालिक अधिकारियों और अन्य नगरपालिक कर्मचारियों को अस्थायी या स्थायी रूप से नियुक्त करने की शक्ति आयुक्त में निहित होगी।"

[हिन्दी]

कारपोरेशन के लोगों को अधिकार होने चाहिए। इस सारे बिल को पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि ब्युरोक्रेसी की ओर पूरा प्रयत्न किया गया है और दुर्भाग्यवश केन्द्र सरकार ने जो ड्राफ्ट आया है तो उसको मान लिया है और सारी शक्ति कमिश्नर के हाथ में दे दी गई है। सैक्शन-87 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पंजाब म्युनिसिपल एक्ट के तहत कमिश्नर को 500 रुपए सैंक्शन करने का अधिकार है और यहां पर दस हजार का सब्सट्युट किया गया है :

[अनुवाद]

"पांच सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया गया है। आप यहां पुनः आयुक्त की शक्तियां प्रतिस्थापित कर रहे हैं।

तत्पश्चात् धारा 87(ख) में यह कहा गया है :

उपधारा (4) में "पांच हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "एक लाख रुपये" शब्द रखे जायेंगे।

[हिन्दी]

पंजाब म्युनिसिपल कारपोरेशन का अधिकार पांच हजार सैंक्शन करने का है और आप चंडीगढ़ वाले को एक लाख रुपऐ सैंक्शन करने की शक्ति दे रहे हैं। यह बड़ा विचित्र प्रावधान है। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से केवलमात्र ब्युरोक्रेसी को ज्यादा अधिकार देने की बात कही गई है। मैं चाहूंगा कि चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जाए और मनोनित करने की संख्या कम की जाए और प्रशासक के अधिकारों को सीमित किया जाए। गृह मंत्री जी ने जो पढ़ा है उसमें कहा गया है :

[अनुवाद]

"लोक सभा में चुने जाने के लिए लाभ के पदों के संबंध में अर्हता के लिए उपबंध प्रशासक द्वारा नामित किए गए सदस्यों पर लागू नहीं हो सकता है।"

[हिन्दी]

आफिस आफ प्राफिट वाला प्रोवीजन इलेक्टेड मैम्बर्स पर लागू हों रहा है लेकिन जो नोमिनेटेड हैं उन पर लागू नहीं होगा। एक आदमी अगर इलैक्टेड है, काऊन्सिल का मेम्बर है, कारपोरेटर है, वह अगर एम० पी० बन जाता है। तो उसको आटोमेटिकली 15 दिन के अंदर रिजाईन करना होगा। अन्यथा उसकी सांसद के पद से छुट्टी होगी। यहां फिर अधिकारियों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त जो प्रावधान मेयर के बारे में सुनिश्चित किये गये है, यह एक अच्छी बात है कि महिलाओं को भी मेयर बनने का अवसर है और अनुसूचित जाति के लोग भी मेयर बने, यह स्वागत योग्य है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो चुने हुए प्रतिनिधि है

[प्रो० प्रेम धूमल]

उनकी संख्या बढ़ाई जाये। उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा तो अच्छे लोग ज्यादा आयेंगे। वरना नौ लोग जो मनोनीत किये गये हैं, वह जैसा पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है, वैसा ही चलेगा। हम चाहते है कि पवन कुमारजी जो वहां से एकमात्र सांसद है उनको भी इसमें अधिकार मिले, जिससे उनका भी बोझ कम होगा। इसके अतिरिक्त चीफ कमिश्नर को जो वीटो की पावर दी गई है वह वापस ली जाये।

मैं इस बिल का इस शर्त के साथ समर्थन करता हूं कि हमने जो सुझाव और संशोधन दिये हैं, मंत्री जी उन्हें स्वीकार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : सभापति महोदय, मैं, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में जनतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करने की पहल का स्वागत करता हूं और मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है। इससे चण्डीगढ़ के लोगों की लम्बे समय से लम्बित पड़ी मांग पूरी होगी। पांचवें दशक के आरम्भिक वर्षों में इस नए शहर चण्डीगढ़ की की गयी परिकल्पना को पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत का प्रतीक बताया है। आरम्भ में चण्डीगढ़ का विकास धीमे-धीमे हुआ और यहां आकर बसने के लिए लोगों को बहलाना, फुसलाना और तैयार करना पड़ता था। परन्तु, समय बीतता गया और इसका अपेक्षानुसार तेजी से विकास हुआ तथा इसके साथ ही कई समस्यायें भी उभर कर सामने आयीं।

प्रजातंत्र में लोग अक्सर अपनी शिकायतों की सुनवाई के लिए और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सराकर से स्थानीय स्तर पर अपेक्षा रखते हैं और यदि हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं और इसको वास्तविक अर्थ समझते हैं तो मेरे विचार से हमें स्थानीय स्तर पर जनतांत्रिक शासन व्यवस्था कार्यान्वित करनी होगी और इसमें शामिल भी होना पड़ेगा। इन वर्षों में चण्डीगढ़ के लोग इस तरह के अनुभव से वंचित रहे। बेशक, यह आधुनिक शहर है, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इस शहर ने अपने लिए 'एक सुन्दर शहर' (द सिटी ब्यूटीफुल) का नाम पाया है। यह विचारों और कार्य की मुक्ता तथा उत्साह का प्रतीक है और पिछले वर्षों में यहां देश के सभी भागों से लोग आए हैं। आज आप इसे भारत की मिश्रित संस्कृति का द्योतक और प्रतीक मानते हैं। वास्तव में इसे लघु-भारत कहा जा सकता है। जब हम इसका सफलता का आंकलन करते थे तो उस समय हमारे दुःख का एक ही कारण हुआ करता था और वह यहां स्थानीय स्वशासन, जनतांत्रिक सरकार, का न होना, जो यहां के लोगों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं और उत्कंठाओं को पूरा कर पाती। देश में सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्थाओं के लिए चण्डीगढ़ प्रसिद्ध है। जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि चण्डीगढ़ की स्थिति अद्वितीय है क्योंकि यह पंजाब राज्य के साथ-साथ हरियाणा राज्य की भी राजधानी है और यहां संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यालय भी हैं। महोदय, यहां महत्वपूर्ण उद्योग है, महत्वपूर्ण अनुसंधान

संस्थान और अन्य प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं। परन्तु विशेष रूप से जबकि जनतंत्र के प्रसार के कारण पूरे विश्व में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण हो रहा हो ऐसी स्थिति में ऐसी भावना के बन जाने से कि हम स्थानीय स्वाशासन के माध्यम से अपना शासन कार्य चलाने में परिपक्व नहीं हैं, से हमें इन पिछले कुछ वर्षों में गहरा धक्का पहुंचा है। मैं तहदिल से कहता हूं कि आज इस विधेयक को पुरःस्थापित करने से चण्डीगढ़ की जनता माननीय गृह मंत्री के प्रति आभारी रहेगी।

राजीव जी ने पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के पुनर्गठन को हमारी जनतांत्रिक यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। श्री पी०वी० नरसिंह राव प्रधानमंत्री ने राजीव जी इच्छा और प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए उन स्थानीय स्वशासन चलाने वाली संस्थाओं को संवैधानिक अधिदेश दे दिए हैं। ये उपबंध पंचायतों और नगरपालिकाओं को स्थानीय स्वशासन चलाने वाली एक सक्षम संस्था बनाने में सहायक होंगे और इससे शहर और गांव गणतंत्र के रूप में विकसित हो सकेंगे जैसी कि हमारी पुरानी प्रथा भी रही है।

मैं, इस अवसर को चण्डीगढ़ की जनता के लिए खुशी का अवसर मानता हूं और हमें यह संकल्प करना चाहिए कि हम स्थानीय शासन और जिला विकास आयोजना का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिसमें लोगों की सक्रिय भागीदारी रहेगी और चार्टिड एकाउन्टेंट, इंजीनियर आर्किटेक्ट, टाऊन प्लानर भूदृश्य के क्षेत्र में दस लोगों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि जैसे क्षेत्रों में विशेषता प्राप्त लोगों की सक्रिय भागीदारी होगी। यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि मेरे विचार से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री यह जानते हैं कि चण्डीगढ़ की जनता चाहे वह किसी भी मतको मानने वाली हो किसी भी दल से संबंद्ध हो किसी में भी अपनी आस्था रखती हो को यदि अवसर दिया जाये तो वह चण्डीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में ही रखना चाहेगी। और यह बात पंजाब के हितों के प्रतिकूल भी नहीं है। वहां पंजाब राज्य के कार्यालय हैं और वहां पंजाबी लोग रहते हैं। मैं भी पंजाबी हूं। मुझे छह वर्षों के लिए राज्य सभा में पंजाब का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

परन्तु मैं अभी भी यह अनुभव करता हूं कि केन्द्र से हमें जो सहायता दी गई है उसके कारण चण्डीगढ़ को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है जिसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं इसी वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि चण्डीगढ़ का पारम्परिक शहर, सप्ताहांत पर्यटक स्थल, उच्चकोटि के शिक्षा और चिकित्सा केन्द्र तथा हिमाचल प्रदेश के 'गेट वे' के रूप में विकास किया जाना चाहिए। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि चण्डीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया जाना चाहिए इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह पंजाब के हितों के विपरीत नहीं है। बल्कि इससे करोड़ों रुपये की बचत होगी जो कि हरियाणा के लिए नई राजधानी बनाने पर खर्च होंगे।

जहां तक विचाराधीन विधेयक का संबंध है, कई समितियों और अन्य विशेष समितियों के, जिनमें अनेक लोग शामिल होंगे, गठन से लोकतंत्र में भागेदारी की धारणा और सुदृढ़ होगी। मैं इस बात से सहमत हूं कि हम चण्डीगढ़ के निवासियों को इस बात का गर्व है कि हम चण्डीगढ़ जैसे शहर के निवासी हैं और हम और अधिक से अधिक शक्तियां चाहते हैं।

[श्री पवन कुमार बंसल]

हम यह भी चाहते हैं कि यदि पंजाब नगर निगम अधिनियम चण्डीगढ़ पर लागू कर दिया जाए तो निगम से उन शक्तियों को लेकर, जिनका वे प्रयोग कर रही हैं, आयुक्त को देने का कोई आधार नहीं रहेगा। परन्तु मैं यह अनुभव करता हूं, और मैं धूमलजी से इस बात पर असहमत हूं कि नौकरशाह और राजनीतिज्ञ एक दसूरे के प्रतिकूल कार्य नहीं करेंगे। हम प्रगति के लिए साथ-साथ कार्य करेंगे। हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। मुझे इस बात पर संदेह नहीं है कि चाहे कोई भी आयुक्त या पदाधिकारी हो, वह शहर के हितों के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा। मुझे विश्वास है कि वह नगरपालिका आयुक्त के कार्य को पूरा करेगा और मैं यह समझता हूं कि यदि पार्षदों को धीरे-धीरे अधिक शक्तियां प्रदान कर दी जायें तो यह उनके हित में होगा और कुछ अवधि के बाद स्थानीय स्वशासन की एक प्रभावी प्रणाली विकसित हो जाएगी।

महोदय, मैं चण्डीगढ़ के मामले की तरह सदस्यों को मनोनीत करने की धारणा को गलत नहीं मानता क्योंकि मैं यह अनुभव करता हूं कि इस उपबन्ध का प्रयोग निगम बनाने और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का लाभ उठाने हेतु निगम को अधिकार देने के लिए किया जाएगा, जिसका मैंने पहले भी उल्लेख किया है। परन्तु मैं इस बात पर जोर देने के लिए उठाना चाहता हूं कि यदि आप मुझे इस शब्द का प्रयोग करने की अनुमति दे तो इससे असंतुलन और गड़बड़ी पैदा होगी। क्योंकि नौ सदस्यों के बदले में 10 सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था की जा रही है। इसमें संशोधन किया जाना चाहिए।

महोदय, गृह मंत्री महोदय को कल यह विधेयक पुरःस्थापित करते समय इसका उत्तर देना चाहिए था। मैंने यह संख्या बढ़ाकर 20 करने के लिए संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं अनुभव करता हूं कि हमारी यह मांग उचित हैं जैसा कि हम जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा में विभिन्न शहरों में मनोनीत सदस्यों की संख्या इस समय बहुत अधिक है। कुछ मामलों में तो यह संख्या 50 तक है और उस पृष्ठभूमि में मैं यह समझता हूं कि मनोनीत सदस्यों की संख्या 20 होना आवश्यक है। अपने संशोधन में भी मैंने इतने ही सदस्यों का सुझाव दिया है। मेरा गृह मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस संशोधन को स्वीकार करें क्योंकि केवल तभी मुझे लगेगा कि हम "लोकतंत्र" के असली अर्थ को समझते हैं। इससे निगम का उद्देश्य पूरा होगा। मैंने कुछ और संशोधन प्रस्तुत किए हैं। इनमें कुछ इनमें कुछ संशोधन औपचारिक हैं और एक संशोधन किसी वार्ड समिति के अध्यक्ष का पद खाली होने के कारण उत्पन्न आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए है क्योंकि यह निर्णय करना है कि पार्षद की मृत्यु अथवा उसके त्याग पत्र के बाद उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय को इसमें गलत नजर नहीं आएगा और वह इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

महोदय, मैं किसी अन्य मामले का अधिक उल्लेख नहीं करूंगा। परन्तु मैं संसद सदस्य की भूमिका के बारे में जिक्र करना चाहता हूं जिसका धूमल जी ने भी उल्लेख किया है। यद्यपि हाल ही में यह संवैधानिक व्यवस्था की गई है, और मैं भी सोचता हूं यह मेरी व्यक्तिगत राय है, यह राय मेरी

पहले भी थी–कि किसी संसद सदस्य को नगरपालिकाओं अथवा पंचायतों में नहीं होना चाहिए। केवल उसी स्थिति में हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन कर पायेंगे और हमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों में पूरा विश्वास करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वे वहां सही कार्य करेंगे और हमें इस मामले में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि संसद सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है।

महोदय, मैं उस समय की बाध्यता को समझता हूं जब यह विधेयक तैयार किया गया था। मैं मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करने हेतु एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं कि चण्डीगढ़ इस संस्था से वंचित न रह जाए। परन्तु मैं यह समझता हूं कि पंजाब नगर निगम अधिनियम पर विचार करने और इसमें व्यापक परिवर्तनों के फलस्वरूप मिलीजुली व्यवस्था की जा रही है जो कि बहुत आकर्षक नहीं है।

6.31 बजे म०प०

[श्री पी०सी० चाक्को पीठासीन हुए]

खंड 2 के उपखंड (2) (क) और अन्य उपबन्धों सहित विभिन्न उपबन्धों में, जिन पर मैंने अभी गौर किया है, सुधार किए जाने की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि मेरा अनुवाद सही है परन्तु मेरी स्थिति तो इस भारतीय कहावत के अनुरूप है कि मुझे तो आम खाने से मतलब पेड़ गिनने से क्या मतलब।

मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं कि वे हमारा सहयोग कर रहे हैं। परन्तु मेरा उनसे पुनः अनुरोध है कि वह चुने हुए सदस्यों की संख्या 20 करने संबंधी मेरे संशोधन को स्वीकार करें।

डा० मुमताज अंसारी (कोडरमा) : सभापति महोदय, चण्डीगढ़ में पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 लागू करने हेतु विधि निर्माण के लिए सरकार की ओर से यह एक अच्छा कदम है क्योंकि श्री बंसल ने, जो चण्डीगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, बार-बार इसकी मांग की है।

चण्डीगढ़ एक विशेष, सुन्दर और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है तथा 'मिली इंडिया' 'टाइनी इंडिया' है। उन्होंने कहा है कि हम परिपक्व नहीं हैं इसलिए हमारे यहां इस प्रकार का नगर निगम नहीं है।"

श्री पवन कुमार बंसल : मैंने कहा था कि मुझे यह जानकर खेद होता है कि अन्य लोग इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं।

डा० मुमताज अंसारी : आपके लिए वास्तविक निगम नहीं बनाया गया है। इसलिए आपको मंत्री महोदय का इतना अधिक आभारी नहीं होना चाहिए। जो भी निगम बनाया गया है, जिस अधिनियम को भी लागू किया गया है उससे एक दूसरा अधिनियम अर्थात् पंजाब नगर निगम विधि (चण्डीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994 बनाया जा रहा है बल्कि वहां वास्तविक निगम का निर्माण नहीं किया जा रहा है। प्रो० धूमल ने सीटों की संख्या संबंधी उपबन्ध पर ठीक आपत्ति की है। सीटों

[डा० मुमताज अंसारी]

की संख्या कितनी है? 10 सदस्यों का चुनाव किया जाता है और 9 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। गृह मंत्री महोदय अथवा केन्द्रीय सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इस पर अपना निमंत्रण करना चाहते हैं। उन्हें प्रशासक द्वारा मनोनीत किया जाएगा। इसमें क्या अन्तर है, चाहे आप निगम बनाइए अथवा नगरपालिका? आप जो भी चाहें, अच्छा नाम दे सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

चण्डीगढ़ में अनेक मेडीकल, इन्जीनियरिंग शिक्षा और तकनीकी संस्थाएं हैं। यह बहुत अच्छा स्थान है। परन्तु गृह मंत्री महोदय ने इसकी तरफ क्या ध्यान दिया है? यहां के निगम में केवल 10 सदस्य हैं उनमें से किसको चुना जाएगा जब कि इसकी जनसंख्या 7,50,000 है। छोटे-छोटे शहरों के निगमों में 30 अथवा 40 सदस्य होते हैं। जबकि यहां केवल 10 सदस्य चुने जायेंगे। यह बड़ा महत्वपूर्ण शहर है और देश का एक आदर्श नगर भी है। यह एक सर्वदेशीय नगर है। देश के सभी भागों से लोग यहां आकर रहते हैं। इससे एक बहुत बढ़िया संस्कृति जन्म ले रही है। देश के लिए यह शहर एक अद्वितीय उदाहरण बनता जा रहा है। ये सभी ऐसी बातें हैं जिनका आप अत्यधिक प्रचार कर सकते हैं। नौ मनोनीत सदस्यों के बारे में मैं माननीय गृह मंत्री से एक अनुरोध करना चाहूंगा। यदि आप लोकतंत्र के फायदे निम्नतम व्यक्ति को पहुंचाना चाहते हैं, तो उस हाल में मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इस तरह का कानून बनाने अथवा इस तरह के निगम बनाने जिसे एक राज्य निगम समझा जा सकता है, और जोकि एक अयथार्थ निगम होगा, की बजाय आप श्री पवन कुमार बंसल को एक वास्तविक निगम में मनोनीत करें, इससे उन्हें प्रसन्नता होगी और हम सभी को भी खुशी होगी।

जो भी संशोधन किए गए हैं, और प्रो० प्रेम धूमल जी द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं, उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि इस संस्था को पूरी तरह से लोकतांत्रिक बनाया जा सके। मनोनीत सदस्य रखे जा रहे हैं?

इस अधिनियम में जो एक और कमी है वह यह है कि ये सभी नौ मनोनीत सदस्य लाभ के पद के आधार पर निर्रह नहीं हो सकेंगे। यह जाली प्रावधान क्यों किया गया है? इस तरह का भेदभाव क्यों है? आप जैसे ही एक बार संसद अथवा विधान सभा अथवा किसी लोकतांत्रिक संस्था के सदस्य बन जाते हैं, तो आप कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते और ऐसी स्थिति में तो यह एक आकर्षण पूर्ण निगम है जिसमें श्री पवन कुमार बंसल को मनोनीत किया गया है। यहां आप ऐसा प्रावधान कर रहे हैं कि वे लोग इस आधार पर निर्रह नहीं होंगे कि वे लाभ के पद पर हैं। यह बात भी विसंगति पूर्ण है। यह कमियों और त्रुटियों से परिपूर्ण है। यह प्रावधान भी संशोधित किया जाना चाहिए और प्रो० प्रेम धूमल ने जो भी उल्लेख किया है, उसमें यह इंगित होता है कि प्रशासकों, अथवा आयुक्तों अथवा विशेष अधिकारियों को अधिकार दे दिए गए हैं और चाहे जो प्रावधान हो, विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी और आयुक्तों को अत्यधिक शक्तियां दी जायेंगी। तब इन

सदस्यों का क्या होगा? इसी के साथ ही आप यह सुझाव दे रहे हैं कि कतिपय श्रेणियां और कृत्य होंगे और इन्हें चंडीगढ़ प्रशासन देखेगा क्योंकि चंडीगढ़ एक विशिष्ट स्थान है। इस पर हरियाणा दावा करता है, पंजाब दावा करता है। **(व्यवधान)** गृह मंत्री चाहे जो कुछ उल्लेख कर रहे थे। इसी के साथ ही यह एक संघ राज्य क्षेत्र भी है। इसी कारण से, कृत्यों का कतिपय विभाजन और निर्धारण होगा। कतिपय कृत्य निगम के अधीन होंगे और कतिपय कृत्यों का निर्वहन चंडीगढ प्रशासन द्वारा किया जायेगा। कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों तथा कार्यों के संबंध में यह किस प्रकार की अतिव्याप्ति है? भवन-निर्माण, भूमि उपयोग, पार्कों और स्टेडियमों और ऐसी ही बहुत-सी चीजें चंडीगढ़ प्रशासन के अन्तर्गत आएंगी। निगम के सदस्यों को फिर किस तरह का कार्य सौंपा जायेगा, उनके जिम्मे क्या कार्य होगा और उन्हें किस प्रकार कर्तव्य और जिम्मेदारियां सौंपी जायेंगी? यह बात भी कमियों से परिपूर्ण है।

यह एक अच्छा कदम है। जहां पर भी आप लोकतांत्रिक संस्थाएं पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी विपक्षी दल अपनी अपनी दलगत सम्बद्धताओं से उपर उठकर आपका स्वागत करने और समर्थन देने के लिए तैयार है। यह एक छलावा नहीं होना चाहिए। आप केवल लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप कोई ठोस बात नहीं कह रहे हैं और लोकतंत्र का कोई भला नहीं कर रहे हैं। हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमें अपने लोकतंत्र और विरासत पर गर्व है। लेकिन इसी के साथ ही, आप जो कुछ कर रहे हैं यह केन्द्रीय सरकार जो कुछ कर रही है वह तो मात्र आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। इससे तो आप लोकतांत्रिक संस्थाओं की बहाली नहीं कर रहे हैं।

मेरे ये साधारण से सुझाव हैं इसमें इस बारे में कोई सुस्पष्ट प्रावधान करें। आप नगर निगम अधिनियम, पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1976 का विस्तार कर रहे हैं अथवा आपने पंजाब नगर निगम संशोधन अधिनियम 1994 को कार्यान्वित मात्र किया है। यह किस प्रकार का निगम होगा, आयुक्तों और सभापतियों के क्या कर्तव्य, जिम्मेदारियां होंगी, उनके क्या कृत्य होंगे और उनकी क्या शक्तियां होंगी? आपने तो इसका मजाक किया है। ये सभी मनोनयन प्रशासक द्वारा किए जायेंगे और आप मनोनीत सदस्यों को भी समान मताधिकार प्रदान कर रहे हैं। हमारी कोई शिकायतें नहीं है, हमें यह भी परेशानी नहीं है कि मनोनीत सदस्यों द्वारा क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे? किन्तु इसके साथ ही आप शक्तियां, सारे मताधिकार ऐसे नामित सदस्यों को दे रहे हैं। ये न केवल नाम निर्देशित सदस्य हैं, बल्कि इन्हें सरकारी अधिकारियों और प्रशासकों की कठपुतली भी माना जायेगा। वे लाभ के पद पर भी होंगे। वे कुछ विभागों में नौकरी कर रहे होंगे। इसके साथ ही उन्हें नामित किया जायेगा। यह क्या है? यह लोकतन्त्र नहीं है। यह नौकरशाही का नाटक मात्र है। अतः हम लोकतान्त्रिक संस्थाओं में नौकरशाहों को शक्तिशाली नहीं बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी वास्तविक लोकतान्त्रिक संस्था हो, ताकि यह स्थानीय लोगों की सारी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और इच्छाओं के लिए उपयोगी हो सके। चंडीगढ़ एक अद्वितीय, महत्वपूर्ण, सामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा सुन्दर स्थान है।

[डा० मुमताज अंसारी]

यह एक छोटा भारत अथवा लघु भारत अथवा आप इसे जो भी कहें वैसा स्थान है। स्वाभाविक रूप से आपको इस निगम को लोकतान्त्रिक आकार, लोकतान्त्रिक स्वरूप देना होगा। तभी हम खुश होंगे।

इन आपत्तियों, इन सन्देशों तथा इन सुझावों के साथ आप जो भी लोकतान्त्रिक कदम उठाना चाहें, हम उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं सभापति महोदय का अभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं पंजाब नगर निगम विधेयक का स्वागत करता हूं लेकिन आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी को भोजन देते हो तो पूरा दो, आधा-अधूरा भोजन देने से कोई फायदा नहीं हैं चंडीगढ़ का विस्तारण किया जा रहा है। चंडीगढ़ में बनने वाले नगर निगम को अधिक अधिकार दिये जायें और उसमें निर्वाचित और अमृतसर जैसे नगरों को प्राप्त हैं।

जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि चंडीगढ़ की अपनी विशेषता है। यह एक अद्वितीय शहर है। यह पहाड़ों की तलहटी में हरे-भरे मैदानों में, अच्छे बाग-बगीचों में घिरा आधुनिकता के परिवेश के अन्दर शानदार बिल्डिंगों से बना हुआ है। इसके संस्थापक लिओ ने जो सपना संजोया था, उसके अनुरूप आधुनिकतम भारत के सुन्दरतम शहरों में से एक चंडीगढ़ है। हम पहले जयपुर और नई दिल्ली के लिये गौरव करते थे कि वे बड़े नक्शे के अनुसार बने हुए हैं लेकिन चंडीगढ़ जो कि सैक्टरवाइज बसाया गया और जिस योजना के अनुसार बसाया गया, अफसोस है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद इस नगर का सौन्दर्य अपेक्षाकृत कम हो रहा है। वहां भी झुग्गी-झोपड़ियां पनप गई हैं और अनधिकृत बस्तियों का निर्माण हो गया है जो कि वास्तव में चंडीगढ़ जैसे सुन्दर नगर के लिये एक खोट का काम करता है। ऐसे स्थानों पर छोटे-छोटे आवास बना कर लोगों को बसाने का काम करना चाहिये।

चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी है। यह पंजाब और हरियाणा की और स्वयं केन्द्र शासित प्रदेश की राजधानी है। चंड़ीगढ़ के विकास के लिये केन्द्र सरकार विशेष सहायता प्रदान करे। हरियाणा और पंजाब सरकार के कार्यालय, सरकारी अधिकारी और राज्यपाल आदि सब लोग वहां रहते हैं। उनको भी उसके विकास का हक मिलना चाहिये। चंड़ीगढ़ के लोगों की इच्छा का भी आदर करना चाहिये। पहले इन्दिरा जी के साथ समझौता हुआ। फिर राजीव-लोंगोवाल समझौता हुआ। कभी चंड़ीगढ़ हरियाणा को देने की बात और कभी पंजाब को देने की बात की जाती है।

चंड़ीगढ़ को केन्द्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय 1966 में किया गया था। 28 वर्षों के बाद सरकार की कुम्भकर्णी निद्रा जागी है। प्रजातंत्र का नाम लेने वाली और उसका दम भरने वाली सरकार 28 वर्षों तक केन्द्र शासित चंडीगढ़ शहर के नागरिकों को नगर परिषद या नगर निगम के रूप

में या निर्वाचित बाडी के रूप में जो प्रजातंत्र के अधिकार देने चाहिये थे, वे प्रदान नहीं किये। यह वास्तव में उचित नहीं कहा जा सकता है। देर आयद, दुरुस्त आयद लेकिन इसमें 10 निर्वाचित और 9 मनोनीत, जैसे कि अभी कहा गया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता लेकिन इसके अन्दर अवश्य संशोधन किया जाय और निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या कम से कम 30 की जाय ताकि छोटे क्षेत्र हों और प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास में पूरा ध्यान दे सकें और वहां का संतुलित, समुचित, सम्यक विकास भली प्रकार से हो सके। इसके बारे में अन्तिम निर्णय अभी होना चाहिए।

एक तरफ सतलुज यमुना लिंक नहर के साथ में चण्डीगढ़ का मामला जुड़ा हुआ था और दूसरी तरफ हरियाणा के अन्दर नई राजधानी बनवाने के लिए पैसा दिलवाने की मांग थी ताकि वह एक अलग राजधानी बना सकें। पंजाब के लोग चण्डीगढ़ पर अपना अधिकार जताते हैं। मैं स्वयं कहना चाहता हूं कि चण्डीगढ़ के लोगों की भावना का भी हमें आदर करना चाहिए। जब तक यह नहीं होता, तब तक मैं समझता हूं कि नगर निगम की स्थिति को इतना सुदृढ़ बनना चाहिए कि चण्डीगढ़ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इन सब के लिए एक आदर्श शहर बन जाय और वह भारत की एकता का प्रतीक, भारत की संस्कृति का प्रतीक बन जाय, इस बात का भी आप ध्यान रखें।

एक बात की ओर मैं आपका और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, इसके अन्दर आपने आज इस बिल का प्रावधान किया है कि इसका 5 वर्ष का कार्यकाल होगा लेकिन प्रशासक को आपने इतने अधिक अधिकार प्रदान कर दिये हैं कि प्रशासक कभी भी समय से पहले किसी भी परिस्थिति के नाम पर निर्वाचित नगर निगम को भंग कर देगा। संविधान संशोधन के अन्दर यह जो प्रावधान किया गया है कि 5 साल का उनका कार्यकाल होगा, उसके लिए वित्त आयोग की व्यवस्था होगी, वित्तीय संसाधन जुटाने की भी व्यवस्था होगी। साथ में महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था होगी। अगर आप 30 की संख्या कर देंगे तो मैं समझता हूं कि जो 33 प्रतिशत महिलओं के लिए आरक्षण है, अनुसूचित जाति के लोगों की जितनी आबादी है, उसके अनुसार उनके लिए भी आरक्षण हो सकेगा। इसके साथ वहां पर विभिन्न वर्गों के जो लाग रहते हैं, उन सब को भी समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से चण्डीगढ़ की एक और समस्या कहना चाहता हूं। आज चण्डीगढ़ की ज्यादातर आबादी हिन्दी बोलती है। वहां बोलचाल की भाषा पंजाबी है लेकिन लोग ज्यादातर हिन्दी लिखते, पढ़ते और बोलते हैं लेकिन केन्द्र शासित प्रदेश का सारा काम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होता है तो केन्द्र शासित प्रदेश होने के नाते संघ सरकार की जो भाषा नीति है, उस भाषा नीति को चण्डीगढ़ में भी लागू करना चाहिए ताकि हिन्दी को भी वहां पर स्थान मिले। पंजाब यूनिवर्सिटी हमारे देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। वहां पर दयानन्द शोध पीठ है। वहां पर पी० जी० आई० और वहां पर और भी अनेक राष्ट्रीय महत्व संस्थाऐं हैं। राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं का जो राष्ट्रीय महत्व है, वह बने रहना चाहिए। उसके अन्दर बिना किसी भेदभाव के देश के जितने भी योग्यतम व्यक्ति प्रतिभा रखते हों, उनको वहां पर प्रवेश की सुविधा मिलनी चाहिए। भाषा के मामले

[प्रो० रासा सिंह रावत]

में भी यह संवेदनशील शहर है इसलिए इस ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, यह मैं आपके माध्यम से कहूंगा।

लोगों में सिविक सेंस की भावना पैदा करने की भी जरूरत है। मैं समझता हूं कि चण्डीगढ़ में साक्षरता का प्रतिशत अन्य नगरों से काफी ज्यादा है और सभी दृष्टियों से चण्डीगढ़ का बहुत महत्व है। चण्डीगढ़ लद्दाख, जम्मू कश्मीर या आगे के सीमावर्ती क्षेत्र के लिए हमारा बेस है। वहां वायुसेना की दृष्टि से हो, थल सेना की दृष्टि से हो, सप्लाई की दृष्टि से हो, इन सारी दृष्टियों से चण्डीगढ़ की सुरक्षा की व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि पंजाब में आतंकवाद समाप्त हो गया है, वहां शान्ति लौट आई है, भाई चारा लौट आया है, वह शान्ति और भाई चारा बना रहे, यही हमारी कामना है। केन्द्र शासित प्रदेश होने के नाते चण्डीगढ़ केन्द्र की जिम्मेदारी है तो वहां पर सुरक्षा की भी विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बिल का तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन यह आधा तीतर और आधे बटेर वाली जो स्थिति हो गई है, इस परिस्थिति में कुछ परिवर्तन लाइये और वास्तविक अर्थ में वहां पर मेयर निगम की स्थापना कीजिए, जहां चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या 30 हो और जो आधुनिकता, एकात्मता, भारतीय संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता, चण्डीगढ़ का सौन्दर्य और स्वरूप है, वह बना रहे।

आज सुखना जैसी झील, जिसमें लोग नौका विहार करते थे, वह सूख रही है। उसमें दुनिया भर की रेत जमा हो गई है। अनधिकृत बस्तियों के कारण जो पानी उसमें बहकर आता था, वह आना बन्द हो गया है। इसी तरह पिंजौर गार्डन के अन्दर भी चण्डीगढ़ की तरह वातावरण में धीरे-धीरे परिवर्तन आता चला जा रहा है। इसलिए चंडीगढ़ के पर्यावरण की सुरक्षा की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : सभापमति महोदय, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने अपना नाम तो नहीं दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी आपने इजाजत दी।

इस आर्डिनेंस का तो मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि चंडीगढ़ को इससे डैमोक्रेटिक सैटअप मिलेगा। जो विचार मेरे काबिल सांसद धूमल जी, पवन कुमार बंसल जी और अंसारी जी दिए हैं और कहा है कि 9-10 सदस्य काफी नहीं हैं, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। इस वक्त चंडीगढ़ यूनियन टैरेटरी की जितनी आबादी है और सारे देश से लोग वहां आकर रह रहे हैं, उसके मुताबिक कम से कम 15 से लेकर 20 सीट्स का वहां का हक बनता है। इस संदर्भ में रूलिंग पार्टी और अपोजीशन पार्टी, दोनों में अमेंडमेंट्स रखे हैं। मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि उनको स्टैंड किया जाए, क्योंकि

नौकरशाही और ब्युरोक्रेसी का इस आर्डिनेंस के जरिए इस कार्पोरेशन पर कब्जा हो, यह प्रजातन्त्र और डैमोक्रेसी के हक में नहीं होगा।

मै आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। पवन कुमार बंसल जी हमारे बहुत ही काबिल और हमारे बहुत ही पोपुलर संसद सदस्य हमारे रिजन के हैं और पहले पंजाब से राज्य सभा से छः साल सदस्य रहे हैं और उन्होंने कहा है, उनके ख्याल के मुताबिक, क्योंकि वे चंडीगढ़ को रिप्रेजैंट करते हैं, चंडीगढ़ यूनियन टैरेटरी का हिस्सा रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ के लोग चाहते हैं कि चंडीगढ़ यूनियन टैरेटरी रहे। मैं अपनी जिम्मेदारी की पूर्ति के लिए कहना चाहूंगा, बात स्पष्ट कीजिये। इस आर्डिनेंस का माना यह नहीं निकलना चाहिए कि इससे प्रोसैस रिवर्ट हो गया, पीछे हो गया, चंडीगढ़ पंजाब के हवाले नहीं किया जाएगा या चंडीगढ़ का डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि 28 वर्षों से पंजाब के लोग और पंजाब का आवाम इस इन्तजार में है कि दिल्ली की सरकार चंडीगढ़ का फैसला करती है या नहीं करती है। इसलिए इस आर्डिनेस के मायने कतन रूप से यह नहीं निकलने चाहिए कि इस एक्ट से चंडीगढ़ यूनियन टैरेटरी एक्सटेंड करते हैं। यह यूनियन टैरेटरी परमानेंट रूप में रहेगा, इसके मायने यह कतन नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि चंडीगढ़ को बसाने के लिए पंजाब के सत्तर गांव और वे लोग जो शिवालिक हिल्स के निचले पहाड़ी इलाकों में खेती करते थे, खून-पसीने की कमाई करते थे, उनको उजाड़ कर फ्रेंच आर्किटैक्चर ल्योक कुरबुजियर ने इस खूबसूरत शहर को बसाया है। इसलिए इस शहर के जर्रे-जर्रे और मिट्टी के ऊपर पंजाब के लोगों की भावनायें जुड़ी हुई हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि यह व्हाइट ऐलीफेंट है और इसका कोई फायदा नहीं है। मैं दि अपोजीशन भी उपस्थित हैं, राजीव-लोंगोवाल एकार्ड की पहली धारा है कि 26 जनवरी, 1985 तक चंडीगढ़ पंजाब को सौंप दिया जायेगा। यह उस एकार्ड का स्प्रिट है। पंजाब में दस वर्षों के बाद अमन आया है और हम यह सिगनल यहां सदन से दें, उस एकार्ड की जो सबसे मामूली शर्त है।

[अनुवाद]

पंजाब के तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री सुरजीत सिंह बरनाला को संसद में नायक बनाया गया था। उस समय यह कहा गया था कि चंडीगढ़ बरनाला की सरकार को सौंप दिया जाये क्योकि उन्होंने देश बचाया है।

[हिन्दी]

आज इस सदन से यह प्रभाव जाये कि चंडीगढ़ यूनियन टेरेटरी रहेगी। मैं बहुत नम्रता से माननीय होम मिनिस्टर साहब को यह कहना चाहूंगा कि यह सिगनल पंजाब के लिये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पंजाब के लोग यह महसूस करेंगे कि पंजाब की भावना और पंजाब की जो इमोशनल अटेचमेंट चंडीगढ़ के साथ है उसके ऊपर एक चोट है। इसलिये इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे काबिल दोस्त ने सारी बातें ठीक कहीं हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, इस आर्डिनेंस में जो

[श्री जगमीत सिंह बरार]

ओवर ब्यूरोक्रटाइजेशन किया गया है, इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा वह शायद माननीय होम मिनिस्टर साहब की जानकारी में न हो कि चंडीगढ़ में कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग भी हैं। इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये कोई सीट के नोमिनेशन की बात नहीं कही गई। वहां नट गडीर, सपेरे झांसी और रायसिख हैं। वहां पटीदर जातियां बहुत देरे से मांग कर रही हैं। बिहार से लेबर करने कुछ लोग आए हैं, कोई और ट्राइब्ज के लोग हैं उनके लिए भी एक सीट इसमें जरूर होनी चाहिये ताकि उन लोगों की भावना इससे जुड़े।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस आर्डिनेंस का स्वागत करता हूं लेकिन इसमें जो डेमोक्रसी और ज्यादा नौकरशाही के गलबे की बात है और बोलबाला है उसको इस अमेंडमेंट्स के जरिए जो मूव की गई हैं उनको मान कर दोबारा से इसमें सुधार करना चाहिये।

[अनुवाद]

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। क्योंकि इस विधेयक के विभिन्न उपबंधों को पढ़ने तथा पंचायती राज नगरपालिकाओं संबंधी संविधान संशोधन को देखने के बाद मुझे सन्देह है कि यह विधेयक पूर्णतः संवैधानिक है भी या नहीं। इस विधेयक की वैधता नगरपालिकाओं संबंधी संविधान संशोधन के साथ जुड़ी है। इस संशोधन, जो संविधान का एक भाग है, के अन्तर्गत किसी भी समिति में, चाहे वह पंचायत की हो अथवा नगरपालिका की हो, किसी भी व्यक्ति को नामित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार शक्तियां और चुनाव भी संवैधानिक उपबन्ध हैं, जिनमें शक्तियों की स्पष्टतः यह व्याख्या की गई है कि नगरपालिकाओं का गठन कैसे होता है, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है और शक्तियों का निष्पादन कैसे किया जाता है। मेरी शंका है कि यह विधेयक संवैधानिक उपबन्धों का स्पष्टतः अनुसरण नहीं करता है। मेरे विचार से इस विधेयक को छोड़ दिया जायेगा, क्योंकि यह असंवैधानिक है, क्योंकि यह संविधान के उपबन्धों तथा संविधान, जैसा कि इस सभा ने अपनाया है, की भावना के अनुरूप नहीं है। इस सभा ने एक सिद्धान्त अपनाया है कि किसी पंचायत अथवा किसी जिला परिषद् अथवा किसी नगर निगम अथवा किसी नगरपालिका का कोई सदस्य निर्वाचित होगा। यह एक पक्ष है जिसकी जांच की जानी है। मुझे विश्वास है कि हमें यदि इस बारे में कोई शंका है, तो हम इस विधेयक के अधिनियमित होने से पहले इसकी कानूनी स्थिति का पता लगाने का प्रयास करेंगे।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे दो उपनगर हैं, एक हरियाणा में पंचकुला तथा दूसरा पंजाब में साहिबाजादा अजीत सिंह नगर है। संविधान में संशोधन के बाद इन उपनगरों में अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र थे। इस संशोधन के बाद मोहाली और पंचकुला में भी समुचित नगरपालिकाओं की स्थापना की जानी हैं संविधान के उपबंधों तथा पंजाब नगरपालिका के उपबन्धों के अनुसार इन पालिकाओं में केवल निर्वाचित सदस्य ही होंगे। उपनगरों में हमारे सभी निर्वाचित सदस्य

होंगे तथा मुख्य शहर में कुछ निर्वाचित और कुछ नाम निर्देशित सदस्य होंगे। मैं समझता हूं कि इससे चंडीगढ़ के लोगों को चोट पहुंचेगी। मुझे स्पष्ट रूप से यह लगता है कि यह भारत सरकार अधिनियम, 1935 का परिणाम है।

7.00 बजे म०प

यह चुनावों के बारे में भारत के लोगों की वर्तमान संवैधानिक विचारधारा के अनुरूप नहीं है। अतः मैं समझता हूं कि इस स्थिति को सुधारा जाना चाहिये। अन्यथा हमं कठिनाई होगी।

ठीक है, हमारे पास एक नगर निगम है। कल को, नगर निगम की स्थापना के बाद श्री बंसल अन्य संघ राज्य क्षेत्रों की तरह लघु-विधान सभा की मांग करेंगे। उसके बाद वे राज्य के गठन के लिए कहेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : नहीं, नहीं।

श्री उमराव सिंह : मुझे विश्वास है कि आप सारे शहर की गारन्टी नहीं दे सकते हैं। आप एक निर्वाचित जन प्रतिनिधि हैं। यह मांग इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि यह पांडिचेरी से आयी है। यह गोआ से आयी है यह अन्य संघ राज्य क्षेत्रों से आयी है। इससे समस्या और उलझ जायेगी। मुझे आशा है कि इस पहलू पर विचार किया जायेगा क्योंकि इसमें अन्य समस्याएं भी हैं। चंडीगढ़ में पानी और बिजली की भारी कमी हो रही है। वे पंजाब से पानी और बिजली की उम्मीद करते हैं। हमें पूरी स्थिति देखनी है कि क्या ऐसे अलोकतांत्रिक नगर निगम की स्थापना चंडीगढ़ के लोगों के लिए लाभदायक होगी अथवा इससे पंजाब और चंडीगढ़ के संबंधों में किसी तरह का बिगड़ाव आएगा।

मैं यहां पर इंदिरा गांधी पंचाट से शुरू करके की गई घोषणाओं के बारे में कहना चाहता हूं। हम इसे कार्यान्वित करना चाहते हैं। इसे कार्यान्वित नहीं किया गया क्योंकि हरियाणा समझौते से पीछे हट गया था।

इसके बाद विभिन्न आयोगों पर आइये। आयोगों ने चडीगढ़ को पंजाब को दे दिया है। मुझे आशा है कि भविष्य में इस विधान को नहीं बदला जायेगा। जब हमने वहां निर्वाचित लोग बैठाए हैं, तो वे किसी भी प्रकार का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। तब इससे कठिन स्थिति पैदा हो जायेगी। मैं अपने अन्य मित्रों, विशेषतौर से भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों की इस बात से सहमत हूं कि हमारे पास ऐसा निगम नहीं होना चाहिये, जो लोगों की आशंकाओं को पूरा नहीं कर सकता हो। आप देखिये, हमारे सामने एक नई समस्या पैदा हो जायेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों ने हाल ही में अकाली दल से एक नया समझौता किया है। अब, उनके लिए समस्या पैदा हो जायेगी। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया नगर निगम कानून पर ही बोलिये।

श्री उमराव सिंह : समस्या का मात्र समाधान यह है कि जितनी जल्दी संभव हो सके चंडीगढ़ का पंजाब में विलय कर दिया जाना चाहिये क्योंकि यह जल विवाद से जुड़ा मसला है।

[श्री उमराव सिंह]

हरियाणा इस बात का इच्छुक है कि हम इस समस्या का समाधान करें। जब हम इस समस्या का समाधान करेंगे, तो चंडीगढ़ शीघ्र ही स्वयमेव पंजाब में चला जायेगा। इस पर कोई विवाद नहीं है क्योंकि हरियाणा धन लेने के लिए सहमत है। वे अपनी राजधानी बनाने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूं, इस नए अधिनियम, जो संवैधानिक उपबन्धों तथा पंजाब अधिनियम के अनुरूप नहीं है, से भविष्य से काफी कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। अतः मुझे आशा है कि गृह मंत्री इन सभी पहलुओं पर विचार करेंगे।

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ में मैं इस विधेयक को अपना समर्थन देने के लिए सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, हालांकि प्रत्येक सदस्य का अपना कुछ कारण हो सकता है कि किन-किन पहलुओं को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए। प्रथमतः मैं माननीय सदस्य श्री पांडेय जी की बात को लूंगा। वास्तव में यह प्रश्न कल उठाया गया था। मैंने उक्त प्रश्न का उत्तर दे दिया है। चूंकि यही प्रश्न उन्होंने दोबारा उठाया है, तो मैं फिर से उनके ध्यान में यह बात लाऊंगा। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि जहां तक सम्भव हो सके हमें अध्यादेश जारी नहीं करने चाहिए। यह एक असामान्य स्थिति है जब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं की गई थी लेकिन कुछ कारणवश सभा का सत्रावसान करना पड़ा। कुल मिलाकर, नियम सभा के द्वारा ही बनाए जाते हैं और सभा के लिए संवैधानिक बाध्यताएं भी हैं। संवैधानिक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए यदि सभा का सत्रावसान किया जाना है और यदि किसी उपयुक्त कारण से हमें ऐसा कदम उठाना पड़ा, मैं नहीं मानता कि इसका विरोध करना न्यायोचित है। निस्संदेह ही, इसका उपयोग दृष्टांत के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इस प्रकार की स्थिति को टाला जाना चाहिए। यह एक अच्छा प्रश्न है। किन्तु इस मामले में हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था। अन्यथा 31 से पूर्व हमारे लिए यह विधेयक पारित करवाना सम्भव नहीं था।

मेरे विद्वान मित्र श्री उमराव सिंह और माननीय सदस्य श्री बरार ने कतिपय आशंकाएं व्यक्त की हैं। हमारे माननीय मित्र ने जो संवैधानिक और कानूनी आपत्तियां उठाई हैं उन्हें मैं अच्छी तरह समझता हूं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कानूनी स्थिति की जानकारी नहीं है फिर भी उनकी सूचनार्थ मैं यह बता दूं कि मैंने महान्यायवादी से परामर्श किया था। उन्हें कानूनी और संवैधानिक आधारों पर किसी प्रकार की शंका करने की जरूरत नहीं है। किन्तु जब उन्होंने यह कहा कि उनकी शंका यह है कि इसका उपयोग संघ राज्य योग को राज्य का दर्जा दिए जाने के समय किया जा सकता था। परन्तु यह बात पहले ही पता चल चुकी थी। अतः उनकी आशंका यह थी कि पंजाब को यह शहर खोना पड़ सकता है। इसी कारण से मेरे माननीय मित्र ने संवैधानिक आपत्तियां उठाई हैं। मैं उन्हें यह आश्वासन दे दूं कि जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है, हमारा यह दृढ़ मत है कि हम चंडीगढ़ को राज्य का दर्जा नहीं देने जा रहे हैं। किसी के भी मन में यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि चंडीगढ़ को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं और यही एकमात्र कारण है जिसके

फलस्वरूप इस विधेयक में इतना अधिक समय लगा। दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों को यह समझाने में मेरा काफी समय लग गया और काफी मेहनत करनी पड़ी कि उन्हें इस प्रश्न पर चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि वे शब्दों में अपनी बात नहीं कह सकते फिर भी मैं उनके मन की बात ठीक प्रकार से समझ सकता हूं। मुझे उन्हें इस प्रकार के मामले अथवा ढांचे पर सहमत होने के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा जिसके द्वारा कि हम चुने गए और नाम निर्दिष्ट दोनों ही प्रकार के सदस्य इसमें रख सकते हैं। चूंकि यह एक संवैधानिक दायित्व था जिसे हमें पूरा करना था, अतः उन्हें संभवतः किसी किस्म की आपत्ति नहीं होती। केवल उनकी सहमति के बाद ही हम विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप दे सके। यही कारण है कि इसमें काफी समय लग गया और सभा के पिछले सत्र के चलते यह काम नहीं किया जा सका, उसके कारणों में से एक कारण यह भी था।

अब मैं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए शेष मुद्दों पर आता हूं। चूंकि उन्होंने प्रश्न उठाए हैं अतः मेरे विचार से वे इस कर्त्तव्य से भी बंध गए हैं कि उन्हें उत्तर सुनने के लिए यहां पर उपस्थित रहना है। यदि वे उपस्थित नहीं होंगे तो मेरा यह कर्त्तव्य नहीं है कि मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूं। माननीय सदस्यों द्वारा कतिपय मुद्दे उठाना और उत्तर दिए जाने के समय उपस्थित नहीं रहना उचित नहीं है। मेरे मन में जो बात है वह यह है कि यदि वे उपस्थित न हों तो क्या उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्त मुझे देना चाहिए अथवा नहीं।

कुछ प्रश्न इस बारे में उठाए गए थे कि हम मात्र चंडीगढ़ के मामले में ही कुछ नई बात करने जा रहे हैं। सभी नगर निगमों में आयुक्त को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। यह चंडीगढ़ के मामले में ही नहीं बल्कि सभी निगमों पर यही बात लागू होती है और सभी कार्यकारी शक्तियां आयुक्त को प्रदान की जाती हैं। अतः इस मामले में हमने जो कुछ किया है उसमें नया कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर, कतिपय कार्मिकों की भर्ती हेतु आयुक्त को कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं, श्रेणी के और श्रेणी के दो के मामले में बल्कि की शक्तियां, जिनका कि वास्तव में सरकार द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए, सरकार को ही प्रदान की गई हैं। हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है। मेरे विचार से किसी व्यक्ति के दिमाग में किसी भी किस्म की आशंका नहीं होनी चाहिए।

माननीय सदस्य श्री अंसारी, जो यहां उपस्थित नहीं है, ने निगम को प्रदत्त शक्तियों पर आश्चर्य प्रकट किया है। मैं उनको यह बता सकता हूं कि शहर की स्थापना कला की दृष्टि से तीन विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषय निगम के पास हैं। वास्तव में वास्तुशिल्प, आयोजना और स्टेडिया; केवल ये तीनों क्षेत्र प्रशासन के पास हैं और शेष सभी विषय निगम को दिए गए हैं। यदि माननीय सदस्य इच्छुक हों तो मैं उन्हें 15 से 16 विषयों की एक लंबी सूची दे सकता हूं, जिनका कार्यान्वयन वस्तुतः निगम की जिम्मेवारी है।

मैं माननीय सदस्यों की यह भावना समझ सकता हूं कि नामित सदस्यों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। नामित सदस्यों की तुलना में निर्वाचित सदस्यों की संख्या उतनी अधिक नहीं लगती है। इसीलिए मैं इस चरण पर यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या

[श्री एस० बी० चव्हाण]

10 के बजाय 20 करने हेतु माननीय सदस्य श्री बंसल द्वारा रखे गए संशोधनों को स्वीकार कर रहा हूं। मेरे विचार से इसके बाद माननीय सदस्यों के मन में किसी प्रकार की आशंका नहीं रहेगी।

डा० पाण्डेय ने नियुक्त किए जाने वाले वित्त आयोग के बारे में एक प्रश्न उठाया था। मैं सभा को यह सूचित करता हूं कि हम संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ में एक वित्त आयोग और एक निर्वाचन आयोग नियुक्त करने जा रहे हैं। सभी संघ राज्य क्षेत्रों में वित्त आयोगों को एक समान शक्तियां होंगी। निर्वाचन आयोग द्वारा वित्त आयोग की एक विशिष्ट पद्धति के अनुसार नियुक्ति की जायेगी और चंडीगढ़ में भी यही पद्धति अपनायी जायेगी। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है और ये वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग निश्चित रूप से पूर्णतः स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करेंगे।

मैं नहीं समझता कि मुझे इस पर कुछ और कहने की आवश्यकता है। मैं सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि निश्चय ही राजीव-लोंगोवाल समझौते से शुरू की गई प्रक्रिया को बदलने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम इस उद्देश्य से इस सभा के समक्ष कतई उपस्थित नहीं हुए हैं। हमारा लक्ष्य मात्र चंडीगढ़ में स्थानीय स्वशासन के लिए लोगों की आकांक्षा को पूरा करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम पूरी प्रक्रिया को उलटना चाहते हैं। मैं उन माननीय सदस्यों को, जिनके मन में इस संबंध में कोई आशंका है, यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस विधेयक का एकमात्र उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को शक्तियां प्रदान करना है। कल मैंने यह कहा था कि यह विवादित क्षेत्र है परन्तु इससे मेरा तात्पर्य यह था कि चंडीगढ़ के राजनीतिक भविष्य के बारे में अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। यदि इन शब्दों के कारण कोई शंका हुई हो तो मेरा माननीय संसद सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे कृपया ऐसी गलतफहमी दूर कर लें। मेरा मतलब यह नहीं था।

मैं नहीं जानता कि श्री बंसल ने यह क्यों कहा कि चंडीगढ़ में कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि वे अपने स्थानीय निकायों का शासन करने में पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं है। मेरे विचार से पंजाब और विशेषतः चंडीगढ़ न केवल अपनी सुन्दरता पर ही नहीं अपितु कई अत्यंत गणमान्य व्यक्ति देने पर गर्व कर सकता है। इसीलिए उच्च सभा में प्रख्यात व्यक्तियों को नामित करने का प्रावधान है। आपके पास भारी संख्या में ऐसे प्रख्यात शक्ति हैं जो बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन चला सकते हैं। एक नामित सदस्य निरर्ह नहीं होता है। यदि ऐसा कोई सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी है जिसे स्थानीय स्वशासन की पूर्ण जानकारी हो और सरकार उस व्यक्ति का पूरा लाभ लेना चाहती है–और यदि सरकार यह महसू करती है कि किसी सरकारी अधिकारी अथवा सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी की सेवाएं चंडीगढ़ निगम के विकास के लिए उपयोगी है–तो वह ऐसा कर सकती है। किसी नामित सदस्य पर निरर्हता की शर्तें लागू नहीं होतीं। यह केवल प्रतिनिधि सभा के निर्वाचित सदस्यों के लिए निर्धारित हैं। यदि प्रख्यात व्यक्ति चंडीगढ़ शहर की भलाई के लिए अपनी सेवाएं देना चाहता है तो ऐसी स्थिति में मुझे, उस पर निरर्हता की शर्तें लगाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

माननीय सदस्यों ने ये कुछ मुद्दे उठाए हैं। मैंने इन मुद्दों का भरसक उत्तर देने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि दिए गए उत्तर से श्री पाण्डेय पूर्णतया संतुष्ट होंगे और वे अपना संकल्प वापस ले लेंगे। मुझे विश्वास है कि अन्य सदस्य भी मेरे द्वारा दी गई इस व्याख्या से संतुष्ट होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : जिन परिस्थितियों का माननीय मंत्री जी ने वर्णन किया है वह वास्तविक हैं, जैसा कि मैंने अपने भाषण में कहा था कि जहां तक संभव हो सके उसको चलाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो कारण अभी मंत्री जी ने बताए हैं उनमें ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि उससे कम समय संभव नहीं था। मंत्री जी के उत्तर के बाद मैं इस प्रस्ताव पर दबाव नहीं डालना चाहता हूं। अगर सदन अनुमति देगा तो मैं इस विदड्रा करने को तैयार हूं।

[अनुवाद]

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय : अब मैं विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ का विस्तारण करने वाले पंजाब नगर निगम अधिनियम 1976 पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची

सभापति महोदय : अनुसूची हेतु संशोधन हैं।

पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 13

"दस" का लोप किया जाये (1)

पृष्ठ 6, पंक्ति 21

[श्री पवन कुमार बंसल]

"दस" के स्थान पर "बीस"

प्रतिस्थापित किया जाये। (2)

पृष्ठ 10 पंक्ति 14

"सदस्य" के स्थान पर "सदस्यों" प्रतिस्थापित किया जाये। (3)

पृष्ठ 10,–

पंक्ति 15 के पश्चात्–

"परन्तु समिति के एकमात्र पार्षद के त्यागपत्र अथवा मृत्यु के कारण रिक्त होने पर, प्रशासन, वार्ड समिति किसी अन्य पार्षद को, वार्ड समिति के सभापति के पद पर, अगले चुनाव द्वारा रिक्त को भरे जाने तक के लिए, नियुक्त कर सकता है।"

अंत:स्थापित किया जाये (4)

पृष्ठ 11, पंक्ति 12,–

"प्रत्येक" का लोप किया जाये। (6)

पृष्ठ 11, पंक्ति 14 से 16

का लोप किया जाये। (7)

पृष्ठ 11, पंक्ति 42;–

"सरकार" के स्थान पर "किसी सरकार" प्रतिस्थापित किया जाये। (8)

पृष्ठ 12, पंक्ति 24;–

"देगा" के स्थान पर "दे सकेगा" प्रतिस्थापित किया जाये। (9)

महोदय, श्री बरार ने जो कुछ कहा है उसके समर्थन में मात्र एक वाक्य जोड़ना चाहूंगा वह यह है कि चंडीगढ़ में भी अनुसूचित जाति के लोग हैं।

यह मुद्दा पहले भी उठाया गया था। परन्तु आरक्षण के प्रश्न का निर्णय बाद में भी किया जा सकता है। परन्तु माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया वह मुद्दा सही है। महोदय, हमारे यहां जनजातीय लोग हैं जिनका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।

श्री एस०बी० चव्हाण : मैं संशोधन संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को स्वीकार करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 6, पंक्ति 13–

'दस' का लोप किया जाए। (1)

पृष्ठ 6, पंक्ति 21–

'दस' के स्थान पर 'बीस' प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

पृष्ठ 10, पंक्ति 14–

'सदस्य' के स्थान पर 'सदस्यों' प्रतिस्थापित किया जाए। (3)

पृष्ठ 10–

पंक्ति 15 के पश्चात्, परन्तु समिति के एकमात्र पार्षद के त्यागपत्र अथवा मृत्यु के कारण रिक्त होने पर प्रशासक, इस रिक्त पद को भरने के लिए होने वाले चुनाव तक वार्ड समिति के सभापति के पद पर नियुक्त कर सकता है।

अंत:स्थापित किया जाए। (4)

पृष्ठ 11, पंक्ति 12,–

'प्रत्येक' का लोप किया जाए। (6)

पृष्ठ 11;–

पंक्तियों '14 से 16' का लोप किया जाये। (7)

पृष्ठ 11, पंक्ति 42;–

'सरकार' **के स्थान पर** 'किसी सरकार' प्रतिस्थापित किया जाए। (8)

पृष्ठ 2, पंक्ति 24;–

'देगा' **के स्थान पर** 'दे सकेगा' प्रतिस्थापित किया जाये। (9)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 13,–

'दस' **के स्थान पर** 'न्यूनतम पैंतीस और अधिकतम चालीस' प्रतिस्थापित किया जाये। (10)

पृष्ठ 6, पंक्ति 15,–

'नौ' **के स्थान पर** 'तीन' **प्रतिस्थापित** किया जाये। (11)

पृष्ठ 6, पंक्ति 22,–

'दस' **के स्थान पर** 'न्यूनतम पैंतीस और अधिकतम चालीस' **प्रतिस्थापित किया जाये।** (13)

[हिन्दी]

सभापति जी, जैसा मैंने अपने भाषण में कहा कि ज्यादा अच्छा होता यदि सरकार 10 के स्थान पर 35 डायरेक्टली इलैक्टेड मैम्बर्स की संख्या रखती और जो स्थान नौमिनेटिड लोगों से भरे

[श्री सभापति महोदय]

जाने हैं, उनकी संख्या 9 के स्थान पर 3 कर देती क्योंकि लोकतांत्रिक परम्परा में यह आवश्यक है कि जितने कम से कम नौमिनेटिड मैम्बर हो सकें, उतने कम रखे जायें। इसके बावजूद भी सरकार की ओर से जब कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है और जब आपने इलैक्टेड लोगों की संख्या को 20 तक बढ़ाना स्वीकार किया है, यदि उस संख्या को थोड़ा और बढ़ा दिया जाये तो जैसा मैंने कहा था कि वहां की आबादी लगभग 8 लाख है, जिसके अनुसार 80 हजार या 90 हजार लोगों पर जाकर एक प्रतिनिधि चुना जायेगा, इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि इलैक्टेड की संख्या को बढ़ाकर 35 कर दिया जाये।

[अनुवाद]

श्री एस०बी० चव्हाण : मुझे खेद है कि मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : मैं अब डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 10, 11 और 13 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 10, 11 और 14 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीदपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 15;–

'नौ' **के स्थान पर** 'चार' **प्रतिस्थापित किया जाये। (12)**

पृष्ठ 6, पंक्ति 22;–

'दस' **के स्थान पर** 'तीस' **प्रतिस्थापित किया जाये। (14)**

[हिन्दी]

सभापति जी, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे थोड़ा दलगत नीति से ऊपर उठकर देखें क्योंकि आपने इलैक्टेड मैम्बर्स की संख्या 20 तक बढ़ाना मान लिया है और मैंने उनकी संख्या 30 करने के संबंध में संशोधन किया है। जितने माननीय सदस्य इस बिल पर बोले हैं, सभी ने 30 मैम्बर्स रखे जाने की बात कही है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसे मान लें।

श्री एस०बी० चव्हाण : मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता।

सभापति महोदय : अब मैं प्रो. प्रेम धूमल द्वारा लाए गए संशोधन संख्या 12 और 14 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 12 और 14 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

संशोधन किए गए

पृष्ठ 11;–

(I) पंक्ति 13,

'प्रत्येक' **के स्थान पर**

(II) पंक्ति 14,–

'और' **के पश्चात्** 'पंचायत में' **अंत:स्थापित करें (15)**

(एस० बी० चव्हाण)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

कि अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ी गई।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का का पूरा विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गए।

श्री एस०बी० चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित में पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधन में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, इस समय सभा के समक्ष केवल नई दिल्ली नगरपालिका परिषद विधेयक तथा मानव अंग प्रत्यारोपण विधेयक हैं। यही निर्णय लिया गया था। क्यों न सभा का समय बढ़ाकर इन मुद्दों पर कल चर्चा की जाय?

सभापति महोदय : भोगेन्द्र झा जी, हमें इतनी जल्दी-जल्दी अपना निर्णय नहीं बदलना चाहिए। हमने सभा की इच्छा का पता लगा लिया था। वास्तव में हमने निर्णय लिया है कि हम इन तीन अध्यादेशों और विधेयक पर चर्चा पूरी कर लेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा : नहीं, यह निर्णय नहीं लिया गया था। मंत्री जी ने कहा था कि यदि इन्हें स्वीकृत कर लिया गया, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु ऐसी कौन-सी बाध्यता है कि हम ग्यारह बजे तक बैठे अथवा जल्दबाजी में यह काम करें?

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीदपुर) : माननीय सभापति महोदय, एक बार सदन में दोपहर को आज जो फैसला हुआ था कि आज इस सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। उसके अनुसार हमारी पार्टी के कुछ माननीय सदस्य तो जा भी चुके हैं। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा

[प्रो० प्रेम धूमल]

कि जो कुछ भी करना है, आज ही पास कर लीजिए और आज ही सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमे पहले आज का काम पूरा करना चाहिए। कुछ सदस्य पहले ही जा चुके हैं।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था और बेशक इनके सदस्य चले गए थे। हम इस स्थिति को बदल नहीं सकते।

सभापति महोदय : भोगेन्द्र झा जी, मैं आपके सुझाव की भावना को समझता हूं। परन्तु हम अब निर्णय नहीं बदल सकते। हो सकता है कुछ सदस्य भले भी गए हों। हमने पहले ही निर्णय ले लिया था। अब हम सब को सहयोग करके इन मदों से शीघ्र समाप्त कर लेना चाहिए।

7.26 बजे म०प०

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अध्यादेश के निरनुमोदन और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद विधेयक के बारे में सांविधिक संकल्प

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 16 और 17 पर एक साथ चर्चा करेंगे।

श्री संतोष कुमार गंगवार।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 25 मई, 1994 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्या 8) का निरनुमोदन करती है।"

मान्यवर, पूर्व में भी इस संदर्भ में कहा गया था कि जिस प्रकार से सरकार की नीयत अध्यादेश लाने की है, वह निश्चित रूप से लोकतंत्रीय प्रक्रिया में कुछ अच्छी बात नहीं है। पर मैंने ऐसा महसूस किया कि जब पिछले बिल पर चर्चा हो रही थी, तो माननीय मंत्री जी ने बहुत ही उदारता दिखाई। मैं इस संदर्भ में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। हमारे दिल्ली के सदस्य इसमें कहेंगे, लेकिन जो पहली लाइन है–

"संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के उपबंध 1-6-1993 से प्रवर्तन में लाए गए थे और इनमें यह अपेक्षित था कि नगरपालिकाओं को शासित करने वाली विधि को 31-5-1994 तक संविधान के भाग 9-क के उपबंधों के समनुरूप बनाया जाए।"

और उसके अंदर एक जनतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुना जाना था। उसके साथ एक लाइन और लिखी है–

"···केन्द्र सरकार के पास नई दिल्ली नगरपालिका पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की पर्याप्त शक्तियां होनी चाहिए।"

पर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसकी जो समिति का गठन किया है उसमें एक भी निर्वाचित नहीं है। सारे के सारे मनोनीत हैं। आपने चेयरपरसन सरकारी आदमी रखा, 3 विधायक नामिनेट किए, 5 अधिकार मनोनीत किए, उस क्षेत्र का संसद मनोनीत किया और 2 व्यक्ति मनोनीत करने की बात उसमें कही। इन सारे के सारे लोगों में एक भी निर्वाचित नहीं है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या तरीका हुआ है। ऐसा लगता है कि नगरपालिका को केन्द्र सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है। यदि ऐसा है, तो फिर इस चौहत्तरवें संविधान संशोधन की बात इसमें नहीं लानी चाहिए थी। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी इस पर विचार करें और जैसा संविधान संशोधन विधेयक में हमने कहा था कि एक जनतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होगी और निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी और वे शासन प्रक्रिया को चलाएंगे, लेकिन यहां पर उसको विपरीत हो रहा है। जो उसकी भावना है, बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह है कि वे इस दिशा में विचार करें और जो हमारे दिल्ली के माननीय सदस्य यहां मौजूद हैं, वे जो प्रस्ताव आपके सामने रखें, उस पर विचार करके, उसके अनुसार आवश्यक संशोधन करें क्योंकि निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की प्रक्रिया में निर्वाचित व्यक्ति नहीं होगा, तो आपके ऊपर लोग अंगुली उठाएंगे कि आप वास्तव में जनतंत्र को सही ढंग से चलाना नहीं चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस निरनुमोदन प्रस्ताव पर आप विचार करें और आवश्यक परिवर्तन करें, तो निश्चित रूप से एक सही दिशा में कदम होगा और एक सही स्वरूप में काम होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब गृह मंत्री विधेयक प्रस्तुत करें।

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की स्थापना और उससे सम्बन्धित अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

नई दिल्ली नगरपालिका पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1911 जो एक अनुकरणीय कानून बन गया है–द्वारा संचालित होती है। 'दिल्ली के ढांचे के पुनर्गठन' के संबंध में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि, "नई दिल्ली नगरपालिका के संगठन और कार्यकरण हेतु नई दिल्ली नगरपालिका पर लागू महत्वपूर्ण पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1911 के स्थान पर उपयुक्त संसदीय कानूनी प्रावधान करने का यह सबसे उपयुक्त समय है।' और "नई दिल्ली क्षेत्र, जहां केन्द्र सरकार के अनेक महत्वपूर्ण संस्थान स्थित हैं, के महत्व को समझते हुए नई दिल्ली नगरपालिका को विशेष महत्व मिलते रहना चाहिए और दिल्ली के नगर निकायों के संगठन

[श्री एस० बी० चव्हाण]

और कार्यकरण संबंधी प्रावधान करने वाले संसद के कानून को इस संबंध में कुछ विशेष प्रावधान करना चाहिए और केन्द्र सरकार को नई दिल्ली नगरपालिका की निगरानी और इस पर नियंत्रण के साथ-साथ पर्याप्त अधिकार दिये जाने चाहिए।" समिति ने पुनः टिप्पणी की नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र पर किसी भी समय लागू होने वाले कि पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 के प्रावधानों में कुछ अस्पष्टता है क्योंकि इस मूल अधिनियम में पंजाब में कई बार संशोधन किया गया था। इस बात से भी नई दिल्ली नगरपालिका को नियंत्रित करने वाले नए कानून की आवश्यकता होती है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत लागू विभिन्न कृत्यात्मक प्रणालियों की तुलना में पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1911 के अन्तर्गत विभिन्न कृत्यात्मक प्रणालियों में काफी अन्तर है। सामान्यतः यह बात मान ली गई थी कि दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा कराधान, राजस्व, बजट, ठेके, लेखा और लेखा परीक्षाओं, सड़कों और सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा और अराजकता के दमन संबंधी मामलों में अपनाई गई प्रक्रियाओं में ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए।

नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र को विशेष दर्जा दिये जाने के निम्नलिखित विशेष कारण हैं :

(एक) नई दिल्ली नगरपालिका को ऐतिहासिक रूप से भारत संघ में केन्द्रीय प्राधिकरण का दर्जा मिल गया है। यहां राष्ट्रपति, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय, नार्थ और साउथ ब्लाक जैसी महत्वपूर्ण इमारतें तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों, राजनयिक मिशनों और विभिन्न सरकारी अवासीय कालोनियां स्थित हैं।

(दो) एन० डी० एम० सी० क्षेत्र में लगभग पूरी भूमि और 80 प्रतिशत इमारतें भारत सरकार के स्वामित्व में हैं।

(तीन) इस क्षेत्र में सम्पत्ति का निजी स्वामित्व बहुत ही कम है।

(चार) उस क्षेत्र में नगरीय सेवाओं का सुचारू कार्यकरण महत्वपूर्ण है। देश की अन्तर्राष्ट्रीय छवि दृष्टि से और इसका स्वयं सरकारी तंत्र कार्यकरण पर प्रभाव पड़ता है।

(पांच) ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र में स्थानीय सरकारी प्रणाली लागू रही है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य भागों से एकदम अलग रही है।

(तीन) इन विशेषताओं के आधार पर यह एकदम स्पष्ट है कि इस क्षेत्र के प्रशासन के लिए प्रतिनिधित्व स्थानीय स्वशासन के परम्परागत तरीके पर आधारित कोई भी योजना कारगर नहीं होगी और यहां के लिए अव्यावहारिक होगी क्योंकि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि केन्द्र सरकार यहीं से प्रावधान करती है।

(चार) संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में 1-6-1993 से

भाग नौ-क जोड़ा गया है। भाग नौ-क जोड़े जाने के साथ ही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में नगर निगमों को सभा नौ-क के प्रावधानों के अनुरूप गणित किया जायेगा। दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के प्रावधानों को पहले ही अगस्त, 1993 के सभा नौ-क के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा चुका है। अनुच्छेद 243-क में यह प्रावधान है कि सभा नौ-क संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति सरकारी अधिसूचना के द्वारा यह निर्देश दे सकते हैं कि इस खंड के प्रावधान किसी भी संघ राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भी भाग पर उनके द्वारा अधिसूचना में बताए गए अपवादों और संशोधनों के अध्यधीन लागू होगा। क्या कोई संघ राज्य किसी भाग को खंड 9-क के प्रावधानों के विनियोग में से मुक्त रखा जाएगा इस प्रश्न पर भारत के महान्यायवादी का अभिमत मांगा गया था। महान्यायवादी ने यह मत व्यक्त किया है कि नई दिल्ली नगरपालिका के संबंध में संविधान में शामिल नगरपालिकाओं संबंधी प्रावधानों को संवैधानिक तथा कानूनी रूप से संशोधित किया जा सकता है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों के सम्बन्ध में संविधान के खंड 9-क के प्रावधानों के विनियोग में इस प्रकार संशोधन किया जाये जैसी कि प्रत्येक अनुच्छेद के सामने विवेचना की गयी है :

(1) नगरपालिकाओं के संबंध में अनुच्छेद 243-द के बारे में यह सुझाव दिया गया है कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों का 243 य ख के अंतर्गत संशोधन न करके यह उपबंध किया जाए कि नई दिल्ली नगरपालिका के अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली के मुख्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श करके की जाए जो भारत सरकार अथवा दिल्ली प्रशासन का सेवारत अधिकारी हो तथा वह भारत सरकार के संयुक्त सचित के पद से नीचे पद का नहीं हो, केन्द्र सरकार द्वारा पांच सदस्यों (मताधिकार प्राप्त) का मनोनयन किया जाएगा, दिल्ली के मुख्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श के बाद अधिवक्ताओं, चिकित्सकों, चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स, अभियंताओं, व्यापार एवं वित्त सलाहकारों आदि में से दो सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा, दिल्ली विधान सभा के तीन सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः नई दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में हो इसके सदस्य होंगे। नई दिल्ली क्षेत्र के संसद सदस्य मताधिकार सहित विशेष अतिथि होंगे और ग्यारह सदस्यों में कम-से-कम तीन महिला सदस्य होंगी तथा एक सदस्य अनुसूचित जातियों के होंगे। उपाध्यक्ष का मनोनयन केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली के मुख्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श करके किया जाएगा।

(2) कार्यकलाप संबंधी अनुच्छेद, 243 ब के संबंध में नई दिल्ली नगरपालिका के

[श्री एस० बी० चव्हाण]

कार्यकलाप दिल्ली नगर निगम जैसे ही होंगे। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली नगर पालिका को जल और विद्युत थोक में मिलते रहेंगे जिसके वितरण की जिम्मेवारी उसी पर लागू होगी।

(3) वित्त आयोग संबंधी अनुच्छेद, 243 म के बारे में यह कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अंतर्गत गठित वित्त आयोग को नई दिल्ली नगरपालिका के संबंध में सौंपे गए कार्यों के लिए भी उत्तरदायी होना चाहिए।

(4) जहां तक नियंत्रण का संबंध है, केन्द्र सरकार को नई दिल्ली जनता तथा साधारण तौर पर नगर प्रशासन के लिए दक्ष सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में नगरपालिका को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त होगी। ऐसे निर्देशों के पालन में विफलता, आवश्यक प्रक्रिया अपनाने के बाद निगम भंग करने का आधार होगा।

(5) अन्य सभी मामलों में नई दिल्ली नगरपालिका तथा दिल्ली नगर निगम बीच यथासंभव समानता होगी।

(6) **समितियों का गठन** : नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति अथवा समितियों का गठन कर सकती है जो उसे ऐसे किसी भी मामले पर सलाह देगी परिषद द्वारा उसे सौंपा जाएगा या परिषद की किसी शक्ति अथवा कार्य का निर्वाह करने हेतु अथवा उन अधिकारों का प्रयोग करने के लिये जिन्हें परिषद संकल्प द्वारा उसे प्रत्यायोजित करेगी।

नई दिल्ली नगर परिषद अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा 25 मई, 1994 को प्रख्यापित किया गया था।

यह विधेयक उक्त अध्यादेश का स्थान लेगा।

महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि इस विधेयक का सभा के सभी पक्ष स्वागत करेंगे। मैं इस विधेयक को इस सम्मान्य सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि यह सभा 25 मई, 1994 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्या 8) का निरनुमोदन करती है।"

"कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की स्थापना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

चर्चा के लिए निर्धारित समय एक घंटा है। केवल पांच वक्ताओं ने अब तक अपने नाम दिए हैं। कृपया विधेयक के प्रावधानों तक चर्चा सीमित रखें तथा पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

अब श्री कालका दास बोलें।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोल बाग) : सभापति जी, दिल्ली और नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र के निवासी बहुत दिनों से सरकार से यह आशा लगाये हुए थे कि नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी में चुने हुए नुमाइंदे जायेंगे और इस क्षेत्र की समस्या को हल करेंगे। चुनावों में ऐसे वायदे भी किये गये। मेरे मित्र राजेश खन्ना जी बैठे हुए हैं। उनके चुनाव में कांग्रेस ने यह वायदा किया था और स्वयं राजेश खन्ना जी ने यह वायदा किया था कि जब हम चुनकर आयेंगे तो नई दिल्ली में चुना हुआ निकाय देंगे लेकिन कहावत है "खोदा पहाड़ निकली चुहिया"

जब नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का ऐक्ट सामने आया तो देखने से मालूम हुआ कि वहां केवल 11 सदस्य होंगे और वे भी नोमिनेटिड होंगे। एक भी चुना हुआ नहीं होगा। आज प्रजातांत्रिक प्रणाली में सदस्य नोमिनेटिड हों और एक सदस्य भी चुना हुआ न हो तो संदेह होता है कि इसको प्रजातांत्रिक इदारा कहें या नहीं। नई दिल्ली में केन्द्र सरकार चलती है और सरकार सारे देश से वायदा करती है कि यहां पर हमारे देश में प्रजातांत्रिक प्रणाली चल रही है। लेकिन जहां केन्द्र सरकार बैठी है, वहां पर जो इदारा, जो क्षेत्रीय निकाय बन रहा है, उसमें एक भी चुना हुआ प्रतिनिधि न हो तो यह बात सुनकर हैरानी होती है। जब यह खबर दिल्ली के नागरिकों और नई दिल्ली के नागरिकों के पास पहुंचेगी तो वह बड़े निराश होंगे।

अभी जैसा गृह मंत्री जी ने कहा है कि इस प्रकार की प्रक्रिया का लोग स्वागत करेंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह प्रक्रिया लागू की गई तो आने वाले चुनाव में लोग आपको नहीं बख्शेंगे। कांग्रेस का एक भी सदस्य कभी भी नहीं चुना जायेगा, यह मैं दावे से कहता हूं। इन लोगों ने दिल्ली की जनता से वायदा किया कि यहां पर हम आ जायेंगे तो यहां हम चुना हुआ निकाय देंगे, यहां की जनता को 60,000 रुपये तक इन्कम टैक्स की छूट देंगे लेकिन वक्त निकलता गया और कुछ नहीं हुआ। अब लोग पछता रहे हैं, जब समय आयेगा तो वह आपसे पूछेंगे। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, उससे लोग पूछ सकते हैं ···

[अनुवाद]

श्री राजेश खन्ना (नई दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं यहां इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहता हूं। मैं पहले हस्तक्षेप करना नहीं चाहता था लेकिन माननीय सदस्य ने जैसे कहा है वह मैंने नहीं कहा है। मैंने कभी भी ऐसा वादा नहीं किया था कि नई दिल्ली नगरपालिका में एक निर्वाचित निकाय होगी। यह कहते हुए मुझे खेद है। यह मेरा नम्र निवेदन है। ऐसा मैंने रिकार्ड सही करने के लिये कहा।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : मेरी जानकारी के हिसाब से इन्होंने हर सभा में कहा और यह अखबारों में भी आया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जब माननीय सदस्य स्वयं इस बात से इंकार कर रहे हैं तो आपको स्वीकार करना होगा।

श्री कालका दास : ठीक है। यहां पर गांव में एक छोटी-सी पंचायत के लिए भी चुनाव होते हैं और उसमें पंचायत के मैम्बर चुने जाते हैं लेकिन नई दिल्ली के एरिया में, जहां पर चुनाव की बहुत आवश्यकता है, वहां पर 11 के 11 सदस्य नोमिनेटिड हैं, यह सोचकर भी हैरानी होती है। हर पार्टी ने दिल्ली की जनता से वायदा किया है कि यहां पर चुना हुआ निकाय होगा, उसमें चुने हुए सदस्य होंगे, वह लोगों की समस्याओं को हल करेंगे लेकिन यहां पर केन्द्र सरकार ने एक नये प्रकार का ढांचा लाकर खड़ा कर दिया। पहले भी यहां एडमिनिस्ट्रेटर होता था, वह सरकारी अधिकारी होता था और आज भी सरकारी अधिकारी इसका चेयर परसन होगा तो फिर फर्क क्या पड़ा? केवल धोखा देने के अलावा, जनता को बहकाने के अलावा कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें सारे के सारे सदस्य केन्द्र सरकार के द्वारा नोमिनेटिड होंगे। वहां की जनता का चुना हुआ व्यक्ति कौन होगा, किन से लोग फरियाद करेंगे, वह किनको अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कहेंगे? यह केवल हमने ही नहीं कहा, राजनैतिक पार्टियों ने ही नहीं कहा, बल्कि यहां पर सरकारियां कमेटी बेटी थी, उसके बाद बालकिशन कमेटी बैठी, उन्होंने इसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद दोनों कमेटियों ने कहा कि नई दिल्ली में आधे चुने हुए और आधे नोमिनेटिड प्रतिनिधि होंगे।

इस बिल को देखकर ऐसा लगता हैं कि जैसे सरकारिया कमीशन को दो साल लगे, जिसका नई दिल्ली नगरपालिका के निवासी इन्तजार करते रहे, दो साल के बाद उन्होंने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट देने के बाद यह निकाय बन रहा है, जिसमें एक भी चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं रखा गया है। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि केवल बालकिशन कमेटी ने ही नहीं कहा बल्कि हमारे संविधान में भी संकेत है कि हमारे देश में प्रजातांत्रिक प्रणाली चलेगी।

प्रजातंत्र प्रणाली में चुनाव होंगे, यह संकेत चुनाव का भी है। यहां देखा तो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। प्रजातन्त्र की विशेषता है कि चुने हुए लोग जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे नीति बनाते हैं, क्योंकि जनता का सम्पर्क उनसे रहता है और वे जनता की कठिनाइयों से वाकिफ होते हैं। जनता का हर व्यक्ति उनसे मिल सकता है और वे जनता की कठिनाइयों को जानते हैं। इसलिए जो चुने हुए लोग हैं, वे नीति बनायेंगे और जो अधिकारी हैं, वे उस नीति को कार्यन्वित करेंगे, लेकिन यहां पर उल्टा है। यहां सरकारी अधिकारी चेयरपर्सन होगा और बाकी तीन विधान सभाओं के व्यक्ति नोमिनेटेड मैम्बर होगें। मैम्बर सरकारी अधिकारियों में से लिए जायेंगे। पांच तो केन्द्रीय सरकार चुनेगी, जिनमें तीन महिलायें होगी, लेकिन चुनाव एक का भी नहीं हुआ है। अभी यहां पर अनुसूचित जाति का जिक्र किया गया कि उनमें अनुसूचित जनजाति की महिला होगी। नई दिल्ली की इस कमेटी में कोई भी आरक्षित क्षेत्र नहीं है। इसलिए विधान सभाओं में चुने हुए व्यक्ति होते, तो अनुसूचित जाति और जनजाति की समस्याओं को देखते, क्योंकि नई दिल्ली में अनुसूचित जाति के नागरिकों की बहुत

बड़ी संख्या है। कालोनियां की कालोनियां है, बस्तियां हैं। नोमिनेशन में केवल एक महिला आएगी, जो उनके प्रति उत्तरदायी नहीं है। उनके लिए जवाबदेह नहीं हैं। जवाबदेह है केन्द्रीय सरकार। जब जनता की जवाबदेही नहीं है, तो उनकी समस्यायें कौन हल करेगा। जो तीन विधान सभाओं के सदस्य होंगे, तो उनके पास लोग अपनी समस्याओं को लेकर जा सकते हैं, लेकिन इनमें कोई भी आरक्षित क्षेत्र नहीं है। जब आरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो उनकी समस्यायें कैसे हल होंगी। इसलिए मेरा निवेदन है, आप जो यह बिल लाए हैं, इस पर पुनर्विचार करें। लगता है, गृह मंत्री जी यह बिल बहुत जल्दी में लाए हैं। मुझे लगता है, शायद उनको यह लगा कि जो कर देंगे, वे मान लेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह पास हो गया तो नई दिल्ली में एक बहुत बड़ा इस केन्द्रीय सरकार के खिलाफ आन्दोलन उठेगा। हमें यह विश्वास दिलाया गया था कि चुनाव होंगे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करें। यदि वे कुछ समय और चाहते हैं, तो ले लें। सरकारिया कमेटी ने कहा है कि चुने हुए लोग होने चाहिए। एक गांव की पंचायत में चुने हुए लोग हो सकते हैं, लेकिन नई दिल्ली की नगर पालिका परिषद में एक भी चुना हुआ व्यक्ति न हो और जो पीठासन अधिकारी है वह अधिकारियों में से हो, तो नई दिल्ली के लोग अपनी समस्याओं को लेकर कहां जायेंगे और कैसे उनकी समस्यायें हल होंगी। इस ओर मंत्री जी ने ठीक से ध्यान नहीं दिया हैं, मेरा निवेदन है कि वे इस पर पुनर्विचार करें और इसको दुरुस्त करके लायें। इस रूप में मैं इस बिल का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार चंडीगढ़ में दिया है, तो कम से कम यहां भी आधे से ज्यादा लोग चुने हुए होने चाहिए। पीठासीन अधिकारी चुना हुआ हो और चुने हुए लोग होंगे तो वे जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे और जनता की समस्यायें हल हो सकेंगी।

मैं इस बिल का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करें। आजादी के बाद प्रजातन्त्र का जो सपना देखा था, प्रजातन्त्र पर जिस तरह से नई दिल्ली में गला घोटा जा रहा है, उस ओर ध्यान दें।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय सभापति महोदय, आज हम यहां दिल्ली नगरपालिका परिषद विधेयक पर चर्चा करने के लिये खड़े हुए हैं। इस सरकार की पूरी तरह से यह मंशा हो गई है कि कोई भी विधेयक लाने के पहले हम अध्यादेश जारी करें और सदन के माध्यम से जो हम सदस्यों को शक्ति मिली है उस शक्ति को एनक्रोच करने का काम करें। अध्यादेश लाने का विरोध हमारे माननीय सदस्यों ने हर वक्त करने का काम किया है मगर बार-बार आश्वासन जरूर मिलता है कि हम इसमें सुधार लाने का काम करेंगे लेकिन अध्यादेश के माध्यम से हमारा जो अधिकार है उसे छीन लेने का काम यह सरकार कर रही है और यह अध्यादेश की ही सरकार पूर्ण रूप से हो गई है।

महोदय, आज एक माननीय सदस्य ने बताने का काम किया कि इस विधेयक के माध्यम से जो प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में हमें जो अधिकार मिला हैं उसका हनन करने का काम सरकार कर रही

[श्री राम कृपाल यादव]

है। इस काउंसिल में, इस कांउसिल के माध्यम से पूरी तरह से सरकार नौकरशाही के हाथों में शक्ति देने का काम कर रही है।

सभापति महोदय, मैं स्वयं भी करीब-करीब 8-9 साल तक पटना नगर-निगम में पार्षद की हैसियत से था और मैंने देखा है कि नगरपालिका सक्षम हो सकती है, नगरपालिका के माध्यम से जो सदस्य चुन कर जाते हैं वे जनता की छोटी-छोटी समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। जब कोई नगरपालिका नहीं होती है और प्रशासक के हाथ में वह शक्ति चली जाती है तो उस शहर को और वहां की जनता को क्या परेशानी उठानी पड़ती है यह मेरा खुद का अनुभव है। आज हमने करीब से देखा है कि जिस शहर में चुने हुए प्रतिनिधि नहीं रहते हैं उस शहर की स्थिति क्या होती है वहां जनता अपनी आवाज प्रशासक के पास पहुंचाने का काम जरूर करती है मगर उसकी आवाज सुनी नहीं जाती है। ठीक उसी तरह से इस काउंसिल के माध्यम से पूरी की पूरी जिम्मेदारी और सत्ता एक अधिकारी के रूप में देने का काम किया जा रहा है। यह ढकोसला मात्र होगा कि हमारे जो चुने हुए विधायक हैं उसमें मात्र मेम्बर के रूप में रहेंगे। मगर सरकार को चाहिये कि नगरपलिका का चुनाव करा कर और अधिक से अधिक दिल्ली की जो व्यापक जनता है उसकी समस्या को दूर करने का काम की होती लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण यह बताया, जो मुझे जानकारी है कि अभी स्थिति नहीं है कि यहां चुनाव कराया जा सके चूंकि लॉ एंड आर्डर की प्राबलम है, सेंसटिव इलाका है इसलिये अभी चुनाव नहीं कराया जा सकता। इस कारण से चुनाव यहां 2-3 वर्ष तक स्थागित करके यह काउंसिल बनाने का काम किया है। इसमें सिर्फ शासन के हाथ में पूरे तौर पर जिम्मेदारी डालने का काम किया गया है।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि कौंसिल के लिए यह जो व्यवस्था की जा रही हैं, इसमें निश्चिततौर पर संशोधन किया जाना चाहिए और चुने हुए प्रतिनिधियों को और जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, जो इसमें नहीं है। इसके बारे में अभी माननीय सदस्य ने भी प्रकाश डाला है।

इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि यदि सही मायने में सरकार दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहती है तो परिषद में क्षेत्र के प्रतिनिधियों को अधिक शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को पदेन सदस्य के तौर पर परिषद का सचिव बनाना चाहिए, न कि अध्यक्ष बनाना चाहिए। क्षेत्रीय सांसद के नेतृत्व में पदेन सांसद और विधायकों के हाथ में मुख्य निर्णय का 60 प्रतिशत हिस्सा होना चाहिए, जो प्रावधान वर्तमान विधेयक में नहीं रखा गया है। इसके अतिरिक्त महिला और दलित वर्गों से यदि सदस्य चुनकर नहीं आ पाते है तो इन वर्गो के सदस्यों को समुचित संख्या में मनोनीत करना चाहिए। नई दिल्ली क्षेत्र से जो सांसद और विधायक सफल रहे हों, उन चारों प्रतिनिधियों के पास निर्णय की 51 प्रतिशत शक्ति होनी चाहिए और चुनाव में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवारों को परिषद में सदस्य बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त महिला और दलित वर्गों के प्रतिनिधि यदि चुन कर न आ सकें तो इन वर्गों से अधिक से

अधिक सदस्यों को मनोनयन करना चाहिए। नई दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी को परिषद का सचिव बनाया जाना चाहिए। इन सुझावों पर अमल करने से ही यह कौंसिल इफेक्टिव हो सकेगी और दिल्ली की जनता को कौंसिल के माध्यम से राहत देने का काम हो सकेगा। नहीं तो सत्ता पूरी तरह से अधिकारियों के हाथ में चली जाएगी, जिनका मनोनयन सरकार के माध्यम से किया जाएगा।

अतः सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि दिल्ली की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन किया जाना चाहिए और चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिकार दिए जाने चाहिए, जिससे दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान हो सके।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने कई मौकों पर अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता की वकालत की है। परन्तु उनकी दलीलें संतोषजनक नहीं हैं क्योंकि वह हमेशा यह बहाना बनाते हैं कि समय सीमित है और दिन गिने-चुने हैं अतः अध्यादेश जारी करना होगा। वे अधिनियम पारित करने की अंतिम तिथि जानते हैं और कितने समय के अंदर उन्हें कानून बनाना है। वे मामले को टालते रहते हैं और अंत में यह कहते हुए अध्यादेश जारी कर देते हैं कि समय नहीं है। यह अत्यंत अनुचित दलील है तथा इससे सरकार के इरादों का पता चलता है। क्या हम अध्यादेशों के माध्यम से ही प्रशासन चला रहें हैं? जो भी हो, कम-से-कम विधेयक को पुरःस्थापित किया गया है और अब इस पर चर्चा हो रही है। जैसा कि पहले सदस्य ने बताया है, कि इस विधेयक में सरकारिया आयोग तथा बालकृष्णन आयोग की सिफारिशों को समुचित महत्व नहीं दिया गया है और इस विधेयक के प्रति हमारी मुख्य आपत्ति नई दिल्ली नगर पालिका के गठन पर है। पहले भी यह नौकरशाही निकाय कार्यरत थी और हमें पता है कि यह भ्रष्टाचार का अड्डा था और आम जनता को अपनी शिकायतें दूर करने के लिए इधर-से-उधर भागना पड़ता था। अधिकांश समय संसद सदस्यों तथा जनता के अन्य प्रतिनिधियों को जनता की अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता था।

8.00 बजे म०प०

परन्तु लेकिन इस विधेयक में माननीय गृह मंत्री पुरानी व्यवस्था को ही नये ढंग से पेश कर रहे हैं। जहां तक नई दिल्ली नगर पालिका के गठन का संबंध है कि सभी सदस्य मनोनीत सदस्य होंगे। उनमें से छह सदस्य नौकरशाह होंगे। छह नौकरशाहों में से एक अध्यक्ष होगा। यदि उपसभापति विधायकों में से एक होगा तो यह अशोभनीय होगा। विधायक नई दिल्ली नगर पालिका का निर्वाचित सदस्य भले ही न हो। वह जनता का प्रतिनिधि अवश्य होता है। वह मात्र जनता का प्रतिनिधि है। वह एक नौकरशाह अध्यक्ष के अधीन एक उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। मैं समझता हूं कि यह अशोभनीय है। यह लोकतांत्रिक भावनाओं के विरुद्ध है। यह उस व्यक्ति का अपमान है जिसे पहले ही जनता द्वारा निर्वाचित किया गाय है। अतः मैं इस खामी की ओर माननीय मंत्री का

[श्री हन्नान मोलाह]

ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। संसद सदस्य क्रिकेट के बारहवें खिलाड़ी के समान नई दिल्ली नगर निगम का बारहवां सदस्य होगा। वह नहीं जानता कि उसे कभी कोई मौका मिलेगा भी या नहीं। वह यह नहीं जनता है कि उसे क्या भूमिका अदा करनी है। वह मात्र एक सजावट की वस्तु होगा। मेरे मित्र भी कालका दास ने उस फिल्म को देखा होगा जिसमें आपने जनता से बहुत से वायदे किए और वह इससे उलझन में पड़ गया। कई फिल्मों में आपने जनता से वायदे किए कि आप बहुत कुछ करेंगे। लेकिन फिल्म में वह सब करना जरूरी नहीं है। जो भी हो, ये सब समस्याएं हैं। नई दिल्ली नगर निगम के गठन की बात पर आयें, उनमें निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। इसके बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता। पहले भी अन्य सदस्य इस पहलू पर गौर करने के पक्ष में बोले हैं। मैं नहीं जानता कि फिलहाल उनका कोई और विचार है या यह जल्दबाजी में किया जा रहा है। फिर भी हम यह कहते हैं कि अधिकांश सदस्य निर्वाचित होने चाहिए। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भी निर्वाचित सदस्यों में से होने चाहिए। उसके बिना इसका कोई उपयोग नहीं है।

महोदय, हम दिल्ली की समस्या से अवगत हैं। पूरे देश में यहां लोग आ रहे हैं। उनके हित, उनकी संस्कृति और उनकी समस्याएं हैं। इन सभी बातों के बावजूद यह देश के सभी हिस्सों से लोग आ रहे हैं। अतः नई दिल्ली नगरपालिका को देश के विभिन्न प्रान्तों से आने वाले लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की एक विशेष भूमिका निभानी होगी। उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि हमें लोकतंत्र का सम्मान करना है तो इस नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में चुनाव होना चाहिए और इसमें निर्वाचित सदस्य होने चाहिए।

दूसरे, नई दिल्ली नगरपालिका के समक्ष बहुत-सी समस्याएं हैं। हमने यह पहले भी देखा है। आप बहुत-सी बातों के संबंध में स्थिति को जानते हैं। नई दिल्ली नगरपालिका के संबंध में स्थिति को जानते हैं। नई दिल्ली नगरपालिका पहले से ही कार्यरत है। हम नहीं जानते कि वही नौकरशाही व्यवस्था जब अस्तित्व में आएगी और कार्य करेगी तो कोई आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा। हम नहीं जानते कि किस तरह भ्रष्टाचार को कम किया जा सकेगा। हम नहीं जानते कि जनता के साथ इसका व्यवहार कैसा रहेगा। यहां धनाढ्य लोगों के कई क्षेत्र हैं। यहां कुछ धनी वर्ग के लोग रहते हैं। कुछ क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारी रहते हैं। इन दोनों स्थानों की क्या तुलना है? निश्चय ही भेदभाव आवश्य होगा। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां सरकारी कर्मचारी और कम आय वर्ग के लोग रहते हैं। निश्चित तौर पर अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों और सड़कों आदि के संबंध में भेदभाव किया जाता है।

ये नौकरशाह ऐसा करेंगे क्योंकि उन्हें आम लोगों से कोई सहानुभूति नहीं है। यदि जन प्रतिनिधि हो, तो उन्हें आम लोगों से वास्ता होता है। केवल वे लोग ही आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने में न्याय करने में सक्षम होते हैं। अन्य पहलुओं पर चर्चा करने के लिए अधिक समय नहीं है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के गठन के बारे में पुनर्विचार

किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने जो दलील हमारे सामने रखी है, वह आश्वस्त नहीं करती। यह तो इस निकाय को नौकरशाहों को सौंपने की कोशिश मात्र है। इससे अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बी०एल० शर्मा प्रेम (पूर्वी दिल्ली) : महोदय, प्रस्तावित विधेयक संविधान की भावना के ही प्रतिकूल है। संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) विधेयक का मूल मंतव्य यह है कि स्थानीय निकायों का प्रशासन निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जायेगा। ऐसा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के मामले में निर्दिष्ट प्रक्रिया से हटकर दिया गया है। पूरे निकाय में नाम निर्दिष्ट सदस्य है, हालांकि दिल्ली विधान सभा के उन तीन सदस्यों, जो कि नई दिल्ली के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को भी इसमें शामिल किया गया है।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद विधेयक में अन्तर्विष्ट कुछ प्रावधान नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अध्यादेश, 1994 से भिन्न हैं। इस अध्यादेश में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :

(एक) धारा 9 (3) :

इस धारा के अन्तर्गत गठित की गई प्रत्येक समिति अपने सदस्यों में से एक सदस्य को इसके सभापति के रूप में निर्वाचित करेगी।

(दो) धारा 13 की उपधारा 3 :

केन्द्रीय सरकार सभापति को पदच्युत कर देगी यदि इस हेतु परिषद को बुलाई गई विशेष बैठक में कुल सदस्यों के 3/5 से अन्यून बहुमत द्वारा ऐसी पदच्युति का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है।

(तीन) धारा 24 (1) :

परिषद की बैठक के संचालन हेतु अनिवार्य गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की 1/5 होगी।

लोक सभा में पुरःस्थापित किए गए विधेयक में उक्त प्रावधानों में परिवर्तन कर दिया गया है।

(एक) विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा गठित की गई प्रत्येक समिति की अध्यक्षता परिषद के सभापति द्वारा की जायेगी।

(दो) सभापति को परिष के 3/5 सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाने संबंधी प्रावधान का लोप कर दिया गया है।

(तीन) जहां तक गणपूर्ति का संबंध है, विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि इस संबंध में अलग से नियम बनाए जायेंगे।

[श्री बी० एल० शर्मा प्रेम]

इन परिवर्तनों से परिषद के सभापति अर्थात् नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के प्रशासक को निर्बाच शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। सभापति पर नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हैं। इसमें स्थानीय सरकार का अधिक हस्तक्षेप नहीं होगा। विधेयक में स्थानीय सरकार को नियंत्रण प्रदान करने के लिए संशोधन किए जाने चाहिएं। सभापति एक सिविल सेवक ही नहीं होना चाहिए। उसे एक नौकरशाह नहीं होना चाहिए क्योंकि एक नौकरशाह गरीब लोगों के दुःख-तकलीफ नहीं समझ सकता। इस हेतु निर्वाचित प्रतिनिधि ही होना चाहिए। परिषद द्वारा गठित की जाने वाली समिति का सभापति लोगों का प्रतिनिधि होना चाहिए अध्यादेश में सभापति को परिषद के 3/5 सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाने सम्बन्धी प्रावधान को विधेयक में रखा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सभापति अपने कृत्यों के लिए परिषद के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। सभापति पर पर्याप्त अंकुश होने पर ही उसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है।

निष्कर्ष में, मैं माननीय मंत्री जी से इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें शत-प्रतिशत नई दिल्ली से निर्वाचित सदस्य होने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति महोदय, यह बिल जिस रूप में आया है मैं उसका विरोध करता हूं। दिल्ली में म्यूनिसिपल काउंसिल का होना जरूरी है लेकिन जो इसकी बनावट है मैं समझता हूं कि इसकी मंशा के खिलाफ है। 46 वर्ष की आजादी के बाद भी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि म्यूनिसिपल काउंसिल में नहीं आ रहे। सरकारी कर्मचारी की चेयर संभाले तो यह प्रजातांत्रिक नहीं होगा। इसमें अगर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि रहते तो मैं समझता हूं कि यहां के लोगों को अधिक विश्वास होता लेकिन न जाने सरकार की क्या मंशा है कि सरकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं करती। अगर सरकार को विश्वास होता तो सरकार अफसरों को अध्यक्ष बनाने का काम नहीं करती। एक चीज इससे मिलती है। मंडल कमीशन का नाम सरकार पहले लेती है। सरकार कहती है कि आदिवासी और हरिजनों को अधिक से अधिक सहूलियत देनी है, आगे बढ़ाना है लेकिन मैं इसमें देखता हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था देश में है उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। साथ ही साथ हरिजन और आदिवासी भाइयों को जो साढ़े बाइस प्रतिशत आरक्षण मिला है उस को भी लागू करने की नीयत सरकार की नहीं है। अगर नीयत होती तो सरकार यह नहीं कहती कि एक ही आदमी को इसमें बहाल किया जाएगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर सरकार की नीयत साफ है मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की, और 46 वर्ष की आजादी के बाद भी जो साढ़े बाइस प्रतिशत आरक्षण हरिजन और आदिवासियों को नहीं मिल पाया अगर सरकार उसे देना चाहती है तो इस बिल में जो जगह दी है उसके मुताबिक इस जगह को भरने का काम करें। अगर सरकार आम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को नहीं रखना चाहती, इसके बावजूद भी इसमें जो जगह भरना चाहती है या जो सदस्य सरकार इसमें रखना चाहती है उसमें भी आरक्षण लागू करे।

सरकार की तरफ से इसमें और भी बातें आई हैं। मैं समझता हूं कि इसे विस्तृत रूप में आना चाहिए था। इससे दिल्ली की जनता का भला होने वाला नहीं है। दिल्ली केवल दिल्ली में पैदा होने वालों की ही नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है और तमाम राज्यों के लोग आकर यहां रहते हैं। तो उनको भी कोई-न-कोई सुविधा चाहिए, पानी चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए। इसलिए सरकार का दायरा इसमें बड़ा होना चाहिए। अभी जिस नीयत से सरकार ने इसे संकुचित कर दिया है उसे बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि फिर से इस बिल पर विचार करे और वृहत दिमाग में इसको लाए जिससे दिल्ली में रहने वालों की रक्षा हो सके और बाहर से आने वाले लोगों की रक्षा हो सके और जिससे दिल्ली का अधिक से अधिक विकास हो सके। दिल्ली के लोगों को उम्मीद थी कि हमारे यहां म्यूनिसिपल काउंसिल बनेगी तो हमें अधिक से अधिक सुविधाएं मिलेंगी लेकिन मैं समझता हूं कि इस बिल से खोदा पहाड़ा और निकली चुहिया वाली कहावत ही चरितार्थ होगी। इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, भारत सरकार ने दिल्ली के संबंध में हाल ही में जो दो प्रमुख पहलकारी कदम उठाए हैं वे एक तो भारत के संविधान के अध्याय नौ 'क' के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लिए एक विधान सभा गठित करने और दूसरा दिल्ली नगर निगम का प्रावधान करने के संबंध में है। महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि इन दो प्रमुख कदमों से दिल्ली के लोगों की आशंकाएं पूरी हुई हैं। जिसे हम नई दिल्ली कहते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसका माननीय गृह मंत्री ने जिक्र किया है और जिसके संबंध में विधेयक की अनुसूची I में उल्लेख किया गया है और यदि हम इसका अवलोकन करने की कोशिश करें तो इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का मात्र तीन प्रतिशत भाग ही आता है और मेरे विचार से इसकी जनसंख्या भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जनसंख्या का मात्र तीन प्रतिशत ही होगी। और महोदय, हम सभी को मालूम है कि इस क्षेत्र में भारत सरकार के सभी कार्यालय स्थित हैं। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और यहां तक कि सजनयिक मिशन भी इसी क्षेत्र में स्थित हैं। हम सभी को पता है कि राजनयिक मिशनों के भूभाग उन देश विशेष जिन-जिन देशों के वे मिशन हैं, के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून में यही स्थिति है। इस स्थिति में इस भू-भाग के प्रशासन के संबंध में एकमात्र रास्ता यही है कि इस पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण रहे। पूर्व वक्ताओं की तरह मेरी भी यही दृढ़ मान्यता है कि लोकतांत्रिक सिद्धान्तों को प्राथमिकता दी जाये। लेकिन इस क्षेत्र की जो वर्तमान स्थिति है जहां सारा भू-भाग भारत सरकार के स्वामित्व में है और 80 प्रतिशत भवन भारत सरकार की सम्पत्ति है, यदि इस स्थिति में आप जिसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं, जैसी कोई व्यवस्था करते हैं–जो हम देश के प्रायः सभी शहरों में कर रहे हैं, तो एक तरह की बेतुकी स्थिति बन जायेगी। उस हालत में हमें एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां उस समिति के सदस्य कह सकते हैं और मुझे भरोसा है कि ऐसी स्थिति निश्चित रूप से बनेगी जब वे सदस्य कहेंगे कि उस क्षेत्र में उनकी आज्ञा नहीं चलती।

[श्री पवन कुमार बंसल]

इस तरह की परिस्थिति से बचने के लिए, मेरे विचार में इस क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा रास्ता वही है जो भारत सरकार ने चुना है। 11 सदस्यों की एक समिति के बारे में विचार किया गया है। इस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की भावना को सम्मान करने के विचार से तथा संसद तथा विधान सभा के सदस्य को चुनने के उनके अधिकार के अलावा यह व्यवस्था की गई है कि विधान सभा के तीन सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र नई दिल्ली नगर निगम की क्षेत्रीय सीमाओं में पड़ते हैं, इस समिति के सदस्य होंगे। मुझे विश्वास है कि वे जन सामान्य की भावनाओं का आदर करेंगे तथा ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं होगी जिसमें यह अनुभव किया जाय कि चुने गए प्रतिनिधियों के प्रभाव में कोई विशेष निर्णय नहीं लिया जा सका या लिया गया निर्णय लोगों के हितों में सर्वोपरि नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस तरह की परिस्थिति कभी पैदा ही नहीं होगी। इस तरह की परिस्थितियों में ही इस तरह के अपवाद देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रजातांत्रिक मूल्यों को किनारे रखकर या उनकी अनदेखी कर रहे हैं। मैंने प्रारम्भ में ही इस भावना को व्यक्त किया था कि दिल्ली के मामले में लोगों की इच्छाओं का अधिकतम ध्यान रखा गया है।

काफी पहले एक प्रश्न उठा कि चूंकि भारत सरकार दिल्ली में है, इसलिए इसी आधार पर इस क्षेत्र के लिए विधान सभा पर विचार नहीं किया गया।

मैं जोर देकर यह बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार ने इस दृष्टिकोण को बदल दिया। हमने विचार किया कि चूंकि दिल्ली इन वर्षों के दौरान विकसित हुई है और इसकी जनसंख्या 90 लाख से अधिक हो गई है, तो इसके लिए एक विधान सभा का होना अति आवश्यक है। इस छोटी-सी जगह के लिए जो देश का 3 प्रतिशत भू-भाग है तथा 3 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है उसके लिए मेरे विचार से यह सबसे अच्छी स्थिति है, विशेषरूप से जब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि विधान सभा में कम-से-कम तीन महिला सदस्या हों तथा एक अनुसूचित जाति का सदस्य अवश्य हो। इसके अलावा बाकी अन्य कई चीजों के लिए यथा, उपकानून बनाए जाने के लिए इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकरा की अनुमति अनिवार्य होगी। यदि इस प्रकार के प्रावधान किए जायें, तो आप आपत्तियां नहीं उठा सकते हैं या केन्द्र सरकरा के ऊपर दोष नहीं लगा सकते हैं कि स्थानीय लोगों की इच्छाओं पर विचार नहीं किया गया।

मैं और ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं केवल एक बात चाहूंगा कि इस विशिष्ट क्षेत्र की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जो दिल्ली के कुल क्षेत्रफल की 3 प्रतिशत है तथा जिसकी जनसंख्या इस अनुपात में लाख लोगों से ज्यादा नहीं, के ऊपर केन्द्र सरकार का पूरा नियंत्रण अवश्य होना चाहिए। यही बातें योजना में थी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा भी मान ली गई थीं जब मैं विभिन्न प्रावधानों पर सरसरी निगाह डाल रहा था तो दो प्रावधानों के मामलों ने गलती से, 393 और 394 धारा के मामले में केन्द्र सरकार की जगह 'या सरकार' शब्द का प्रयोग हुआ है। मैंने इन शब्दों को हटाने के लिए एक संशोधन प्रस्तुत किया है। इस विधेयक के उद्देश्य और इसकी संपूर्ण प्रकृति के बीच संतुलन कायम करने के लिए ऐसा किया गया है। बाद में

भी, यदि आप धाराएं 395, 396 तथा 397 को देखें तो उनमें केवल केन्द्र सरकार का उल्लेख है। केन्द्र सरकार का ही इस पर नियंत्रण होना चाहिए। कई अन्य मामलों में केन्द्रीय सरकार को प्रमुखता दी गई है, मैंने इन संशोधनों का प्रस्ताव दिया है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री उन्हें स्वीकार करेंगे क्योंकि ये केवल विधेयक के प्रावधानों का तर्कसंगत बनाने का कार्य करेंगे। इसके साथ, मैं विधेयक को प्रस्तुत करता हूं :

[हिन्दी]

श्री कालका दास : सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी पवन कुमार बंसल जी ने कहा कि इसमें जहां 3 विधेयक होंगे और एक एक्स-ऑफिसियो सांसद होगा, तो क्या उसका सीमापतित्व कोई सरकारी अधिकारी करेगा?

[अनुवाद]

श्री एस०बी० चव्हाण : माननीय अध्यक्ष, मैं कुछ माननीय सदस्यों की स्थिति समझ सकता हूं क्योंकि इसी सरकार ने दिल्ली को विधान सभा दी है। शिष्टमंडल मेरे पास मेट्रोपालिटन काउंसिल की मांग के साथ आया था, यदि नरसिम्हा राव की सरकार को प्रजातंत्र में विश्वास नहीं हो तो उन्होंने विधान सभा के स्थान पर दिल्ली को कुछ और दिया होता। मुझे निश्चित तौर पर यह पता नहीं है कि माननीय सदस्यों को इस संबंध में तथ्य का पता है या नहीं। वास्तव में, अधिकतर जन प्रतिनिधि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को विधान सभा दिए जाने के पक्ष में नहीं थे। बावजूद इसके, हमने निर्णय दिया कि हमें इस क्षेत्र को विधान सभा देनी है। इसके अलावा, कुछ गलतफहमी उत्पन्न हो गई हैं, ऐसा लगता है। एक मांननीय सदस्य, जो कि अभी यहां दिखाई नहीं देते हैं ने मुद्दा उठाया तथा ऐसी अनुमति दी कि समूचे दिल्ली में जनप्रतिनिधि वाली नगर निगम नहीं होगी, जो वास्तव में सही तथ्य नहीं है। वास्तव में 90 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल के लिए, दिल्ली सरकार की नगर निगम होगी। यह पूरी तरह से निर्वाचित संख्या होगी। इस क्षेत्र की केवल 3 प्रतिशत जनसंख्या के लिए इस क्षेत्र की विशेष प्रवृत्ति तथा विशेष उत्तरदायित्वों के संदर्भ में निश्चित मापदंड बनाए रखने के लिए हम इसकी मांग कर रहे हैं। निश्चित मापदंड बनाए रखने के लिए हम सभी राजनयिक दल इसी क्षेत्र में आते हैं, सरकार के सभी महत्वपूर्ण भवन इसी क्षेत्र में हैं। राष्ट्रपति भवन भी यहीं है, इसके अलावा, इस देश की अन्तर्राष्ट्रीय साख का पैमाना इस क्षेत्र में दी जा रही सुविधाओं पर निर्भर करता है। इसलिए हम एक ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो जवाबदेह हो।

प्रो० प्रेम कुमार (हमीदपुर) : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का कोई स्तर नहीं होता है केवल नाम निर्देशित सदस्यों का ही कोई स्तर होता है।

सभापति महोदय : जो वह कह रहे हैं, वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है।

श्री एस०बी० चव्हाण : मैं नहीं समझता कि आप मुझे सही उद्धृत कर रहे हैं क्योंकि मैंने ऐसा कहा ही नहीं है, ये अर्थ आपने ही निकाला है। वास्तव में, मेरा यह मंतव्य नहीं था, निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक निश्चित भूमिका अदा करनी होती है लेकिन उनकी यह भूमिका एक निश्चित क्षेत्र

[श्री एस० बी० चव्हाण]

में ही हो सकती है। इसका अधिकतर भाग जन प्रतिनिधियों के अपने नियंत्रण में ही रहता है। अतएव, आप दोषारोपण नहीं कर सकते हैं कि यह क्षेत्र उसकी पहुंच के बाहर क्यों है। इस तरह के पैटर्न बनाने में जो दिल्ली के लिए उपयुक्त हो, काफी लंबा समय लग गया है। बड़ी संख्या में इस संबंध में लोगों से विचार-विनिमय किए जाने पड़े। जन प्रतिनिधियों को भी विचार-विमर्श करना पड़ा। दिल्ली से चुने गए संसद के प्रतिनिधियों से भी विचार-विमर्श किए गए। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह काफी खतरनाक होगा यदि संयोगवश कोई गलती हो जाय तो आप यह दोषारोपण नहीं कर सकते कि ऐसा इस पैटर्न की वजह से ज्यादा अब हमारे पास नाम निर्देशित सभापति महोदय हैं। वे हमारे प्रति उत्तरदायी होंगे। वे हमारे प्रतिनिधि के रूप में जो कुछ कर रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा, हमारे पास निर्देश देने का भी अधिकार रहेगा। हम काउंसिल को यह निर्देश दे सकते हैं कि उन्हें कुछ मापदण्ड अपनाने होंगे तथा कुछ योजनाएं चलानी होंगी, जो इस क्षेत्र को विशेष दर्जा देंगी। अन्यथा नाम निर्देशित संस्था बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

अतएव, हमें उन सभी प्रावधानों का इस विशेष पैटर्न के मद्देनजर रखना जरूरी होगा जो कि हमने नई दिल्ली क्षेत्र के लिए अपनाया है। इसीलिए हालांकि दिल्ली नगर निगम अधिनियम को इस विधेयक के अन्दर शामिल कर लिया गया है, मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि कुछ कमियां हैं जिने दूर किया जाना आवश्यक है। इसलिए हमने इस कार्यप्रणाली का विकास किया है जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए अध्यक्ष को निर्वाचित समिति द्वारा हटाने की मांग रखी गई है। इनमें से कोई भी चुनाव लड़ कर नहीं आया हो, सभी नाम निर्देशित हैं। लेकिन सामान्य तौर पर इस सिद्धांत का पालन किया जाता है कि जो भी नियुक्तिकर्ता हैं उन्हें किसी व्यक्ति को हटाने का भी अधिकार प्राप्त होता है। अगर केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त सभापति या उपसभापति को यदि वहां की समिति द्वारा हटाये जाने का प्रावधान हो, तो यह उद्देश्यों को ही समाप्त कर देगा। इसलिए इस संशोधन को लाए जाने की आवश्यकता हुई हालांकि यह मूल अध्यादेश में नहीं था, मुझे विश्वास है कि आदरणीय सदस्य यह समझने में कि इस तरह के संशोधन लाने की क्यों आवश्यकता हुई जो अधिनियम में दिए गए प्रावधानों से थोड़ी भिन्न हैं।

इसलिए गणपूर्ति का भी प्रश्न है। यदि गणपूर्ति का निर्धारण सदस्यों का एक बटा पांच भाग है जो बहुत ही कम मात्र ग्यारह सदस्य होंगे, तो वह हास्यास्पद लगेगा। इसीलिए जब नियम बनाए जाते हैं तो गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य होंगे यह भी निश्चित किया जाएगा। गणपूर्ति का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि मनोनीत तथा निर्वाचित दोनों ही सदस्यों को यह संतोष होगा कि वे अपना विचार सामने रख सके। हम यही चाहते थे।

ये मुख्य मुद्दे हैं जिन्हें उठाया गया है। मैं नहीं समझता कि जो बातें विचारधीन विधेयक के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उनका उत्तर देने की आवश्यकता है। इन स्पष्टीकरणों के बाद माननीय सदस्यों का संदेह दूर हो जाएगा और नई दिल्ली क्षेत्र के लिए इस विशेष व्यवस्था को स्वीकार करने के कारण

को समझेंगे और सराहेंगे। चूंकि वे इसके विभिन्न प्रभावों को जानते हैं, अतः मैं आशा करता हूं कि वे विधेयक का समर्थन करेंगे।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : सभापति महोदय, यह निरनुमोदन का प्रस्ताव केवल विरोध के लिए नहीं था। हमें ऐसा लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी को निर्वाचित प्रतिनिधियों के ऊपर पूरा विश्वास नहीं था। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा महसूस करता हूं, उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि सभी पक्षों से परामर्श किया लेकिन मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के सांसद, जो उनके दल के हैं, शायद उनसे भी परामर्श नहीं किया गया। नहीं तो उनको इस पर निश्चित रूप से बोलना चाहिए था। यह जिस ढंग से किया गया उसने सांसद की स्थिति तो निश्चित रूप से हास्यास्पद बना दी। इस प्रस्ताव को हमने इसलिए प्रस्तुत नहीं किया कि इसका हम विरोध करेंगे। लेकिन यह बात सही है कि बंसल जी ने कहा, 3 प्रतिशत लोग ही रहते हैं। 3 प्रतिशत का मतलब कम-से-कम 3 लाख लोग हो गए। उनकी आपने बिल्कुल अनदेखी कर दी। नई दिल्ली म्युनिसिपल एरिया में जो कुछ होता है, उसके बारे में मैं यहां पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि समय का अभाव है। मैं ऐसा समझता हूं कि आपके अंदर कोई बैटर सैन्स प्रीवेल होगा और आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि हिन्दुस्तान का आम मतदाता इस देश के प्रति ज्यादा अच्छे विचार रखता है और इस देश को बचाने में उसका पूरा योगदान है। उसके हिसाब से निर्वाचित प्रतिनिधियों के बारे में भी आप विचार करेंगे।

मैं इससे ज्यादा समय न लेते हुए इस विश्वास के साथ अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं कि आप निश्चित रूप से ऐसी प्रक्रिया लाएंगे और विधान सभा और दिल्ली के सांसदों के साथ मिलकर जो भी आवश्यक परिवर्तन होगा, करेंगे।

मैं सदन से अपने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

[अनुवाद]

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय : अब मैं विधेयक पर विचार के प्रस्ताव को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की स्थापना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 392 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[सभापति महोदय]

खंड 2 से 392 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 393–दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा करने की सरकार की शक्ति

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 129 पंक्ति 6,–

"अथवा सरकार" का लोप किया जाए। (1)

श्री एस०बी० चव्हाण : मैं इसे स्वीकार करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 129 पंक्ति 6,–

"अथवा सरकार" का लोप किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। (1)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 393 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 393 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 394–निरीक्षण

श्री पवन कुमार बंसल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 129, पंक्ति 13,–

"अथवा सरकार" का लोप किया जाए। (2)

श्री एस०बी० चव्हाण : मैं इसे स्वीकार करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 129, पंक्ति 13,–

"अथवा सरकार" का लोप किया जाए। (2)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 394 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 394 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खंड 395 से 419 तक कोई संशोधन नहीं है। मैं अब खंड 395 से 419 तक को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 395 से 419 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 395 से 419 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रथम से दसवीं अनुसूची तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रथम से दसवीं अनुसूची तक विधेयक में जोड़ दी गई।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक यथा संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री एस०बी० चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

सभापति महोदय :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8.35 बजे म०प०

मानव अंगों का प्रतिरोपण विधेयक–जारी

राज्य सभा द्वारा यथापारित तथा प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 19 पर विचार करेंगे। श्री पवन सिंह घाटोवार द्वारा 23 दिसम्बर, 1993 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे, अर्थात :

"कि मानव अंगों के चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए निकाले जाने, भंडारकरण और प्रतिरोपण को विनियमित करने के लिए और मानव अंगों में वाणिज्यिक व्यवहार का निवारण करने तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले

[सभापति महोदय]

विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित और प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित पर विचार किया जाये।"

हम इस विधेयक पर विचार कर रहे थे। कुल दो घंटे का समय निर्धारित किया गया था। इस पर चर्चा में हम आधा घंटा लगा चुके हैं। अब केवल डेढ़ घंटे का समय बचा है।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : हम इसे बिना किसी चर्चा के पारित कर सकते हैं।

सभापति महोदय : इस विधेयक को आधे घंटे में पारित किया जाए।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति जी, जैसा सलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई है, सदन उसको वैसी-की-वैसी स्वीकार कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, तब हमें इसको पास करने में कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह प्रकिया नहीं है।

डा० खुशीराम डुगरोमल जेस्वाणी (खेड़ा) : प्रवर समिति का प्रतिवेदन पहले से ही सरकार के पास है। यदि वे इसे स्वीकार करते हैं तो हमें इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसे पारित कर सकते हैं।

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : सभापति महोदय, जहां तक चिकित्सा व्यवसाय, प्रतिरोपण करने वाले अस्पतालों, दाताओं, ग्रहणकर्त्ताओं साथ ही इस गतिविधि तथा धंधों से जुड़े बिचौलियों तथा मुनाफाखोरों का संबंध है, राज्य सभा द्वारा यथापारित मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक, 1993 का उन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में मृतक शरीर के गुर्दे के प्रतिरोपण के पहले रोगी के व्यक्तिगत अनुभव अधिक और कोई जानकारी नहीं हो सकती है, मैं उद्धृत करता हूं :

"मेरी यह तीव्र इच्छा है कि पाठक विशेषत: जिनके गुर्दे खराब हैं, मृत व्यक्ति के गुर्दों के प्रत्यारोपण से संबंधित पाबंदियों से मुक्त हों। मैंने मौत का परछाईं की तरह अनुभव किया है और बहुत अधिक कष्ट उठाया है। इसलिए मैं आपके साथ हूं और नया जीवन व्यतीत कर रहा हूं। मैं उस व्यक्ति का, जिसके मेरे शरीर में गुर्दे प्रत्यारोपित दिए गए हैं, का और परम्पराओं के बन्धन को तोड़ने तथा गुर्दा प्रत्यारोपण की अनुमति के लिए उसके संबंधियों का ऋणी हूं, साथ ही मैं ऑपरेशन करने वाले डाक्टरों के उस दल का ऋणी हूं जिन्होंने तीन दिन और तीन रात तक लगातार परिश्रम किया था। आज, मैं अपने आप को मौत के शिकंजे से मुक्त महसूस करता हूं। इसके लिए मैं उन सब व्यक्तियों को धन्यवाद देता हूं। प्रत्यारोपण से पहले मैंने देखा था कि रोगियों को कितना कष्ट होता है। अधिकांश

भारतीय इस रोग का पारम्परिक उपचार नहीं करा सकते हैं। इसलिए अधिकतर गुर्दे के रोगियों की मृत्यु या तो संबंधित दानकर्ताओं की अनुपलब्धता अथवा डायलेसिस और उससे संबंधित इलाज का खर्च न कर पाने के कारण हो सकती है।"

देश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिदिन अनेक लोगों की मौत हो जाती है। इन मामलों के अन्तिम विश्लेषण में मौत का कारण मस्तिष्क द्वारा कार्य बंद कर देना होता है–अर्थात् यह मस्तिष्क अथवा चिकित्सकीय मौत होती है। अन्ततः सात दिन के अन्दर इस मस्तिष्क मौत से हृदय की गति रुकने के कारण मौतें हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में पीड़ितों की हृदय गति रुकने से पहले ही चिकित्सकीय मौत हो जाती है। इसलिए इनके संबंधियों को डॉक्टरों को मृतक के महत्वपूर्ण अंगों को निकालने की स्वीकृति दे देनी चाहिए ताकि उन लोगों को बचाया जा सके, जो मौत से जूझ रहे हैं। यदि दानकर्ताओं की मस्तिष्क मृत्यु के तुरन्त बाद उसके अंगों को निकाल लिया जाए तो प्रभावित रोगियों में इन अंगों का प्रत्यारोपण करके उन्हें मौत के मुंह से बचाया जा सकता है।

हमारे जैसे विकासशील देश में जहां चिकित्सा दुविधाएं महंगी होने के कारण अधिकांश व्यक्ति इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं और जहां सरकारी अस्पतालों को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए सरकारी धन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है, वहां गरीब रोगियों की मौत महत्वपूर्ण अंग खराब होने के कारण हो जाती है क्योंकि वे उपयुक्त इलाज नहीं करा पाते हैं।

इसलिए मृतकों के अंगों का प्रत्यारोपण एक सम्भावित विकल्प है तथा इससे अवैध अंग व्यापार को भी रोका जा सकता है जो कि मुनाफाखोरों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के शोषण का पर्याय है।

अतः, सरकार को इस गम्भीर और महत्वपूर्ण मामले पर विधि निर्माण करते समय उक्त इस टिप्पणी को ध्यान में रखना चाहिए कि इस विधेयक का उद्देश्य मानव जाति की बहुमूल्य चिकित्सा सेवा करना हो और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बिचौलियों अथवा मुनाफाखोरों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के शोषण को सख्ती से रोका जाए और इस प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। इस सन्दर्भ में पश्चिम बंगाल के 'गणदर्पण' स्वयंसेवी संगठन, जो इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा कर रहा है, के प्रशंसनीय प्रयासों का उल्लेख किया जाना चाहिए। भविष्य में इस नेक कार्य को उत्साह के साथ आगे बढ़ाने के लिए इस संकठन को यथासम्भव सरकारी सहायता दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त 21 दिसम्बर, 1993 को संसद के समक्ष प्रस्तुत प्रवर समिति की रिपोर्ट को आंशिक रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें इस विषय के विभिन्न पहलुओं का निष्पक्ष रूप से विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

मैं केन्द्रीय मंत्री, श्री पवन सिंह घाटोवार द्वारा प्रस्तुत मानवीय उद्देश्य वाले इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

डा. अमृतलाल कालिदास पटेल (मेहसाना) : सभापति महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा इस सभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए मानव अंग प्रत्यारोपण विधेयक का समर्थन करता हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले तीन सत्रों से इस विधेयक को सत्र के अन्तिम दिन अन्तिम समय पर

[डा. अमृतलाल कालिदास पटेल]

प्रस्तुत किया जाता है इसलिए इस पर ठीक ढंग से चर्चा नहीं हो पायी है और इस विधेयक को समुचित महत्व नहीं दिया गया है।

इस विधेयक को जो 'ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑरगन्स बिल' नाम दिया गया है, इसमें एक बड़ी भूल है। मेरे विचार से 'ट्रांसप्लान्टेशन' के बजाए 'ट्रांसपोर्टेशन' छपा है जो कि गलत है। इस त्रुटि सुधार किया जाना चाहिए।

अंगों के प्रत्यारोपण में 'ऊतक' शब्द को शमिल किया जाना चाहिए क्योंकि सर्जरी अथवा प्रत्यारोपण के कुछ मामलों में किसी अंग विशेषतः अस्थाश्य और जिगर में, जिनमें जिगर के केवल 'लोप' का ही प्रत्यारोपण किया जाता है, के कुछ ही अंश का प्रयोग होता है जो कि एक प्रकार से ऊतक है। इसलिए मेरा स्वास्थ्य मंत्री महोदय से अनुरोध है कि 'मानव अंग प्रत्यारोपण विधेयक' में ऊतक शब्द भी जोड़ें।

मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रत्यारोपण मानव जाति के लिए आधुनिक विज्ञान की नवीनतम देन है इसलिए इसका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं। इसके कारण ही उस हद तक सर्जरी नहीं हो पाती है, जितनी कि होनी चाहिए।

दूसरे देशों में, जहां आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, प्रत्यारोपण के लिए मृत व्यक्तियों के अंगों को सर्वोत्तम माना जाता है इसी प्रकार हमारे देश में भी प्रत्यारोपण के मृतकों के अंग अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।

यह विधेयक कुछ राज्यों, विशेषतः महाराष्ट्र, गोआ और हिमाचल प्रदेश के अनुरोध पर प्रस्तुत किया गया हैं यदि यह विधेयक यहां पारित हो जाएगा और अन्य राज्य इसे स्वीकार नहीं करेंगे अथवा यह विधेयक अन्य राज्यों मे पारित नहीं हुआ और यदि वहां कोई अधिनियम नहीं है तो गलत कार्य करने वाले लोग उन राज्यों में जाकर अपना कार्य करने लगेंगे जहां यह अधिनियम लागू होगा। इसलिए मेरा स्वास्थ्य मंत्री महोदय से अनुरोध है कि अन्य राज्यों को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए ताकि इस विधेयक को पूरे देश में लागू किया जा सके। एक संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया था जिसमें 11 डॉक्टर थे। उस समिति ने यह सुझाव दिया था कि दानकर्ताओं की सूची में वृद्धि की जानी चाहिए और उनके अंगों का सर्जरी में उपयोग किया जाना चाहिए। 'दानकर्ता' शब्द में भावनात्मक संबंधियों, विशेषतः सुसराल वालों, साला, साली और साल आदि को शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि वे पेशेवर दानकर्ताओं से बेहतर हैं।

अन्त में, सर्जरी करने वाले सर्जनों पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और कभी-कभी शरीर अंगों को स्वीकार नहीं करता है। यदि अंग कार्य नहीं करते हैं अथवा शरीर उन्हें स्वीकार नहीं करता है तो इसके लिए डॉक्टरों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। इसलिए उन पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होना चाहिए।

मैं, इस विधेयक के संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार (गया) : सभापति महोदय, यह जो मानव अंग प्रतिरोपण बिल लाया गया है यह स्वागत के योग्य है किन्तु इसमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिये और जैसाकि इन दिनों में हो रहा है दिल्ली के शहरों में और बड़े-बड़े शहरों में गलत ढंग से किडनी ले लेना और उसको गतल ढंग से लगा देना, यह कई तरह से डिफेक्टिव है। इसमें सरकार को सुधार लाना चाहिये। इसमें जो प्रतिरोपण होता है उसकी बहुत ज्यादा कीमत है इस कारण उसमें गरीब लोगों को लाभ नहीं मिलता है और गरीब लोग अपनी जान गवां देते हैं। इसलिये गवर्नमेंट को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि सस्ते से सस्ते कीमत पर इसका प्रतिरोपण होना चाहिये और यह प्रतिरोपण सब जगह नहीं होना चाहिये केवल अधिकृत अस्पतालों में होना चाहिये और जहां सरकारी अस्पताल हैं वहां इसके लिये व्यवस्था करनी चाहिये। देखा गया है कि इसमें बहुत तरह से, जैसे बाजार में जो गरीब लोग डोनर होते हैं, जो दान देना चाहते हैं उनकी किडनी किस तरह से ली जाये तो उसमें सरकार ने कम-से-कम एक विटनेस का प्रावधान किया है उसमें कम-से-कम दो विटनेस होने चाहिये और वह उसके करीबी संबंधी का होना चाहिये तभी उनका किडनी लेना चाहिये। डोनर को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

यह बिल तो बहुत अच्छा है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिये कि बाजार में इसका दुरुपयोग हो। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि यह जो परिवार नियोजन कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया गया था वह बहुत अच्छा था। आबादी नियंत्रित करने और देश की तरक्की के लिए यह कार्यक्रम बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोग भुक्तभोगी हैं और हमने इमरजेंसी के जमाने में देखा है कि किस तरह से इस कार्यक्रम का दुरुपयोग किया गया और कुंआरे लड़के-लड़कियों तक की नसबंदी कर दी गई। इसलिए सरकार की तरफ से इस विधेयक में इस तरह के प्रावधान किए जाने चाहिए, ताकि इन चीजों का दुरुपयोग न हो। सरकारी इंस्टीट्यूशंस में तथा कुशल लोगों की देखरेख में यह काम होना चाहिए तथा इसमें खर्च भी इतना होना चाहिए, जिसको आम आदमी, गरीब आदमी भी वहन कर सके तथा इन प्रावधानों का लाभ उठा सके, ऐसा न हो कि सिर्फ अमीर लोगों को ही इससे लाभ मिले और गरीब लोग इससे वंचित रह जाएं। मानव अंगों के प्रत्यारोपण पर पूर्ण नियंत्रण रख कर उचित मूल्य पर इनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए इसमें और सुधार किए जाने चाहिए, ताकि कमजोर वर्गों तक इनका लाभ पहुंच सके। इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा. खुशीराम डुगरोमल जेस्वाणी (खेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैंने इस विधेयक का काफी पहले ही स्वागत किया था। किन्तु, फिर भी मैं इसमें सावधानी बतरने के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा।

[डा. खुशीराम डुगरोमल जेस्वाणी]

पिछले ढाई दशक से भी अधिक समय से देश में मानव अंगों के प्रत्यारोपण की पूरी प्रक्रिया की अनदेखी किए जाने के संबंध में मैं सरकार के रवैये पर घोर चिंता व्यक्त करता हूं। अब केवल पिछले एक वर्ष से ही सरकार विधेयक को जल्दी पारित करने पर जोर दे रही है। और इसी जल्दबाजी में उसने राज्य सभा में चर्चा के समय कुछ अच्छे उपबंधों को छोड़ दिया है। लोक सभा में चर्चा के पश्चात् यह महसूस किया गया था कि विधेयक में अभी भी कुछ संशोधन किए जाने की आवश्यकता है और इसी कारणवश इसे प्रवर समिति के पास वापस भेजा गया था। और इसने काफी अधिक समय लिया। पेशे से चिकित्सक और शल्य चिकित्सक होने के नाते मुझे उन चिकित्सकों, प्रैक्टीसनर्स और संस्थाओं की परेशानी की जानकारी है जो प्रत्यारोपण सर्जरी से जुड़े हुए हैं। और विशेष रूप से जब से यह विधेयक दोनों सभाओं में लाया गया है, तब से संस्थाओं और शल्य चिकित्सकों के मन में कई तरह की शंकाएं हैं।

पिछले ढाई दशक से देश में प्रत्यारोपण सर्जरी बिल्कुल ठीक-ठाक चल रही थी। मैं यही कहूंगा कि पिछले दस वर्षों से प्रत्यारोपण सर्जरी विशेष रूप से मुर्दा प्रत्यारोपण और यकृत प्रत्यारोपण सर्जरी का भी प्रयोग हो रहा है। भारतीय शल्य चिकित्सक के लिए भी, जो कि विदेशों के प्रौद्योगिकी को यहां पर लेकर आए हैं, दिल का प्रत्यारोपण मुश्किल बात है। किन्तु भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने पूरी स्थिति की गम्भीरता को ही नहीं समझा है। यह तो केवल तभी हुआ जब मानव अंगों की खरीद-फरोख्त के बारे में कुछ गलत बातों का पता चला तथा ये बातें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुईं और समाज के कुछ वर्गों इसके विरोध में आवाज उठायी और केवल तभी सरकार ने यह दलील दी। इस समय भी मैं यह समझता हूं कि सरकार केवल इसी दृष्टिकोण इस विषय पर ध्यान दे रही है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब हम किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विचार-विमर्श करते हैं तो लोग वहां पर मानव अंगों की बिक्री और व्यापार के बारे में हमारे गलत कार्यों पर ही चर्चा करते हैं। सरकार के मन में इसी बात का डर है। मेरे विचार से यही कारण है कि वह यह कानून बना रही है। इस विधान को बनाने के पश्चात् सरकार ने जनमत जुटाने की बात सोची है। यह बिल्कुल सही है कि लोगों की राय पहले जान लेनी चाहिए थी क्योंकि इस विधान के बनने से मस्तिष्क द्वारा कार्य न किए जाने के कारण हुई मृत्यु, मृत शरीर के दानकर्ता, अंगों के भण्डारण और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने संबंधी अन्य बुनियादी सुविधाओं की समुचित परिभाषा निर्धारित हो जाएगी। हमारे यहां गम्भीर रूप से घायल रोगियों को आघात केन्द्रों तक ले जाने हेतु परिवहन सुविधा की कमी है। लोगों को मस्तिष्क द्वारा कार्य न किए जाने के कारण हुई मृत्यु की बहुत ही कम जानकारी है। लोगों में इस प्रकार की जागरुकता पैदा करने से पहले ही हमने एकाएक मानव अंग प्रतिरोध विधेयक प्रस्तुत कर दिया, जो कि मेरे विचार से इसके विपरीत बात होगी। मैं जिन मत की बात कर रहा था। असल बात तो यह है कि केवल तीन राज्यों–महाराष्ट्र, गोआ और हिमाचल प्रदेश में ही इस संबंध में कई वर्षों से राज्य विधान बने हुए थे। इसके बावजूद सरकार ने मात्र एक वर्ष पूर्व ही इस विधेयक को यह विधेयक राज्य सभा में पिछले वर्ष ही लाया गया था। उसके बाद एक वर्ष तक यह लम्बित पड़ा रहा और जैसाकि डा. पटेल ने कहा है यह हर सत्र उठाया जाता रहा है। सौभाग्यवश आज भी इस

विधेयक को इस सभा के अंतिम रूप में लगाया गया है। अन्यथा यह दो महीने के लिए फिर लटक जाता। केवल इन्हीं तीन राज्यों ने यह विधान बना रखा था और इसलिए यह विधेयक भी केवल इन्हीं तीन राज्यों में प्रत्यक्ष राज्य से लागू होता है। अब सरकार का यह कहना है कि इस कानून के बनने के पश्चात् इस सबंध में हम लोगों की राय जान पायेंगे और हम संविधान की धारा 252 के अनुच्छेद 1 में दिए गए संवैधानिक उपबंधों का प्रयोग कर पायेंगे और इसके बाद हम इस कानून को स्वीकार करने के लिए अन्य राज्यों से अनुरोध करेंगे। मेरे विचार से यह आसान काम नहीं है। किन्तु इसके साथ ही मेरी यह इच्छा भी नहीं है कि इन प्रक्रियाओं को लम्बा करने के लिए इस कानून के निर्माण को बढ़ाया जाए। यह विधान पहले ही बनाया जाना चाहिए था। किन्तु संयुक्त प्रवर समिति में हमने निकट सम्बंधियों की परिभाषा से व्यापक बनाने का सुझाव दिया है। फिलहाल पूरी प्रक्रिया निकट सम्बंधियों और इसके साथ-साथ पचास से साठ प्रतिशत तक व्यवसायिक दानकर्त्ताओं की मदद से चल रही है। आपने पत्रिकाओं में यह भी पढ़ा होगा कि दक्षिण के कुछ राज्यों, मद्रास और इसके आसपास के क्षेत्रों में इसके बारे में लोगों की राय अलग है। गांवों के कई लोगों की, जिन्होंने अपने गुर्दों का दान किया है, दानकर्ताओं को अपने गुर्दों, अंगों के इस प्रकार की बिक्री के संबंध में दुर्भाग्य से अच्छी राय है। लोगों की यह राय अब बदल जाएगी। मैं इस प्रकार के लोकमत पक्ष में नहीं हूं। यह बिल्कुल गलत बात है। किन्तु लोगों में अच्छी राय पैदा करने में हमारी गलती हैं इसके विपरीत, लोगों में इस बारे में गलत धारणा पहले ही पैदा हो चुकी है। इसलिए ही हमने सरकार से निकट सम्बंधियों की परिभाषा को व्यापक बनाने का अनुरोध किया है। हमने यह नहीं कहा है कि आप बाजार से अंग खरीदने की अनुमति दीजिए। किन्तु कुछ भावनात्मक संबंध भी होते हैं। उदाहरण के लिए विवाहित बहनें। हम अपने दैनिक जीवन में यह देख रहे हैं कि विवाहित बहनें अपने गुर्दों दान हेतु मुश्किल से ही तैयार होंगी। इतने वर्षों के बाद भी हम पेशेवर रक्तदान की बुराई पर काबू पाने में असमर्थ रहे हैं जो कि इसकी तुलना में बहुत कम गम्भीर है। अंग दान करने के मामले में गलत ढंग से लेन-देन की बुराई पर हम कैसे रोक लगा पायेंगे।

ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैं सरकार को सावधान करना चाहूंगा। मैं सरकार और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से पुनः यह अनुरोध करना चाहूंगा कि शेष बातों को तो हम स्वीकार्य कर सकते हैं। किन्तु मैं सरकार से निकट सम्बंधियों के क्षेत्र विस्तार के बारे में प्रवर समिति द्वारा दिए गए इन सुझावों को स्वीकार करने का अनुरोध करना चाहूंगा, जिनमें उन सम्बंधियों जैसे सास, ससुर, साली और पति-पत्नी को भी निकट सम्बंधियों की परिभाषा में शामिल किया जाए जो भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं।

मैं ये ही टिप्पणियां करना चाहता था।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बोलने का अवसर प्रदान किया।

9.00 बजे म०प०

डा. मुमताज अंसारी (कोडरमा) : माननीय सभापति महोदय, सभा के समक्ष लाया गया यह विधेयक अर्थात् मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक, 1993 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विधेयक राज्य सभा

[डा. मुमताज अंसारी]

द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है। अब यह इस सभा में पेश किया गया है और इस सभा में भी यह पारित किया जाएगा। हम इस विधेयक की प्रशंसा करते हैं।

इस विधेयक में कतिपय महत्वपूर्ण उपबंध ऐसे हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। भारत को मानव अंगों की बिक्री के लिए सबसे बड़ा बाजार माना जाता था। इससे हमारे देश की बदनामी होती थी। अमरीका के एक चिकित्सक ने यह उदाहरण दिया था कि आप भारत में जाइए और आप यह पाएंगे कि लोग अस्पतालों के आगे अपने अंगों को बेचने के लिए लाइन लगाए मिलेंगे। इसलिए यह एक अच्छा विधेयक है और इसका उद्देश्य अवैध रूप से कार्य करने वाले इस प्रकार के अवैध बाजार को नियंत्रित करने का होना चाहिए क्योंकि जो लोग भूख से पीड़ित हैं, जिनके पास भोजन और जीवन की अन्य उपयोग वस्तुओं की कमी है, इसलिए वे अपने अंग बेच रहे हैं और इसलिए इस प्रकार के बाजार को नियंत्रित करने के लिए इस विधेयक में महत्वपूर्ण उपबंध होने चाहिए।

यह विधेयक बहुत देर से लाया गया है। यह बहुत पहले ही लाया जाना चाहिए था क्योंकि पिछले कई वर्षों से देश में मानव अंगों की इस प्रकार की बिक्री हो रही है। दिल्ली का भी एक उदाहरण दिया गया है। देश के कई प्रमुख समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि प्रदीप कुमार नामक व्यक्ति का एक चिकित्सक ने अंग निकाल लिया है। क्योंकि वह स्मैक खरीदने का आदि था और इसीलिए उसने स्मैक खरीदने के लिए अपने गुर्दे को बेच दिया। कुछ दवाएं देकर उसे बेहोश कर दिया गया और तब उसका गुर्दा निकाल लिया गया। बाद में यह मामला पुलिस में दायर किया गया और उस बच्चे के गरीब माता-पिता ने पुलिस की सहायता भी मांगी थी ! इस प्रकार का मानव अंगों की बिक्री के बाजार चल रहे हैं, जिससे देश का नाम बदनाम हो रहा है। अमरीका, अरब और कुछ अन्य देशों से लोग मानव अंग खरीदने के लिए यहां पर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें यह पता है कि यदि वे भारत में आते हैं तो उन्हें इस प्रकार के महत्वपूर्ण मानव अंग 50,000 अथवा 70,000 रु० अथवा इससे कुछ अधिक रुपयों में मिल जायेंगे। वे भारी धनराशि लेकर आ रहे हैं और मानव अंगों को खरीद रहे हैं। इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि गरीबी और भुखमरी से पीड़ित लोग इस किस्म के महत्वपूर्ण मानव अंगों को बेचने के लिए मजबूर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये।

इसी प्रकार, अपराधियों और बदमाशों द्वारा कुछ बच्चों का अपहरण करके गुप्त रूप मे इस प्रकार का व्यापार किया जा रहा है। इसीलिए मेरा कहना है कि इस विधेयक में उचित दंड का प्रावधान भी किया जाये। हमारे देश में इस तरह के व्यवसाय को हतोत्साहित करने की दृष्टि से, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, और चाहे उनका व्यवसाय किसी भी तरह का हो यदि उन्हें किसी भी व्यक्ति के शरीर से मानव अंगों को निकालने तथा उन अंगों को इस प्रकार से बेचने का एक बार दोषी पाया जाता है, ते उन्हें कड़ा दंड दिया जाना चाहिये।

हमारे देश में कई दुर्घटनाएं हो रही हैं और इन दुर्घटनाओं में प्रति वर्ष लगभग पचपन हजार लोग मरते हैं। एक बार यह प्रावधान हो जाने पर कि किसी दुर्घटना का शिकार होने पर मरते हुए

व्यक्तियों के शरीरों से महत्वपूर्ण मानव अंगों, विशेष रूप से मुर्दा, जिगर और हृदय को निकाला जा सकता है, तो यह मानव अंगों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। इसके बाद चोर बाजार में इस प्रकार के मानव अंगों की तस्करी तथा बिक्री की आवश्यकता नहीं रहेगी। महोदय, जैसाकि आप जानते हैं, मानव शरीर में दो गुर्दे होते हैं तथा कोई भी व्यक्ति एक गुर्दे से भी कार्य कर सकता है। वह किसी स्थान पर घूम सकता है और जा सकता है तथा किसी भी उम्र तक जीवित रह सकता है। इसीलिए, निर्धन लोगों को अपने भोजन के लिए एक गुर्दे को बेचना पड़ता है। वे एक गुर्दे को एक छोटी-सी राशि अर्थात् 50,000 रुपये में दूसरों को बेच रहे हैं क्योंकि भोजन बहुत जरूरी है। इसलिए इस प्रकार के कार्यों को नियमित करना होगा। इसी प्रकार, दुर्घटनाओं के मामले में कुछ प्रावधान करने होंगे, जो कि वर्तमान विधेयक में नहीं किए गये हैं और इसे केवल मानव अंगों के वहन के रूप में परिभाषित किया गया है, सही शब्द 'प्रत्यारोपण' है और इसे शुद्ध किया जाये। यदि आप डेनमार्क, फ्रांस, आस्ट्रेलिया और अन्य देशों में जायें, तो आप देख सकते हैं कि दुर्घटनाएं होने पर डॉक्टर आयेंगे और वे जीवित हृदय, जीवित जिगर तथा अन्य मानव अंगों को निकालेंगे। यह 'मानव सहमति' के रूप में मानी जायेगी।

यहां, यह एक अच्छा प्रावधान है कि यदि कोई दाता है और यदि वह मरते समय कोई घोषणा कर रहा हो, यदि वह मरणासन्न हो, तो वह महत्वपूर्ण अंगों को दान कर सकता है। इसके लिए वहां पर दो साथियों का होना जरूरी है। इनमें से एक 'निकट सम्बन्धी' होना जरूरी है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इसे 'निकट सम्बन्धी के रूप में परिभाषित नहीं किया जाये; वस्तुतः इसका मतलब पत्नी, पति, पुत्र, लड़कियां आदि जैसे 'खून के संबंधी' से होना चाहिये। ये संबंधी महत्वपूर्ण हैं और वे प्रत्यक्ष साक्षी हो सकते हैं क्योंकि 'निकट संबंधी' कोई भी बन सकता है और वे उनके अंगों को किसी और को बेच सकते हैं। अतः यह नाजुक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए यदि आप केवल 'निकट संबंधी' कहेंगे तो गुप्त रूप से कोई अवांछित कार्य हो जायेगा। मान लिया जाये कि वहां पर कोई माफिया होगा, तो कोई निहित स्वार्थी पैदा हो जायेंगे और वे अपने आप को 'निकट संबंधी' बतायेंगे। वे कहेंगे कि प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं और डॉक्टर से गुर्दा, नेत्र आदि जैसे अंगों को कितनी भी संख्या में निकालने को कहेंगे। अतः इससे गलतफहमी पैदा हो जायेगी और यदि आप एक बार यह प्रावधान कर दें कि 'निकट संबंधी' प्रत्यक्ष साक्षी होगा, तो इस गलतफहमी से भारी गड़बड़ी पैदा हो जायेगी। मानव अंग निकालते समय खून के सम्बन्धी दो व्यक्ति होंगे और वे प्रत्यक्ष साक्षी होंगे। यदि कोई रोगी जीवित है और यदि वह अपनी चेतना में है तो आप उसकी सहमति ले सकते हैं और मरते हुए व्यक्ति की सहमति से आप उसके अंगों को निकाल सकते हैं। यह ठीक है। किन्तु यदि उसकी चेतना चली गई है और हृदय कार्य कर रहा है, तो इस स्थिति में आप पुत्रों, पुत्रियों, पति, पत्नी आदि जैसे खून के सम्बन्धियों की सहायता ले सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (दार्जिलिंग) : पत्नी खून की सम्बन्धी नहीं है।

डा. मुमताज अंसारी : मैं जानता हूं। कानून ने इसे परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में पत्नी खून के संबंधी से कहीं अधिक है। खून के संबंधियों के बीच भी

[डा. मुमताज अंसारी]

विभाजन किया जाये। किन्तु पत्नी 'अर्द्धाग्नी' मानी जाती है। अतः आजकल वह खून के संबंधी से कहीं बढ़कर है।

अतः, महोदय, इन बातों पर ध्यान देना ही होगा। इस प्रकार, हमारे मित्रों द्वारा कही गई बातों पर ध्यान दिये बिना, मैं कहना चाहूंगा कि मूल्यों को भी नियमित करना होगा। पूरी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने के कारण इनके मूल्यों में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी तथा मानव अंग समाज के कुछ उन्हीं वर्गों को उपलब्ध होंगे, जो इन्हें खरीद सकते हैं तथा जो करोड़ों रुपये खर्च कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में निर्धन लोग कहां जायेंगे? इसके बाद, मैं हरिजनों और पिछड़े वर्गों, जो भारी धनराशि खर्च नहीं कर सकते हैं, के लिए आरक्षण चाहता हूं। उन्हें और समाज में निर्धन तथा उच्च पदासीन और समाज सेवा कर रहे व्यक्तियों को मानव अंगों की मुफ्त में आपूर्ति की जानी चाहिये। इस आधार पर इसकी आपूर्ति मुफ्त में की जाये।

सभापति महोदय, इसी प्रकार मानव अंग पंजीकृत अस्पताल, पंजीकृत सर्जन तथा कुशल पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा निकाले जाने चाहियें, न कि नीम हकीमों द्वारा जैसा कि आपातकालीन समय में हुआ था। उस समय उस व्यक्ति की भी नसबंदी कर दी गई थी, जिसकी नसबंदी पहले की जा चुकी थी। अविवाहित व्यक्ति की भी नसबंदी कर दी गई थी।

सभापति महोदय : इसके लिए विधेयक में पर्याप्त प्रावधान है।

श्री मुमताज अंसारी : इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : सभापति महोदय, मैं मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि इस बिल को पहले ही से पास कर देना चाहिये था, लेकिन देर से ही सही, अब इसे पास कर देना चाहिये। इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान किये गये हैं जिनका होना बहुत जरूरी था। यहां मुझे एक चीज कहनी है कि इस विधेयक में केवल दो तीन स्टेट्स के नाम ही दर्ज किये गये हैं, मेरा विचार है कि इसे पूरे देश में लागू करना चाहिये ताकि सारे देश के लोगों को इससे फायदा हो सके।

जहां तक दान करने वालों का सवाल है, उनमें किसी तरह की डिवीजन नहीं होना चाहिये। कोई भी व्यक्ति यदि अपने शरीर के किसी अंग का दान करना चाहता है तो उसे ऐसा करने की पूरी छूट होनी चाहिये। इसमें किसी तरह का भेद नहीं रखा जाना चाहिये। यहां मैं एक निवेदन अवश्य कर देना चाहता हूं कि हमारे देश में बहुत से लोग किडनैपिंग का पेशा करते हैं। वे जब किसी को किडनैप करके ले जाते हैं तो उसे कोई दवाई पिलाकर, उसके शरीर से किसी अंग को निकाल लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता पाया जाये, मैं चाहता हूं कि उसको सख्त पनिशमेंट दिये जाने का प्रावधान इसमें होना चाहिये। एक रैस्ट्रिक्शन यह अवश्य रखा जानी चाहिये कि कोई मैडिकल प्रैक्टीशनर ही व्यक्ति के किसी अंग को निकाल सके, यदि कोई दूसरा व्यक्ति निकालता है तो उसे इजाजत नहीं होनी चाहिये। ऐसी व्यवस्था इस बिल में होना अत्यन्त आवश्यक है।

इसके अलावा दूसरी बहुत-सी व्यवस्थाएं इसमें की गयी हैं, जिनके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, परन्तु कुछ बातों पर इसमें रैस्ट्रिक्शन लगायी गयी है, मैं चाहता हूं कि उन्हें हटा देना चाहिये।

जहां तक सवाल है कि जैसे कोई डैड बौडी है, इस बिल में कहा गया है कि किसी मैडिकल प्रैक्टीशनर की सहमति से, 24 घंटे के अंदर उसके किसी पार्ट को निकाला जा सकता है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि जब तक किसी बौडी की पहचान न हो जाये कि वह किसकी बौडी है, उस समय तक मैडिकल प्रैक्टीशनर की राय से भी, उसके किसी पार्ट को नहीं छूना चाहिये क्योंकि हमारे देश में कई तरह के धर्म और धार्मिक रीति-रिवाज है। किसी के मरने के बाद कुछ नजदीकी लोग उसकी बौडी को देखना चाहते हों और संभव है कि उनको आने में देर सवेर हो जाये। इसलिये मेरा आग्रह होगा, सुझाव होगा कि जब तक लाश की पूरी तरह से पहचान न हो जाये, किसी की भी राय से, उसके किसी पार्ट को नहीं छूना चाहिये। एक चीज और होनी चाहिए जब तक किसी आदमी के शरीर की जांच नहीं होती कि उसके शरीर में कोई रोग है या नहीं तब तक उसके शरीर के किसी अंग को नहीं निकालना चाहिए क्योंकि अगर उसके शरीर को कोई अंग निकाल कर किसी के शरीर में लगा दिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि उसका असर होगा। इसलिए बिना जांच के कोई भी अंग किसी को भी नहीं लगाना चाहिए।

इस बिल के पास हो जाने से देश के लोगों को बहुत फायदा होगा क्योंकि किडनी के अभाव में बहुत से लोग मर जाते हैं। इस बिल के पास हो जाने के बाद किडनियों की उपलब्धता बढ़ जाएगी। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं मानव अंग प्रत्यारोपण विधेयक, 1993 का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। यह विधेयक पहले ही राज्य सभा में पारित हो चुका है और प्रवर समिति ने पहले ही अपनी सिफारिश कर दी है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। किन्तु मैं समझती हूं कि यह एक व्यापक विधेयक है। इस विधेयक में सदस्यों द्वारा उठाया गया हर मुद्दा है। मैं केवल दो मुद्दों का उल्लेख करना चाहती हूं क्योंकि मेरे पास सीमित समय है।

पहली बात यह है कि हमने कहा है कि अधिकृत समिति अथवा अधिकृत व्यक्तियों को गुर्दा देने वाले व्यक्तियों की पहचान करनी चाहिये। किन्तु विधेयक में उल्लेख किया गाय है कि "समुचित समिति" जिसका अभिप्राय है, खंड 13 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया समुचित प्राधिकारी, इस विधेय में प्राधिकारी के बिना मानव अंगों का निकालने, मानव अंगों के व्यापार तथा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन के लिए दंड देने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। विधेयक में हर प्रकार की बात आ गई है।

निकट संबंधियों के बारे में, कुछ सदस्यों ने कहा है कि पुत्र वधू अथवा साली जैसे कुछ नामों का उल्लेख किया जाना चाहिये। किन्तु मैं इस सुझाव का विरोध करती हूं क्योंकि आजकल आप भी यह बात मानेंगे कि लोग यह कह कर इसका समर्थन करेंगे कि "हां, यह अर्द्धांगनी है। वह पति अथवा निकट संबंधी के लिए गुर्दा दे देगी।" हमें यह बात समझनी है कि हमारे देश में दहेज की

[कुमारी ममता बनर्जी]

बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहां तक कि किसी परिवार विशेष में धन के लिए कुछ लोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ गुर्दा देने की मांग पर जोर दे सकते हैं। मैं समझती हूं कि राज्य सभा में यह विधेयक पारित हो जाने के बाद यदि हम उसमें कोई नई बात जोड़ना चाहें, तो यहां पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें इस मामले पर भी विचार करना है, सरकार के पास व्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से गुर्दा दान करता है, तो उसकी व्यवस्था है। वह उसे दान कर सकता है। इसके लिए अधिकृत समिति है। अत:, रक्त अथवा अन्य बातों के साथ उसकी पहचान करेंगे। उन्हें चिकित्सा आधार की दृष्टि से भी यह बात देखनी होगी। इसलिए मैं इसका विरोध करती हूं। निकट संबंधियों का अभिप्राय वही है, जिनका उल्लेख विधेयक में किया गया है।

मेरे विचार से सरकार को इससे सहमत होना चाहिए। स्वेच्छा से कोई भी दे सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है।

अब मेरा दूसरा मुद्दा आपके समक्ष है। इन दिनों यह सच है कि गुर्दा प्रत्यारोपण अत्यंत ही महंगा है। इसके लिए कम-से-कम 1,25,000 रुपयों या 80,000 रुपयों की आवश्यकता पड़ती है। मैं जानता हूं कि इस क्षेत्र में, विशेषत: केरल और मद्रास में डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। कलकत्ते में भी हमने यह काम शुरू कर दिया है। परन्तु गरीबों के लिए, यह एक भारी समस्या है। सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए कि गरीब लोग कौन हैं। मुझे मालूम है कि प्रधान मंत्री अपने सहायता कोष से 20,000 रुपये देते हैं। परन्तु यदि कोई व्यक्ति निजी कारखाने में काम करता है और उसकी मासिक आय 700 रुपये है, तो मुझे मालूम है कि राष्ट्रीय सहायता कोष से प्रधान मंत्री जी उसे 10,000 रुपये, राज्यपाल 4,000 रुपये और मुख्य मंत्री 4,000 रुपये देंगे। बाकी पैसे वह कहां से लाएगा? इसी कारण हमें स्वयंसेवी संगठनों को भी प्रोत्साहित करना है, ताकि वे आगे बढ़ कर इन लोगों की मदद करें। जो स्वयंसेवी संगठनों को भी प्रोत्साहित करना है, ताकि वे आगे बढ़कर इन लोगों की मदद करें। जो स्वयंसेवी संगठन वास्तव में अच्छा काम करना चाहता है। उसे आय कर से मुक्त रखा जाए ताकि वह अच्छे ढंग से काम कर सके। सरकार को इसे प्रोत्साहन देना चाहिए।

मेरा तीसरा मुद्दा यह है कि अब हमारे पास मानव अंगों के संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अपने ही राज्य के कुछ खास मामले जानता हूं। कुछ लोग मरणोपरांत अपने शरीर दान करना चाहते थे। पर मानव अंगों के सरंक्षण के लिए ऐसी कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगी कि सरकार इस मामले पर अत्यंत ही गम्भीरतापूर्वक विचार करे क्योंकि यह बहुत ही अच्छा विधेयक है। मैं इसका स्वागत करती हूं। साथ ही सरकरा को भी चाहिए कि वह इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वे इस विधेयक का समर्थन करें क्योंकि इस विषय पर हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। मानवीय आधार पर हमें इस विधेयक का समर्थन करना है।

डा. कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : सभापति महोदय, डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय ने प्रवर समिति में इस संशोधन की सूचना दी थी। अतः इस संबंध में उन्हें याद दिलाने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि दानकर्ताओं की तीन कोटियां होती हैं–मृत व्यक्ति, मस्तिष्क–वृन्त मृत्यु व्यक्ति और जीवित व्यक्ति। हमें आपत्ति केवल जीवित व्यक्ति के संबंध में है। डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय ने एक संशोधन की सूचना दी है। जहां तक मृत और मस्तिष्क–वृन्त मृत्यु व्यक्तियों का संबंध है, तो लाखों लोग होंगे जो ऐसे व्यक्तियों के अंग दान करना चाहेंगे। इस प्रकार गुर्दे, यकृत, हृदय, फेफड़े, अग्नाशयों आदि की कोई कमी नहीं रहेगी। डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय इस बात को बेहतर जानते हैं कि किसी मस्तिष्क–वन्त मृत्य व्यक्ति का यकृत, हृदय या फेफड़ों का प्रत्यारोपण आसानी से किया जा सकता है। इस फरवरी के दौरान मैंने अपने सहयोगी डा. पवार एवं अन्य सदस्यों के साथ बैंकाक में इंटरनेशनल मेडिकल पार्लियामेंटेरियन्स फोरम में भाग लिया था। वहां हमें 'निकट संबंधी' (निय रिलेटिव) शब्द की परिभाषा की जानकारी मिली जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मान्यता दे रखी है। वह अंतर्राष्ट्रीय मानक है। जिस समय माननीय मंत्री श्री शंकरानन्द जी ने राज्य-सभा में विधेयक पुरःस्थापित किया, उनकी व्याख्या के अनुसार जीवित व्यक्ति के निकट संबंधी उसका पत्नी/पति, पुत्र, पुत्री, पिता, मां, भाई या बहन होते हैं। पत्नी/पति को छोड़कर, बाकी सभी का आनुवंशिक रूप से संबंधित होना अनिवार्य है। अतः निकट संबंधी—पति के सन्दर्भ में पत्नी को छोड़कर–की परिभाषा पर विचार-विमर्श हो चुका है और शेष सभी को आनुवंशिक रूप से संबंधित होना आवश्यक है। अतः मैं माननीय सदस्य डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय से कठिनाइयों को समझने का अनुरोध करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम अंतर्राष्ट्रीय मानक से परे हट जाएं या अपनी कार्यवाही के क्रम में लगे रहें। यह मेरा प्रश्न है। मेरा कोई अन्य प्रश्न नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय द्वारा प्रवर समिति में संशोधन की सूचना दी गई है। वे स्वयं एक डाक्टर हैं। आनुवंशिक रूप से संबंधित होने से जुड़ी दिक्कतों को वह स्वयं समझते हैं। अतः मैं डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय से इस विधेयक से महमत होने और अपने प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। इस विधेयक पर हुई चर्चा में पन्द्रह माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। यह विधेयक पुरःस्थापित करते समय मैंने इसका उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है। इस विधेयक की विभिन्न धाराओं के बारे में मैं विस्तार से बता चुका हूं। इस संबंध में विभिन्न राष्ट्रीय निकायों, मेडिकल, कानूनी और समाज विशेषज्ञों से लगातार मांग होती रही है और वे मृत एवं जीवित व्यक्तियों के शरीरों से अंगों के निकाले जाने और प्रत्यारोपण को विनियमित करने के लिए एक व्यापक विधान लाने की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं। हमारे देश में मानव अंगों, विशेषतः गुर्दों, एवं अन्य अंगों के विक्रय और प्रत्यारोपण की चिंताजनक रिपोर्ट के संदर्भ में इस बात पर बल दिया गया है।

इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेते समय कुछ सदस्यों ने इसकी विभिन्न धाराओं के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस विधान का प्रारूप अच्छी तरह, सिंघवी समिति की रिपोर्ट मिल

[डा. कृपासिन्धु भोई]

जाने के बाद तैयार किया गया है। सिंघावी समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है। समिति ने देश के मेडिकल विशेषज्ञों से व्यापक रूप से परामर्श किया है और साथ ही उसने इस संबंध में विश्व के अन्य भागों में होने वाली बातों का भी ध्यान रखा है।

महोदय, कई दृष्टिकोण हैं। कुछ सदस्यों के अनुसार, सरकार इस विधेयक को जल्दबाजी से पारित कराना चाहती है। यह सच नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं कि यह विधेयक 20-8-1992 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था और यह 5-5-1993 को पारित किया गया। इस सदन में यह विधेयक 11-5-1993 को पुरःस्थापित किया गया और तत्पश्चात् इस पर चर्चा हुई। 11-12-1993 को इसे प्रवर समिति के पास भेजा गया। प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट 21-12-1993 को प्रस्तुत की। दोनों सदनों और प्रवर समिति में इस पर व्यापक चर्चा हुई और माननीय सदस्य लगभग सभी मुद्दों पर सहमत रहे। परन्तु केवल निकट संबंधियों की परिभाषा के एकमात्र मुद्दे पर असहमति रही।

जैसा कि डा. भोई ने सही बताया है कि परिभाषा में पति अथवा पत्नी की बजाय अनुवंशिक रूप से संबद्ध निकट संबंधियों को शामिल किया गया है। पति अथवा पत्नी को प्रत्यक्षतः अनवंशिक रूप से संबंधित होने के कारण नहीं अपितु पति और पत्नी के बीच बहुत घनिष्ठ और विशिष्ट संबंध होने के कारण शामिल किया गया है। इस परिभाषा का विस्तार करके इसमें ससुराल वालों, ससुर, सास, बहू, भाभी आदि को शामिल करने की बात स्वीकार नहीं की जानी चाहिए क्योंकि ये सभी अनुवांशिक रूप से संबंधित नहीं है। और इस समाज में, जैसा कि कुमारी ममता बनर्जी ने ठीक ही बताया है, ससुराल वालों पर अंग दान करने के लिए दबाव डाला जा सकता है और इस तरह से विधि सम्यत प्रणाली के दुरुपयोग की आशंका है।

9.26 बजे म०प०

[अध्यक्ष महोदय–पीठासीन हुए]

दाता के बारे में, कई माननीय सदस्यों के मन में यह गलतफहमी है कि अनुवांशिक रूप से सम्बद्ध लोग ही अंग दान कर सकते हैं। मुख्य अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 4(क) और (ख) में यह उल्लिखित है कि ऐसी स्थिति में जब कोई दाता अपना अंग को अपने निकट सम्बन्धी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में प्रत्यारोपित करने हेतु प्राधिकृत करता है और दाता द्वारा ऐसे व्यक्ति के प्रति लगाव अथवा स्नेह के कारण अथवा अन्य विशेष कारण बताए गए हों तो दाता प्राधिकृत समिति की पूर्वानुमति से अपना अंग दान कर सकता है। यह मूल अधिनियम की धारा 9, उपधारा 4 (क) (ख) में पहले ही उल्लिखित है। अतः, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अंग दान करने में कोई परेशानी नहीं होगी। परन्तु, इस बात की पुष्टि के लिए कि दाता अपने पारिवारिक सदस्यों के दबाव में अथवा किसी अन्य कारण से अपना अंग दान नहीं कर रहा है, प्राधिकृत समिति की पुर्नानुमति अपेक्षित है। अधिनियम में यह स्पष्टतया बताया गया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह बताया हे कि हमारे देश के केवल तीन राज्यों ने यह संकल्प पारित किया है। परन्तु, जब हम संसद में यह विधेयक पारित कर देंगे तो इससे एक आम राय बनेगी।

और इस आम राय के दबाव में आकर अन्य राज्य भी इसे स्वीकार करेंगे। केन्द्र सरकार भी राज्य सरकारों से इसे यथाशीघ्र लागू करने का अनुरोध करेगी।

अस्पताल और अन्य बातों के बारे में यह स्पष्टतया उल्लिखित है कि प्रतिरोपण कहां किया जा सकता है और संस्थानों का पंजीकरण कहां किया जायेगा और तथा इसमें इस तरह की अन्य बातें भी शामिल हैं। इन अस्पतालों में विशेषज्ञ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होने पर उनका पंजीकरण होगा। इन थोड़े शब्दों के साथ, सभी माननीय सदस्यों से इस विधेयक को, राज्य सभा द्वारा यथापारित और प्रवर समिति द्वारा यथापारित रूप में, पारित करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मानव अंगों के चिकित्सीय प्रयोजन के लिए निकाले जाने, भंडारकरण और प्रतिरोपण का विनियमन करना और मानव अंगों में वाणिज्यिक व्यवहार का निवारण करने तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक, प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार और राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2 परिभाषाएं

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,–

पंक्ति 4 और 5 के स्थान पर '(एक) "निकट नातेदार" से पति/पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई अथवा बहन अभिप्रेत है;

प्रतिस्थापित किया जाए (3)

अध्यक्ष महोदय : डा. पाण्डेय, क्या आप इस संशोधन में संशोधन का प्रस्ताव कर रहे हैं?

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, मैं संशोधन का अपना प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने विचार भी प्रकट करना चाहते हैं। परन्तु, क्या इतने विलम्ब से यह बात करना आवश्यक है?

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के संशोधन में अपना संशोधन पेश करना चाहता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संशोधनों की सूची संख्या 1 में श्री पवन सिंह घाटोवार द्वारा प्रस्तावित और क्रमांक 3 पर मुद्रित, संशोधन में,–

"बहन" के पश्चात् "जामाता, सास और जीजा/साला" **अंत:स्थापित किया जाये।" (5)**

[डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी मंत्री महोदय ने फिर इस सदन को गुमराह करने का प्रयत्न किया है।

[अनुवाद]

"यदि दाता अपनी मृत्यु से पहले कोई मानव अंग निकालने के लिए प्राधिकृत करता हो ···"

[हिन्दी]

अब उसकी मृत्यु के बाद वह डोनेट करता है तो वह आथोराइज कर सकता है, जिसमें वह कह रहे हैं कि नहीं, डोनर की परिभाषा ऐसी है और नियर रिलेटिव की परिभाषा ऐसी है। नियर रिलेटिव की परिभाषा को डोनर रिलेटिव की परिभाषा के साथ वह मिलाना चाह रहे हैं। मेरा एक ही निवेदन है कि प्रवर समिति ने इस पर पूरा विचार करके अपनी एक सर्वसम्मत रिपोर्ट दी है, जिसमें स्वीकार किया है कि :

[अनुवाद]

"समिति यह महसूस करती है कि उप खंड में शब्द "निकट नातेदार" की दी गई परिभाषा बहुत सीमित है और उसमें केवल पति/पत्नी, पुत्री, पिता माता, भाई अथवा बहन शामिल हैं। समिति का यह मत है कि "निकट नातेदार" शब्द के अर्थ का दायरा बढ़ाकर इसमें दामाद, ससुर, सास और जीजा/साला को भी शामिल किया जाये। तदनुसार उप खंड में संशोधन किया जाता है।"

[हिन्दी]

यह एक सर्वसम्मत रिपोर्ट है और चूंकि इस प्रवर समिति ने, जो बिल राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था, उसमें अन्य और भी संशोधन किये हैं, उनको हमने स्वीकार किया है। अब माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि जैसा राज्य सभा ने पारित किया है, वैसा ही आप पारित कर दीजिएगा तो जो संशोधन किये थे, उसके बारे में तो कोई माननीय मंत्री महोदय ने संशोधन नहीं दिया है, इसलिए मेरा यह कहना है कि प्रवर समिति ने अपनी जो सर्वसम्मत रिपोर्ट दी है उसे पारित किया जाय। हम इस विधेयक को पारित करने के पक्ष में हैं, यह जल्दी से जल्दी पारित हो, यह भी हम चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि जैसी एक सर्वसम्मत रिपोर्ट आई है, उसको यहां पारित किया जाय।

मेरे द्वारा जो दिये गये एमेंडमेंट्स हैं, जिसमें माननीय मंत्री महोदय की तरफ से भी 1-2 संशोधन दिये गये हैं, इसमें मैं अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं और चाहात हूं कि उन्हें स्वीकार किया जाय।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मैं डा. पाण्डेय से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस संशोधन के लिए दबाव न डालें। मैं यह अनुरोध करूंगा कि यह विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित रूप में

पारित किया जाये। मैंने प्रवर समिति के प्रतिवेदन में संशोधन का प्रस्ताव पहले ही रख दिया है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने फिर कहा है कि राज्य सभा ने जो विधेयक पारित किया था, उसमें कई संशोधन हुए हैं।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : 'निकट नातेदार' की परिभाषा का दायरा बढ़ाने के बारे में मैंने पहले ही व्याख्या की है कि अधिनियम में ऐसा उपबंध है जिसके अनुसार अंग दान करने के लिए इच्छुक व्यक्ति उक्त दान बहुत आसानी से कर सकता है परन्तु उसे प्राधिकृत समिति की पुर्वानुमति प्राप्त करनी होगी क्योंकि प्राधिकृत समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या दाता किसी दबाव अथवा किसी अन्य कारण से अंग दान कर रहा है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सभा द्वारा जो बिल पारित किया गया था, उसमें कई संशोधन हुए हैं। उन सब संशोधनों को माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है लेकिन यहां माननीय मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि राज्य सभा द्वारा यथापारित स्वीकार कर लिया जाय तो जो बाकी संशोधन हुए हैं, उनका क्या होगा। चूंकि उनके बारे में प्रवर समिति की रिपोर्ट पर कोई संशोधन नहीं किया, इसलिए मैं चाहता हूं कि नियर रिलेटिव का जो मैंने संशोधन दिया है, उसको स्वीकार किया जाय और जो राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था, उन संशोधनों सहित, जो प्रवर समिति ने स्वीकार किये हैं, इसे स्वीकार किया जाय।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पवन सिंह घाटोवर द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 3 में **डा.** लक्ष्मी नारायण पाण्डेय द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 5 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 5 रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं, श्री पवन सिंह घाटोवर द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 3 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 3,–

पंक्ति 4 और 5 **के स्थान पर** (झ) "निकट नातेदार से पति/पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहन अभिप्रेत है"

प्रतिस्थापित किया जाए; (3)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अध्यक्ष महोदय]

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 3,–

(i) पंक्ति 14, "या" का **लोप** किया जाए;

(ii) पंक्ति 15 और 17 का **लोप** किया जाए। (4)

(श्री पवन सिंह घाटोवार)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 से 25 विधेयक में जोड दिए गए।

खंड 1–संक्षिप्त नाम, अधिसूचना तथा प्रारंभ किया गया संशोधन :

"पृष्ठ 2, पंक्ति 6– '1993' **के स्थान पर '1994' प्रतिस्थापित किया जाये।**" (2)

(श्री पवन सिंह घाटोवार)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 2, पंक्ति 1–"चवालिसवें" **के स्थान पर** "पैंतालिसवें" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (1)

(श्री पवन सिंह घाटोवार)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पवन सिंह घाटोवार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : यह विधेयक सिर्फ मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक न कि मानव अंग परिवहन विधेयक जैसा कि एक स्थान पर मुद्रित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूं कि इसे ठीक किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा क्या चाहती है? क्या इस सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : दो विधेयक नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित है। इन दोनों विधेयकों को बिना चर्चा किए पारित किया जा सकता है क्योंकि स्थायी समितियों ने इनका गहन अध्ययन कर लिया है। इन विधेयकों को पारित किए जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये विधेयक राज्य सभा द्वारा पहले ही पारित कर दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब, मंत्री जी, बोलेंगे।

9.38 बजे म०प०

यान हरण निवारण (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

और

सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन (संशोधन) विधेयक

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यान हरण निवारण अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

और

"कि सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन (संशोधन) विधेयक में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

सरकार ने विमानों के अपरहण से सम्बन्धित अपराधों से निपटने के लिए यानों की विधि विरुद्ध जब्ती का दमन संबंध हेग में 16 दिसम्बर 1970 को हस्ताक्षर किए गए समझौते को लागू करने

[श्री गुलाम नबी आजाद]

के लिए सन् 1982 में यान हरण निवारण अधिनियम और सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन (संशोधन) विधेयक, 1993 नाम के दो अधिनियमों का कानून का रूप दिया था। जैसाकि सभी मानते हैं कि विमान अपहरण एक अन्तर्राष्ट्रीय अपराध है और विमान अपहरण से वित्तीय हानि होने के अलावा यात्रियों, चालक सदस्यों और उनके सगे सम्बन्धियों के लिए विमान अपहरण एक पीड़ादायक अनुभव होता है चाहे वह खतरनाक हथियारों की मदद के बिना किया गया हो। विशेष रूप से गत वर्ष विमान अपहरण की अनेक घटनाएं पेशेवर लोगों के प्रयास थे। यद्यपि विद्यमान अधिनियमों में विमान अपहरण के लिए आजीवन कारावास और जुर्माने की न्यूनतम दण्ड का प्रावधन है लेकिन अनुभव यह रहा है कि मुकद्दमे और जांच की लम्बी प्रक्रिया के कारण इसका निवारण प्रभाव कम हो जाता है।

विमान अपहरण संबंधी अपराधों की गम्भीरता और इसके कारण बाधाएं उत्पन्न हो जाने को देखते हुए सरकार ने यान हरण निवारण अधिनियम, 1982 और सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन (संशोधन) विधेयक, 1982 के प्रावधानों की समीक्षा करो और जांच को पेशेवर ढंग से करने, शीघ्र मुकद्दमा चलाने और अपराधियों को शीघ्र दण्ड दिलवाने के लिए इन अधिनियमों में उपयुक्त परिवर्तन समाविष्ट करने को आवश्यक माना है। सभा के समक्ष अब लाए गए संशोधन विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिवर्तनों को समर्विष्ट :

(i) इस समय यान हरण संबंधी अपराधों की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा की जाती है। नये विधेयक में केन्द्रीय सरकार यान हरण के मामलों में गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की ऐसी शक्तियां जो अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाती हैं, को ऐसी शक्तियों को अपने किसी भी अधिकारी को प्रदत्त करने संबंधी प्रावधान समाविष्ट करने का प्रस्ताव है।

(ii) नेय विधेयक में यान हरण के मामलों के शीघ्र मुकद्दमा चलाने और निस्वारण के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अभिहित न्यायालयों को विनिर्दिष्ट करने को आवश्यक बनाने के लिए एक प्रावधान समाविष्ट करने का प्रस्ताव है। अभिहित न्यायालय, जहां तक व्यावहारिक हो, मुकदमों को दैन्यदिन आधार पर चलायेंगे।

(iii) अपराधों की गम्भीरता को देखते हुए, यह महसूस किया जाता है कि जमानत मंजूर करने को अधिक कठोर बनाया जाये। इस उद्देश्य के लिए नये विधेयक में यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि इस अधिनियम में अपराधों के लिए अभियोजक की सुनवाई का एक अवसर दिए बिना जमानत मंजूर नहीं की जाये।

(iv) कानूनों को और अधिक **प्रभावकारी** बनाने के लिए यह प्रस्ताव है कि कतिपय मामलों में जहां अभियुक्त के कब्जे में से कोई आयुध या गोला बारूद या विस्फोटक

बरामद किया गया था और यह विश्वास करने का कारण है कि इसी प्रकार के आयुध गोला बारूद या विस्फोटक का ऐसे अपराध को किए जाने में उपयोग किया गया था या अपराध के किए जाने के संबंध में बल के प्रयोग, बल की धमकी दिए जाने का साक्ष्य है तो, अभिहित न्यायालय, जब तक इसके विरुद्ध साबित न कर दिया जाए, यह उपधारित करेगा कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है।

संक्षेप में संशोधन विधेयक का उद्देश्य यान हरण के अपराधों संबंधी कानूनों को और कठोर बनाने का है ताकि संभावित अपराधियों को इस संबंध में निरुत्साहित किया जा सके। इससे केन्द्रीय सरकार को सिविल विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों से निपटने में अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सहायता मिलेगी।

मैं सभा से विधेयक का समर्थन करने और इसे कानून के रूप में पारित करने का आग्रह करूंगा। इस विधेयक पर परिवहन और पर्यटन संबंधी संसदीय समिति ने 29 मार्च, 1994 को विचार किया था और इसकी सिफारिश की थी। इस विधेयक को राज्य सभा ने भी 5 मई, 1955 को पारित कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रथम विधेयक पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव को मतदान के लिए सभा में रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"कि यान हरण अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 5 तब विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं द्वितीय विधेयक पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव को मतदान हेतु सभा में रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन (संशोधन) विधेयक, 1982, पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खण्ड 2 से 6 तक विधेयक मे जोड़ दिए गए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9.46 बजे म०प०

विदाई उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : संसद सदस्यों, कल और आज हम कुछ कार्य निपटाने में सफल हुए हैं। अध्यादेश पारित किए गए हैं तथा उन्होंने कानून का रूप ले लिया है। कुछ अन्य विधेयक भी पारित किए गए हैं और हम कुछ और विषयों पर भी चर्चा कर सके हैं।

दुर्भाग्यवश, जिस उद्देश्य के लिए इस सत्र की बैठक बुलाई गयी थी, वह पूरा नहीं हो सका

है। इसमें कुछ कठिनाइयां रही हैं। हम आशा करते हैं कि संसद सदस्य विचार-विमर्श कर कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे जो उद्देश्य प्राप्ति में सहायक हो सकेगा।

हम सदन के नेता, विपक्ष के नेता तथा अन्य सभी दलों के नेताओं को उनकी सूझ बूझ तथा उनके द्वारा संसद तथा पीठासीन अधिकारियों को दिये गये सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हम उन सभी सदस्यों के आभारी हैं जो बहुत कम बोले हैं तथा अपने स्थानों पर बैठे रहे हैं।

इस सभा के सदस्यों ने हमारे साथ तथा एक-दूसरे के साथ जहां तक संभव हुआ अच्छा सहयोग किया है। इसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं तथा उन्हें धन्यवाद और बधाई देते हैं।

प्रेस ने भी चर्चित विषयों और सदन की कार्यवाही को लोगों तक रोचक ढंग से पहुंचाने में सहयोग दिया है। हम उनके कार्य की सराहना करते हैं।

डा. आर०सी० भारद्वाज 1 जून, 1994 से लोक सभा के महासचिव का कार्य देख रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और यह कामना करते हैं कि वह इस दायित्वपूर्ण कार्य का सफलता के साथ निर्वहन करेंगे।

श्री सी०के० जैन 31 मई, 1994 महासचिव के कार्यभार से मुक्त हो गए हैं। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पूर्ण दायित्व से निर्वहन किया। हम उनके द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्यों विशेषरूप से अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों के आयोजन के अवसर पर किये गये अच्छे कार्य के लिए उनकी सराहना करते हैं। हम कामना करते हैं कि उनका जीवन मंगलमय हो। हम उन्हें लोक सभा के मानद अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जायेंगे तथा संसद में कुछ दिनों के बाद लौटेंगे। हम चाहते हैं कि जनता की सेवा अपने-अपने स्थानों में करते हुए उनका यह प्रवास उनके लिए फलदायक सिद्ध हो, सुख से बीते और उन्हें अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो।

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

9.51 बजे म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस०—48/32/2/94 (एन०)

250

© 1994 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक दि इण्डियन प्रैस दिल्ली द्वारा मुद्रित।